

मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2026 सत्र

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026

भाग-1

तारांकित प्रश्नोत्तर

ई-अटेंडेंस प्रणाली के क्रियान्वयन संबंधी नीति

[स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 1122) श्री सुनील उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ई-अटेंडेंस प्रणाली लागू करने हेतु निविदा (टेंडर) के माध्यम से किसी निजी कंपनी/एजेंसी का चयन किया गया है? (ख) उक्त कार्य हेतु चयनित कंपनी का नाम, निविदा प्रक्रिया का विवरण एवं अनुबंध की शर्तों की जानकारी प्रदान करें? (ग) ई-अटेंडेंस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षकों एवं कर्मचारियों से कौन-कौन सा व्यक्तिगत एवं बायोमेट्रिक/डिजिटल डेटा एकत्रित किया गया है? (घ) क्या उक्त डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता एवं दुरुपयोग की रोकथाम हेतु साइबर सुरक्षा, एनक्रिप्शन, डेटा संरक्षण तथा सर्वर सुरक्षा के संबंध में कोई मानक (प्रोटोकॉल) निर्धारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो उनका विवरण दें? यदि नहीं, तो कारण बताएं? (ङ.) यदि कर्मचारियों का डेटा लीक होता है अथवा उसका दुरुपयोग होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी तथा संबंधित कंपनी के विरुद्ध अनुबंध में क्या दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) ई-अटेंडेंस प्रणाली के लिये पृथक से कोई कार्यादेश नहीं दिया गया है। ई-अटेंडेंस प्रणाली एजुकेशन पोर्टल 3.0 का ही एक मॉड्यूल है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 का कार्य सक्षम स्वीकृति उपरांत भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (NICSI) द्वारा किया जा रहा है। MoU की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) ई-अटेंडेंस मॉड्यूल के लिये शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पृथक से कोई डेटा एकत्रित नहीं किया गया है। (घ) जी हाँ। डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता से संबंधित प्रावधान अनुबंध में किये गये हैं। डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध

में निक्सी के माध्यम से तकनीकी एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि डाटा सुरक्षित है एवं एप्लीकेशन का सिक्योरिटी ऑडिट है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता हेतु संबंधित एजेंसी जबावदेह है, इस संबंध में अनुबंध में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में समाहित है।

माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन न किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

2. (*क्र. 1120) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1160, दिनांक 30.07.2025 के जवाब में अध्यापिका मनीषा कुशवाहा शासकीय माध्यमिक शाला जोरी रीवा के माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति माननीय विशेष न्यायाधीश पी.सी.एक्ट. रीवा के प्रकरण क्र.14/2004 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2011 के कारण रोकी गयी थी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित न्यायालयीन निर्णय को माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने क्रिमिनल अपील क्र. 2930, वर्ष 2011 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.06.2025 द्वारा निरस्त कर दिया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भारत की सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र. SLP (Crl) No.00912/2026, रजि. दिनांक 02.02.2026 खारिज कर दी गयी है? (ग) क्या अध्यापिका मनीषा कुशवाहा वर्ष 1998 से नियमित सेवाएं दे रही हैं, विभाग इन्हें प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दे चुका है, इनके खिलाफ कोई भी न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है, तो फिर माध्यमिक शिक्षक पद का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) तथा न्यायालय निर्णय के शिक्षक परिपालन में अध्यापिका मनीषा कुशवाहा के माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति का आदेश शिक्षा विभाग रीवा द्वारा प्रश्नांश दिनांक तक जारी नहीं किया गया क्यों? कारण स्पष्ट करें। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद नियुक्त आदेश न जारी करने का दोषी कौन है? क्या माननीय न्यायालय के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही होगी तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश "ख" में पारित निर्णय के क्रम में मनीषा कुशवाहा को नवीन संवर्ग में नियुक्ति का प्रस्ताव जिला स्तरीय पात्रता समिति में प्रस्तुत करने हेतु परीक्षणाधीन है। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार। उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अंतरण की पुनर्बहाली

[राजस्व]

3. (*क्र. 992) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170-ख मुख्यतः अनुसूचित जनजातियों की भूमि के ऐतिहासिक अवैध अंतरणों की जांच एवं पुनर्बहाली हेतु लागू की गई थी? (ख) वर्ष 1980 के बाद छल, कपट, कूटरचना, फर्जी अनुमति, मिथ्या अभिलेख अथवा अन्य अवैध उपायों से अनुसूचित जनजातियों की भूमि के गैर-जनजातियों को हुए अंतरणों के निरस्तीकरण एवं भूमि पुनर्बहाली हेतु

वर्तमान में कौन-कौन से वैधानिक प्रावधान लागू हैं? (ग) क्या 2018 के पूर्व म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 में "Collector (including Additional Collector)" का उल्लेख होने के कारण वर्ष 1959 से वर्ष 2018 तक अतिरिक्त कलेक्टर को कलेक्टर की पदश्रेणी में माना जाता रहा है? यदि हाँ, तो संबंधित अधिसूचनाओं, नियमों एवं शासन निर्देशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाए। (घ) यदि अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर की पदश्रेणी में था, तो राज्य में वर्ष 1959 से 2018 तक अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अंतरण संबंधी दी गयी अनुमतियों, आदेशों एवं निर्णयों की वैधानिक स्थिति क्या है? (ङ.) क्या शासन ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करायेगा, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अंतरण की अनुमति अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई थी? यदि नहीं, तो कारण बताएं।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) विषयांतर्गत प्रावधान म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 170-ख आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमिका जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी, प्रतिवर्तन में दिये गये हैं। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) विधि विरुद्ध प्रदाय की गई अनुमति संज्ञान में आने पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। (ङ.) उत्तरांश (घ) अनुसार।

राहत राशि का प्रदाय

[राजस्व]

4. (*क्र. 439) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों के खराब होने पर आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजा राशि दी जाती रही है? प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 767, दिनांक 24 मार्च, 2025 में दिये गये उत्तर अनुसार मंदसौर जिले में 51179 किसानों के लिये 80,08,46,518/- की राहत राशि स्वीकृत की गई थी? (ख) उक्त स्वीकृत राशि में से 27,47,55,734/- की राशि का वितरण किन-किन किसानों को देना शेष है? वंचित किसानों की सूची दें। (ग) वंचित किसानों को प्रावधान के अंतर्गत राशि प्रदाय क्यों नहीं की गई है, जबकि इसके बाद की प्राकृतिक आपदाओं के प्रकरणों की राशि वितरित कर दी गई है? (घ) स्वीकृत राशि कब तक प्रदाय कर वंचित किसानों को लाभान्वित कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) तत्समय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा में पात्र कृषकों को राहत राशि का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार। (घ) उत्तरांश "ख" एवं "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास/मुआवजे का प्रदाय

[राजस्व]

5. (*क्र. 1191) श्री उमंग सिंघार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत छतरपुर एवं पन्ना जिलों के कुल कितने ग्राम एवं कितने परिवार विस्थापन, भूमि अधिग्रहण अथवा डूब क्षेत्र से प्रभावित हैं? (ख) प्रभावित परिवारों में से कुल कितने परिवारों को भूमि अधिग्रहण मुआवजा, पुनर्वास पैकेज एवं अन्य देय लाभ स्वीकृत किये गये

हैं तथा कितने परिवार अभी तक इन लाभों से वंचित हैं? (ग) क्या परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा पुनर्वास सूची से पात्र व्यक्तियों के छूट जाने, मुआवजा निर्धारण में त्रुटियों तथा पुनर्वास लाभों के वितरण में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की गई थी, जिसके फलस्वरूप पुनः सर्वेक्षण (Fresh Survey) कराये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति एवं अब तक के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) पन्ना जिले में केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले के कुल 07 ग्रामों के 1321 परिवारों का विस्थापन किया गया तथा कुल 08 ग्रामों के 644 खातेदारों (1699 कृषकों की भूमि) अधिग्रहण से प्रभावित है। छतरपुर जिले में अनुभाग-बिजावर जिला छतरपुर अन्तर्गत कुल 14 ग्राम एवं कुल 3718 परिवार विस्थापित भूमि अधिग्रहण अथवा डूब क्षेत्र से प्रभावित है। (ख) पन्ना जिले में प्रभावित परिवारों में से कुल 1321 परिवारों को पुनर्वास पैकेज एवं 644 खातेदारों (1699 कृषकों की भूमि) अधिग्रहण की जाकर मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है तथा कोई भी परिवार इन लाभों से वंचित नहीं है। छतरपुर जिले में कुल 3718 परिवार में से समस्त 3718 परिवार को देय लाभ स्वीकृत कर दिये गये हैं। उत्तर दिनांक तक कोई परिवार स्वीकृत किये जाने से वंचित नहीं है। (ग) जी हाँ, पन्ना जिला परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा पुनर्वास सूची से पात्र व्यक्तियों के छूट जाने, मुआवजा निर्धारण में त्रुटियों तथा पुनर्वास लाभों के वितरण में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की गई थी, जिसके फलस्वरूप पुनः सर्वेक्षण (Fresh Survey) कराये जाने हेतु दल का गठन किया गया, जिसमें परियोजना में प्रभावित कोई पात्र व्यक्ति नहीं छूटा है, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई तथा पुनर्वास लाभों के वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जी हाँ, छतरपुर जिला परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा पुनर्वासन सूची में छूटे परिवारों को जोड़े जाने की शिकायतों की गई थी, जिसके निराकरण हेतु कार्यलयीन आदेश क्रमांक 195/भू-अर्जन/2026, दिनांक 15.04.2026 से सर्वेक्षण का कार्य करने हेतु ग्रामवार दल गठित कर सर्वे कार्य कराया गया। पूर्व में कुल 3080 परिवारों को निर्धारित लाभ स्वीकृत किये गये थे, सर्वेक्षण दलों द्वारा ग्रामवार रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर अतिरिक्त 638 पात्र परिवारों को निर्धारित राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

घटिया कार्यों की जांच कर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाना

[जल संसाधन]

6. (*क्र. 959) **श्री बाबू जन्डेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना श्योपुर में 175 करोड़ की लागत से निर्मित कार्य का उद्घाटन के 06 वर्षों के बाद भी अभी भी अधूरा है? जिससे किसानों को इस परियोजना का कोई लाभ नहीं मिला है? ऐसा क्यों? (ख) घटिया निर्माण कार्य के चलते कई बार पाइप-लाइन जगह-जगह फूट चुकी है, लिकेज होने से खेतों तक सिंचाई हेतु प्रेशर से पानी नहीं पहुंच रहा है? योजना पूरी तरह असफल हो चुकी है? क्या शासन प्रदेश स्तरीय तकनीकी एवं उच्च स्तरीय अधिकारियों का दल गठित कर स्थानीय कृषकों के समक्ष परीक्षण एवं जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों

कारण बतावें? (ग) कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा कई बार उक्त परियोजना के परीक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों को किसानों के समक्ष निरीक्षण, परीक्षण एवं जांच करने के आदेश/निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक किसानों के समक्ष अधिकारियों द्वारा परीक्षण क्यों नहीं किया गया? यदि नहीं, तो कब तक करा लिया जावेगा? समय सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उक्त परियोजना अभी भी गारंटी समय में है? यदि हाँ, तो संबंधित कंपनी ठेकेदार द्वारा डी.पी.आर. अनुसार कार्य न करने तथा घटिया निर्माण करने नकली, सामग्री का उपयोग करने एवं समय-समय पर संधारण एवं मरम्मत कार्य नहीं करने के कारण क्या म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग द्वारा संबंधित कंपनी की धरोवर (एफ.डी. डिपोजिट) राशि जप्त कर संबंधित कंपनी को ब्लेक लिस्ट किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समय सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) श्योपुर जिले के अंतर्गत चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 167.58 करोड़ की दिनांक 27.07.2018 को प्रदान की गई थी। वर्ष 2023 में परियोजना के अंतर्गत जी.एम. 1 (सिंचित क्षेत्र 7088 हेक्टेयर) एवं जी.एम.-2 (सिंचित क्षेत्र 455.75 हेक्टेयर) पूर्ण कर लिया गया था तथा जी.एम.-3 (सिंचित क्षेत्र 4927.02 हेक्टेयर) का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण किया जा चुका था। किसानों को परियोजना से त्वरित लाभ प्रदान करने हेतु तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से दिनांक 12.03.2023 को परियोजना का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के उपरांत विगत 03 वर्षों में परियोजना से उपलब्ध कराई गई सिंचाई सुविधा का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** परियोजना से पूर्ण रूप से सिंचाई न होने का मुख्य कारण निम्नानुसार प्रतिवेदित है :- 1. कमाण्ड क्षेत्र में विगत वर्षों में पर्याप्त वर्षा होने के कारण कृषकों के निजी बोरवेल एवं खेत तालाबों में पानी की उपलब्धता होना। 2. राजस्थान, जल संसाधन विभाग द्वारा ग्रीष्मऋतु में जी.एम. 3 के कमाण्ड क्षेत्र (4927.02 हेक्टेयर) की टेस्टिंग हेतु चंबल दाहिनी मुख्य नहर में पानी उपलब्ध न कराना। 3. श्योपुर जिले में चंबल दाहिनी मुख्य नहर प्रणाली होने के कारण क्षेत्र के कृषक फलो सिंचाई से अवगत है, इस नई तकनीक से वाकिफ होने एवं इसे अपनाने का माईडसेट कृषकों का न होने के कारण पाइप प्रणाली को बार-बार क्षतिग्रस्त करना, ओ.एम.एस. बॉक्स को क्षतिग्रस्त करना इत्यादि घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे उक्त परियोजना के सफल संचालन में समस्या उत्पन्न होना। (ख) परियोजना का कार्य आई.एस. कोड, विभागीय तकनीकी सर्कुलर एवं विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुरूप समस्त तकनीकी परीक्षण/टेस्टिंग उपरांत गुणवत्तापूर्वक कराया जाना प्रतिवेदित है। कृषकों के द्वारा पाइप-लाइन को अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त करने के कारण लीकेज की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे एजेन्सी द्वारा तुरन्त ठीक किया जाता है। यह कहना कि परियोजना पूरी तरह असफल है, असत्य है। परियोजना की तकनीकी जांच प्रमुख अभियंता, भोपाल द्वारा गठित दल के द्वारा स्थानीय कृषकों एवं कृषक प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 24.07.2024 से 26.07.2024 तक एवं दिनांक 26.12.2024 को कराई जाना प्रतिवेदित है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) कलेक्टर, जिला श्योपुर के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा उत्तरांश 'घ' में वर्णित कार्यवाही की गई है। अतः शेष प्रश्नांश का कोई प्रश्न ही नहीं है। (घ) जी हाँ। निर्माण एजेन्सी द्वारा डी.पी.आर. के अनुसार एवं अनुबंध में निहित प्रावधान अनुसार कार्य कराया जाना प्रतिवेदित है। विभागीय तकनीकी परिपत्र/आई.एस. कोड एवं विभागीय स्पेसिफिकेशन अनुसार

निर्माण सामग्री से संबंधित सभी गुणवत्ता परीक्षण कराये जाना प्रतिवेदित है। घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का कथन निराधार है। वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है एवं एजेन्सी द्वारा शेष कार्यो को पूर्ण किया जा रहा है। अनुबंधानुसार एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव न करने की स्थिति में अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अतः शेष प्रश्न लागू नहीं होता है।

परिशिष्ट - "एक"

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली

[परिवहन]

7. (*क्र. 978) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (B.C.L.L.) विभाग/प्रबंधन, किसी निविदाकार बस ऑपरेटर (Tenderer) को बिना कारण बताओ नोटिस दिये या बिना उसका पक्ष सुने सीधे पेनल्टी का आदेश दे सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम, उप-विधि या अनुबंध की शर्तों के तहत? यदि ऐसा कोई नियम नहीं है, तो इस प्रकार सीधे शास्ति आरोपित करना क्या प्रशासनिक एवं वैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं है? (ख) क्या कोई ऑपरेटर पिछले 14 महीनों से लिखित रूप में अपनी पेनल्टी का विवरण या जवाब मांग रहा हो, तो B.C.L.L. प्रबंधन द्वारा विवरण न देकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (C.E.O.) द्वारा प्रकरण को टालना या गुमराह करना कानूनन कितना वैध है? (ग) क्या मध्य प्रदेश शासन का कोई नियम या प्रशासनिक आदेश बी.सी.एल.एल. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह शक्ति देता है कि वह महापौर, जो कि बी.सी.एल.एल. की अध्यक्ष हैं, द्वारा जारी नोटशीट का समय सीमा में जवाब न दें या उसकी अवहेलना करें? (घ) क्या सिविल सेवा आचरण नियमों या सामान्य प्रशासन विभाग (G.A.D.) के निर्देशों के तहत किसी भी लोक सेवक या सी.ई.ओ. को यह अधिकार है कि वह माननीय विधायक द्वारा प्रेषित शासकीय पत्रों का जवाब न दें या उनकी उपेक्षा करें? यदि उपर्युक्त कृत्य (महापौर की नोटशीट एवं विधायक के पत्र का जवाब न देना तथा ऑपरेटर को गुमराह करना) नियमों के विरुद्ध है, तो क्या राज्य शासन ऐसे मनमाने ढंग से कार्य करने वाले सी.ई.ओ. के विरुद्ध अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखता है? यदि हाँ, तो कब तक और क्या कार्रवाई की जायेगी?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। अनुबंध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी का नोटिस दिया जाता है एवं गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मेसर्स कैपिटल रोडवेज एंड फाइनेंस प्रा.लि. (बस ऑपरेटर) द्वारा निविदा क्रमांक 13 के अंतर्गत जमा की गई Adjustable Security Deposit की राशि को वापस किये जाने की मांग की गई थी। परन्तु उक्त बस ऑपरेटर द्वारा बसों का संचालन नहीं करने की स्थिति में बस ऑपरेटर के विरुद्ध पेनल्टी अधिरोपित की गई है। बस ऑपरेटर की उक्त Adjustable Security Deposit वापसी संबंधी प्रकरण बी.सी.एल.एल. की 41वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.04.2025 एवं 43वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.02.2026 में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही मेसर्स कैपिटल रोडवेज एंड फाइनेंस प्रा.लि. द्वारा मान. उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक WP/40149/2025 में न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2026

को आदेश पारित किया गया है, जिसकी प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। माननीय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में मेसर्स कैपिटल रोडवेज एंड फाइनेंस प्रा.लि. द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ही कार्यवाही किया जाना है, अतः प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त माननीय विधायक महोदय के पत्रों के संबंध में नियमानुसार अभिस्वीकृति पत्र प्रेषित किये जाते हैं तथा पत्र में उल्लेखित विषयों के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर परीक्षण उपरांत तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर जानकारी संबंधित विभाग को प्रेषित की गई है। अतः अनुशासनात्मक अथवा दंडात्मक कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

पट्टे की शर्तों का उल्लंघन

[राजस्व]

8. (*क्र. 117) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 1100, दिनांक 04.12.2025 के उत्तरांश (ख) में दी गई जानकारी अनुसार पट्टाग्रहिता द्वारा दुकान हेतु आवंटित पट्टे की शर्तों की उल्लंघन की शिकायतों की जाँच हेतु न्यायालय नजूल अधिकारी नर्मदापुरम में राजस्व प्रकरण क्रमांक 0031/ब-121/2025-26 दर्ज किया गया है? (ख) क्या उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन दे दिया गया है? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। (ग) शासन द्वारा आवंटित पट्टे की शर्त अनुसार शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या पट्टा स्वमेव निरस्त हो जावेगा। क्या इसका पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों, इसका उत्तरदायित्व किसका था। पट्टेधारी द्वारा पट्टे की किन-किन शर्तों का उल्लंघन किया गया? (घ) पट्टा ग्रहिता द्वारा सीढ़ी बनाने, बिना अनुमति दुकान पर द्वितीय तल बनाने एवं पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में नर्मदापुरम के कलेक्टर नजूल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी को विगत पांच वर्षों में सी.एम. हेल्पलाइन सहित कब-कब, कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? (ड.) क्या शर्तों के उल्लंघन के बाद भी पट्टाधारी का पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है। (ग) नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 82 (1) अनुसार स्थायी पट्टे की शर्त उल्लंघन या अपालन प्रतिवेदित होने या पाए जाने पर सक्षम अधिकारी पट्टेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रकरण का निराकरण करेगा। इसी प्रकार नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 82 (2) के अनुसार सक्षम अधिकारी शमन राशि लेकर पुनःप्रविश के अधिकार का त्यजन करते हुए शर्त उल्लंघन के मामले का निराकरण करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में शिकायत में उल्लेखित पट्टा दिनांक 07 अप्रैल, 2012 की अवधि अवसान उपरांत शर्त उल्लंघन का शमन करते हुए नवीनीकृत पट्टा दिनांक 08.07.2025 को

जारी किया जा चुका है एवं पट्टे का पंजीयन भी दिनांक 18.08.2025 को किये जाने से शेष जानकारी निरंक है। (घ) पट्टा ग्रहिता द्वारा सीढ़ी बनाने, बिना अनुमति दुकान पर द्वितीय तल बनाने एवं पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में नजूल अधिकारी नर्मदापुरम के कार्यालय के सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर विगत तीन वर्षों में कोई भी शिकायत प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त उक्त संबंध में शिकायती पत्र दिनांक 10.11.2025, दिनांक 08.12.2025 व दिनांक 29.12.2025 को प्राप्त हुये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है। (ड.) जी हाँ। सक्षम अधिकारी अपर कलेक्टर श्री डी.के. सिंह द्वारा पट्टे की शर्त उल्लंघन का शमन करते हुए नवीनीकृत पट्टा दिनांक 08.07.2025 को जारी किया जा चुका है एवं पट्टे का पंजीयन भी दिनांक 18.08.2025 को किया जा चुका है।

वसीयत के आधार पर फौती नामांतरण के प्रकरण

[राजस्व]

9. (*क्र. 1020) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वसीयत के आधार पर फौती नामांतरण के लिये शासन के क्या नियम निर्देश हैं? क्या प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा निर्धारित है? नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले में 1 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक वसीयत के आधार पर फौती नामांतरण के कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं? तहसीलवार जानकारी दें। प्राप्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों के निराकरण हुए हैं, कितने लंबित हैं? वर्षवार तहसीलवार जानकारी दें। (ग) ग्वालियर जिले की भितरवार, घाटीगांव तहसील एवं शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में प्रश्नांश "ख" अवधि में किन-किन आवेदकों ने कब-कब वसीयत के आधार पर फौती नामांतरण कराने हेतु आवेदन दिये गये? आवेदकों की ग्रामवार, नामवार जानकारी दें। क्या राजस्व अभियान अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो कितने? (घ) प्रश्नांश (ख) अवधि में प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित तहसीलों के कितने प्रकरण मान्य, अमान्य किये गये? कितने लंबित हैं? मान्य, अमान्य एवं लंबित रहने की सूचना आवेदकों को दी गई या नहीं? यदि हाँ, तो पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। क्या सूचना नहीं देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा बताएं? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 109 एवं 110 के तहत वसीयत के आधार पर फौती के नामांतरण किये जाते हैं। जी हाँ। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जिला ग्वालियर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं जिला शिवपुरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ) मान्य, अमान्य एवं लंबित प्रकरणों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता संशोधित अधिनियम के तहत नियमानुसार सभी प्रकरणों का गुणदोष के आधार पर निराकरण किया गया है, जो आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिस पर आवेदक स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेष जानकारी निरंक है।

सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत छात्रावासों में वार्डनों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

10. (*क्र. 1151) श्री प्रदीप पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रीवा एवं मऊगंज में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित बालिका एवं कस्तूरबा छात्रावासों में 03 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ वार्डनों की सूची उपलब्ध करावें? उक्त वार्डनों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अब तक उन्हें मुक्त नहीं करने हेतु दोषी जिला परियोजना समन्वयकों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) जिला रीवा एवं मऊगंज अंतर्गत बिना विज्ञापन प्रक्रिया का पालन किये ही वार्डनों की नियुक्ति प्रक्रिया किन जिलों में पूरी की गई है? पिछले 05 वर्षों में नियुक्त वार्डनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी उन्हें किन्हीं न किन्हीं कारणों से यथावत रखने हेतु चलाई गई नस्तियों तथा उक्त चलाने वाली नस्तियों के प्रभारी लिपिकों, डी.पी.सी., मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा कलेक्टरों की जिलावार सूची तथा नस्ती की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) रीवा एवं मऊगंज जिलों सहित संपूर्ण म.प्र. में 05 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ वार्डनों के कार्यकाल की जाँच क्या वित्त विभाग/ए.जी. ऑडिट दल से कराई गई? क्षेत्र से सामान्यतया शिकायतें आती हैं कि अधिक दिनों से पदस्थ वार्डनों द्वारा आर्थिक अनियमितता करते हुए छात्राओं को प्रावधानित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। 03 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ वार्डनों को कब तक हटाया जावेगा एवं 05 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ वार्डनों को अब तक नहीं हटाने वाले कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं अथवा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जिला रीवा एवं मऊगंज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जिला रीवा एवं मऊगंज में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुये वार्डनों की नियुक्ति की गयी है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3, 4, 5 अनुसार है। (ग) जी हाँ। शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जिला रीवा एवं मऊगंज के शेषांश भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है।

भवन विहीन शालाओं का भवन निर्माण किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

11. (*क्र. 152) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान समय में संपूर्ण प्रदेश में भवन विहीन शालाओं के भवन निर्माण की क्या मंशा है? यदि हाँ, तो कब तक भवनों का निर्माण किया जावेगा? (ख) संपूर्ण प्रदेश में क्षतिग्रस्त भवनों के जीर्णोद्धार की क्या योजना है? क्या इस शैक्षणिक सत्र में क्षतिग्रस्त भवनों का जीर्णोद्धार हो पायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) प्रदेश में विगत 02 वर्षों में 230 भवन विहीन प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की स्वीकृति की गई है। विभाग अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी भवन क्रमशः माध्यमिक एवं हाई स्कूल के उन्नयन से अस्तित्व में आते हैं। अतः उन्नत हुए माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल के भवन ही क्रमशः हाई स्कूल और हायर

सेकेण्डरी स्कूल भवन हैं। अतः कोई भी शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं हैं, अपितु विद्यार्थी नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उपलब्ध बजट अनुसार आवश्यक अधोसंरचना निर्माण किया जाता है। आवश्यक अधोसंरचना निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रदेश में क्षतिग्रस्त भवनों के विरुद्ध 2656 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के नवीन भवन स्वीकृत किये गये हैं। विगत 02 वर्षों में 7115 विशेष मरम्मत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में शेष कार्यों की स्वीकृति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विभाग अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन के क्षतिग्रस्त भवनों में कक्षा संचालित नहीं करने के निर्देश हैं। ऐसे भवनों के जीर्णोद्धार की कोई योजना नहीं है, अपितु विद्यार्थी नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार बजट उपलब्धता अनुसार अतिरिक्त कक्षा निर्माण किया जाता है।

आदिवासी ब्लॉक में संचालित हॉस्पिटल

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

12. (*क्र. 1072) डॉ. विक्रान्त भूरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आदिवासी बहुल विकासखंडों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं? (ख) पिछले 5 वर्षों में आदिवासी ब्लॉक में मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर का विवरण क्या है? विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रदेश में कुपोषित, अति कुपोषित (S.A.M.) एवं मध्यम कुपोषित (M.A.M.) बच्चों की वर्तमान संख्या क्या है? जिलेवार जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख) भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (Office of the Registrar General, India) के द्वारा जारी एस.आर.एस. (Sample Registration System) में मातृ मृत्यु दर की जानकारी ब्लॉकवार अथवा जिलेवार प्राप्त नहीं होती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी S.R.S. (Sample Registration System) सर्वे में शिशु मृत्यु दर की जानकारी जिलावार व विकासखण्ड आकलित नहीं की जाती है। (ग) प्रदेश में कुपोषित, अति कुपोषित (S.A.M.) एवं माध्यम कुपोषित (M.A.M.) बच्चों की वर्तमान संख्या की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।

सीधी-सिंगरौली के अंतर्गत सिंचाई बांध एवं नहर

[जल संसाधन]

13. (*क्र. 572) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत कितने सिंचाई बांध, एनीकट, लिफ्ट एरीगेशन संचालित हैं? नाम एवं सिंचित रकबा सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में सिंचाई बांध, एनीकट, लिफ्ट एरीगेशन के क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों का मरम्मत एवं सफाई का कार्य कब तक

करा दिया जावेगा? समय सीमा बतायें। सिंचाई के लिये किसानों को पानी किस दिनांक से दिया जायेगा? बरचर बांध के सिंचाई नहरें पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हो चुके हैं, मरम्मत व सफाई का कार्य कब तक करा दिया जायेगा? समय सीमा बतायें। बरचर सिंचाई नहरों को पूरी तरह अतिक्रमण कर लिया गया है? अतिक्रमण कब तक हटा लिया जायेगा? समय सीमा बतायें। (ग)

गौण सिंचाई परियोजना सिंगरौली का निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है? कारण बतायें। निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया जावेगा? समय सीमा बतायें। गौण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत गोतरा भाग का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? समय सीमा बतायें। निर्माण कार्य प्रारंभ होने में विलंब का कारण क्या है? (घ) सीधी जिले के अमहोरा सिंचाई बांध मड़वास का निर्माण कार्य अवरुद्ध क्यों है? निर्माण कार्य कब तक में प्रारंभ कराकर कब तक में पूर्ण करा दिया जावेगा? समय सीमा बतायें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नहरों का मरम्मत कार्य रबी सिंचाई के पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है। किसानों की मांग के अनुसार सिंचाई हेतु पानी प्रदाय किया जाये एवं विभाग सतत् प्रयासरत सक्षम है। बरचर परियोजना की नहरों में जहां भी अतिक्रमण है, उसे हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। (ग) जी हाँ। परियोजना का निर्माण कार्य वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। गोतरा बैराज की वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति हेतु कार्यवाही वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में प्रक्रियाधीन है। पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारंभ संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) सीधी जिले के अमोहरा डोल तालाब योजना में संजय टायगर रिजर्व सीधी के कोर जोन में प्रभावित 11.963 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति न होने से निर्माण कार्य अवरुद्ध है। वन भूमि स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारंभ होना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट - "तीन"

टीकमगढ़ में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

14. (*क्र. 1516) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 1372, दिनांक 19 फरवरी, 2026 के माध्यम से टीकमगढ़ में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु शासन का ध्यानाकर्षित कराया गया था? (ख) क्या पूर्व में टीकमगढ़ में शासकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया था और बाद में पी.पी.पी. मोड पर किया गया है? शासन के ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जब प्रश्नकर्ता के प्रश्नांश (क) के उत्तर (घ) में बताया गया कि वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया प्रचलन में है, टेंडर प्रक्रिया जारी होने के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में खोले जाने हेतु पुनः विचार किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। अब टेंडर प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और पी.पी.पी. मोड पर कोई निविदाकार नहीं आ रहा है तो क्या अब शासन पुनः सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार करेगा? स्पष्ट बतावें।

(घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि जब टीकमगढ़ जिले के चारों ओर ललितपुर (उ.प्र.) में, छतरपुर में, सागर और झांसी, दतिया में चारों ओर बुंदेलखण्ड की गरीबी को देखते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, तो क्या टीकमगढ़ जिले की गरीबी को देखते हुए पी.पी.पी. मोड से मेडिकल कॉलेज हटाते हुए पुनः विचार करते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ किये जाने हेतु शासन कब तक आदेश जारी करेगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में पी.पी.पी. मोड पर टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ग) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं खोलने का निर्णय हुआ है। (घ) जी नहीं। शेष उत्तरांश "ग" अनुसार।

परिशिष्ट - "चार"

विधानसभा क्षेत्र सिरोंज-लटेरी में स्वास्थ्य सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

15. (*क्र. 1048) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना के अंतर्गत लटेरी में सिविल अस्पताल तथा पिपलियाहाट एवं उनारसीकला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतिलिपि एवं निर्माण/संचालन प्रारंभ करने की समय-सीमा बताई जाये। (ख) विकासखंड सिरोंज एवं लटेरी में दिनांक 01.04.2023 से प्रश्न दिनांक तक स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत निर्माण कार्यों का विवरण, प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतिलिपि, उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों की पूर्णता समय-सीमा तथा कार्य एजेंसियों/ठेकेदारों को किये गये भुगतान का विवरण दिया जाये। (ग) सिविल अस्पताल सिरोंज में डायलिसिस एवं सोनोग्राफी सेवाएँ, आर.ओ. संयंत्र तथा सोनोग्राफी हेतु प्रशिक्षित चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक होगी? समय-सीमा बताई जाये। (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आनंदपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उप स्वास्थ्य केंद्र मुरारिया रतनबरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन हेतु की गई कार्यवाही एवं स्वीकृति की संभावित समय-सीमा बताई जाए।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" अनुसार है।** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है।** (ग) विभाग में रेडियोलॉजी विशेषज्ञों की कमी होने के कारण पदस्थापना की जाने में कठिनाई है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या मापदंड, वर्तमान संस्था के उपयोग की स्थिति एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध अन्य संस्थाओं के उपयोग की स्थिति आदि को देखते हुए प्राथमिकता निर्धारण के साथ किया जाता है। स्वीकृति की संभावित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय हाई स्कूल बिजाना का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

16. (*क्र. 372) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय हाई स्कूल बिजाना कौन से सन में प्रारंभ हुआ है? आरंभ होने के पश्चात कितने बालक/बालिकाओं में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की? संख्या बताएं। (ख) शास. हाईस्कूल बिजाना से शासकीय हायर सेकेण्ड्री की दूरी कितनी है, कौन-कौन से हायर सेकेण्ड्री संचालित हो रहे हैं? (ग) अभी तक कितने बालक/बालिकाओं उच्च अध्ययन करने से ड्रॉप आउट हुए हैं? (घ) शासकीय हाई स्कूल बिजाना का उन्नयन शास. हायर सेकेण्ड्री में कब तक किया जावेगा? समयावधि बतलाने का कष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) शासकीय हाईस्कूल बिजाना वर्ष 2002 से प्रारंभ हुआ है। आरंभ होने के पश्चात 273 बालक एवं 163 बालिकाओं ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की। (ख) जानकारी परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शाला प्रारंभ होने से उक्त शाला में आज तक लगभग 175 बालक/बालिकाएं ड्रॉप आउट हुए हैं। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पांच"**विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन वाहन स्टैंड व अन्य कार्य**

[स्कूल शिक्षा]

17. (*क्र. 698) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की विधानसभा-क्षेत्र पांडुर्णा व जिला-पांडुर्णा में संचालित शासकीय हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूल परिसर में वर्ष 2023 से आज दिनांक के मध्य वाहन/साईकिल स्टैंड निर्मित किये गये हैं व निर्माणाधीन हैं? यदि हाँ, तो उनकी लागत, स्थान, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश व कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों की जानकारी देवें। क्या उक्त वाहन/साईकिल स्टैंड अपने निर्माण के उपरांत अल्प अवधि में ही अव्यवस्थित/जर्जर हो गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो उनकी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा दी जावे। (ख) क्या जिला-पांडुर्णा व छिंदवाड़ा में संचालित शासकीय हाईस्कूल व हायरसेकेण्ड्री स्कूल परिसर व स्कूल भवन में वर्ष 2024 से आज दिनांक तक कोई निर्माण व मरम्मत कार्य किये गये हैं एवं निर्माणाधीन हैं? यदि हाँ, तो उनकी लागत-स्थानवार, कार्यआदेश, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र व उक्त कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है।

रगी बांध में घटित क्रूज हादसे की जानकारी

[पर्यटन]

18. (*क्र. 318) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 30.04.2026 को बरगी बांध में घटित क्रूज हादसा जिसमें 13 पर्यटकों की

मृत्यु हुई है, यह घोर मानवीय लापरवाही, अव्यवस्था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) द्वारा दिनांक 12.12.2023 को जारी नियमों का उल्लंघन व मौसम विभाग द्वारा एक दिन पूर्व ही जारी अलर्ट की अवहेलना के परिणाम स्वरूप उक्त दर्दनाक हादसा हुआ है? यदि हाँ, तो इस संबंध में जिला न्यायालय जबलपुर द्वारा कब-कब दिये गये निर्देश के तहत आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना बरगी में कब एफ.आर.आई. दर्ज कर शासन एवं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने कब क्या कार्यवाही की है? छायाप्रतियाँ दें। (ख) प्रश्नांकित घटित हादसे की उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट तीन दिन में देने बाबत मान. मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन द्वारा दिये गये निर्देश के पूर्व ही किसके आदेश से महत्वपूर्ण साक्ष्य क्रूज को नष्ट करने का क्या कारण है? शासन ने जाँच रिपोर्ट पर कब क्या कार्यवाही की है? जांच रिपोर्ट की छायाप्रति दें। (ग) प्रश्नांकित घटित हादसे में मृतकों के परिजनों व घायलों तथा हादसे में बचे पर्यटकों (व्यक्तियों को) राज्य शासन व मान. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा घोषित कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता कब कितने-कितने व्यक्तियों को दी गई है एवं कितने-कितने आर्थिक सहायता से वंचित हैं एवं क्यों? सूची दें। (घ) प्रश्नांकित घटित हादसा घायल पर्यटकों के समुचित इलाज की किस स्तर पर क्या व्यवस्था की गई? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती घायलों से अभद्र व्यवहार करने व इलाज की राशि वसूल करने पर जिला प्रशासन ने कब क्या कार्यवाही की है?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) दिनांक 30.04.2026 को बरगी बांध में घटित हादसे में 13 लोगों की मृत्यु हुई की न्यायिक जांच हेतु म.प्र. शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ GAD/50/0001/2026-GAD-10-01 (GAD), दिनांक 10.05.2026 से एकल सदस्यी जांच आयोग गठित किया गया है, जिसकी जांच प्रचलित है। शेष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित घटित हादसे की जांच हेतु म.प्र. शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ GAD/50/0001/2026-GAD-10-01 (GAD), दिनांक 10.05.2026 से न्यायिक जांच हेतु एकल सदस्यी जांच आयोग गठित किया गया है, जिसकी जांच प्रचलित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (घ) जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खोह सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

19. (*क्र. 559) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर-विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित घुसडू नाला में बाँध निर्माण-कर खोह सिंचाई परियोजना का प्रोजेक्ट तैयार कर क्या विगत वर्षों से विभाग/शासन स्तर में प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लम्बित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में यदि हाँ, तो उक्त सिंचाई परियोजना को अभी तक प्रशासकीय स्वीकृति जारी न किये जाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है? क्या निकट भविष्य में कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने एवं क्षेत्रीय किसानों के कृषि व्यवसाय की वृद्धि की दृष्टि से इस सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी दी जावे।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) एवं (ख) जी हाँ। परियोजना का डी.पी.आर. रुपये 7345.83 लाख का तैयार कर तकनीकी परीक्षण हेतु मुख्य अभियंता बोधी कार्यालय भोपाल को प्रेषित किया गया है। तकनीकी रूप से परीक्षण उपरान्त परियोजना को तकनीकी रूप से साध्य होने पर परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति संभव हो सकेगी। वर्तमान में निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न लागू नहीं होता है।

नहर की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण

[जल संसाधन]

20. (*क्र. 1009) श्री पंकज उपाध्याय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल-संसाधन विभाग की चंबल 5L शाखा नहर से संबंधित शासकीय भूमि, ग्राम नगर कैलारस, तहसील कैलारस, जिला मुरैना में स्थित सर्वे क्रमांक-461/1 र.105, 252/2 र, 355, 253/2 र.272, 254/2 र.387, 308/1 र.10, 307 र.502, 295/2 र.4, 305 र.240, 303/2 ग र.303, 427/2 र.282, 429/2 र.324, 260, 261, 303/1ख, 412, 424, 430, 953, 946, 945, 948 पर बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग एवं अतिक्रमण किये जाने का मामला शासन के संज्ञान में है? यदि हाँ, तो जल-संसाधन विभाग उपखंड कैलारस द्वारा दिनांक 13.11.2020 को S.D.M. सबलगढ़ को प्रेषित पत्र में जिन सर्वे नंबरों को चंबल 5L शाखा नहर एवं नहर भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था, उनकी कुल रकबा/भूमि कितनी है? उक्त भूमि में से वर्तमान में कितने क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग, निर्माण/अन्य प्रकार का अतिक्रमण पाया गया है? संपूर्ण जानकारी दस्तावेजों सहित प्रदान करें। (ख) क्या प्रश्नांश "क" अनुसार भूमि में से लगभग 7.30 एकड़ शासकीय/सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर करोड़ों रुपये का लाभ अर्जित किया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित व्यक्तियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण दें? (ग) 2020 से भूमि की जांच हेतु कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषी भू-माफियाओं एवं विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा सहित विवरण दें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ। जल संसाधन उपखण्ड कैलारस द्वारा दिनांक 13.11.2020 को S.D.M. सबलगढ़ को 5L शाखा नहर की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कोई पत्र प्रेषित नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। 5L शाखा नहर के कई शासकीय नम्बरों में अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग पाई है, जिसके सीमांकन करने एवं अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व विभाग को लेख किया गया है, पत्रों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पेज क्र. 1-4) अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न लागू नहीं होता है। (ग) वर्ष 2020 से भूमि की जांच हेतु 03 व्यक्तियों की शिकायत प्राप्त होना प्रतिवेदित है। शिकायतों के निराकरण हेतु भूमि के सीमांकन एवं नहर के एलाइनमेंट को नक्शे में अंकित करने हेतु राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सीमांकन हेतु दिनांक 03.12.2025 को दल भी गठित किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन

[जल संसाधन]

21. (*क्र. 830) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में सिंचाई योजना कहाँ-कहाँ संचालित है? जिला अनूपपुर में अब तक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में कितनी भूमि सिंचित हो रही है तथा इसके लिये भारत सरकार से कितनी राशि आवंटित हुई है? विगत 3 वर्षों की जानकारी विकासखण्डवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत जिले के कितने कृषकों को सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त है तथा कृषक कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लाभ लेकर फसल उत्पादन कर रहे हैं? इस योजना के लिये कृषकों के चयन की प्रक्रिया क्या है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत कृषकों को सिंचाई योजना का लाभ पहुँचाने का क्या प्रावधान तैयार किया गया है तथा कृषकों को उक्त योजना का लाभ कैसे मिलता है? (घ) अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र सहित प्रश्न दिनांक तक कितने कृषकों को उक्त योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया है तथा उन्हें कौन-कौन सी अनुदान योजना का लाभ दिया जा चुका है? स्वीकृत एवं वितरित अनुदान का वर्षवार विवरण दें। (ङ.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार कृषकों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत प्रदान की गई अनुदान की स्वीकृति एवं वितरित राशि व सामग्री की विभाग द्वारा वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। राशि रु. 4428.32 लाख आवंटित हुई है, विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) जी नहीं। योजनाओं से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर कृषकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। कृषकों को किसी भी प्रकार की अनुदान योजना का लाभ दिये जाने का विभाग में प्रावधान नहीं होना प्रतिवेदित है। (ङ.) प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किसी भी प्रकार की अनुदान राशि व सामग्री वितरण किये जाने का प्रावधान नहीं होना प्रतिवेदित है। अतः शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छः"

प्रदेश में बंद हुए सरकारी स्कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

22. (*क्र. 741) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश में बंद हुए स्कूलों की कुल संख्या क्या है? वर्तमान में संचालित सरकारी एवं निजी स्कूलों का जिलावार विवरण क्या है? (ख) इन स्कूलों को बंद करने का मुख्य कारण क्या रहा है? (ग) क्या विभाग को इस बात की जानकारी है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन में कमी आई है, जबकि निजी स्कूलों में यह संख्या बड़ी है? क्या सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों

की कमी इस गिरावट का मुख्य कारण है? (घ) क्या सरकार प्रदेश में सरकारी शिक्षा तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बंद होने से बचाने के लिये कोई नई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो सांदीपनी स्कूल योजना के अतिरिक्त अन्य सामान्य सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) एवं (ख) जी नहीं। अपितु एक परिसर एक शाला योजना एवं सांदीपनी विद्यालयों में प्रावधान अनुसार शालाओं को मर्ज किया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) जी हाँ। जी नहीं। (घ) स्कूलों को बंद करने का प्रावधान नहीं है। अपितु शून्य नामांकन वाली शालायें असंचालित रहती हैं। स्कूल चलें हम अभियान एवं चाइल्ड ट्रेकिंग के माध्यम से छात्रों का पुनः नामांकन करते हुए इन शालाओं को संचालित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्राथमिक शाला की मैपिंग/को-लोकेशन भी की जा रही है, जिससे न्यूनतम कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित हो सके।

परिशिष्ट - "सात"

शिक्षकों के रिक्त पदों पर लंबित नियमित भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

23. (*क्र. 917) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत एवं रिक्त शिक्षकों की संख्या कितनी है? श्रेणीवार एवं जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक के भरोसे शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है? क्या सरकार इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मानती है? (ग) प्रदेश की शालाओं में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, शासन द्वारा पात्रता परीक्षा भी संपन्न हो चुकी है तथा परीक्षा परिणाम भी जारी हो चुका है, परन्तु अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं, क्या कारण हैं? (घ) प्रदेश में ऐसी कितनी माध्यमिक शालायें हैं, जहाँ हमारी मात्र भाषा हिन्दी विषय पढ़ाने वाले विषय शिक्षक ही नहीं हैं, क्या सरकार का ध्यान मात्र भाषा की शिक्षा पर नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि है तो प्रदेश में कब तक सभी विद्यालयों में हिन्दी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध हो जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) प्रदेश में एकल शिक्षकीय शालाओं में नियमित शिक्षक पदस्थ हैं एवं शेष रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। (ग) माध्यमिक शिक्षकों के विषयमान से एवं प्राथमिक शिक्षक खेल, नृत्य, गायन, वादन की चयन सूची से नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत न्यूनतम तीन शिक्षकों का प्रावधान होने से सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा हिन्दी भाषा का अध्ययन कराया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "आठ"

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की स्थाई पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

24. (*क्र. 404) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** COLDRIF SYRUP घटना के उपरांत डॉक्टरों के निलंबित होने के बाद सिविल अस्पताल परासिया में शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर की स्थाई पदस्थापना के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 07.05.2026 को 1 दिवसीय अनशन उपरांत धरना प्रदर्शन किये जाने की सूचना जिला कलेक्टर एवं C.M.H.O. व अन्य अधिकारी को दी गई थी, सूचना उपरांत C.M.H.O. छिंदवाड़ा द्वारा तात्कालिक व्यवस्था अस्थाई तौर पर जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में पदस्थ 2 शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की सप्ताह में 3 दिन सिविल अस्पताल परासिया में सेवाएं देने हेतु इयूटी लगाई गई और अनशन धरना प्रदर्शन के दिन C.M.H.O. द्वारा धरना स्थल पर उपस्थित होकर उनके कार्यालीन पत्र क्रमांक/स्था/राज/2026/11135, छिंदवाड़ा दिनांक 07.05.2026 के माध्यम से 1 माह के भीतर शिशुरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना कराये जाने हेतु लिखित आश्वासन देकर अनशन धरना प्रदर्शन समाप्त कराया था, परन्तु प्रश्न दिनांक तक सिविल अस्पताल परासिया में शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर की स्थाई पदस्थापना नहीं की गई है, क्या कारण है? कब तक शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर की स्थाई पदस्थापना कर दी जायेगी? **(ख)** सिविल अस्पताल परासिया में शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मान. उप मुख्यमंत्री महोदय को पत्र क्र. 689, दिनांक 01.12.2025 व अनुस्मरण-1 पत्र क्र. 82, दिनांक 16.02.2026 मान. प्रभारी मंत्री महोदय छिंदवाड़ा को पत्र क्र. 198, दिनांक 25.04.2026 एवं जिला कलेक्टर पत्र क्र. 657, दिनांक 20.11.2025 व C.M.H.O. छिंदवाड़ा S.D.M. परासिया, B.M.O. परासिया को पत्र क्र. 194, दिनांक 25.04.2026 को प्रेषित किया गया था, जिन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** 100 बिस्तर अस्पताल के लिये शासन-विभाग का जो मानक निश्चित है, उसके अनुसार भी अस्पताल परासिया में पर्याप्त विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कब तक निर्धारित मानक अनुसार स्टाफ व अन्य सुविधाएं सिविल अस्पताल परासिया में उपलब्ध करा दी जायेंगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : **(क)** जी हाँ। यह सही है कि सिविल अस्पताल परासिया में शिशुरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। संचालनालय के आदेश क्रमांक 1/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2026/301, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के द्वारा 01 शिशुरोग पीजी बंधपत्र चिकित्सक सहित 05 पीजी बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की गई थी, किन्तु संबंधित बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर 02 शिशुरोग विशेषज्ञों की इयूटी लगाई गई है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश "क" अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** नियमित, संविदा एन.एच.एम., बंधपत्र एवं आउटसोर्स के माध्यम से आवश्यकतानुसार चिकित्सक/कर्मचारियों की पदपूर्ति की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है। स्वास्थ्य केन्द्रों में मापदण्ड अनुसार उपकरण एवं अन्य सुविधाएँ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्रदान की जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिल्पी गृह निर्माण सहकारी समिति के भू-खण्डों की जानकारी

[राजस्व]

25. (*क्र. 895) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिल्पी गृह निर्माण सहकारी समिति, अकबरपुर भोपाल जो कि खसरा क्रमांक 62/1/2 एवं 62/1/1 रकबा 5 एकड़ भूमि जो कि सरपंच द्वारा अनुमोदित अभिन्यास अनुसार मौके पर स्थित है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि करते हुए स्थल का सीमांकन कर मौके पर रिक्त भू-खण्डों की जानकारी, नाले की स्पष्ट स्थिति, कितने भू-खण्डों पर सर्वजन कॉलोनी के भवन निर्मित हैं, की जानकारी मांगी गई थी, अभी तक संबंधित अधिकारी द्वारा जानकारी मुख्य नगर निवेशक, नगरपालिक निगम भोपाल को क्यों नहीं भेजी गई, जानकारी कब तक भेजी जायेगी? (ख) उक्त कॉलोनी की सीमाओं का निर्धारण ले-आउट मैपिंग कर ले-आउट को गूगल मैप पर तकनीकी विशेषज्ञ से यथास्थान पर बैठ कर, उसकी प्रमाणित प्रति मुख्य नगर निवेशक, नगरपालिक निगम भोपाल, छठवां तल, मुख्यालय भवन, तुलसी नगर, सेकेण्ड स्टाप को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) सीमांकन हेतु दल गठित कर दिया गया है। नियमानुसार सीमांकन कराया जाकर प्रतिवेदन एवं वस्तुस्थिति की जानकारी प्रेषित की जावेगी। (ख) दल द्वारा सीमांकन उपरांत सीमांकन प्रतिवेदन मुख्य नगर निवेशक को प्रेषित कर दिया जायेगा। शेष प्रश्न की कार्यवाही कॉलोनी की सीमाओं का निर्धारण ले-आउट मैपिंग कर ले-आउट को गूगल मैप पर तकनीकी विशेषज्ञ से कराये जाने संबंधी नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से संबंधित है।

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

पवई विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सीय स्टाफ की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

1. (क्र. 4) श्री प्रहलाद लोधी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? इनमें से कितने केंद्र जर्जर स्थिति में हैं? (ख) उक्त केंद्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों के स्वीकृत पद कितने हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? (ग) क्या पूरे पवई विधानसभा क्षेत्र में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologist) डॉक्टर पदस्थ नहीं है? यदि हाँ, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ की स्थापना कब तक की जावेगी। अवधि बतायें। शासन इस गंभीर स्थिति को सुधारने हेतु क्या विशेष कदम उठाएगी? (घ) पवई विधानसभा अंतर्गत कितने उप-स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तथा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन (Upgrade) करने के प्रस्ताव शासन/विभाग के पास वर्तमान में लंबित हैं? इन प्रस्तावों पर अभी तक क्या निर्णय लिया गया है और इन्हें स्वीकृति देने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है? (ङ.) क्या सरकार पवई विधानसभा की भौगोलिक दुर्गमता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की लचर स्थिति को देखते हुए रिक्त पदों (विशेषकर स्त्री रोग विशेषज्ञ) पर तत्काल नियुक्ति करेगी एवं जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार तथा लंबित उन्नयन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 02, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 09 एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र 59 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरदुआ खमरिया का भवन जर्जर स्थिति में है, उक्त केन्द्र के भवन निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा दिनांक 16.01.2026 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी हाँ। "पदपूर्ति" एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) पवई विधानसभा अंतर्गत कोई भी उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव लंबित नहीं है, विकासखण्ड पवई के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया एवं विकासखण्ड शाहनगर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रैपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की कार्यवाही अनुशंसित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ङ.) "पदपूर्ति" एक निरंतर प्रक्रिया है, संस्था उन्नयन प्रस्ताव संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

पवई विधान सभा क्षेत्र में संचालित सिंचाई परियोजनाएं

[जल संसाधन]

2. (क्र. 5) श्री प्रहलाद लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई विभाग की कौन-कौन सी लघु, मध्यम एवं वृहद

सिंचाई परियोजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? कृपया प्रत्येक परियोजना का नाम, उनकी कुल सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में) और उनकी वर्तमान भौतिक स्थिति (Physical Status) का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। (ख) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले तालाबों, बांधों एवं नहरों का समय-समय पर रख-रखाव और जीर्णोद्धार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में किन-किन परियोजनाओं पर कितना व्यय किया गया है? (ग) शासन के संज्ञान में यह बात है कि क्षेत्र की कई पुरानी नहरें अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं, जिससे अंतिम छोर के किसानों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। क्या इन नहरों के जीर्णोद्धार हेतु विभाग के पास कोई कार्ययोजना है? यदि है, तो कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (घ) विगत वर्षों में क्षेत्र में निर्मित की गई कई नई नहरों में अत्यंत घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण ये नहरें निर्माण के अल्पकाल में ही क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्या शासन इन निर्माण कार्यों की किसी स्वतंत्र तकनीकी समिति अथवा उच्च-स्तरीय एजेंसी से जाँच कराने हेतु प्रतिबद्ध है? (ङ.) यदि हाँ, तो जाँच कब तक पूर्ण की जाएगी और दोषी निर्माण एजेंसियों/अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। वार्षिक रख-रखाव पर व्यय का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) लघु परियोजनाओं की नहरों का सुधार एवं मरम्मत कार्य आर.आर.आर. अंतर्गत कराये जाने हेतु प्रकरणों की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, राज्य स्तरीय स्वीकृति उपरांत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात नहरों के सुधार मरम्मत कार्यों को कराया जाना संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विभाग अंतर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की जांच समय-समय विभाग अंतर्गत स्थापित गुण नियंत्रण इकाई से कराया जाता है। पृथक से अन्य एजेंसी से कार्यों के गुणवत्ता की जांच कराने की स्थिति नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ङ.) उत्तरांश (घ) अनुसार। किसी के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं है। अतः शेष प्रश्न लागू नहीं होता है।

स्कूलों के जीर्णोद्धार भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

3. (क्र. 25) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल बडखेरा, बैरागी, बिलहरी, गधेरी, सुहागी के भवन अत्यंत जीर्णोद्धार होने के कारण नये भवनों का निर्माण किया जाना आवश्यक है? (ख) क्या नये भवन निर्माण किये जायेंगे? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) नये भवन निर्माण हेतु मापदण्डों की जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उल्लेखित विद्यालयों में विद्यार्थी नामांकन एवं भूमि उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किये जा रहे हैं। (ख) में (घ) विद्यार्थी नामांकन के अनुसार आवश्यकता होने पर उपलब्ध बजट अनुसार आवश्यक अतिरिक्त अधोसंरचना निर्माण किया जाता है। आवश्यक अधोसंरचना

निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "नौ"

शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

4. (क्र. 26) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय हाई स्कूल रैगवां के 8 कि.मी. की परिधि में कोई भी शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है? (ख) क्या शासकीय हाई स्कूल रैगवां में अतिरिक्त कक्षा एवं हायर सेकेण्डरी शिक्षा के विषय शिक्षक पदस्थ हैं? (ग) क्या हाई स्कूल रैगवां का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) शासकीय हाईस्कूल रैगवां से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर हायर सेकेण्डरी स्कूल तमरहाई है। (ख) शासकीय हाईस्कूल रैगवां में अतिरिक्त कक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उपलब्ध बजट अनुसार आवश्यक अधोसंरचना निर्माण किया जाता है। आवश्यक अधोसंरचना निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है रैगवां स्कूल हाईस्कूल स्तर का है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासकीय हाईस्कूल रैगवां दूरी के अनुसार मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है। अतः उन्नयन किया जाना संभव नहीं है।

शासकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी

[स्कूल शिक्षा]

5. (क्र. 36) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आलीराजपुर जिले में आज भी अनेक शासकीय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं हैं? यदि हाँ, तो शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आलीराजपुर जिले में विकासखंडवार एवं ग्राम पंचायतवार कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास स्वयं का भवन नहीं है, कितने विद्यालय जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं तथा कितने विद्यालयों में कक्षाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है? यदि हाँ, तो शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है इसे कब तक पूर्ण किया जाएगा। (ग) क्या आलीराजपुर जिले के कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक व्यवस्था, साथ ही मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर, खेल मैदान एवं डिजिटल शिक्षा संसाधनों की भारी कमी बनी हुई है? यदि हाँ, तो शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है इसे कब तक पूर्ण किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पट्टे की भूमि का अवैध हस्तांतरण

[राजस्व]

6. (क्र. 42) इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पटवारी द्वारा जिन पट्टेधारी व्यक्तियों के नाम पर भूमि दर्ज थी उनके नाम हटाकर अन्य

व्यक्तियों एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के नाम पर बिना विक्रय के हस्तांतरित कैसे की गई? दर्ज नाम इस प्रकार है। पुराने पट्टेधारी नए पट्टेधारी सर्वे नं 1. बांके पुत्र कलुआ चिडार-रानू पुत्र दशरथ रघुवंशी, 87/1 2. माखन पुत्र बुन्देलसिंह चिडार-कैलाश पुत्र जुगता चिडार, 134 3. रामदास पुत्र उमकार जाटव-वंदना पत्नी चन्द्रभान रघुवंशी, 219 4. दलूपसिंह पुत्र हीरा चिडार-दलूप सिंह पुत्र छोटा चिडार, 219 5. कैलाश पुत्र जुगता चिडार-आशा पुत्री बुन्देल सिंह चिडार, 219 6. राजेश पुत्र रामचरण बैडिया-रानू पुत्र दशरथ रघुवंशी, 270 7. नारायण पुत्र कल्लू चिडार-मोहित पुत्र हरवीरसिंह रघुवंशी, 264 8. मुन्नी पत्नी कलुआ चिडार-मोहित पुत्र हरवीरसिंह रघुवंशी, 264 9. रघुवीर पुत्र कन्हैया चिडार- मोहित पुत्र हरवीरसिंह रघुवंशी, 264 10. राजेश पुत्र रामचरण बैडिया-रानू पुत्र दशरथ रघुवंशी, 264. (ख) यदि हाँ, तो पटवारी हल्का ठाटी द्वारा विक्रय से वंचित भूमि को 22-09-2016 को भूमि पर नाम परिवर्तित किये गये हैं, जो पट्टे फर्जी रूप से सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को हस्तांतरित किए गए हैं वह पुनः कब तक सही पट्टेधारियों को वापिस कर दिये जायेंगे। दोषी पटवारी को कब तक बर्खास्त करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तहसील रन्नौद अंतर्गत वर्ष 2012-13 में हल्का ठाटी पर श्री हरतम सिंह यादव पटवारी पदस्थ थे। जो वर्तमान में अशोकनगर जिले में पदस्थ है। दिनांक 22.09.2016 में हल्का ठाटी में श्री कैलाश नारायण अहिरवार पटवारी पदस्थ थे। श्री कैलाश नारायण अहिरवार को लोकायुक्त ग्वालियर द्वारा दर्ज किये गये प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर बर्खास्त कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के नाम हस्तांतरित अवैध प्रविष्टियों को मूल भूमिस्वामी के नाम दर्ज करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी कोलारस को विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

परिशिष्ट - "दस"

परिसीमन आयोग द्वारा उज्जैन जिले का दौरा

[राजस्व]

7. (क्र. 43) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राजपत्र राजस्व विभाग दि. 12/03/2024 के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है यदि हाँ, तो आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ है? आयोग द्वारा कितने जिलों का दौरा कब-कब किया गया? दिनांकवार विवरण दें तथा प्रेषित प्रतिवेदन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2654 दि. 26/02/2026 के प्रश्नांश (घ) तथा प्रश्न क्र.852 दि. 04/12/2025 के प्रश्नांश (ख) में बताया गया कि आयोग द्वारा शीघ्र उज्जैन जिले का दौरा किया जाएगा तो प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले का दौरा क्यों नहीं किया गया? आयोग द्वारा किस दिनांक तक उज्जैन जिले का दौरा कर लिया जाएगा? (ग) नागदा को जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना दि. 28/07/2023 को जारी की गई थी दावे/आपत्ति के निराकरण के पश्चात अंतिम गजट अधिसूचना जारी करने के बजाय एक वर्ष पश्चात दि. 27.03.2025 को नागदा को नवीन जिला बनाए जाने का प्रकरण आयोग को नियम विरुद्ध प्रेषित किया गया है? प्रकरण को प्रेषित किए जाने का कारण/आधार एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश का विवरण देते हुए छायाप्रति उपलब्ध कराये। (घ) नागदा को नवीन जिला घोषित किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) मध्यप्रदेश राजपत्र राजस्व विभाग दि. 12/03/2024 के द्वारा मध्यप्रदेश प्रशासनिक ईकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश क्र.एफ 1/11/0001/2024/सात 4, दिनांक 18/03/2026 द्वारा आयोग का कार्यकाल 12/03/2027 तक वृद्धि की गयी है। आयोग के दौरे से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित अनुशंसाएं विचारोपरान्त आयोग के प्रतिवेदन में समाहित किया जाना प्रस्तावित हैं। (ख) आयोग द्वारा निरंतर भ्रमण किया जा रहा है। संभागीय मुख्यालय के जिलों जिसमें उज्जैन भी शामिल है, का भ्रमण माह अगस्त/सितम्बर में किया जाना प्रस्तावित है। (ग) नागदा की जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना दि. 28/07/2023 को जारी किये जाने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2237/भू.अ./स.नि/2023 उज्जैन, दिनांक 15.09.2023 से तथा पत्र क्रमांक 2337/भू.अ./रा.नि./2023 उज्जैन, दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से शासन की ओर प्रेषित किये गये है। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दावें/आपत्तियां आमंत्रित कर निराकरण हेतु म.प्र. प्रशासनीक ईकाई, पुनर्गठन आयोग को प्रेषित किया गया है, प्रतिवेदन अप्राप्त है। (घ) वर्तमान में जनगणना, 2027 प्रभावशील होने से राज्य के प्रशासनिक ईकाइयों की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मार्च, 2027 तक किया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

शासकीय सांदीपनि विद्यालयों के भवन निर्माण में अनियमितताएं

[स्कूल शिक्षा]

8. (क्र. 49) श्री गोपाल भार्गव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर में विधानसभा क्षेत्र रहली जिला सागर अंतर्गत कितने/कहाँ पर शासकीय सांदीपनि विद्यालय स्वीकृत हुए हैं? इन विद्यालयों के भवन एवं अनुषांगिक कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जानकारी दी जावे एवं निर्माण एजेंसी का विवरण भी दिया जावे। (ख) क्या रहली जिला सागर स्थित शासकीय सांदीपनि विद्यालय भवन का निर्माण अपेक्षित मापदण्डों पर नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इसके पर्यवेक्षण के लिए क्या कार्यवाही अब तक की गई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र रहली जिला सागर अंतर्गत शासकीय सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेंगे तथा इनका विधिवत संचालन कब तक प्रारंभ हो जायेगा? (घ) विधानसभा क्षेत्र रहली जिला सागर में स्वीकृत सांदीपनि विद्यालयों के भवन निर्माण में घटिया निर्माण एवं कार्य में विलंब के लिए उत्तरदायी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जिला सागर के विधानसभा क्षेत्र रहली अंतर्गत 02 शासकीय सांदीपनि विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें शासकीय सांदीपनि विद्यालय रहली तथा शासकीय सांदीपनि विद्यालय गढ़ाकोटा शामिल है। इन विद्यालयों के भवन एवं अनुषांगिक कार्यों हेतु क्रमशः राशि रु. 37.27 करोड़ एवं राशि रु. 31.35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनों निर्माण कार्यों की निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश भवन विकास निगम है। (ख) जी नहीं। रहली जिला सागर स्थित शास. सादीपनि विद्यालय भवन का निर्माण अपेक्षित मापदण्डों पर हुआ है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विधानसभा क्षेत्र रहली जिला सागर अंतर्गत शासकीय सांदीपनि विद्यालय रहली का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा विद्यालय में कक्षाओं का संचालन

प्रारंभ हो चुका है। शासकीय सांदीपनि विद्यालय साबूलाल गढ़ाकोटा का भवन उपलब्ध की गई भूमि पर तैयार है। लोकार्पण पश्चात, नवीन भवन में विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। (घ) विधानसभा क्षेत्र रहली जिला सागर में स्वीकृत सांदीपनि विद्यालयों के भवन निर्माण के संबंध में सांदीपनि विद्यालय गढ़ाकोटा के संविदाकार मेसर्स सरयुग गौतम कंस्ट्रक्शन को अनुबंध विच्छेद करने हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा दिनांक 19.05.2026 को नोटिस जारी किया गया है। कार्य में विलंब के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी संविदाकारों पर नियमानुसार सांदीपनि विद्यालय रहली के संविदाकार पर 02 प्रतिशत एवं सांदीपनि विद्यालय गढ़ाकोटा के संविदाकार पर 01 प्रतिशत की राशि रोके जाने की कार्यवाही की गई है।

हाई स्कूल एवं माध्यमिक शाला का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

9. (क्र. 57) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेण्डरी में एवं शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन हाई स्कूल में किये जाने हेतु विभाग की कोई नीति/योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ख) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय माध्यमिक शाला से हाई स्कूल उन्नयन प्रस्ताव एवं शासकीय हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के कितने प्रस्ताव विभाग में लंबित है? (ग) क्या सागर वि.ख. अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला सड़ेरी, साईखेड़ा तथा वि.खं. राहतगढ़ अंतर्गत ढाना नरयावली, देवरी एवं शासकीय हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में शासकीय हाई स्कूल मेनपानी, पड़रिया, शास.कन्या हाई स्कूल करीपुर के प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रस्तावित किए गए हैं? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित शासकीय शालाओं के उन्नयन के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी दें तथा शालाओं का उन्नयन कब तक किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। (ग) एवं (घ) प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बारह"

कड़ान सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति

[जल संसाधन]

10. (क्र. 58) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना जिला सागर के पुनरीक्षित स्वीकृति प्रशासकीय विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो लागत सहित विस्तृत जानकारी दें। (ख) क्या विभाग में पुनरीक्षित स्वीकृति के संबंध में समय-समय पर मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हाँ, तो मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा क्र.3895/सहा.अधी./2026 दिनांक 07/05/2026 कार्या. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर की घोषणा विभाग को प्रेषित की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ग) क्या नवीन प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से कड़ान सिंचाई मध्यम परियोजना से वर्तमान में सिंचाई से

लाभान्वित 52 गांव के स्थान पर अनेक गावों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा तथा निर्माणाधीन परियोजना में गार्ड बंध निर्माण के कारण ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा विरोध समाप्त हो जायेगा एवं प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से उक्त परियोजना बहुउपयोगी साबित होगी? (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की है तथा कड़ान सिंचाई योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय के आदेश कब तक जारी होंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु.973 करोड़ आंकलित है जिसमें पथरिया हाट की 125.20 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की राशि शामिल है। (ख) जी नहीं। जी हाँ, **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) जी नहीं। नवीन प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ग्रामीणजनों का विरोध समाप्त किये जाने की दृष्टि से प्रक्रियाधीन है। (घ) परियोजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है तथा आगामी साधिकार समिति में प्रस्ताव पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तेरह"

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से क्रय भूमि की जानकारी

[राजस्व]

11. (क्र. 77) **इंजीनियर हरिबाबू राय :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले के अंतर्गत आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा संचालित कुल कितने आश्रम/संस्थाएं संचालित हैं? तहसीलवार एवं ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आनंदपुर ट्रस्ट अथवा उससे संबद्ध संस्थाओं द्वारा स्थापना से आज दिनांक तक अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के व्यक्तियों से कितनी भूमि क्रय की गई है? प्रत्येक भूमि क्रय प्रकरण में विक्रेता का नाम, पिता का नाम, जाति, ग्राम, खसरा नंबर, रकबा, पंजीयन दिनांक तथा क्रय मूल्य की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराई जाए। (ख) उक्त भूमि क्रय के लिए सक्षम राजस्व अधिकारियों से प्राप्त अनुमतियों एवं स्वीकृतियों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। क्या शासन के संज्ञान में ऐसे कोई प्रकरण आए हैं जिनमें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के हस्तांतरण में नियमों का उल्लंघन पाया गया हो? यदि हाँ, तो प्रकरणवार विवरण तथा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में आनंदपुर ट्रस्ट के स्वामित्व अथवा कब्जे में अशोकनगर जिले में कुल कितनी भूमि है? ग्रामवार, खसरावार एवं रकबावार विवरण उपलब्ध कराया जाए।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) अशोकनगर जिले के अंतर्गत तहसील ईसागढ़ के ग्राम आनंदपुर स्थित आनंदपुर ट्रस्ट निजी संस्था नाम से संचालित है। आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा स्थापना से लेकर वर्तमान तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से क्रय की गई भूमि की जानकारी जिला पंजीयक अशोकनगर से प्राप्त की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार।** (ख) भूमि क्रय के संबंध में अनुसूचित जनजाति के विक्रय की अनुमतियों

एवं स्वीकृतियों संबंधी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। वर्तमान में आनंदपुर ट्रस्ट के स्वामित्व में जिला अशोकनगर स्थित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	भूमि (हे.)
1	नैथाई	143.51
2	आनंदपुर	316.272
3	कुलवार	37.969
4	सकर्ी	41.466
5	गोपालपुर	187.346
6	ईसागढ़	12.217
7	आकलोन	45.694
8	दयालपुर	298.59
9	शांतपुर	295.744
10	बहेरिया उर्फ रूपनगर	257.076
11	जमडेरा	309.336
12	बांसाखेडी	69.275
13	पंवारगढ़	85.279
14	कस्बा अशोकनगर	3.220
	योग	2102. 984

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के हस्तांतरण में नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। वर्तमान में आनंदपुर ट्रस्ट के पास अशोकनगर जिले में कुल 2102.984 हेक्टर भूमि है। ग्रामवार एवं रकबा सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- स अनुसार। खसरा की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सांदीपनि विद्यालय के विद्यार्थियों को बस परिवहन की सुविधा

[स्कूल शिक्षा]

12. (क्र. 94) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिंदवाड़ा जिले के सौंसर विधानसभा क्षेत्र में संचालित सांदीपनि सीएम राइज (CM Rise) स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को घर से स्कूल आने-जाने के लिए नियमानुसार निःशुल्क बस परिवहन सुविधा का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में इस विद्यालय के विद्यार्थियों को बस सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं? क्या शासन को यह जानकारी है कि बस सुविधा न मिलने से पालकों को स्वयं के खर्च और संसाधनों से बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है? (ग) क्या परिवहन विभाग या विभाग द्वारा जारी टेंडर प्रक्रिया में कोई भी बस ऑपरेटर समय पर भुगतान न होने के डर से भाग नहीं ले रहा है? यदि हाँ, तो इस समस्या के समाधान के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है? (घ) शासन द्वारा सौंसर के सांदीपनि सीएम राइज स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा कब तक बहाल कर दी जाएगी? निश्चित समय-सीमा बताएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में इस विद्यालय के विद्यार्थियों को बस सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रचलन में है। जी हाँ। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) निविदा एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निविदाएं

[स्कूल शिक्षा]

13. (क्र. 121) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में लोक शिक्षण संचालनालय, पाठ्यपुस्तक निगम एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 50 लाख से अधिक राशि के, किन-किन मापदंडों की, किस सामग्री की खरीदी हेतु, कब-कब, किन-किन समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये? जारी निविदाओं में से किस फर्म की, किस दर की निविदाएं स्वीकृत हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रत्येक निविदा हेतु कौन-कौन शर्तें निर्धारित की गई थी? (ग) निविदा जारी होने के बाद किन-किन निविदाओं की शर्तों में कौन-कौन से परिवर्तन, किन कारणों से, किसकी अनुमति से किन तारीखों में किए गए? प्रत्येक निविदा की संशोधित शर्तों की जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (ग) में शर्तों में परिवर्तन से कौन-कौन से निविदाकार निविदा प्रक्रिया से बाहर हो गये? नाम सहित जानकारी दें। (ङ.) शर्तों में परिवर्तन से बाहर हुए निविदाकारों की दरें स्वीकृत की गई दरों से कितनी कम थी? क्या शर्तों में संशोधन कतिपय निविदाकारों को बाहर करने के लिए किये गये? (च) शिक्षा विभाग में निविदा शर्तों में परिवर्तन कर विशिष्ट निविदाकारों को लाभ पहुँचाने के संबंध में कितनी शिकायतें विगत दो वर्षों में आयुक्त लोक शिक्षण एवं प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुई? इन शिकायतों की जांच में कौन से तथ्य प्रकाश में आये।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) लोक शिक्षण संचालनालय से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा विगत तीन वर्षों (जून 2023 से मई 2026 तक) 50 लाख से अधिक राशि की कोरी उत्तर पुस्तिकाएं खरीदी गई। इन उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग मण्डल द्वारा आयोजित हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं डी.एल.एड. की मुख्य एवं द्वितीय अवसर परीक्षाओं में उपयोग किया जाता है। निविदा एम.पी. पोर्टल के माध्यम से जारी की गई थी। निविदा जारी करने का विज्ञापन समाचार पत्र दैनिक भास्कर, नव-भारत एवं नव-भारत टाइम्स नई दिल्ली में प्रकाशित किया गया था। जारी निविदा में न्यूनतम दरधारी फर्म मेसर्स प्रिन्टोग्राफी सिस्टम प्रा.लि. मुम्बई की दरें स्वीकृत की गई। जारी निविदा शर्तें एवं न्यूनतम दरें संबंधी प्रपत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। म.प्र.पाठ्यपुस्तक निगम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3, 4 अनुसार। (ख) लोक शिक्षण संचालनालय से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी निविदा एवं शर्तें निम्नानुसार रखी गई थी:- 1- निविदादाता फर्म IBA से पंजीकृत सिक्युरिटी प्रिन्टर्स होना अनिवार्य है। 2- फर्म का पेन नम्बर एवं जीएसटी पंजीयन नम्बर होना अनिवार्य है। 3- पिछले दो वर्ष (2022-23 एवं 2023-24) में से किन्हीं भी एक वर्ष में किसी भी शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय में 30 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का सिंगल कार्यादेश के द्वारा कार्य करने एवं प्रदाय का अनुभव होना

अनिवार्य है। उपरोक्त से संबंधित सभी प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किये जावे। 4- फर्म का पिछले 05 वर्ष (2019-20 से 2023-24) में किन्हीं 03 वर्षों का अवसर टर्न ओवर 02 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। पंजीकृत सी.ए. के द्वारा 02 करोड़ के टर्न ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार।** (ग) शारीरिक शिक्षा शाखा अंतर्गत स्पोर्ट्स किट निविदा में परिवर्तन किया गया, जिसमें शासकीय के स्थान पर शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय शब्द जोड़े गये जो कि टंकण त्रुटिवश छूट गये थे। परिवर्तन आयुक्त लोक शिक्षण की अनुमति से किये गये थे। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार।** मण्डल द्वारा निविदा जारी करने के पश्चात किसी भी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। म.प्र.पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा निविदा जारी करने के पश्चात किसी भी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। (घ) एवं (ड.) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) लोक शिक्षण में 01 शिकायत प्राप्त हुई थी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार।**

चिकित्सा महाविद्यालय सागर में मरीजों हेतु आवश्यक सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

14. (क्र. 151) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संभागीय मुख्यालय सागर में वर्ष 2008 में स्थापित हुये बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में मरीजों के लिए कौन-कौन सी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं? (ख) क्या बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में कैथ लैब, कैंसर हॉस्पिटल एवं ब्लड बैंक जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का अभाव है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है एवं कब तक सेवायें शुरू करा दी जायेगी। (ग) क्या सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के अंतर्गत कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (CTVS), नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी एवं पीडियाट्रिक सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण विभाग वर्तमान में संचालित नहीं हैं? यदि हाँ, तो इन विभागों की स्थापना, आवश्यक पदों के सृजन, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति तथा अधोसंरचना विकास हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है? विभागवार वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित समय-सीमा से अवगत कराएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) संभागीय मुख्यालय सागर में वर्ष 2008 में स्थापित हुये बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में मरीजों के लिए उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है।** (ख) जी हाँ। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में कैथ लैब, कैंसर हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं का अभाव है। वर्तमान ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय, सागर में संचालित है, जिससे मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कैथ लैब, कैंसर अस्पताल स्थापना जैसी सुविधाओं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (CTVS), नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी एवं पीडियाट्रिक सर्जरी विभागों की स्थापना आवश्यक पदों के सृजन, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति एवं अधोसंरचना विकास जैसे कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सम्पूर्ण राज्य में किए जाते हैं। सागर के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

न्यूरोसर्जरी विभाग अन्तर्गत पदों का सृजन किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

कालापीपल विधानसभा में सिंचाई परियोजनाओं से छूटे हुए ग्राम

[जल संसाधन]

15. (क्र. 166) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में शाजापुर जिले में कौन-कौन सी प्रचलित एवं प्रस्तावित सिंचाई परियोजना है कृपया योजनावार विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी प्रदाय करें? (ख) उक्त प्रचलित एवं प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं में कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों को शामिल किया गया है तथा कितने ग्राम छूटे हैं ग्रामवार जानकारी प्रदाय करें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार छूटे हुए ग्राम के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या विभाग कोई योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो उक्त योजना की जानकारी प्रदाय करें तथा उस पर कार्य कब तक आरंभ होगा? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि नहीं तो वंचित रह गए किसानों के लिए भविष्य में क्या योजना हो सकती है जिससे किसानों को शासन की हर खेत तक पानी पहुँचाने की मंशा पूर्ण हो सके?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) प्रचलित योजनाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न लागू नहीं।

चार पहिया वाहनों पर हूटर लगाने की अनुमति

[परिवहन]

16. (क्र. 173) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के आदेश अनुसार किन-किन वाहनों पर हूटर लगाने की अनुमति है? अपात्र वाहनों एवं जनप्रतिनिधियों के वाहनों पर हूटर लगाये जाने पर किस सक्षम अधिकारी को कितनी राशि का जुर्माना लगाने का अधिकार है? शासन आदेश/नियम की सत्यापित प्रति दें (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2024-25 से 2026-27 में प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के किस जिले में किस-किस अपात्र व्यक्ति/वाहन एवं जनप्रतिनिधि द्वारा चार पहिया वाहन पर हूटर लगाने के कारण किस दिनांक को किस सक्षम अधिकारी द्वारा कितनी राशि का जुर्माना लगाकर कितनी राशि वसूली गई? (रसीद क्रमांक, दिनांक, राशि तथा अधिकारी का नाम) यह वसूली गई राशि शासन के किस मद/खाते में किस दिनांक को जमा की गई? अभिलेख सहित बतावें तथा इन व्यक्तियों का नाम/पद/पता सहित चालान की दिनांक, जिलेवार एवं वर्षवार बतावें? (ग) दिनांक 24/03/26 को डबरा नगर में की गई वाहन चेकिंग का आदेश उपलब्ध करवाएं तथा किस-किस वाहन से कितनी-कितनी चालान राशि वसूली गई? क्या इस चेकिंग के दौरान प्रदेश में सत्ताधारी दल के समर्थकों/राजनेताओं के वाहनों पर लगे हूटर का चालान किया गया? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी रसीद सहित दें?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 119 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 185 के अनुसार पात्र वाहनों पर हूटर लगाने की

अनुमति है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। अपात्र वाहनों पर हूटर लगाये जाने पर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। सक्षम अधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अंतर्गत रुपये 500/- का शमन शुल्क वसूलने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त अपराध को प्रथम बार कारित करने के लिए चेतावनी तथा द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अपराध की दशा में न्यूनतम रुपये 500/- तथा अधिकतम रुपये 1500/- का जुर्माना लिये जाने का प्रावधान है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। (ग) दिनांक 24.03.2026 को डबरा नगर में की गई वाहन चेकिंग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर के निर्देशानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डबरा द्वारा की गई थी। इस कार्यवाही में परिवहन विभाग की भागीदारी नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

फार्मर आई.डी. से किसानों को रासायनिक खाद का वितरण

[राजस्व]

17. (क्र. 176) श्री सुरेश राजे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में जिलावार कितने किसान हैं? जिनमें से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों की फार्मर ID बनी है? कितनों की नहीं? शेष किसानों की कब तक बनायी जाएगी? जिलावार संख्या बतावें तथा किसानों को कृषि भूमि पर खरीफ व रबी तथा ग्रीष्मकालीन खेती हेतु प्रति वर्ष कितना DAP तथा यूरिया दिए जाने का प्रावधान है? क्या नेनो खाद की बोतल लेना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदेश में जिन किसानों की फार्मर ID नहीं बनी है उन्हें रासायनिक खाद का वितरण किस प्रकार किया जायेगा? ऐसे किसान जो गाँव से बाहर रहते हैं एवं कृषि भूमि बटाई/ठेका पर अन्य किसान को दी गई है के लिए खाद का क्या नियम है? (ग) क्या बड़े किसानों द्वारा रासायनिक खाद का स्टॉक किया जा रहा है? जबकि अशिक्षित व छोटे किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसान द्वारा फार्मर ID से खाद क्रय हेतु लगाया गया नंबर स्थानीय अथवा आस-पास के विक्रय केन्द्रों का नहीं देकर दूर की दुकानों का क्रय करने हेतु किसानों को दिया जा रहा है? जिससे गरीब व छोटे किसान जब तक केंद्र पर पहुँचता है तब तक स्टॉक खत्म बताया जाता है, ऐसी स्थिति में पास की दुकान/केंद्र से वितरण क्यों नहीं करवाया जा सकता?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) राजस्व अभिलेख में खातावार जानकारी का संधारण किया जाता है। दिनांक 30/06/2026 की स्थिति में 1,11,88,295 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। जिलावार फार्मर आईडी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट में है। फार्मर आईडी किसान के माध्यम से ही बनाई जा सकती है। जिसके लिए सतत कार्यवाही जारी है। (ख) जी हाँ। जिन किसानों की फार्मर ID नहीं बनी है एवं ऐसे किसान जो गाँव से बाहर रहते हैं एवं कृषि बटाई, ठेके पर अन्य किसानों को दी गई है, हेतु भी ई-विकास पोर्टल पर ई-टोकन जनरेट करने हेतु सुविधा दी गई है जिसमें किसान योग्य/श्रेणी विकल्प का चयन कर उर्वरक क्रय हेतु ई-टोकन जनरेट सुगमता से कर सकता है। (ग) जी नहीं। किसान की भूमि रकबा एवं फसल के मान से उर्वरक मात्रा का टोकन जनरेट होता है, उर्वरक क्रय हेतु विक्रेता का चयन किसान द्वारा ही किया जाता है। विक्रय

केन्द्र में स्टॉक उपलब्ध होने पर ही प्रत्येक किसान का ई-टोकन जनरेट होता है जो तीन दिवस तक आरक्षित रहता है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौदह"

अस्पतालों में सिविल सर्जन की नियुक्तियां

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

18. (क्र. 192) श्री आरिफ मसूद : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय भोपाल में सिविल सर्जन के पद पर विगत वर्षों में कितने डाक्टरों की नियुक्ति की गई है? (ख) सिविल सर्जन द्वारा अस्पताल के निर्मित भवनों का कब-कब निरीक्षण किया गया? (ग) हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक कितने हैं? उनके द्वारा एक वर्ष में कितने ऑपरेशन किये गये हैं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला चिकित्सालय भोपाल में विगत वर्षों में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ किए गए चिकित्सकों की सूची जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) विगत एक वर्ष में सिविल सर्जन द्वारा दिनांक 28.10.2025, 10.11.2025, 14.11.2025, 13.01.2026, 16.01.2026, 17.01.2026, 03.02.2026, 06.02.2026, 02.03.2026, 02.04.2026, 26.05.2026, 27.05.2026, 05.06.2026, 09.06.2026, 10.06.2026, 06.06.2026, 22.06.2026 एवं 27.06.2026 को निर्मित भवनों का निरीक्षण किया गया। (ग) जिला चिकित्सालय भोपाल में 05 अस्थिरोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं। विगत एक वर्ष में किए गए ऑपरेशनों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

शासकीय विद्यालयों में नियम विरुद्ध बजट आवंटन

[स्कूल शिक्षा]

19. (क्र. 199) श्रीमती ललिता यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल द्वारा क्रमांक/भवन/अ/9545/03/2024/02/796 दिनांक 03.11.2025 को जिला छतरपुर के विद्यालयों में विशेष मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं बजट आवंटन जारी किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या म.प्र. शासन विभागीय परिसंपत्ति संधारण योजना के अनुसार 5.00 लाख से अधिक के विशेष मरम्मत कार्य हेतु निविदा/तकनीकी स्वीकृति/संभागीय संयुक्त संचालक की अनुमति आवश्यक है? (ग) क्या शासन नियमानुसार बजट स्पिल्टिंग (टुकड़ों) पर प्रतिबंध है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या उक्त वित्तीय स्वीकृति को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासन के नियमों का उल्लंघन कर टुकड़ों में वित्तीय स्वीकृति दी गई थी? (ङ.) यदि हाँ, तो क्या शासन के नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही की जाएगी? (च) जिला छतरपुर के उक्त विद्यालयों में हुए मरम्मत कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की कौन-कौन सी एस.ओ.आर. अनुसूची लागू की गई? एस.ओ.आर का वर्ष/संस्करण व पृष्ठ संख्या सहित बताएं? कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, मेजरमेंट बुक एवं भुगतान बिल की प्रति उपलब्ध कराई जाए? (छ) वर्ष 2025 से प्रश्न दिनांक तक

जिला छतरपुर के किन-किन शासकीय विद्यालयों को मरम्मत/अन्य वित्तीय/संधारण हेतु कब-कब कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? स्कूलवार, दिनांकवार, पत्र क्रमांक सहित राशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए? (ज) प्रश्नांश 'क', 'ख', 'ग', 'घ' एवं 'ड.' के अनुसार यदि हाँ, तो क्यों एवं यदि नहीं तो क्यों एवं SOP क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। परन्तु संभागीय संयुक्त संचालक की अनुमति आवश्यक नहीं है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। (ड.) शासन नियम एवं निर्देशों के विपरीत कार्य करने पर अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही किये जाने के पूर्व से प्रावधान है। इस हेतु विहीत प्रक्रिया का पालन न होने के फलस्वरूप संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (च) प्रश्नाधीन जिला अंतर्गत उक्त विद्यालयों में हुए मरम्मत कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के एस.ओ.आर. दिनांक 11.04.2022 अनुसार अनुसूची लागू की गई है, जारी की गई अनुसूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' पर है। उत्तरांश (ड.) के प्रकाश में शेषांश प्रक्रियाधीन है। (छ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' पर है। (ज) उत्तरांश 'क' 'ख' 'ग' 'घ' एवं 'ड.' के प्रकाश में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'तीन' पर है।

शासन के नियमानुसार नामांतरण किया जाना

[राजस्व]

20. (क्र. 200) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2207 दिनांक 24/03/2025 में उत्तर दिया गया था कि रियासतकालीन कि वह भूमि जिस पर राजा की गाड़ियां रखने के लिए उपयोग की जाती है, वह भूमि खासगत गाड़ीखाना कहलाती थी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी इन्वेंट्री में चडू छतरपुर गाड़ीखाना के रूप में दर्ज है, जो तत्कालीन-राजा की निजी भूमि है, शेष प्रश्नांश जांच का विषय जांच उपरांत तत्संबंध में निर्णय लिया जाएगा? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त इन्वेंट्री को भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया, जारी इन्वेंट्री में खसरा नंबर लेख है, क्या शेष प्रश्नांश जांच का विषय जांच-उपरांत तत्संबंध में निर्णय लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या अभिलेख-पंजी के खसरा नंबर 3664 में रियासतकालीन से विलय दिनांक तक खासगत-गाड़ीखाना लेख था? यदि नहीं तो क्यों किन तथ्यों पर लेख किया गया है, कि वह भूमि खासगत-गाड़ीखाना कहलाती थी, तत्कालीन-राजा की निजी-भूमि है? (घ) शासन नियमानुसार रियासत छतरपुर के विलय दिनांक से प्रश्न-दिनांक तक तत्कालीन राजा द्वारा कब-कब, कौन-कौन सी भूमि को अपने स्वामित्व में रखा गया, शासन-हित में छोड़ा गया, क्या रिकॉर्ड संधारित है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध कराई जाए? (ड.) क्या शासन नियमानुसार रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र/वसीयतनामा/दानपात्रकर्ता का भू-स्वामीस्वत्व का मूलनाम खसरा-नंबर में लेख होने के उपरांत ग्रहिता/क्रेता के आवेदन पर नामांतरण किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या 3664 में भू-स्वामीस्वत्व का मूलनाम लेख होने पर ग्रहिता/क्रेता के आवेदन पर नामांतरण किया गया था? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) इन्वेन्ट्री में दिनांक व खसरे का उल्लेख नहीं है। जांच अभी प्रचलनशील है। अधिकारियों के स्थानांतरण होने के कारण जांच प्रक्रिया बाधित

हुई है। (ग) जी नहीं। तारांकित प्रश्न क्रमांक 2207 दिनांक 24.03.2025 के उत्तर में स्पष्टतः भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय द्वारा जारी इन्वेंट्री को आधार बनाकर उसे तत्कालीन राजा की निजी भूमि बताया गया है। (घ) तहसील कार्यालय में रिकार्ड संधारित नहीं है। (ङ.) नामांतरण प्रक्रिया म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत गुणदोष के आधार पर की जाती है। उक्त प्रश्न किस ग्रहिता/क्रेता के संबंध में है, यह स्पष्ट न होने से जानकारी प्रदाय नहीं की जा सकती।

राजस्व प्रकरणों का नियम अनुसार निराकरण नहीं किया जाना

[राजस्व]

21. (क्र. 202) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दि. 01/01/2024 से 17/06/2026 तक तहसील एवं अनुविभागीय कार्यालय राजस्व नागदा में नामांतरण, बंटवारा/बटांकन, रकबा/नक्शा दुरुस्ती, भूमि सीमांकन तथा डायवर्सन के कितने प्रकरण/अपीलें दर्ज की गईं? दर्ज/निराकृत/लंबित प्रकरणों की संख्या, भूमि स्वामी का वर्षवार विवरण दें। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कितने प्रकरणों को अपील में एसडीएम द्वारा निरस्त किया गया है? प्रकरण सहित विवरण दें। (ख) क्या नागदा बायपास हेतु अधिग्रहित भूमि का विवरण राजस्व अभिलेखों/नक्शा शीटों में दर्ज किया जा चुका है? यदि हाँ, तो नक्शा शीटों में बायपास मार्ग की चौड़ाई कितनी है? यदि नहीं किया गया तो क्यों? (ग) संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी उज्जैन के पत्र क्र. 871 दि. 23.03.2026 एवं 1359 दि. 28.04.2026 को प्रेषित पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागदा द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो क्यों? कब तक की जाएगी? (घ) पटवारी हल्का पाडल्या कलां, मेहतवास, नागदा, कस्बा खाचरोद का भूमि बंदोबस्त नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों तथा भूमि बंदोबस्त करने हेतु शासन द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? (ङ.) क्या कलेक्टर कार्यालय उज्जैन के अभिलेख कक्ष में उक्त पटवारी हल्कों के राजस्व नक्शों एवं अभिलेख उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो नक्शों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करायें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) दि. 01/01/2024 से 17/06/2026 तक तहसील एवं अनुविभागीय कार्यालय राजस्व नागदा में नामांतरण, बंटवारा/बटांकन, रकबा नक्शा दुरुस्ती, भूमि सीमांकन तथा डायवर्सन के दर्ज/निराकृत/लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्षवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) नागदा बायपास हेतु अधिग्रहित भूमि का पूर्व में ही राजस्व अभिलेखों/नक्शा शीटों में दर्ज की गयी है, अधिग्रहित कुछ सर्वे क्रमांक के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद प्रचलित होने से अभिलेख में अमल नहीं किया गया है। नागदा बायपास की चौड़ाई राजस्व नक्शे में 2 जरीब यानी 150 वर्गफीट है। (ग) संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी उज्जैन के पत्र क्र. 870 दि. 23.03.2026 एवं 1359 दि. 28.04.2026 को प्रेषित पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागदा द्वारा तहसीलदार नागदा को कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं। तहसीलदार द्वारा उक्त पत्रों पर संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन को पत्र क्रमांक 579 दिनांक 09/04/2026 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 856 दिनांक 23/06/2026 प्रस्तुत कर उज्जैन जावरा बीओटी टु-लेन मार्ग की नागदा बायपास हेतु अधिग्रहित भूमि सर्वे क्रमांक 1160 की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी दस्तावेज नक्शा आदि सहित सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को उपस्थित रहने हेतु पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ)

पटवारी हल्का पाडल्या कलां, मेहतवास, नागदा, कस्बा खाचरोद का भूमि बंदोबस्त संवत् 1993 वर्ष 1936-37 में हुआ था। वर्तमान में बंदोबस्त के स्थान पर सर्वे, री सर्वे की कार्यवाही की जाती है। (ड.) जिला अभिलेखागार में संवत् 1993 वर्ष 1936-37 में ग्राम मेहतवास और कस्बा खाचरोद के नक्शे उपलब्ध हैं। ग्राम पालड्याकला और नागदा के नक्शे उपलब्ध नहीं हैं। ग्राम पालड्याकला, मेहतवास, नागदा एवं कस्बा खाचरोद के मिसल बन्दोबस्त अभिलेख संवत् 1993 वर्ष 1936-37 के उपलब्ध हैं।

पशुओं की मृत्यु/हानि पर मुआवजे का प्रदाय

[राजस्व]

22. (क्र. 210) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मवेशियों की मृत्यु/हानि अवैध करंट के तारों से, आकाशीय बिजली गिरने एवं आगजनी से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण हो जाती है। ऐसी दुर्घटनाओं में पशुपालकों को मुआवजा देने का सरकार का क्या प्रावधान है? यदि नहीं है तो क्यों? (ख) विधानसभा क्षेत्र क्र. 14 ग्वालियर ग्रामीण अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में कितने मवेशियों की मृत्यु अवैध करंट के तारों, आकाशीय बिजली गिरने, आग लगने से हुई है इसकी जानकारी ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में पशुपालकों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई? प्रकरणवार पशुपालक का नाम, निवास का पता सहित जानकारी दें। यदि सहायता नहीं दी गई तो कब तक दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के तहत आकाशीय बिजली एवं आगजनी हेतु प्राकृतिक प्रकोप से पशु हानि होने पर प्रभावितों/संबंधितों को आर्थिक सहायता राशि प्रदाय किये जाने के प्रावधान है। अवैध करंट के तारों से मवेशियों की मृत्यु होने पर मुआवजा का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

परिशिष्ट - "सोलह"

विद्यालयों के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार

[स्कूल शिक्षा]

23. (क्र. 211) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 04 ग्वालियर अन्तर्गत कितने विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं तथा कितने विद्यालयों में गर्ल्स टायलेट, पेयजल हेतु हैण्डपम्प/बोर, विद्युत कनेक्शन नहीं है शालावार जानकारी उपलब्ध करावें तथा इन विद्यालयों की मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य कब तक कराया जावेगा समय-सीमा बतावें। (ख) जिला ग्वालियर अन्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आर.टी.ई. के अन्तर्गत प्रवेश हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितने विद्यार्थियों को आर.टी.ई. के तहत सीट आवंटित की गई तथा कितने विद्यार्थियों को सीट आवंटित नहीं हुई, वर्षवार आवेदनवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) प्रश्नांकित विधान सभा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक जीर्ण-शीर्ण/विद्युत विहीन शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'क' पर है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल बालिका शौचालय विहीन नहीं है एवं समस्त शालाओं में पेयजल सुविधा है। शेष कार्यों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ख' पर है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

शासकीय भूमि का विक्रय

[राजस्व]

24. (क्र. 221) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्वे नं. 96 हल्का धसारई बन्दोबस्त पर शासकीय पट्टा किस-किस व्यक्तियों के नाम पर है? (ख) इस सर्वे नं. 96 की भूमि को विक्रय करने का आदेश किस सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया? (ग) क्या पट्टा धारक को दिये गए पट्टे की वर्ष से आज तक यह भूमि कितने बार क्रय या विक्रय हुई और वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज है। (घ) क्या वर्तमान में इस सर्वे नं. 96 में कृषि योग्य भूमि है या नहीं? (ङ.) क्या इस भूमि को नियम के अनुसार शासकीय दर्ज कर दोषियों पर कार्यवाही करने का नियम में है या नहीं है। अगर है तो दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) मिसल बंदोबस्त वर्ष 1982-83 के अनुसार ग्राम घसारही स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकवा 2.00 है। पर शहजाद पुत्र शुभराती मुसलमान निवासी ग्राम शासकीय पट्टा ग्राहिता के रूप में दर्ज है। (ख) न्यायालय तहसीलदार करैरा के प्रकरण क्रमांक 69/2000-2001/अ-74 आदेश दिनांक 06.09.2001 से विक्रय वर्जित शब्द विलोपित किया गया। (ग) 1. वर्ष 1975-76 लगायत 2005-06 तक ग्राम घसारही स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकवा 2.00 है। पर शहजाद पुत्र शुभराती मुसलमान के नाम दर्ज रहा। 2. वर्ष 2006-07 में उक्त भूमि में से 1.00 है। का विक्रय शंकरलाल पुत्र राजाराम शर्मा को किया। 3. दिनांक 30.12.2017 को शंकर लाल शर्मा के द्वारा 96/2 रकवा 0.98 है। का विक्रय पत्र गायत्री शर्मा पत्नी शिवकुमार शर्मा के पक्ष में कराया गया। 4. दिनांक 21.04.2023 को गायत्री शर्मा पत्नी शिवकुमार शर्मा के द्वारा 96/2 रकवा 0.98 है। का विक्रय पत्र क्रेता संगीता पाण्डेय पत्नी सूर्यकान्त पाण्डेय को कराया गया। 5. वर्तमान में सर्वे क्रमांक 96/1 रकवा 0.98 है। शहजाद के वारिसान विहिदन वेवा शहजाद खाँ, आजाद, रफीक, मोहम्मद शाह, एहसान पुत्रगण शहजाद खाँ के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। 6. सर्वे क्रमांक 96/2/2 रकवा 0.70 है। संगीता पाण्डेय पत्नी सूर्यकान्त पाण्डेय, 96/2/1 रकवा 0.28 है। व्यसायिक लगान 2800 रूपय पर संगीता पाण्डेय पत्नी सूर्यकान्त पाण्डेय के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है, 96/2/1 कर व्यपवर्तन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 0158/आदेश दिनांक 08.03. 2018 से किया गया। 7. सर्वे क्रमांक 96/3 रकवा 0.04 है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग में अधिग्रहण की जा कर वर्तमान राजस्व अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। (घ) वर्तमान में ग्राम घसारही स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96/1 रकवा 0.98 है। शहजाद के वारिसानों के नाम दर्ज होकर कृषि कार्य किया जा रहा है, शेष रकवा 0.98 है। में दुकान, मकान, वेयर गोदाम (वेयर हाउस) निर्मित है व शेष भूमि रिक्त पड़ी है। (ङ.) तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक

69/2000-2001/अ-74 आदेश दिनांक 06.09.2001 से विक्रय वर्जित शब्द विलोपित किया गया था। प्रकरण की गहन जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी करैरा को पत्र लिखा गया है। जानकारी प्राप्ति पश्चात प्रकरण दर्ज कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही जावेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

25. (क्र. 235) श्री दिव्यराज सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड जवा अंतर्गत शा. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा में चिकित्सीय एवं सह चिकित्सीय कुल कितने पद स्वीकृत हैं? पदवार विवरण उपलब्ध करावें। (ख) क्या कारण है विगत 02 वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा में चिकित्सक की पदस्थापना संभव नहीं हो सकी है? कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा में चिकित्सीय एवं रोगों की जाँच हेतु पैथोलाजी सुविधा प्रारंभ की जा सकेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) "पदपूर्ति" एक निरंतर प्रक्रिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा में चिकित्सीय एवं रोगों की जांच हेतु पैथोलाजी सुविधा चिकित्सक की पदस्थापना के पश्चात ही प्रारंभ किया जाना संभव है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अठारह"

अतिक्रमण मुक्त कर अभिलेख में शासकीय तालाब दर्ज करना

[राजस्व]

26. (क्र. 236) श्री दिव्यराज सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत सिरमौर के ग्राम पंचायत पल्हान वार्ड क्रमांक 05 में स्थित बेला तालाब खसरा क्रमांक 1141 एवं 1142 कुल रकवा 6.813 हेक्टेयर का कलेक्टर निगरानी प्रकरण 35/बी-121/84-85 दिनांक 28/01/1987 में शासकीय दर्ज करने तथा अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधी आदेश क्या कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि उक्त आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया जा सका? (ख) क्या ग्राम पल्हान के खसरा क्रमांक 1141 एवं 1142 जो कि वर्ष 1924-25 की खतौनी एवं उसके आगे के वर्षों में निरंतर राजस्व दस्तावेजों में शासकीय तालाब गैर हकदार/नाकाबिल काश्त के रूप में दर्ज रहा है? यदि हाँ, तो शासन के किस आदेश एवं नियम के तहत उक्त शासकीय तालाब (जलाशय) को निजी भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया? (ग) क्या शासकीय तालाबों को संरक्षित करने के संबंध में शासन के कोई आदेश जारी किये गए हैं? यदि हाँ, तो समस्त शासनादेशों के अनुपालन में क्या उक्त बेला शासकीय तालाब ग्राम पल्हान को अतिक्रमण मुक्त कराकर पुनः शासकीय दस्तावेजों में शासकीय तालाब आम निस्तार दर्ज कराया जा सकेगा? तो कब तक कराया जावेगा? समय-सीमा बतावें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों पर कार्यवाही

[राजस्व]

27. (क्र. 280) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कलेक्टर (शिकायत) जिला-टीकमगढ़ ने अपने पत्र क्र.588/शिका./2024 टीकमगढ़ दिनांक 19.06.2024 अधीक्षक भू-अभिलेख टीकमगढ़ को लेख किया था यदि हाँ, तो अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ख) क्या कार्यालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ ने अपने पत्र क्र./08/अपर कलेक्टर/2024 टीकमगढ़ दिनांक 04.07.2024 के द्वारा जांच दल गठित किया था यदि हाँ, तो जांच दल द्वारा की गई जांच की प्रति उपलब्ध करावे और यदि जांच नहीं की गई तो क्यों जांच दल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा कुल कितनी शिकायतें कलेक्टर टीकमगढ़ को की गई, उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया शिकायत एवं निराकरण बिन्दुवार बतावें? (घ) शिकायतों पर कार्यवाही न होने का कारण एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी विस्तृत विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) हाँ, यह सही है कि अधीक्षक भू-अभिलेख टीकमगढ़ को पत्र क्रमांक 588/शिका./2024 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। उक्त परिपालन में अधीक्षक भू-अभिलेख टीकमगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक 296 दिनांक 07.07.2026 एवं पत्र क्रमांक 297 दिनांक 07.07.2026 के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) हाँ, यह सही है, कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक 08/2024 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा जांच दल गठन किया गया था। जांच दल के द्वारा पत्र क्रमांक 296 दिनांक 07.07.2026 एवं पत्र क्रमांक 297 दिनांक 07.07.2026 को संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत 96 पत्रों में से 93 पत्रों पर संबंधित विभागों द्वारा समुचित कार्यवाही की जा चुकी है, केवल 03 पत्रों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-43 टीकमगढ़ के द्वारा विभिन्न विभागों के 96 पत्रों में से 93 पत्रों का निराकरण हो चुका है। शेष 03 पत्रों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अवैध मुरम खनन पर कार्यवाही

[राजस्व]

28. (क्र. 281) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्या. कलेक्टर (शिकायत) जिला-टीकमगढ़ म.प्र. द्वारा पत्र क्र.542/शिका./2024 टीकमगढ़ दिनांक 03.06.2024 अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को लेख कर जांच कर कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लेख किया था? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ख) किस वैध खदान से मुरम उत्खनन की गई, खदान का रकबा एवं खनन परिक्षेत्र क्या था खनन हेतु किस फर्म से पिट पास जारी किये गये एवं नगर पालिका परिषद द्वारा मुरम खरीदने में कितनी राशि व्यय की गई? (ग) क्या टीकमगढ़ जिले में गौण एवं प्रमुख खनिज के अवैध उत्खनन में जिला प्रशासन का सहयोग रहता है यदि नहीं तो कारी खदान टीकमगढ़ बैदऊ खदान लिधौरा तहसील जिला-टीकमगढ़ में करोड़ों का अवैध उत्खनन क्यों किया जा रहा है। जबकि संपूर्ण उत्खनन सीमांकित जमीन के बाहर हो रहा है। क्या संबंधित फर्मों को अवैध उत्खनन का दोषी मानकर

ब्लैक लिस्टेड कर वसूली अधिरोपित की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित अवैध उत्खनन में कौन-कौन दोषी है, नाम पद सहित बतावें? यदि खनन अवैद्य खदान या बिना पिटपास के किया गया तो उसके भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही कर वसूली की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) हाँ, कार्यालय कलेक्टर (शिकायत) टीकमगढ़ के पत्र क्र./542/शिका./2024 टीकमगढ़ दिनांक 03.06.2024 में संलग्न शिकायत आवेदन द्वारा, श्री यादवेन्द्र सिंह, विधायक 43-टीकमगढ़ दिनांक 02.05.2024 पर जांच उपरांत न्यायालय अनु.अधि.(राजस्व) टीकमगढ़ के प्र.क्र./241/बी-121/23-24 प्रतिवेदन दिनांक 10.07.2023 द्वारा न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ प्रेषित किया गया। न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र./0066/बी-121/25-26 द्वारा अनधिकृत कॉलोनी के निर्माण पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अनधिकृत कॉलोनी की भूमि पर अंतरण व नामांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रकरण न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ में विचाराधीन है। (ख) नगर पलिका परिषद् टीकमगढ़ द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मुरम क्रय नहीं की गई और न ही इस संबंध में कोई राशि व्यय की गई। (ग) जी नहीं, टीकमगढ़ जिले में ग्राम कारी के वन कक्ष क्रमांक 48 में म.प्र. राज्य खनिज निगम भोपाल को वन क्षेत्र में खनिज डायस्पोर पायरोफिलाईट उत्खनि पट्टा स्वीकृत है, जिसमें अवैध उत्खनन से संबंधित जानकारी वन विभाग से संबंधित है एवं ग्राम बेदोरा जंगल तहसील लिधोरा के खसरा क्रमांक 37/1/मिन-1 रकवा 6.900 हे. राजस्व क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट का उत्खनि पट्टा पट्टेदार मेसर्स कामता नाथ मिनरल्स पार्टनर श्रीमती शिवानी भारद्वाज पत्नी गौरव भारद्वाज निवासी ग्वालियर (म.प्र.) को स्वीकृत है। उक्त खदान असंचालित होने के कारण अवैध उत्खनन किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (ग) में अवैध उत्खनन या बिना पिटपास परिवहन नहीं पाये जाने के कारण शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सुविधाविहीन एवं जर्जर भवनों में स्कूल का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

29. (क्र. 320) श्री लखन घनघोरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर एवं जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को स्कूल भवनों का रख-रखाव मरम्मत, सुधार कार्य, पुनर्निर्माण व नये शाला भवनों का निर्माण हेतु किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितने-कितने जर्जर, खंडर व सुविधा विहीन बाउंड्रीवॉल विहीन स्कूलों को चिह्नित कर इनका सुधार, मरम्मत व पुनर्निर्माण तथा नवीन शाला भवनों का निर्माण कराने की कब क्या कार्य योजना बनाई गई? कितने जर्जर व खंडर शाला भवनों का सुधार व मरम्मत कार्य कितनी राशि में कराया गया एवं कितने शाला भवनों का सुधार व मरम्मत कार्य व बाउंड्रीवॉल का निर्माण नहीं कराया गया है एवं क्यों? पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 97 के स्कूलों की सूची दें। (ग) प्रश्नांश (क) में कितने-कितने स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध पेयजल, शौचालयों की साफ-सफाई, स्वच्छता, खेल मैदान, विद्युत व्यवस्था, टाट पट्टी, फर्नीचर, अतिरिक्त कमरों आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है एवं क्यों? (घ) प्रश्नांकित स्कूलों में

स्वीकृत पद संरचना के तहत कितने-कितने पद रिक्त है? कितने-कितने स्कूल प्रधानध्यापक व प्राचार्य विहीन है? कितने स्कूल एक शिक्षक के संचालित है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विद्यार्थी नामांकन के आधार पर आवश्यक अधोसंरचना निर्माण/सुदृढीकरण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर, खंडहर की जानकारी निरंक है वर्तमान में जर्जर भवन व पुनर्निर्माण तथा नवीन शाला भवनों का निर्माण कार्य खनिज मद व एसएसए की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया है। अपितु स्कूलों में कराये गये आवश्यक मरम्मत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों में पूर्व से बाउण्ड्रीवाल उपलब्ध है। बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन स्कूलों में उल्लेखित मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। खेल मैदान से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।

मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर का विखण्डन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

30. (क्र. 321) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने प्रदेश की एकमात्र म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना वर्ष 2011 में किस उद्देश्य एवं लक्ष्य से की थी। इसकी स्थापना पर कितनी राशि व्यय हुई? क्या शासन अपने मूल उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति में असफल सिद्ध हुई हैं? यदि नहीं तो शासन ने इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को तीन हिस्सों में विभाजित करने का क्या प्रस्ताव तैयार किया है एवं क्यों? इसकी मंत्रिपरिषद से कब स्वीकृति ली है? प्रस्ताव व मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्नांकित स्थापित मेडिकल यूनिवर्सिटी को तीन हिस्सों में विभाजित करने से इसका सीधा प्रभाव जबलपुर शहर की साख पर व विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, परिसम्पत्तियों का बंटवारा, क्षेत्राधिकार आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (ग) प्रश्नांकित मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्थापना से लेकर अभी तक बिना शैक्षणिक कैलेण्डर के एवं इसके लिये बनाये गये अधिनियम के विपरीत संचालित करने का क्या कारण है? इसका सीधा प्रभाव छात्रों की शैक्षणिक व्यवस्था व भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? अधिनियम की छायाप्रति दें। (घ) प्रश्नांकित मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्वीकृत पद संरचना के तहत कितना स्टाफ पदस्थ है एवं कौन-कौन से कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं एवं क्यों? इसके लिये अभी तक किन-किन संसाधनों व व्यवस्थाओं की पूर्ति नहीं की गई है एवं क्यों? स्वीकृत एवं पदस्थ स्टाफ की छायाप्रति दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. राजपत्र दिनांक 06/05/2011 की धारा 4 में उल्लेखित उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु म.प्र.आयुर्विज्ञान, जबलपुर की

स्थापना की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रशासनिक भवन निर्माण में 23.27 करोड़ एवं प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु आवंटन भूमि का भू-भाटक एवं प्रब्याजी राशि रूपये 26 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" एवं "स" अनुसार। जी नहीं। विश्वविद्यालय को तीन हिस्सों में बांटने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विश्वविद्यालय में अकादमिक गतिविधियों का संचालन अकादमिक कलैण्डर के अनुसार किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अधिनियम की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ड" अनुसार।

ग्राम मोरतलाई का राजस्व रिकार्ड

[राजस्व]

31. (क्र. 345) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोरतलाई, पटवारी हल्का जामुखो, तहसील सिराली स्थित खसरा क्रमांक 30 मिसल बंदोबस्त, राजस्व अभिलेखों में कितना रकबा, किसके नाम से तथा भूमि किस मद में दर्ज है? इस खसरा नंबर में कब-कब, क्या-क्या परिवर्तन किये गये वर्षवार बतावें? इसका नामांतरण, बटांकन, मद परिवर्तन किसके द्वारा किसके आदेश से कब-कब किया गया? दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। (ख) भू-अभिलेख के ऑनलाइन पोर्टल पर खसरा क्रमांक 30/2 को "छोटा घास" भूमि के रूप में किस आधार, आदेश व अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया? साथ ही खसरा क्रमांक 30/1 ऑनलाइन किसी मद में दर्ज न होने का कारण क्या है तथा क्या राजस्व अभिलेखों के अनुसार उसे भी "छोटा घास" भूमि माना जाता है? यदि हाँ, तो आधार सहित विवरण दिया जाये। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में किसके नाम से दर्ज है तथा किसके नियंत्रणाधीन है? आधिपत्य संबंधित दस्तावेज किस विभाग से पास उपलब्ध है? दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) ग्राम मोरतलाई खसरा क्रमांक 30 राजस्व अभिलेखों में पांच साला खसरा वर्ष 2000-2001 से 2009-10 तक रकबा 12.505 हे. बड़ाझाड का जंगल शासकीय मद में दर्ज है। 2010-2011 से 2011-12 तक खसरा क्रमांक 30 में से 30/1, रकबा 7.056 हे. बड़ाझाड का जंगल शासकीय मद में दर्ज है एवं 30/2 में से रकबा 5.449 हे. रकबा छोटा घास मद में शासकीय दर्ज है। कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल हरदा के पत्र क्रमांक/भू. प्रबंध/366 हरदा दिनांक 09.02.2010 में उल्लेखित राजपत्र अधिसूचना क्र. एफ-5-74-10-03 (11) (12) दि.07.01.91 एवं एफ 5-74-10-03 (16) दिनांक 11.01.1991 से अन्य राज. विधिवत राजस्व विभाग को वन भूमि अंतर्गत कर दी गई है। उपरोक्त आदेश के पालन में वर्णित प्रविष्टि अनुसार भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग छोटा घास मद में तत्कालिन तहसीलदार द्वारा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। खसरा क्रमांक 30/1 ऑनलाइन शासकीय दर्ज है परन्तु त्रुटि होने के कारण ऑनलाइन किसी भी प्रकार का मद दर्ज नहीं है। ग्राम मोरतलाई की संशोधन पंजी क्रमांक 01 आदेश दिनांक 25.02.2010 के

अनुसार त्रुटि संज्ञान में आने के कारण दुरुस्ती की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भूमि वर्तमान में वनविभाग के नियंत्रण में है। खसरा क्रमांक 30/2 वर्तमान में छोटा घास मद में दर्ज है। राजपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' शेष उत्तरांश (क) अनुसार।

खेल मैदान एवं राजस्व भूमि की जानकारी

[राजस्व]

32. (क्र. 346) **कुँवर अभिजीत शाह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनमंडल अधिकारी हरदा (उत्पादन) के पत्र क्रमांक 7793, दिनांक 18/08/2025 में काष्ठागार को नवीन स्थान पर स्थापित किये जाने हेतु लगभग 50 से 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता का लेख है जबकि वर्तमान काष्ठागार केवल 8 एकड़ भूमि पर संचालित है। स्पष्ट है, कि भूमि पर्याप्त नहीं है। क्या पत्र में गलत जानकारी दी गई? यदि नहीं तो इतनी कम भूमि में कैसे संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र में नौसर, बघवाड़, रायबोर, नयागांव धौलपुर की भूमि पर जलभराव, बाढ़ का हिस्सा होने, दूर स्थित होने की जानकारी दी गई है। क्या यह मौके अनुसार सही है? जांच प्रतिवेदन में खसरे के कुल कितने भाग में से कितने भाग पर बारिश, नदी से जलभराव की स्थिति रहती है? जांच दल के आदेश की प्रति, जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त भूमि किसके अधीन है? इस पर वर्तमान में क्या गतिविधियां किसके द्वारा संचालित की जा रही है? यदि जलभराव के कारण फसल खराब हुई है, तो कितना मुआवजा किसे दिया गया? (ग) भूमि के चयन हेतु स्थानीय विधायक को दल में क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं वनमंडलाधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, कि टिमरनी अनुभाग अंतर्गत काष्ठागार हेतु कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (घ) टिमरनी अनुविभाग अंतर्गत 10 एकड़ से अधिक समस्त शासकीय भूमि के खसरा नंबर, ग्राम, भूमि स्वामित्व राजस्व अभिलेख के अनुसार जानकारी उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) वनमंडल अधिकारी हरदा उत्पादन के पत्र क्रमांक 7793 दिनांक 18-08-2025 में काष्ठागार को नवीन स्थान पर स्थापित किये जाने हेतु लगभग 50 से 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता का लेख किया गया है। वर्तमान टिमरनी काष्ठागार 39.13 एकड़ में संचालित है। यदि काष्ठागार अन्यत्र स्थापित किया जाता है तो भविष्य में वनोपज की आवक एवं नवीन कार्यालय भवन नीलाम हाल कर्मचारियों के आवास आदि आवश्यकताओं को देखते हुये लगभग 50-60 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान में संचालित काष्ठागार की भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

1	शासकीय भूमि	15.98 एकड़
2	श्री अरुण कुमार तिवारी	20.00 एकड़
3	राजाबरारी स्टेट	3.05 एकड़
	कुल योग	39.033 एकड़

(ख) जी हाँ। मौके पर निरीक्षण करने के उपरांत पंचनामा तैयार किया गया है जो सही है। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित खसरा नंबरों के रकबे में 50 से 60 प्रतिशत अंश भाग पर जल भराव की स्थिति रहती है। उक्त भूमि चराई मद में दर्ज होकर शासकीय है, जिस पर वर्तमान में अतिक्रमणकारियों का

अतिक्रमण है। जिनका अतिक्रमण हटाये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्राप्त की जाकर कार्यवाही की जा रही है। जलभवराव के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसी को भी मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गयी है। (ग) भूमि चयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टिम्बरनी एवं वन मंडलाधिकारी हरदा द्वारा अनौपचारिक भ्रमण किया गया था। पृथम दृष्ट्या भूमि उपयुक्त न होने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण माननीय विधायक महोदय को दल में शामिल नहीं किया गया। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

चिल्लर बांध की नहरों को प्रेशराइज्ड किया जाना

[जल संसाधन]

33. (क्र. 371) श्री अरूण भीमावद : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र शाजापुर अंतर्गत चिल्लर बांध योजना की नहरों के प्रेशराइज्ड (उच्च दाब सिंचाई) किया जा सकता है अथवा नहीं? (ख) चिल्लर बांध योजना से वर्तमान में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है? यदि प्रेशराइज्ड किया जाता है तो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार प्रश्न दिनांक तक इसके लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) यदि हाँ, तो योजना कब तक स्वीकृत की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी नहीं। (ख) चिल्लर बांध से वर्तमान में 3441 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। योजना को प्रेशराइज्ड करने हेतु आकलन नहीं किया गया है। अतः कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी बताया जाना संभव नहीं है। (ग) चिल्लर बांध योजना की नहरों को प्रेशराइज्ड (उच्च दाब सिंचाई) किये जाने हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र आमला में सिंचाई परियोजनाओं के विशेष सुधार

[जल संसाधन]

34. (क्र. 377) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र आमला में कितनी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा कितने हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचित किया गया है? कृपया जलाशयवार कमाण्ड एरिया बताने का कष्ट करें। (ख) इनमें से कितने जलाशयों में नहरों के क्षतिग्रस्त होने, नहरों की लाइनिंग नहीं होने तथा वेस्टवियर के क्षतिग्रस्त होने के कारण कमाण्ड एरिया के कितने कृषि रकबे को सिंचाई सुविधा नहीं दी जा पा रही है? (ग) आमला विधानसभा के अंतर्गत बुण्डाला तथा जमदेही कला परियोजनाओं के विशेष सुधार हेतु DPR विभाग/शासन के समक्ष कितनी अवधि से लंबित है? इन दोनों ही कार्यों हेतु राशि जारी नहीं किए जाने के क्या कारण रहे हैं? (घ) इन दोनों ही जलाशयों के विशेष मरम्मत कार्य हेतु कब तक राशि स्वीकृत की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जलाशयवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

कलेक्टर द्वारा अन्तरित भूमि

[राजस्व]

35. (क्र. 379) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि कलेक्टर बैतूल द्वारा पत्र क्रमांक 13/भू/1672 दिनांक 12/06/1956 से 683 ग्रामों की 3 लाख 60 हजार 478 एकड़ 3 ग्रामों की 13,285 एकड़ वन विभाग को अन्तरित गैरखाता मद की दखल रहित भूमियों से संबंधित कार्यवाही प्रश्नांकित दिनांक तक भी पूरी नहीं होने के कारण, वनखण्डों के बाहर छोड़ी भूमि का जिले के विकास में उपयोग नहीं हो पा रहा है। **(ख)** पत्र दिनांक 12/06/1956 से किस ग्राम की कितनी भूमि अन्तरित की गई, किस ग्राम की कितनी भूमि संरक्षित वन सर्वे में उपयुक्त पाई या अनुपयुक्त पाई, कितनी भूमि किस पत्र क्रमांक दिनांक से वन विभाग ने अन्तरित या आवंटित की है, कितनी भूमियों की भा.व.अ.1927 की धारा 5 से 19 की जांच लम्बित है। **(ग)** वन विभाग द्वारा अनुपयुक्त पाई गई, वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमियों से संबंधित कौन-कौन सी कार्यवाही किन-किन कारणों से वर्तमान में भी लम्बित बताई जा रही है, लम्बित कार्यवाही पूरी नहीं होने का क्या कारण है। **(घ)** 683 ग्रामों एवं 3 ग्रामों की अन्तरित भूमि बाजिबुल अर्ज, गांव कायदा, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में किस-किस सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजन के लिए किस-किस मद में अभी भी दर्ज है।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : **(क)** जी नहीं, पत्र दिनांक 12.06.1956 के स्थान पर पत्र क्रमांक 13/भू/1672 दिनांक 12.09.1956 द्वारा वन विभाग को प्रबंधन के लिये 1954 से पत्र दिनांक 12.09.1956 तक भूतपूर्व मालगुजारी एवं रैयतवाड़ी गांव के जो वन हस्तांतरित किये गये, उनके खसरा नंबर एवं गांववार सूची जिलाध्यक्ष बैतूल को 686 ग्रामों की भेजी गई थी, जो पृष्ठांकन क्रमांक/13, निस्तार दिनांक 26.09.1956/10.10.1956 से वन मण्डलाधिकारी को प्रेषित की गई। वन मंडल उत्तर,दक्षिण व पश्चिम जिला बैतूल से प्रश्नांश की प्राप्त जानकारी अनुसार उन्हें प्राप्त सूचियों में कुल 321 ग्राम होना पाये गये हैं। **(ख)** पत्र दिनांक 12.06.1956 के स्थान पर पत्र क्रमांक 13/भू/1672 दिनांक 12.09.1956 द्वारा वन विभाग को प्रबंधन के लिये 1954 से पत्र दिनांक 12.09.1956 तक भूतपूर्व मालगुजारी एवं रैयतवाड़ी गांव के जो वन हस्तांतरित किये गये, उनके खसरा नंबर एवं गांववार सूची जिलाध्यक्ष बैतूल को 686 ग्रामों की भेजी गई थी, जो पृष्ठांकन क्रमांक/13, निस्तार दिनांक 26.09.1956/10.10.1956 से वन मण्डलाधिकारी को प्रेषित की गई। वनमंडलाधिकारी वन मण्डल उत्तर,दक्षिण, पश्चिम बैतूल से प्रश्नांश की प्राप्त जानकारी अनुसार उन्हें 686 ग्रामों की पूर्ण सूचियां प्राप्त नहीं होने से प्रश्नांश में उल्लेखित पत्रानुसार जानकारी वन मंडलों द्वारा दिया जाना संभव नहीं हैं। **(ग)** वनमंडल के अंतर्गत म.प्र.शासन के निर्देश दिनांक 14/09/1996 द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों (ऑरेंज क्षेत्र) के सर्वेक्षण एवं सीमांकन उपरांत जो वन क्षेत्र वन विभाग के प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त पाये जाते हैं उन्हें राजस्व विभाग को सौंपे जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 337 वर्ष 1995 में दिनांक 13/11/2000 में पारित आदेश से निर्वनीकरण पर रोक लगाई जाने के कारण निर्वनीकरण कर राजस्व विभाग को सौंपे जाने की कार्यवाही नहीं की गयी है। **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।

सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति

[जल संसाधन]

36. (क्र. 405) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कृषकों की सुविधा हेतु निम्नलिखित सिंचाई योजनाओं की शासन/विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है सिंचाई योजनाएं निम्नानुसार हैं:- दमुआ भीमसेन ढाना घटामाली नदी पर कोहका दमुआ बैराज, झुर्रेमाल शंकरपुर रोड खमडोदा नाला पर जलाशय एवं मंडला पंडापुल नाला जलाशय यदि इन सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी जाती है तो निश्चित ही किसानों को आर्थिक लाभ होगा और फसलों का उत्पादन अधिक होगा और कृषि सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा उपरोक्त सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा विभिन्न औपचारिकताओं व कार्यवाही को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विभिन्न सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सभी सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मान. मुख्यमंत्री महोदय जी को अनुस्मरण पत्र 01 क्र.121 दि. 10.03.2025 व मान. विभागीय मंत्री महोदय जी को अनुस्मरण पत्र 01 क्र.122 दि. 10.03.2025 व प्रमुख सचिव महोदय को अनुस्मरण पत्र 01 क्र.123 दि. 10.03.2025 को अनुस्मरण पत्र प्रेषित किए गये हैं, उन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) छिंदवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र परासिया के अंतर्गत कोहका दमुआ बैराज योजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो कर 260 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। माल शंकरपुर रोड खमडोदा नाला पर जलाशय की डी.पी.आर. विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत प्रति हेक्टेयर लागत रु.08.61 लाख एवं मंडला पंडापुल नाला जलाशय योजना की डी.पी.आर. की प्रति हेक्टेयर लागत रु.07.06 लाख निर्धारित हुई जो विभागीय मापदण्डों से अत्यधिक होने से योजना साध्य नहीं पाई गई। अतः शेष प्रश्नांश लागू नहीं। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "बीस"

आवासीय भूमि के पट्टे का प्रदाय

[राजस्व]

37. (क्र. 455) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व (सरकारी/दखल रहित) जमीन पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (MPLRC), 1959 की धाराओं एवं म.प्र. भू राजस्व संहिता नियम 2020 के अनुसार वर्षों से मकान बनाकर निवासरत व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाता है या नहीं जानकारी दें? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों से प्रश्न दिनांक तक शासन की ओर से पत्र जारी कर प्रस्ताव अथवा आवेदन क्या मंगाये गए हैं या नहीं जानकारी दें? यदि नहीं तो, कब तक मंगाये जावेंगे? (ग) सुवासरा विधानसभा में ऐसी कितनी पंचायतें एवं उनके सम्मिलित ग्राम हैं जिनमें राजस्व (सरकारी/दखल रहित) भूमि पर वर्षों से मकान बनाकर निवासरत व्यक्तियों को आवासीय

भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया गया है पंचायत एवं ग्रामवार जानकारी देवें? (घ) उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को पट्टा प्रदान करने हेतु कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, स्वामित्व योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सुवासरा विधानसभा अंतर्गत सरकारी/दखल रहित भूमि के धारा 247 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। (ग) सुवासरा विधानसभा अंतर्गत 278 ग्रामों में आबादी में निवासरतों को स्वामित्व योजनांतर्गत 70450 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किये गये है। शेष कोई नहीं होने से जानकारी निरंक। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

भूमि स्वामियों द्वारा विक्रय की गई भूमि का बटांकन

[राजस्व]

38. (क्र. 462) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड के वार्ड नंबर-35, स्वतंत्र नगर नगर पालिका सीमा के अंदर सी.एल.आर. नं.-11092110245 जो राजस्व निरीक्षक मंडल भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड में स्थित है जिसका आरजी नं.-2835, कुल रकबा 0.5640 हेक्टेयर है, जिसमें से भू-स्वामियों ने 0.16 विश्वा कृषि भूमि दिनांक 01 फरवरी, 2024 एवं 6 जून, 2024 को विक्रय की थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांकित भूमि से संबंधित विक्रेतागणों ने तहसील न्यायालय भिण्ड (म.प्र.) में बटांकन एवं सीमांकन हेतु 0.07 विश्वा कृषि भूमि प्रकरण क्रमांक 0177/अ27/2025-2026 एवं 0.09 विश्वा कृषि भूमि प्रकरण क्रमांक 0178/अ27/2025-2026 कुल 16 विश्वा कृषि भूमि का आवेदन/प्रकरण दर्ज कराया था तथा क्या इस संबंध में एस.डी.एम., भिण्ड को भी दिनांक 22.05.2026 को आवेदन दिया गया था? (ग) म.प्र. शासन के नियम अंतर्गत बटांकन व सीमांकन की कार्यवाही आवेदन प्राप्ति से कितने समय में की जाना निर्धारित है? क्या कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रश्नांकित प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा में क्या-क्या कार्यवाही की है। यदि कार्यवाही समय-सीमा में नहीं की गई तो घोर लापरवाही के दोषियों के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (घ) क्या प्रश्नांकित कृषि भूमि के बटांकन व सीमांकन के बगैर भी भू-स्वामी की कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, जी हाँ। (ग) म.प्र. शासन के नियम अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। प्रश्नांकित प्रकरण समय-सीमा में निराकृत हो चुका है। (घ) बटांकन व सीमांकन के बाद ही अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया जाता है। सीमांकन हेतु कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।

आदीवासी के मकान विक्रय के नियम की जानकारी

[राजस्व]

39. (क्र. 479) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यदि कोई आदिवासी व्यक्ति किसी डायवर्टेड भूमि पर निर्मित अपने मकान को यदि किसी समान्य व्यक्ति (गैर आदिवासी) को विक्रय करता है, तो क्या इसके लिये किसी अनुमति की

आवश्यकता होती हैं यदि हाँ, तो यह अनुमति किस नियम व धारा के तहत प्रदान की जावेगी और इसके लिये समक्ष अधिकारी कौन होगा बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि न में है तो क्या कोई आदिवासी व्यक्ति डायवर्टेड भूमि पर निर्मित अपने मकान को सामान्य क्रय-विक्रय की प्रक्रिया के तहत विक्रय कर सकता है।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (संशोधित नियम 2018) के अनुसार कोई आदिवासी व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति (गैर आदिवासी) को भूमि विक्रय करता है तो विक्रय की अनुमति कलेक्टर की श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा दी जाने का प्रावधान है। (ख) प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

कोपरा एवं मिडवासा सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन

[जल संसाधन]

40. (क्र. 515) श्री गोपाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सागर में मध्यम सिंचाई परियोजना कोपरा की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यदि नहीं तो इस संबंध में वन एवं पर्यावरण विभाग से किये गये नवीन पत्राचार की प्रति सुलभ कराई जाए। साथ ही मध्यम सिंचाई परियोजना मिडवासा की समस्त औपचारिकता पूर्ण होने के उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारंभ न होने का क्या कारण है? (ख) मध्यम सिंचाई परियोजना कोपरा के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में अत्याधिक विलंब होने का क्या कारण है तथा इस कार्य के लिए पर्यवेक्षणीय दायित्व कितना है पदनाम सहित जानकारी दी जावे? (ग) मध्यम सिंचाई परियोजना मिडवासा का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा तथा नहर निर्माण सहित कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या है। इस योजना की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये? (घ) वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा भारत शासन के कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रेषित प्रस्ताव के विवरण की प्रति उपलब्ध कराई जावे?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी नहीं। वन एवं पर्यावरण विभाग से किये गये नवीन पत्राचार की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार है। मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न लागू नहीं होता है। (ख) कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु 05 बार निविदा आमंत्रण के बावजूद निविदाकार के भाग नहीं लेने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब हो रहा है। विभाग द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं। अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का पर्यवेक्षणीय दायित्व नहीं है। (ग) मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 17.04.2026 को राशि रु.286.26 करोड़ की 7200 हेक्टेयर सिंचाई की प्राप्त है। निविदा आमंत्रण कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा भारत शासन के कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये प्रेषित प्रस्ताव की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" अनुसार है।

उद्योग विभाग को किसानों की भूमि का आवंटन

[राजस्व]

41. (क्र. 521) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील बदनावर जिला धार अंतर्गत ग्राम भेसोला में पी.एम. मित्र मेगा पार्क हेतु 2158 एकड़ भूमि अधिग्रहण के पश्चात भी ग्राम चिराखान एवं निंदवानीया में गरीब आदिवासी एवं लघु किसानों की कृषि भूमि को विभिन्न प्रक्रियागत पैसा नियमों की अनदेखी करते हुए अनावश्यक रूप से उद्योग विभाग को आवंटित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रभावित किसानों की संख्या, अधिग्रहित भूमि का रकबा क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में, क्या भूमि अधिग्रहण से पूर्व किसानों की सहमति, सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) तथा जनसुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी? यदि हाँ, तो कृपया जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में, प्रभावित गरीब आदिवासी किसानों को पुनर्वास एवं आजीविका के दृष्टिगत क्या पुनः उसी भूमि पर काबिज किया जाएगा अथवा क्षेत्र में अन्य भूमि आवंटित की जावेगी? यदि हाँ, तो कृपया अवगत करावे। नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के सन्दर्भ में, क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि गरीब आदिवासी किसानों पर दबाव बनाकर अथवा पैसा नियमों की अवहेलना कर भूमि उद्योग कंपनी को हस्तांतरित की गई? यदि हाँ, तो कृपया जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) ग्राम चिराखान की शासकीय भूमि औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग, म.प्र. भोपाल के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं की गई है। ग्राम निंदवानीया किसी भी योजना में शामिल नहीं है। बदनावर ब्लॉक पैसा अधिनियम 1996 के अधिन अधिसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के संदर्भ में जानकारी निरंक है।

निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान कर राशि जारी की जाना

[जल संसाधन]

42. (क्र. 531) श्री अभय मिश्रा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 883 उत्तर दिनांक 26.02.2026 के उत्तरांश (क) में प्राप्त आवंटन के अनुसार बांध एवं नहरों का संधारण कार्य कराया जाना प्रतिवेदित है। शेष प्रश्नांश लागू नहीं है। (ख) जी हाँ, नहर के लाइनिंग का प्रस्ताव परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है का उत्तर दिया गया। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो नहरों के संधारण एवं लाइनिंग के कार्य बाबत स्वीकृति प्रदान कर राशि कब तक जारी की जावेगी। प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्र. 3341 दिनांक 02.06.2026 द्वारा मुख्य सचिव को दिये गये पत्र पर कार्यवाही बाबत माननीय मंत्री जी द्वारा कार्यालय पत्र क्र.3626 द्वारा प्रमुख अभियंता जल संसाधन भोपाल द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिये गये निर्देश के पालन में की गई कार्यवाही की प्रति देते हुये जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही कर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा? अगर नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जरमोहरा बांध के दायी तट नहर एवं बायी तट नहर में लाइनिंग कार्य का प्राक्कलन, ई.आर.एम. मद में रु.786.00 लाख का तैयार किया गया है तथा वर्तमान में तकनीकी परीक्षणाधीन है। ई.आर.एम. मद में स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराए जाने का प्रस्ताव है। अतः निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

माननीय सदस्य का पत्र क्रमांक 3341 दिनांक 02.06.2026 एवं पत्र क्रमांक 3626 प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। (ग) प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिविल अस्पताल का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

43. (क्र. 573) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किया गया था? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन निर्माण के लिये कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है? कारण बतायें। सिविल अस्पताल भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जावेगा समय-सीमा बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में सिविल अस्पताल भवन निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक प्रारम्भ नहीं कराया गया? उसके लिये कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल मझौली में उन्नयन/निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1134.86 लाख फर्नीचर कार्य हेतु राशि रुपये 8.14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। भवन निर्माण एवं उपकरण फर्नीचर सहित कुल राशि रुपये 1143.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। (ग) जी हाँ, आवश्यक स्थल अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निर्माण पुराने अस्पताल भवन को तोड़कर किया जाना है जिसको तोड़ने की अनुमति आयुक्त रीवा के समक्ष विचाराधीन है। अनुमति प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार।

चिकित्सकों के पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

44. (क्र. 581) श्री फूलसिंह बरैया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./1-जी/विज्ञप्त/सेल-6/2023/233 दिनांक 07.03.2023 के द्वारा "मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2022" के प्रावधान अनुसार वरिष्ठ संयुक्त संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन के पदों की पूर्ति विशेषज्ञ पद पर पदस्थ व्यक्तियों के चयन से किये जाने की सूचना जारी की गयी थी। यदि हाँ, तो उक्त प्रक्रिया के तहत कितने चिकित्सकों की। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प पत्रों के आधार पर किस समिति द्वारा किस आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदोन्नति/पदस्थापना/चयन वरिष्ठ संयुक्त संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं

सिविल सर्जन के पद पर किया गया। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम, पद एवं पदस्थापना स्थान की जानकारी सहित उक्त प्रक्रिया की सम्पूर्ण कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण नस्ती उपलब्ध करायें। (ग) क्या उक्त प्रक्रिया के तहत कुछ पात्र एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ संवर्ग के चिकित्सक पदोन्नति/पदस्थापना/चयन के लाभ से वंचित रह गये हैं, तो संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक के नाम, पदनाम एवं पदस्थापना स्थल की जानकारी देते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायतों अथवा आवेदनों की प्रति उपलब्ध करावें। उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी, की गयी कार्यवाही की नस्ती उपलब्ध करायी जावे। (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में पदोन्नति/पदस्थापना/चयन की उक्त प्रक्रिया में वंचित वरिष्ठ एवं पात्र विशेषज्ञ चिकित्सकों को क्या शासन द्वारा संयुक्त संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन पर पदोन्नति अथवा पदस्थापना का लाभ दिया जावेगा। यदि हाँ, तो अवधि बतायें एवं यदि नहीं तो शासकीय नियमावली के परिप्रेक्ष्य में कारण स्पष्ट किया जावे।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। विशेषज्ञ संवर्ग से वरिष्ठ संयुक्त संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रिक्त 18 पदों एवं विशेषज्ञ संवर्ग से सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के 52 रिक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया संपादित की गई। (ख) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2022 के प्रावधान अनुसार विशेषज्ञ संवर्ग से वरिष्ठ संयुक्त संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पदों पर चयन हेतु विभाग द्वारा संपादित चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शासन के ध्यान में ऐसे कोई तथ्य नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

45. (क्र. 591) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 177/24 के अनुसार माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलेरा, बल्देवगढ़ में 10-10 करोड़ की लागत से भवन निर्माण किये का कार्य वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या विगत विधानसभा सत्र के दौरान में प्रश्नकर्ता द्वारा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 880 दिनांक 04/12/2025 के उत्तर में बताया गया था, कि 2026 में कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा परंतु अभी तक कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया गया जानकारी स्पष्ट करें। (ग) क्या टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और राशि का आवंटन भी प्राप्त हो गया फिर निर्माण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलेरा एवं बल्देवगढ़ का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है जानकारी स्पष्ट करें कि दोनों स्थानों के भवनों के कार्य कब तक जनहित में करा दिया जावेगा।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलेरा एवं बल्देवगढ़ में राशि रु. 9.95 करोड़ लागत प्रत्येक भवन के मान से 15वें वित्त

आयोग योजनांतर्गत स्वीकृत किए गए थे, परंतु वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक तक उक्त योजनांतर्गत भारत सरकार से समुचित राशि प्राप्त न होने एवं योजनावधि मार्च-2026 में समाप्त हो जाने के कारण कार्य नहीं किया जा रहा है। (ख) जी नहीं, पूर्व में दिए गए विभागीय उत्तर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (क) के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

न्यायालय द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों का उल्लंघन

[स्कूल शिक्षा]

46. (क्र. 616) श्री महेश परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने WP 24867/2024 में तत्कालीन प्रमुख सचिव (GAD) द्वारा गंभीर आरोप पत्र को 'कारण बताओ नोटिस' में बदलने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे "कानून के साथ धोखाधड़ी" व अनुच्छेद 141 का उल्लंघन माना है? यदि हाँ, तो इस विधिक कदाचार पर दोषी अधिकारी पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई? कि गई कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करावें। (ख) क्या अशोक चौहान मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना पर विधि विभाग ने प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता व त्रुटियां रोकने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को कोई बाध्यकारी गाइड-लाइन या परिपत्र (Circular) जारी किया है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 11527/2014 (रफ़ीक मसीह) SLP (C) 16848/2021 एवं SLP (C) 29852/2009 में जारी न्यायिक निर्देशों के परिपालन में म.प्र. के विभागों द्वारा कोई पालन प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं? विभागवार सिद्धांतों का प्रमाणित विवरण समस्त अभिलेखों सहित दें। (घ) क्या उक्त प्रकरणों पर महाधिवक्ता (AG) कार्यालय की विधिक सलाह पर जारी परिपत्रों, विभागीय कार्यवाहियों, नोटशीट की प्रतियाँ तथा सजगता प्रतिवेदनों का संपूर्ण अभिलेखीय विवरण उपलब्ध करावें। (ङ.) विगत 3 वर्षों में विभागीय जांचों व शास्ति (Penalty) निर्धारण हेतु प्राप्त संदर्भों में से कितने स्वीकृत, लंबित या विधिक सम्मति के विपरीत निराकृत हुए? क्या शासन अदालतों की नाराजगी व "कानून के साथ धोखाधड़ी" रोकने हेतु कोई बाध्यकारी विधिक संवीक्षा (Legal Scrutiny) प्रणाली लागू करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) डब्ल्यू.पी. 24867/24 जो माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2024 द्वारा प्रकरण को जगदीश प्रसाद दुबे (सुप्रा) के प्रकाश में निर्णीत करते हुये याचिकाकर्ता के संदर्भ में वसूली आदेश दिनांक 15.03.2024 को अपास्त करते हुये 6 प्रतिशत के ब्याज के साथ 45 दिवस की अवधि में रिकवरी लौटाने के निर्देश दिये गये हैं। श्री जगदीश प्रसाद सुप्रा के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस.एस.ल.पी क्रमांक- 2030/2025 दायर की गई है, जो वर्तमान में प्रचलन में है। प्रश्नांश अनुसार विधिक कदाचार के संबंध में किन्हीं अधिकारी को दोषी नहीं बताया गया है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश अनुसार याचिका क्रमांक इत्यादि विवरण उपलब्ध न होने से ऐसा कोई प्रकरण कार्यालय के संज्ञान में नहीं है। (ग) सिविल अपील-11527/2014 के क्रम में म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2016 द्वारा प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निर्देश

जारी किये गये हैं। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश (क) (ख) एवं (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

47. (क्र. 628) श्री केशव देसाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ रिट याचिका क्रमांक 26064/2023 में दिये गये निर्णयानुसार संविदा कर्मचारियों के हित में जारी किये गये निर्देश/निर्णय के अनुसार संविदा कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे ग्रेड पे-2400 को कम न किया जाये उक्त न्यायालयीन निर्णय/आदेश/निर्देश का पालन करने के लिए शासन द्वारा समस्त विभागों को निर्देश/आदेश जारी किये गये हैं यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में किन-किन विभागों द्वारा संविदा कर्मचारियों को पूर्व में दिया गया ग्रेड-पे कम किया गया है? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 नीति की कंडिका 1.15 के अनुसार किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व में प्रदत्त की जा रही हो वह यथावत रख सकेगी के तारतम्य में प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को दिनांक 05 जून 2018 नीति के पूर्व ग्रेड-पे के साथ डी.ए. का लाभ मिल रहा है तो क्या वह सुविधा यथावत रहेगी? (घ)

सामान्य प्रशासन मध्यप्रदेश शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों को संविदा नीति 2023 में वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ मूल्यांक महंगाई भत्तों के स्थान पर संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान कार्य एवं समान वेतन के आधार पर समस्त सुविधाएं दिये जाने हेतु निर्देश/आदेश कब तक जारी करेगा? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। म. प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पत्र दिनांक 16.06.2026 द्वारा याचिका क्रमांक 26064/2023 श्री आलोक संत एवं अन्य विरुद्ध म. प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 28.04.2026 के विरुद्ध रिट अपील माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की गयी है। (ख) राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत (समग्र शिक्षा अभियान) में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"1" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट- "2" अनुसार है। (घ) संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान कार्य एवं समान वेतन के आधार पर समस्त सुविधाएं दिये जाने हेतु राज्य शासन की कोई योजना नहीं, है। अतः इस संबंध में आदेश/निर्देश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बाईस"

आदिवासी किसानों के भूमि अभिलेखों में विसंगतियां

[राजस्व]

48. (क्र. 664) श्री मोंटू सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के संज्ञान में है कि ग्राम दगड़खेड़ी के आदिवासी किसान वर्षों से भूमि अभिलेखों, बी-1, खसरा, नक्शों एवं राजस्व रिकॉर्ड गुम होने संबंधी शिकायतें कर रहे हैं? क्या ग्राम सभा धुलकोट

द्वारा 15.06.2026 को पेसा नियम, 2022 के नियम 17 (2) के अंतर्गत भूमि अभिलेख सुधार हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है? (ख) क्या अनेक आदिवासी परिवार 3 से 5 पीढ़ियों से लगभग 100 वर्षों से भूमि पर काबिज एवं खेती कर रहे हैं तथा उनके पास पावती, ऋण एवं कृषि अभिलेख उपलब्ध हैं, किन्तु वर्तमान रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हैं अथवा त्रुटिपूर्ण हैं? प्रभावित किसानों की संख्या, रकबा एवं जांच स्थिति क्या है? (ग) भूमि अभिलेखों के रिकॉर्ड किस स्तर पर गुम हुए, इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या प्रस्तावित है? (घ) वर्ष 2022 से प्राप्त शिकायतों की संख्या, उन पर की गई कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों का विवरण क्या है? (ङ.) क्या शासन ग्राम सभा धुलकोट के प्रस्तावानुसार भूमि अभिलेखों का पुनः सत्यापन, रिकॉर्ड सुधार, स्वतंत्र जांच तथा जांच पूर्ण होने तक भूमि के हस्तांतरण, आवंटन, अधिग्रहण अथवा परियोजना उपयोग पर रोक लगाने का विचार रखता है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताई जाए।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) दगड़खेड़ी फालिया ग्राम धुलकोट के आदिवासी किसानों द्वारा भूमि अभिलेखों, बी-1, खसरा नक्शों एवं राजस्व रिकार्ड गुम होने संबंधी जापन पत्र दिनांक 07.06.2026 को तहसील कार्यालय भगवानपुरा में प्रस्तुत किया गया है। ग्राम सभा धुलकोट द्वारा म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियम 2022 के नियम 17 (2) अनुसार ग्राम धुलकोट स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 318/2 में काबिज कृषकों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। (ख) दगड़खेड़ी के आदिवासी परिवार वर्तमान में ग्राम धुलकोट की राजस्व अभिलेख अनुसार शासकीय भूमि खसरा नंबर 318/2 पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। उक्त खसरा नंबर मिसल बंदोबस्त से ही राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज होना पाया गया। कृषकों द्वारा दर्शाई गई पावती में खसरा नंबर 318/2 का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त शासकीय भूमि खसरा नंबर 318/2 रकबा 229.058 हे. पर लगभग 250 कृषक काबिज होकर लगभग 180 हे. पर कृषि कार्य कर रहे हैं जिसके संबंध में गठित दल द्वारा जांच की जा रही है। (ग) ग्राम धुलकोट पहन 06 का राजस्व अभिलेख मिसल बंदोबस्त वर्ष 1925-26, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 एवं खसरा पाचसाला एवं वेब जीआईएस पोर्टल पर आनलाईन अभिलेख वर्ष 2010-11 से वर्तमान तक उपलब्ध है। राजस्व अभिलेख गुम होना नहीं पाया गया। शेष कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (घ) संबंधित किसानों द्वारा दगड़खेड़ी फालिया ग्राम धुलकोट के राजस्व अभिलेख गुम होने संबंधी जापन पत्र दिनांक 07.06.2026 को प्रस्तुत किया गया है, इसके पहले रिकॉर्ड गुम होने संबंधी शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है। (ङ.) वर्तमान में ग्राम धुलकोट का शासकीय भूमि खसरा नंबर 318/2 रकबा 229.058 हे. पर काबिज कृषकों की जांच गठित दल द्वारा की जा रही है। उक्त भूमि के हस्तांतरण, आवंटन, अधिग्रहण अथवा अन्य किसी परियोजना के उपयोग हेतु प्रक्रिया/प्रस्ताव प्रचलित नहीं है।

शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

49. (क्र. 696) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 112

वारासिवनी-खैरलांजी में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी, शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपायली एवं शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी में कौन-कौन से चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत है? और उसके विरुद्ध कितने पदों की पूर्ति हो चुकी है? सूचीबद्ध जानकारी उपलब्ध करावें? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन स्तर पर क्या कार्रवाई प्रचलित है?

(ख) शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में कौन-कौन से चिकित्सा विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है? उसके विरुद्ध कितनी नियुक्ति की गई है? सूची प्रदान करें? (ग) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 अंतर्गत संचालित शासकीय चिकित्सालय में क्या एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन के पर्याप्त खुराक सभी समय उपलब्ध रहती है? यदि नहीं तो इसकी प्रतिपूर्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है? वर्तमान में शासकीय अस्पतालों में वेनम एवं वैक्सीन की उपलब्धता की मात्रा की जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। विभाग द्वारा पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निरंतर सीधी भर्ती हेतु मांगपत्र प्रेषित किया जाता है एवं चयन उपरांत पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है जिस हेतु विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं बंधपत्र चिकित्सकों के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। "पदपूर्ति" एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।

अमानक दवाई सप्लाई करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

50. (क्र. 742) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2026 की शुरुआत से फरवरी माह तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई जीवनरक्षक एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं सहित कुल 10 तरह की दवाएं जांच में अमानक पाई गई हैं? यदि हाँ, तो इन दवाओं और इन्हें निर्माण करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है? (ख) क्या अमानक पाई गई दवाओं में से अधिकांश गंभीर संक्रमण से जान बचाने वाली जीवनरक्षक एंटीबायोटिक्स (जैसे मीरोपीनम इंजेक्शन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमिकैसिन और सिफिक्सिम) थी, जिनमें बेअसर होने से मरीजों की जान को गंभीर खतरा पैदा हुआ? यदि हाँ, तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों द्वारा जांच रिपोर्ट आने से पहले ही ये दवाएं कितने मरीजों को वितरित या उपयोग की जा चुकी थी? (ग) म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन द्वारा सर्टिफाइड कंपनियों से दवा खरीदने और तीन स्तरीय जांच व्यवस्था (सप्लाई से पहले और और बाद में रैंडम सैंपलिंग) के दवों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में नकली/अमानक दवाएं अस्पतालों तक कैसे पहुंच गई? इस चूक के लिए कॉर्पोरेशन के कौन से अधिकारी व जांच प्रयोगशालाएं जिम्मेदार हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? (घ) क्या इन दोषी कंपनियों के केवल संबंधित बैच को एक-दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, लेकिन बार-बार अमानक दवाएं सप्लाई करने के बावजूद किसी भी कंपनी के खिलाफ अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। यदि हाँ, तो इतनी गंभीर लापरवाही पर

आपराधिक मामला दर्ज न कराने के क्या कारण हैं और सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कब तक कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, वर्ष 2026 की शुरुआत से फरवरी माह तक प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई औषधियों में से शासकीय प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण उपरांत केवल एक औषधि को अमानक (Not of Standard Quality) घोषित किया गया है कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार।** (ख) जी नहीं, प्रश्नांश (क) अनुसार, अमानक घोषित औषधि जीवनरक्षक एंटीबायोटिक्स नहीं हैं, जिस हेतु शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन द्वारा औषधियों के दर अनुबंध (Rate Contract) निष्पादित किए जाते हैं। औषधियों का उपार्जन एवं गुणवत्ता नियंत्रण औषधि उपार्जन मार्गदर्शिका के प्रावधानों अनुसार किया जाता है। औषधि उपार्जन मार्गदर्शिका कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।** औषधि उपार्जन मार्गदर्शिका का पूर्णतः पालन किया गया। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) औषधियों के अमानक घोषित बैचों अथवा दोषी कंपनियों के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही निविदा की शर्तों के अनुसार की जाती है, निविदा शर्त कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार।** शेष वैद्यनिक कार्यवाही संबंधित फर्म के विरुद्ध संबंधित राज्यों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रण विभाग द्वारा ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार की जाती है।

स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

[स्कूल शिक्षा]

51. (क्र. 773) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विकासखंड के कितने विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल नहीं है। (ख) चौरई विकासखंड के कितने विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है या खराब स्थिति में है? (ग) कितने विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं है या विद्युत व्यवस्था बंद है? (घ) चौरई विकासखंड के विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त कक्ष उपलब्ध हैं या नहीं? (ङ.) यदि नहीं तो उपरोक्त सभी सुविधाएँ विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराने में शासन की क्या योजनाएँ हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) प्रश्नाधीन विकासखण्ड अंतर्गत 67 शासकीय प्राथमिक एवं 20 माध्यमिक शालाओं में बाउंड्रीवॉल नहीं है एवं शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन विकासखण्ड अंतर्गत समस्त शासकीय विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से उपलब्ध है। (ग) प्रश्नाधीन विकासखण्ड अंतर्गत 04 शासकीय प्राथमिक एवं 01 माध्यमिक शालाओं में से 02 शालाओं में विद्युत कनेक्शन स्वीकृत हो गए हैं एवं समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बिजली/विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। (घ) प्रश्नाधीन विकासखण्ड अंतर्गत समस्त शासकीय विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त कक्ष उपलब्ध है, केवल शासकीय उमावि बांकानागनपुर में विद्यार्थी नामांकन के आधार पर अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है। (ङ.) विद्यार्थी नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उपलब्ध बजट अनुसार आवश्यक अधोसंरचना निर्माण किया जाता है। आवश्यक अधोसंरचना निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा

सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश है। कार्यों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तेईस"

पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

52. (क्र. 781) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की विभिन्न शासकीय भर्तियों, विशेष रूप से याचिका क्रमांक WP/18105/2021, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती-2018, माध्यमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित याचिका क्रमांक WP/25558/2021 तथा अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां किस विधिक एवं प्रशासनिक आधार पर लंबित रखी गई हैं? (ख) यह राज्य शासन द्वारा पूर्व में पटवारी, उपयंत्री (Sub Engineer) तथा पंचायत विभाग की विभिन्न भर्तियों में यह तर्क स्वीकार किया गया था कि संबंधित भर्तियाँ न्यायालयीन अंतरिम आदेशों से पूर्व विज्ञापित एवं प्रक्रियाधीन थी? अतः उन्हें अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन पूर्ण किया जा सकता है? यदि हाँ, तो समान परिस्थितियों में शिक्षक भर्ती-2018 एवं अन्य में उक्त सिद्धांत लागू क्यों नहीं किया गया? (ग) वर्षों से भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने के कारण हजारों चयनित अभ्यर्थियों को आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा न्यायालयों में कितनी बार पैरवी कराई? इस पर कितना व्यय हुआ तथा अंतिम सुनवाई एवं शीघ्र निराकरण के लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाए? (घ) क्या शासन लंबित भर्तियों को न्यायालयीन प्रकरणों के अंतिम परिणाम के अधीन रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो कारण?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण क्र.डब्ल्यू.पी. 3757/2020 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13.07.2021 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. एफ-07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 09.05.2023 अनुसार कार्यवाही की गई है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार। (ग) विभागीय न्यायालयीन प्रकरणों में पैरवी शासकीय अधिवक्ता करते हैं अतः व्यय का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

कनेरादेव जलाशय सिंचाई परियोजना के रिसाव रोकने की कार्यवाही

[जल संसाधन]

53. (क्र. 807) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2854 दिनांक 06.08.2025 के उत्तरांश में बताया गया था कि, कनेरादेव सिंचाई परियोजना के जलाशय में वर्षा ऋतु में जितना जल संग्रहित होता है, वह रिसाव के कारण समाप्त हो जाता है, तो क्या रिसाव को रोकने हेतु शासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब और कौन-कौन से कार्य कराये गए तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई? पूर्ण विवरण दें। (ख) उक्त प्रश्नांश के उत्तर में यह भी अवगत कराया

गया था कि, जलाशय के रिसाव को रोकने एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव विभागीय स्तर पर परीक्षणाधीन है। उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या रिसाव की समस्या का स्थायी समाधान हो गया है तथा परियोजना का पूर्ण सिंचाई लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं तो परियोजना को पूर्णतः उपयोगी बनाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है एवं इसके क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ, रिसाव की भू-तकनीकी जांच हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, विभाग भारत सरकार, से समझौता किया गया की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है एवं इस हेतु दिये गये सुझावों के अनुसार अनुसंधान कार्यों के निष्पादन पर वर्ष 2023 में राशि रु.1.95 लाख एवं वर्ष 2025 में राशि रु.1.33 लाख का व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) कनेरादेव जलाशय के रिसाव रोकने सुधार कार्य हेतु दिनांक 12.06.2026 द्वारा राशि रु.55.81 लाख की विशेष मरम्मत की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिसाव की समस्या का स्थायी समाधान कार्य पूर्ण होने के उपरांत संभव है। वर्तमान में निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पंच व्यपवर्तन परियोजना से सिंचाई हेतु पानी का प्रदाय

[जल संसाधन]

54. (क्र. 810) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंच परियोजना की दांयी तट नहर में किसानों को अंतिम छोर (टेल एंड) तक पानी प्रदान किया जा रहा है? (ख) यदि नहीं तो कब तक अंतिम छोर तक पानी प्रदान कर दिया जावेगा। (ग) क्या दांयी तट नहर में लाइनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है यदि नहीं तो कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) दांयी तट नहर में भांडखापा ग्राम के पास मुख्य नहर के अंदर पाइप डाल लिए गए हैं क्या शासन उन्हें निकालने हेतु ठोस कार्यवाही करेगा ताकि सही समय में पानी आगे बढ़ सकें? (ङ.) 4 नंबर सब माइनर नहर मुआरी गाँव के पास कार्य की क्या स्थिति है? नहर का कार्य अपूर्ण है तो किस कारण से कार्य रुका हुआ है? (च) ग्राम मुआरी और मरकाहांडी के किसानों को कब तक पानी मिल जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी नहीं। (ख) नहर का निर्माण कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। नवम्बर 2027 तक रबी सिंचाई में परियोजना के अंतिम छोर तक पानी प्रदान किया जाना लक्षित है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुसार। (घ) टेल वितरक नहर में ग्राम भांडखापा में अनधिकृत रूप से डाले गये पाइप को संयुक्त रूप से प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर निकालने की कार्यवाही रबी सिंचाई के पूर्व कराया जाना लक्षित है। (ङ.) नं.-4 की सब माइनर मुआरी और मरकाहांडी के बीच एल (1) में 1.50 कि.मी. लंबाई में नहर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 230 मीटर लंबाई का कार्य अक्टूबर 2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। (च) आगामी रबी सिंचाई में जल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को सम्मान निधि का प्रदाय

[राजस्व]

55. (क्र. 813) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में कितने किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है और कितने किसानों को किसान कल्याण निधि मिलती है? (ख) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के कितने किसान, किसान सम्मान निधि एवं किसान कल्याण निधि से वंचित हैं? (ग) वंचित पात्र किसानों को कब तक किसान सम्मान निधि एवं किसान कल्याण निधि देना प्रारंभ किया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में 62645 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। (ख) पात्र हितग्राहियों द्वारा योजना हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने पर लाभ प्रदान किया जाता है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दोषी संविदा चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

56. (क्र. 820) श्री शिवनारायण सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के जैतहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थ संविदा डॉ. स्वयांशु दास के विरुद्ध क्षेत्र के कौन-कौन जनप्रतिनिधियों ने उनके कदाचरण व श्रमिकों से इलाज कराने की शिकायत कलेक्टर व अन्य विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुयी है? यदि हाँ, तो उत्तर दिनांक तक जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही से अवगत कराएं? (ख) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के लिखित आदेश पर बी.एम.ओ. जैतहरी ने आकस्मिक जांच व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन व समस्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए दोषी संविदा डॉ. के विरुद्ध उत्तर दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या प्रश्नांश कथित डॉ. ने अपने निजी अपात्र कर्मचारियों से इलाज करने की पुष्टि व साक्ष्य प्रमाणित हुआ है? यदि हाँ, तो अवकाश अवधि तथा तथा मुख्यालय से बाहर रहने पर शासकीय आवास में कई मरीजों को भर्ती कर आदिवासी क्षेत्र में गंभीर कदाचरण व अपराध प्रमाणित होने पर सेवामुक्त करते हुए अपराध पंजीबद्ध कराया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या अनूपपुर क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री ने प्रश्नांश (क) एवं (ग) के कदाचरण व अपराध पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष के पत्र सहित तत्परता पूर्वक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव एवं आयुक्त लोक स्वास्थ्य को पत्र लिखे है? यदि हाँ, तो पत्र व सहपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए उत्तर दिनांक तक कार्यवाही से अवगत कराएं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) अनूपपुर जिले के जैतहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थ संविदा डॉ. स्वयांशु दास के विरुद्ध श्री कैलाश सिंह मरावी जिला महामंत्री जैतहरी एवं श्री भूपेन्द्र सिंह सभापति जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं। जो जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अनूपपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई जांच एवं जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र

"ब" अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। श्री बिसाहूलाल सिंह विधायक पूर्व मंत्री के द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं। जो जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। चूंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अनूपपुर द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.07.2026 के अनुसार डॉ.स्वयांशु दास के विरुद्ध आरोपित आरोप सिद्ध होना नहीं पाया गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फर्जी पट्टा ग्रहिता पर पंजीबद्ध अपराध

[राजस्व]

57. (क्र. 821) श्री शिवनारायण सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अन्तर्गत तहसील जैतहरी के ग्राम चांदपुर में खसरा नं. 1294/1 रकवा 0.809 एवं 1303/1 रकवा 1.212 हे. भूमि का जालसाजी पूर्वक पट्टा बनवाने की जांच कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी ने पत्र क्र.387/शिकायत/2025 दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत करते हुए फर्जी पट्टा बनवाने की पुष्टि कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन के समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) क्या विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.1098 दिनांक 19.02.2024 तथा आश्वासन पर कलेक्टर ने जांच करायी है? यदि हाँ, तो छल-कपट तथा जालसाजी के स्पष्ट प्रमाण पर शासकीय भूमि हड़पने तथा बैंक से सहायता प्राप्त करने जैसे गंभीर अपराध पर कब तक प्रशासन अपराध पंजीबद्ध कराते हुए भू-अधिकार पट्टा निरस्त किया जाएगा? (ग) क्या प्रतिमा सिंह पिता मनमोहन सिंह द्वारा विवाह उपरांत पति का नाम दर्ज न कराकर साजिश पूर्वक भूमिहीन बनकर पट्टा प्राप्त किया तथा स्टेट बैंक जैतहरी से ऋण अनुदान की शासकीय राशि का दुरुपयोग प्रमाणित होने के उपरांत भी अनावश्यक रूप से अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण भेजकर आरोपी जालसाज को खुला संरक्षण देना उचित है? (घ) क्या प्रतिमा सिंह के पति भूपेन्द्र सिंह जिला पंचायत के सभापति के प्रभाव व दबाव वर्षों बीत जाने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, बंटन/व्यवस्थापन पट्टे से संबंधित प्रकरण अप्राप्त होने से अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी से दोबारा जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। कार्यवाही प्रचलित होने से शेष जानकारी निरंक है। (ग) कार्यवाही प्रचलित होने के कारण प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

चिकित्सकों की कमी एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

58. (क्र. 844) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र बदनावर (जिला धार) अंतर्गत संचालित शासकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी के कारण आमजन को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं? यदि हाँ, तो क्षेत्र में संचालित समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या एवं नामवार जानकारी

प्रदान करें। (ख) क्या उक्त स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सक पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो संस्थानवार पदस्थ चिकित्सकों के नाम एवं पदनाम की जानकारी दें। यदि नहीं, तो रिक्त पदों का विवरण प्रदान करें। (ग) क्या शासकीय चिकित्सालय बदनावर (जिला धार) में विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो विशेषज्ञता अनुसार जानकारी प्रदान करें। यदि नहीं, तो विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण दें। (घ) क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति/पदस्थापना कब तक की जाएगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं है। रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

अभिलेख दुरुस्ती एवं प्रकरणों के निराकरण

[राजस्व]

59. (क्र. 845) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 115 के अंतर्गत भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार से संबंधित 5 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों का निराकरण वर्तमान में केवल कलेक्टर स्तर पर किया जाता है? यदि हाँ, अवगत करावे। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में, क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि उक्त व्यवस्था के कारण किसानों एवं आम नागरिकों को बार-बार जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक, मानसिक एवं समय संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? (ग) प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में, कृषक हित में क्या शासन 5 वर्ष तक के अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणों के निराकरण का अधिकार तहसीलदार तथा 5 वर्ष से अधिक अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) स्तर पर प्रदान किये जा सकते हैं, जिससे आमजन को स्थानीय स्तर पर त्वरित न्याय मिल सके? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो, क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के सन्दर्भ में, क्या शासन अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणों के शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण हेतु ऑनलाइन अथवा सिंगल विंडो प्रणाली लागू करने का विचार रखता है? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) इस कार्यालय में विषयांतर्गत तथ्य संज्ञान में नहीं होने से शेष जानकारी निरंक है। (ग) इस कार्यालय स्तर पर विषयांतर्गत प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ख अनुसार।

केसला विकासखंड में दौड़ी झुनकर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना

[जल संसाधन]

60. (क्र. 850) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के केसला विकासखंड में दौड़ी झुनकर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना कब स्वीकृत हुई एवं इसके टेंडर कब हुए हैं? (ख) उक्त दौड़ी झुनकर योजना के द्वारा केसला विकासखंड के कितने ग्रामों में कितने किसानों की जमीन सिंचित होगी कृपया गांव के नाम बताने की कृपा करें? (ग) उक्त सिंचाई योजना कब तक पूर्ण होगी एवं किसानों को खेतों में पानी कब से मिलना शुरू हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) दौड़ी (देवरी) माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति दिनांक 05/11/2023 को प्रदान की गई है। निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) परियोजना के निर्माण हेतु वर्तमान में निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ हो सकेगा। अतः निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

मैहर स्थित पन्नी खोह का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

[पर्यटन]

61. (क्र. 857) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत माँ शारदा शक्ति पीठ के समीप स्थित पन्नी खोह नामक स्थल क्षेत्रीय जन सामान्य के अलावा आने वाले दर्शनार्थियों की आस्था का केन्द्र एवं पर्यटक स्थल के रूप में है। किन्तु इसकी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराये जाने की मांग अनुसार प्रक्रिया क्या शासन स्तर में प्रचलन में है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उद्भूत विषय में यदि हाँ, तो कब तक विकसित कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया पर विचार कर विकसित किया जावेगा? यदि हाँ, तो समयावधि बतायी जावे। नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) "पन्नी खोह" स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वर्तमान में विभाग में कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार। शेष बताया जाना संभव नहीं है।

मिसल बंदोबस्त के अभिलेखों में दर्ज वैधानिक मान्यता

[राजस्व]

62. (क्र. 866) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध ग्राम सालबर्डी, तहसील मुलताई की मिसल बंदोबस्त वर्ष 1916-17 तथा मध्यप्रदेश स्वामित्व अधिकारों के अंत का कानून, 1950 के अनुसार अर्जित भूमि के प्रारूप ख-बी में दर्ज खसरा नंबरवार निर्माणों का विवरण उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्या उसमें महादेव मंदिर एवं मेला स्थल का उल्लेख है? खसरा नंबरवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ख) ग्राम सालबर्डी के किन-किन खसरा नंबरों एवं कितने रकबे की भूमि के संबंध में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष

जांच लंबित है, साथ ही आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/621/वन.अधि./15/136 दिनांक 06.04.2015 से दिए गए निर्देशों का विवरण प्रदान किया जाए? (ग) उक्त पत्र दिनांक 16.04.2015 के अनुपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई द्वारा किस पटवारी से कौन-कौन सी जानकारी संकलित कराई गई? सम्बन्धित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएं? (घ) वर्ष 1916-17 की मिसल बंदोबस्त एवं वर्ष 1950 के अभिलेखों में दर्ज अधिकारों की वैधानिक मान्यता कब तक प्रभावी रहेगी? इस संबंध में प्रचलित नियमों एवं समय-सीमा का विवरण दिया जाए?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध ग्राम सालबर्डी के वर्ष 1917-18 की मिसल बन्दोबस्त तथा मध्यप्रदेश स्वामित्व अधिकारों और मालिकाना हक के अंत करने के अधिनियम 1950 के नमूना ख (बी) में दर्ज खसरा नंबर 10, 16/1, 16/2 एवं 17 के कैफियत कॉलम में मेला भरता है तथा खसरा नंबर 61 के कैफियत कॉलम में महादेव का विवरण उपलब्ध है। खसरा नम्बरवार विवरण पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) ग्राम सालबर्डी तहसील प्रभात पट्टन (पूर्व तहसील मुलताई) के अंतर्गत आने वाले वनखण्डों के भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक का 01 प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष जांच हेतु लंबित है। आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/621/वन.अधि./15/136 दिनांक 16/04/2015 से दिए गए निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) उक्त पत्र दिनांक 16.04.2015 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संकलित कराई जा रही है। (घ) वर्ष 1916-17 की मिसल बन्दोबस्त एवं 1950 के भू-अभिलेखों का स्थाई रिकार्ड है। अतः समय-सीमा संबंधी प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

एफ.आई.आर. दर्ज की जाना

[राजस्व]

63. (क्र. 871) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 13 मार्च 2025 को प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1023 दिनांक 13.03.2025 में आपके द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया था कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी जिसके संबंध में अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ की पत्र क्रमांक 804/ई.नं. 2982045/2025 दिनांक 28/05/2025 को एफ.आई.आर दर्ज किये जाने हेतु लेख किया फिर भी प्रश्न दिनांक तक दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की गई कारण स्पष्ट करें एवं सदन में दिया गया आश्वासन एवं अवर सचिव राजस्व का पत्र क्या असत्य था स्पष्ट करें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को दिये गये पत्र के उत्तर में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3661 दिनांक 16/03/26 में उल्लेख किया है कि प्रमुख सचिव राजस्व को आवश्यक कार्यवाही कर विधायक को अवगत करायेंगे मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई और प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा मुख्य सचिव म.प्र. शासन के पत्र को नकारते हुये मुझे कोई सूचना कार्यवाही किये जाने के संबंध में नहीं दी गई। क्या दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. की कार्यवाही कब तक कराई जावेगी समयावधि बतायें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, आश्वासन क्रमांक 206 पर कार्यवाही प्रचलित है। थाना प्रभारी बल्देवगढ़ के पत्र क्रमांक/भाप्र./बल्दे./1282/2026 दिनांक 11.07.2026 के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दोषियों कर्मचारियों के विरुद्ध शासकीय भूमियों की हेरा-फेरी के संबंध में शिकायत के आधार पर कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा गठित संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण क्र./108/4-121/2024-25 दिनांक 20.01.2025 अनुसार दोषी कर्मचारी 01. ओमप्रकाश नापित सहायक ग्रेड-3 हाल तहसील टीकमगढ़, 02. भगवत प्रसाद अहिरवार सहायक ग्रेड-3 हाल पदस्थ तहसील निबासी लिधौरा, 03. अजमत उल्ला बेग सहायक ग्रेड-3 बल्देवगढ़, 4. महेश कुमार सोनी सहायक ग्रेड-3 बल्देवगढ़ हाल सेवानिवृत्त बल्देवगढ़ के विरुद्ध थाना बल्देवगढ़ में अपराध क्रमांक 46/25 धारा 420, 467, 468, 471, 34 ताहि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से कार्यवाही न करने के संबंध में WP 5855/2025 & WP8509/2025 याचिकायें लगाई गई हैं जो प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा Ler case diary be made available by next date. Meanwhile, no coercive action be taken against petitioner till next date of hearing. लेख कर अग्रिम विवेचना हेतु स्टे जारी किया गया। प्रकरण सदर की डायरी कार्यवाही से स्थगित की गई है। उक्त प्रकरण में सुरेन्द्र सिंह पिता चूरामन लोधी, भागवती पत्नी सुरेन्द्र सिंह लोधी निवासी रमपुरा नजदीक हटा तहसील बल्देवगढ़ का भी फर्जी प्रविष्टि कर पट्टा प्रदाय की प्रविष्टि अंकित है, जिनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रकरण की अग्रिम विवेचना माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित प्रकरण अनुसार की जावेगी। (ख) पत्र दिनांक 16.03.2026 पर कार्यवाही प्रचलन में है। शेष उत्तरांश (क) अनुसार।

आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की लंबित राशि का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

64. (क्र. 885) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने माह की प्रोत्साहन राशि कब से लंबित है? विगत 6 माह में इन्हें कब-कब, कितना- कितना भुगतान किया गया? विधानसभावार, आशा ऊषा कार्यकर्ता संख्या 6 माह में प्रदाय राशि प्रदाय दिनांक, लंबित राशि (प्रश्न दिनांक तक संख्या सहित विधानसभावार) प्रदान करें। लंबित राशि का भुगतान कब होगा? (ख) क्या वर्ष 2023 में प्रोत्साहन राशि में 1 हजार रु. की वृद्धि एवं वर्ष 2025 में प्रोत्साहन राशि में 1500 रु. की वृद्धि घोषित होने के बाद भी इन्हें प्रश्न दिनांक तक इस वृद्धि का लाभ नहीं नहीं दिया गया? कब तक यह वृद्धि राशि पिछले एरियर्स सहित इन्हें प्रदाय की जाएगी? (ग) प्रश्नांश "क" व "ख" अनुसार राशि लंबित रखने को उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) बड़वानी जिले में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रोत्साहन राशि लंबित नहीं है। विगत 6 माह में किये गये भुगतान का विवरण जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। विधानसभावार, आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को प्रदायित राशि की दिनांकवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेष प्रश्न

उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। वर्ष 2023 में प्रोत्साहन राशि में 1 हजार रु. की वृद्धि एवं वर्ष 2025 में प्रोत्साहन राशि में 1500 रु. की वृद्धि संबंधी कोई घोषित आदेश नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश "क" व "ख" अनुसार राशि लंबित नहीं होने के कारण उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

दवा निर्माण में लापरवाही पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

65. (क्र. 886) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कफ सीरप में कौन सा जानलेवा घटक पाया गया था? (ख) क्या इसके पूर्व इंदौर स्थित एक दवा कंपनी रिमैन लैब की सीरप में भी यही जानलेवा घटक पाया गया था? दवा कंपनी का नाम, पता, टेस्ट रिपोर्ट, सीरप का नाम, बैच नंबर, पाए गए जान लेवा घटक की मात्रा बतावें। (ग) क्या रिमैन लैब इंदौर के प्रकरण में अभियोजन दायर किया गया है? क्या प्रकरण दायर करने में अत्यधिक विलंब किया गया है? क्या रिपोर्ट दिनांक से अभियोजन दायर करने में 02 वर्ष से अधिक विलंब किया गया देवें। यदि हाँ, तो क्यों? रिपोर्ट दिनांक व अभियोजन दिनांक सहित बिंदुवार जानकारी देवें। (घ) इस प्रकरण में जांच व अभियोजन दायर करने वाले जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उनके नाम और पदनाम बताएं। क्या रिपोर्ट में दवा में मिलावट आने के पश्चात त्वरित कार्यवाही की गई देवें। यदि हाँ, तो प्रकरण दायर करने में 02 वर्ष से अधिक समय क्यों लगा? जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करावें। क्या उक्त जांच में खानापूति कर निर्माता को अनुचित लाभ पहुंचाया गया? उक्त प्रकरण में अभियोजन संबंधी राज्य एवं केंद्र सरकार की क्या गाइड-लाइन है? कॉपी देवें। (ङ.) क्या वरिष्ठ औषधि निरीक्षक को विभाग द्वारा प्रथम दृष्ट्या जिम्मेदार मानते हुए विभागीय जांच हेतु नोटिस दिया गया था? तत्पश्चात क्या कार्यवाही की गई? क्या प्रकरण में देरी के लिए जिम्मेवारी तय की गई? क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारी पर कोई कार्यवाही न करते हुए विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारी का प्रमोशन करते हुए राज्य लाइसेंस अधिकारी बनाया गया? क्या उक्त अधिकारी पर विभाग द्वारा प्रकरण में देरी करने हेतु कोई कार्यवाही की जाएगी या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) डायइथायलीन ग्लायकोल जो तय मात्रा से अधिक पाया गया। (ख) जी हाँ। चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ग) जी हाँ। डायरेक्टर, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता द्वारा दिनांक 31.01.2024 को फार्म 2 में निर्णायक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियोजन दिनांक 08.10.2025 को माननीय न्यायालय में दायर किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। अतः प्रकरण दो वर्ष के भीतर ही दायर किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) संबंधित अधिकारियों की चाही गई जानकारी (नाम एवं पदनाम) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। जी हाँ, शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्नांश "ग" में समाहित है एवं प्रकरण दायर करने में दो वर्ष से अधिक का समय नहीं लगा। केन्द्र

सरकार द्वारा अवमानक औषधि के संबंध में जारी अभियोजन संबंधी गाइड-लाइन एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत संबंधित नियमावली की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। (ड.)** वरिष्ठ औषधि निरीक्षक को रिमेन लेब्स प्रायवेट लिमिटेड के प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के लिये प्रशासन के पत्र दिनांक 09.10.2025 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। तदोपरांत सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत आरोप पत्र आदि जारी किये गये हैं। जी नहीं, संबंधित अधिकारी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है, अपितु राज्य शासन द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। गुण-दोष के आधार पर ही कार्यवाही किये जाने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राम जानकी बड़ा मंदिर का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

66. (क्र. 905) श्री विष्णु खत्री : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2884 दिनांक 26.02.2026 के माध्यम से बैरसिया के जीर्णोद्धार के संबंध में जानकारी चाही थी, जिसके उत्तर में मान. मंत्री जी ने मन्दिर के जीर्णोद्धार संबंधी प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत कार्य की औचित्यता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया था? उक्त संबंध में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या उल्लेखनीय प्रगति की है? जानकारी दें। **(ग)** क्या राम जानकी बड़ा मन्दिर बसई के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य की औचित्यता का परीक्षण विभाग द्वारा कर लिया गया है? यदि हाँ, तो मन्दिर का जीर्णोद्धार हेतु राशि कब तक स्वीकृत की जायेगी?

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : **(क)** जी हाँ। संचालनालय द्वारा जिला भोपाल से मंदिर के शासन संधारित होने संबंधी जानकारी चाही गई है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। **(ख)** जी हाँ। प्रस्ताव अपूर्ण होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विस्थापित परिवारों को मूलभूत सुविधाओं का प्रदाय

[जल संसाधन]

67. (क्र. 906) श्री विष्णु खत्री : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैरसिया विधानसभा में कालापीपल जलाशय प्रोजेक्ट के कारण कितने ग्रामीण परिवारों को कहाँ-कहाँ विस्थापित किया गया है? **(ख)** विस्थापित परिवारों को जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, क्या विभाग उनसे संतुष्ट है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : **(क)** बैरसिया विधानसभा में कालापीपल जलाशय परियोजना के कारण कुल 485 ग्रामीण परिवारों को ग्राम रूनाहा, परसोरा, कोलूखेड़ी (मीनापुरा-1 एवं मीनापुरा-2) में विस्थापित किया जाना प्रतिवेदित है। **(ख)** कालापीपल जलाशय परियोजना अन्तर्गत विस्थापन स्थल पर म.प्र. की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के अनुसार विस्थापन किया गया है, उक्त नीति अनुसार विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्ण कर मूल सुविधाएं उपलब्ध कराकर विस्थापित किया जाना प्रतिवेदित है।

प्रदेश में संचालित शासकीय विद्यालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

68. (क्र. 913) श्री प्रताप गेवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय तथा निजी विद्यालयों में अलग-अलग कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 एवं 10 तथा कक्षा 11 एवं 12 में नामांकन 2020-21 से 2026-27 के बताएं। यूडाइस की संख्या नहीं हो तो शिक्षा विभाग की संख्या बतावें। (ख) बेरोजगार से व्यापम द्वारा वसूली गई फीस में से स्कूल शिक्षा ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए 2022-23 में 137 करोड़ एवं 2023-24 में 297 करोड़ कुल 434 करोड़ रुपए क्यों लिए जबकि इन वर्षों में बजट क्रमशः 27796 करोड़ 31983 करोड़ था। इस संदर्भ में समस्त जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कक्षा 1 से 12 के नामांकन में कमी को लेकर अटल बिहारी संस्थान को पत्र क्रमांक 2025/2082-2083 दिनांक 8/5/2025 द्वारा 10 वर्षों का विश्लेषण सौंपा गया। रिपोर्ट की प्रति दें। जांच शासकीय विद्यालयों की गई या निजी विद्यालयों की भी की गई? (घ) प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल, शासकीय विद्यालयों की वर्ष 2016-17 तथा 2026-27 की संख्या तथा उनमें कार्यरत नियमित अध्यापक एवं अतिथि शिक्षक की संख्या एवं कितने-कितने विद्यालय में नामांकनांक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम एवं 50 से कम हैं। विगत 10 वर्षों में कितने विद्यालय बंद किये? जानकारी उपलब्ध करावें। (ड.) प्रदेश में कितने विद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं? कितने शिक्षक कार्यरत हैं? कितने पद रिक्त हैं? वर्गवार जानकारी दें एवं कितने जर्जर भवन में स्कूल संचालित हैं? जर्जर भवन के स्कूलों के लिए शासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाएगी? कितने स्कूलों में छात्र तथा छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है, बाउंड्रीवॉल नहीं है, खेल मैदान नहीं है, खेल शिक्षक नहीं है? समस्त जानकारी उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) वर्णित योजना में पर्याप्त आवंटन न होने से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 137 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 160 करोड़ कुल 297 करोड़ की राशि ई.एस.बी. द्वारा दी गई थी। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) विश्लेषण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं 4 पर है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 पर है।

बीमारियों और दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु के आंकड़े

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

69. (क्र. 914) श्री प्रताप गेवाल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से जून 2026 तक विभिन्न बीमारियों और दुर्घटनाओं से मृत्यु के संबंध में MIS में क्या प्रविष्टियों की गई? MIS में व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में वर्षवार आंकड़े बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में प्रदेश में कुल कितने पोस्टमार्टम किये गए? प्रमुख दस मृत्यु के कारण, तथा उनसे मृत व्यक्ति की संख्या बताएं। पोस्टमार्टम करने के जिलेवार आंकड़े दें तथा रोड एक्सीडेंट से हुई मृत्यु के कितने-कितने पोस्टमार्टम किये गए? (ग) वर्ष 2021 से जून 2026 तक हार्ट-अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, लीवर, किडनी, जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या वर्षवार बतावें व इन बीमारियों से हुई मृत्यु की वर्षवार संख्या कितनी है? (घ)

प्रश्नाधीन अवधि में मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय सहित सभी प्रकार के चिकित्सा केंद्रों में कुल कितनी कीमत की दवाइयां मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई व कितनी कीमत की एंटीबायोटिक किस-किस कंपनियों से खरीदी गई व मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई? (ड.) क्या मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि प्रत्येक जिला चिकित्सालय में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी की व्यवस्था की जाएगी तथा कैंसर का इलाज, ऑपरेशन सहित किया जाएगा? यदि हाँ, तो अभी तक की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दस्तावेज सहित दें। प्रदेश में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं? कितने पद भरे हैं? वर्गवार बताएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। (ड.) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रदेश में चिकित्सकों के वर्गवार, स्वीकृत, कार्यरत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" अनुसार।

ओरछा में स्नान घाट का निर्माण

[पर्यटन]

70. (क्र. 919) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विश्व प्रख्यात श्री रामराजा की नगरी ओरछा में करोड़ों रूपयों की लागत से रामराजा लोक का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या बैतवा नदी घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान हेतु सर्व सुविधायुक्त स्नान घाट निर्माण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या पिछले महीनों में बैतवा नदी में डूबने से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है? यदि हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बतावें। (ग) क्या बैतवा नदी में डूबने से मृत्यु जैसी गंभीर दुर्घटनायें हो रही हैं? क्या शासन द्वारा ऐसी गंभीर दुर्घटनायें रोकने के लिए कोई ठोस कार्य किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो अवगत करायें। यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी दें। (घ) क्या स्नान घाटों पर जाली, चेन आदि लगाकर स्नान के लिए एक सीमित दायरा तय किया जाने का कोई कार्ययोजना बनाई गई है, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों? यदि हाँ, तो अवगत करायें। यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) जी हाँ। रामराजा लोक परियोजना में बैतवा नदी घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान हेतु सर्व सुविधायुक्त स्नान घाट का निर्माण सम्मिलित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पर्यटन विभाग से संबंधित नहीं। (ग) नगरीय निकाय ओरछा द्वारा बैतवा नदी घाटों एवं उनके आसपास पेन्ट से चेतावनी स्वरूप लेखन कार्य एवं बोर्ड लगाये गये हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों घाटों पर लोहे की रैलिंग एवं जंजीर लगाई गई है। माइक से निरंतर उद्घोषणा कराई जाती है। (घ) जानकारी उत्तरांश 'ग' अनुसार।

स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार

[स्कूल शिक्षा]

71. (क्र. 920) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने शासकीय हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल, माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूल संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने विद्यालय भवन विहीन हैं एवं कितने विद्यालय वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं? इन भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा कब-कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) भवन विहीन स्कूलों में कब तक स्कूल भवन स्वीकृत कर दिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी भवन क्रमशः माध्यमिक एवं हाई स्कूल के उन्नयन से अस्तित्व में आते हैं। अतः उन्नत हुए माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल के भवन ही क्रमशः हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन हैं। अतः कोई भी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं है। प्राथमिक/माध्यमिक भवन विहीन विद्यालयों, भवनों की जर्जर अवस्था, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' अनुसार है, जिसके कार्य प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार कोई भी हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं है। भवन विहीन प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बरगी क्षेत्रांतर्गत संचालित स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

72. (क्र. 923) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं? इनमें से कितने स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वयं के भवन हैं एवं कितने भवन विहीन हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों, ए.एन.एम. एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद वर्तमान में रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें। (ग) क्या यह सही है कि बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को उपचार हेतु जबलपुर जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? समय-सीमा बतावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 57 उप स्वास्थ्य केन्द्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) संचालित है। समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वयं के भवन हैं। भवन विहीन कोई स्वास्थ्य संस्था नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। पद पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र में आने वाले मरीजों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, यदि किसी मरीज को सुपर स्पेशलिटी/मल्टी स्पेशलिटी

चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है तो जबलपुर जाते हैं। पद पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

हरदा जिले के शासकीय चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

73. (क्र. 925) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में जिला, सिविल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक संचालित समस्त शासकीय चिकित्सालयों के नाम एवं उनके स्थानवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त समस्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त पदों को कब तक भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? समय-सीमा बतावें। (घ) हरदा जिले के जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, उपकरणों, विशेषज्ञ सेवाओं, प्रसूति सेवाओं, पैथोलॉजी, एक्स-रे, सोनोग्राफी, एम्बुलेंस एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का चिकित्सालयवार विवरण उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है तथा निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" एवं "द" अनुसार।

पंच व्यपवर्तन नहर का निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

74. (क्र. 929) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधान सभा क्षेत्र में पंच व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो सिंचाई के लिये किसानों को पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? नहर शाखा डी-4 में 2 कि.मी. यातायात थाना एम.पी.आर.डी.सी. रोड नक्शा रोड क्रॉसिंग में पानी निकासी के लिए 2000 डायमीटर की पुलिया डालना है, जो अभी तक नहीं डाली गई है? उससे आगे दस हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होना है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित नहर शाखा डी-4 में खामखरेली गांव के किनारे व तालाब के किनारे-किनारे हार्ड रॉक का बहुत धीमी गति से खुदाई कार्य चल रहा है, लेकिन पाइप नहीं डाले गये हैं। (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित नहर डी-4 उप माइनर बजरवाडा से खुदाई का कार्य लगभग 10 कि.मी. का अधूरा है। श्रीराम कन्सल्टेशन द्वारा 31 कि.मी. का लाइनिंग कार्य अभी कुछ भी चालू नहीं किया गया है। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) तक निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? निश्चित समय-सीमा बतावें। (ड.) निर्माणाधीन पंच व्यपवर्तन नहर कार्य के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा के माध्यम से कब-कब जानकारी चाही गई थी? सूची उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) पंच व्यपवर्तन नहर का निर्माण कार्य वर्तमान में अपूर्ण होकर प्रगतिरत है। विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों को वर्ष 2025-26 में निर्मित नहरों से 37, 059 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। नहर शाखा डी-4 के अंतर्गत ग्राम नगझर के पास यातायात थाना एम.पी.आर.डी.सी. रोड क्रॉसिंग में पानी निकासी के लिए, तत्समय रूपांकित क्षमता अनुसार 2.00 मी. डायमीटर में सायफन का निर्माण वर्ष 2017-18 में किया जा चुका है। डी-4 वितरक मुख्य नहर की लंबाई 21 कि.मी. है जिसमें 20.70 कि.मी. में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 300 मीटर में हार्ड-रॉक को सी.बी.एल. में लाने का कार्य प्रगतिरत है। निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित अवधि माह दिसम्बर-2026 है। (ख) नहर शाखा डी.4 में खामखरेली गांव के किनारे व तालाब के किनारे-किनारे हार्ड रॉक का कार्य एजेंसी द्वारा धीमी गति से किये जाने कारण लगभग 60 मीटर में पाइप-लाइन का कार्य एवं 300 मी. में हार्ड-रॉक को सी.बी.एल. में लाने का कार्य शेष है, जो प्रगतिरत है। (ग) नहर डी-4 उप माइनर बजरवाडा से खुदाई का कार्य लगभग 850 मीटर शेष है एवं लाइनिंग का कार्य श्रीराम कन्सट्रक्शन का 31 कि.मी. में से 8 कि.मी. कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष लाइनिंग कार्य वर्षा ऋतु उपरांत किया जाना प्रस्तावित है। (घ) निर्माण कार्य दिनांक 31.12.2026 पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ड.) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा के माध्यम से चाही जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन हेतु पदों की स्वीकृतियां

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

75. (क्र. 930) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक, प्राथमिक, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं संजीवनी क्लिनिक कहाँ-कहाँ पर संचालित किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित स्वास्थ्य सेवाओं के सफल संचालन हेतु कितने पदों की स्वीकृतियां दी एवं कितने पद भरे हुये हैं? कितने रिक्त हैं, तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जा सकेगी? (ग) किन-किन केन्द्रों पर संचालन हेतु किन-किन की पदस्थापना की गई, जिनमें से उच्च अध्ययन अथवा अन्य कारणों से लंबी अवधि की छुट्टी पर कौन-कौन है तथा ज्वाइनिंग के पश्चात छुट्टी लेकर कितने लोग कर्तव्य स्थल पर वापस नहीं आये? (घ) शासन/विभाग द्वारा सीधे पद पूर्ति के साथ ही संविदा, आउटसोर्स, रोगी कल्याण समिति इत्यादि द्वारा किस प्रकार पदपूर्ति की जा रही है? साथ ही सफाई कर्मों एवं सुरक्षा कर्मियों की पद पूर्ति की क्या व्यवस्था की जा रही है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। पदपूर्ति विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। जिला चिकित्सालय सिवनी में कार्यरत 07 नर्सिंग ऑफिसर एम.एस.सी/एम.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शासन/विभाग द्वारा सीधे पद पूर्ति राज्य शासन स्तर से की जाती है। संविदा की भर्ती राज्य कार्यालय एन.एच.एम. भोपाल से ऑनलाइन के माध्यम से की जाती है। आउटसोर्स रोगी

कल्याण समिति की पदपूर्ति निविदा के माध्यम से अनुबंधित फर्म के माध्यम से की जाती है। साथ ही सफाईकर्मों एवं सुरक्षा कर्मियों की पद पूर्ति भी निविदा के माध्यम से कार्यालय में अनुबंधित फर्म के माध्यम से की जाती है।

शिक्षकों के लंबित प्रकरणों का निराकरण

[स्कूल शिक्षा]

76. (क्र. 933) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी अंतर्गत कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों को देय 12, 24, 30 एवं 35 वर्ष की क्रमोन्नति तथा 10, 12 वर्ष के समयमान वेतनमान के प्रकरणों का निराकरण प्रश्न दिनांक तक नहीं किया गया। पदवार एवं संकुलवार विवरण दें। (ख) जिला शिवपुरी में कितने शिक्षकों के 12, 24, 30 एवं 35 वर्ष की क्रमोन्नति तथा 10, 12 वर्ष के समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा कितने प्रकरण लंबित हैं? पदवार, विकासखंडवार एवं संकुलवार जानकारी दें। (ग) कितने प्रकरणों को कोष एवं लेखा कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा कितने प्रकरण अनुमोदन हेतु लंबित हैं? लंबित प्रकरणों का कारणवार विवरण क्या है? प्रकरण लंबित रहने से दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) कितने शिक्षकों के खातों में एरियर राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा कितने शिक्षकों का भुगतान लंबित है? जानकारी दें। (ड.) क्या क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के संबंध में विधानसभा में दिनांक-19.11.2024 को तारांकित प्रश्न क्र. 1165 तथा दिनांक-19.02.2025 को अतारांकित प्रश्न क्र. 2587 के माध्यम से विषय उठाया गया था? यदि हाँ, तो उक्त प्रश्नों के उत्तर में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी तथा उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या प्रगति हुई है? (च) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण शिक्षकों की क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान एवं एरियर भुगतान के प्रकरण लंबित हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) 4135 पात्र शिक्षकों को प्रश्न अनुसार लाभ दिया गया। 770 प्रकरणों में पात्रता का परीक्षण कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार। (ग) 3550 में अनुमोदन हो चुका है। 1283 में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार। (ड.) जी हाँ। शेष रहे शिक्षकों के आदेश जारी किये गये हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (च) उत्तरांश "क" "ख" "ग" "घ" एवं "ड." के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

77. (क्र. 936) श्रीमती रीती पाठक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम वर्ष 2023 में किया गया था और महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन भी किया गया था किन्तु लगभग तीन वर्ष के बाद भी चिकित्सा महाविद्यालय की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हो सकी,

हो रही देरी का कारण क्या है? महाविद्यालय कब तक स्वीकृत हो सकेगा? (ख) सीधी जिले में चिकित्सा अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की संख्या स्वीकृति पदों की तुलना में बहुत कम है। कई विभागों में एक भी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। रिक्त पदों में डॉक्टरों की पदस्थापना की क्या योजना है?

(ग) सीधी में लगातार प्रसूताओं की मृत्यु में इजाफा हो रहा है। यह अपने अधिकतम स्तर पर है। इसके कारण क्या हैं? रोकथाम के लिए क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं?

(घ) सीधी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया में भवन की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं की प्रसूति के बाद सामान्य वार्ड में रखना पड़ रहा है और 20 बिस्तरीय अस्पताल की स्वीकृति के बाद भी केवल 15 बिस्तरीय अस्पताल का ही संचालन हो रहा है। एक्स-रे मशीन की व्यवस्थित सप्लाई न होने के कारण संचालन नहीं हो पा रहा है। साथ ही अन्य कई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इससे निपटने एवं व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। राज्य शासन स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति उपरांत पी.पी.पी. मोड पर स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची में जिला सीधी में स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालय को भी शामिल किया जा चुका है, इस संबंध में निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है, नियमानुसार योग्य निविदाकार उपलब्ध होने पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाना संभव है, इसलिये प्रशासकीय स्वीकृति नहीं जारी की गई है। अतः उक्तानुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। सीधी जिले में प्रतिमाह 9 एवं 25 तारीख को पी.एम. मातृत्व सुरक्षा दिवस के दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालय में गर्भवती माताओं का परीक्षण एवं उपचार स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा कराया जाता है। कलेक्टर के निर्देशन में दूरस्थ अंचल में प्रति सप्ताह स्वास्थ्य शिविर लगाकर उपचारित किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बर्थवेटिंग कक्ष स्थापित है, गर्भवती माताओं से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखकर 'सुमन हेल्पडेस्क' द्वारा जानकारी प्राप्त कर रक्त अल्पता वाली गर्भवती महिलाओं को जिला चिकित्सालय में ब्लड ट्रांसफ्यूजन व उपचारित कराया जाता है एवं संभावित प्रसव तिथि/अवधि में शासकीय अस्पताल में भर्ती होने हेतु प्रेरित कराया जाता है। आशा एवं ए.एन.एम., क्षेत्र में गर्भवती माताओं से सुरक्षित प्रसव हेतु निरन्तर सम्पर्क में रहती है। (घ) सीधी जिले में ग्राम सेमरिया में 20 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, नवीन भवन निर्माण अपेक्षित है। स्थानाभाव के कारण 15 बिस्तरीय अस्पताल एवं 10 बिस्तरीय एन.आर.सी. संचालित है। एक्स-रे मशीन 8.12.1997 को प्राप्त हुई थी, वर्तमान में मरम्मत योग्य नहीं होने के कारण अपलेखन योग्य है। नवीन एक्स-रे मशीन स्थापित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

78. (क्र. 937) श्रीमती रीती पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी विधानसभा अंतर्गत कुल कितनी शासकीय भूमि उपलब्ध हैं? इनमें कितनी अतिक्रमण मुक्त हैं एवं कितनी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है? जिन भूमियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, उन्हें कब तक अतिक्रमण मुक्त करा दिया जायेगा? (ख) सीधी विधानसभा अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के लिए कितनी भूमि चाही गई है? विभागवार एवं विकास कार्यवार विवरण दें एवं भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी का कारण बताने की कृपा करें। (ग) सीधी विधानसभा अंतर्गत कितने राजस्व प्रकरण लंबित हैं? लंबित प्रकरणों में से एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की संख्या कितनी है एवं इनके निराकरण न होने का क्या कारण है? (घ) सीधी विधानसभा में नए उपक्रम/कार्यालय/संस्थान हेतु कितनी जमीन चाही गई है एवं कितने आवंटन लंबित हैं?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) सीधी विधानसभा अंतर्गत तहसील गोपद बनास अंतर्गत शासकीय भूमि रकवा 13502 हे. उपलब्ध है। वर्तमान स्थिति के अनुसार शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के 161 प्रकरण लंबित है। 161 लंबित प्रकरणों में भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जा रही है। सीधी विधानसभा अन्तर्गत तहसील बहरी में शासकीय भूमि रकवा 1680 हे. उपलब्ध है। वर्तमान स्थिति अनुसार शासकीय भूमि पर अवैध स्थाई अतिक्रमण नहीं है। (ख) सीधी विधानसभा अन्तर्गत तहसील गोपद बनास अंतर्गत नए उपक्रम/कार्यालय/संस्थान हेतु विकास कार्य हेतु विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों हेतु लगभग 15 हे. भूमि चाही गई है। जिनमें भूमि आवंटन की कार्यवाही यथाशीघ्र की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जा रही है। विभागवार भूमि आवंटन प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है:

स.क्र.	विभाग का नाम	लंबित आवेदन की संख्या
1	2	3
1	जनपद पंचायत सीधी	01
2	पर्यटन विभाग	01
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय	05
4	नगर पालिका परिषद् सीधी	14
	खेलकूद कल्याण विभाग	01
5	जिला पंचायत सीधी विभाग	01
6	स्वयंसेवक संघ शाखा	01
7	जन प्रयास सतिति	01
कुल योग		26

(ग) सीधी विधानसभा अंतर्गत तहसील गोपद बनास अंतर्गत कुल 2246 राजस्व प्रकरण लंबित है एवं एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की संख्या 565 है। प्रकरण विवादित होने से न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण विलंब हो रहा है। सीधी विधानसभा अंतर्गत तहसील बहरी अंतर्गत कुल 19 राजस्व प्रकरण लंबित है एवं एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक है। (घ) सीधी विधानसभा अंतर्गत तहसील बहरी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कुल 11 प्रकरणों में 0.44 हे. भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त प्रकरणों के संबंध में उपखण्ड अधिकारी सिहावल से दिनांक 03.07.2026 के जांच प्रतिवेदन/अभिमत एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति सीधी के अनुशंसा के आधार पर न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी द्वारा दिनांक 10.07.2026 को आदेश पारित कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भूमि आवंटित किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ङ.) सीधी विधानसभा अन्तर्गत तहसील गोपद बनास अंतर्गत बंदोबस्त के पूर्व कई तहसीलें शामिल थी। इसलिए बंदोबस्त पूर्व चरनोई का रकवा कितना था। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में चरनोई भूमि का रकवा 834 हे. उपलब्ध है, उक्त भूमि अन्य किसी कार्य हेतु आवंटित नहीं की गई है एवं तहसील बहरी अंतर्गत वर्तमान में चरनोई भूमि रकवा 168 हे. उपलब्ध है।

शासकीय विद्यालय में छात्रों के प्रवेश/नामांकन की संख्या

[स्कूल शिक्षा]

79. (क्र. 943) श्री भैरो सिंह बापू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर के शासकीय विद्यालय संचालित हैं? यदि हाँ, तो जिलेवार एवं श्रेणीवार वर्तमान में संचालित विद्यालयों की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ख) विगत दो वर्षों (वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक तक) छात्र संख्या कम होने अथवा अन्य कारणों से कितने शासकीय विद्यालयों का अन्य विद्यालयों में विलय (मर्ज) किया गया है? जिलेवार, विद्यालयवार एवं कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ग) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश/नामांकन की संख्या में लगातार कमी आ रही है? यदि हाँ, तो इसके कारणों का विभागीय विश्लेषण एवं स्थिति सुधार हेतु किए गए उपायों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (घ) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि शासकीय विद्यालयों के विलय, संसाधनों की कमी अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से निजी विद्यालयों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है? (ङ.) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आसपास के 15 कि.मी एरिया के स्कूलों को बंद करके/मर्ज एक स्थान पर सांदीपनि स्कूल खोला जा रहा है। क्या सांदीपनि स्कूल में उस एरिये के सभी बच्चों का प्रवेश संभव है? क्या सांदीपनि स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है? यदि हाँ तो बतायें कि कौन-कौन से सांदीपनि स्कूल में?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। (ख) प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्र संख्या कम होने के कारण किसी विद्यालय को मर्ज नहीं किया गया है। सांदीपनि विद्यालयों में समाहित किए गए विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 पर है। (ग) विगत वर्षों में कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 में नामांकन में कमी हुई है एवं कक्षा 9 से 12 में वृद्धि हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 पर है। नामांकन में

वृद्धि हेतु विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान, विभिन्न योजनाएं यथा गणवेश वितरण, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क साईकिल वितरण, स्कूटी वितरण, समेकित छात्रवृत्ति योजना एवं लेपटॉप वितरण इत्यादि संचालित की जा रही है। (घ) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ.) जी नहीं। सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता एवं आकांक्षी नामांकन के अनुसार प्रवेश संभव है। जी हाँ, 112 सांदीपनि विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 पर है।

माँ बगुलामुखी लोक का निर्माण एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

80. (क्र. 948) श्री भैरो सिंह बापू : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नलखेड़ा में विराजित प्रसिद्ध माँ बगुलामुखी मंदिर परिसर में माँ बगुलामुखी लोक बनाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र क्रमांक 151/2024 दिनांक 03/07/2024 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केन्द्र माँ बगुलामुखी मंदिर पर बगुलामुखी लोक बनाया जायेगा? (ग) वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक तक जिला आगर-मालवा एवं जिला शाजापुर अंतर्गत शासन संधारित कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर द्वारा धर्मस्व विभाग को प्रेषित किये गए? तहसीलवार मंदिरों के नाम सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक तक भेजे गए प्रस्तावों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितने प्रस्ताव लंबित है?

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विभाग में प्राप्त नहीं पाया गया। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

धरमपुर में नवीन तहसील की स्थापना

[राजस्व]

81. (क्र. 949) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना विधानसभा अंतर्गत धरमपुर को नवीन तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव कलेक्टर पन्ना ने पत्र क्रमांक 241 दिनांक 11.03.2025 द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त को प्रेषित किया गया था? क्या दिनांक 29.05.2025 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा पन्ना भ्रमण के दौरान पुनर्गठन आयोग के माध्यम से धरमपुर को नवीन तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और कब तक धरमपुर को नवीन तहसील बनाया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्टर पन्ना द्वारा धरमपुरी को नवीन तहसील खोले जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को प्रेषित किया

गया है। वर्तमान में प्रशासनिक इकाइयों के परिसीमन एवं युक्तियुक्तकरण के लिये मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित होकर कार्यरत है। जनगणना 2027 हेतु क्षेत्राधिकार परिवर्तन की फ्रीजिंग तिथि दिनांक 31.12.2025 से किसी प्रशासनिक इकाई में क्षेत्राधिकार परिवर्तन अनुमत्य न होने से आगामी कार्यवाही वर्तमान में प्रतिबंधित हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पहाड़ीखेड़ा क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य एवं सिद्धा बांध की स्वीकृति

[जल संसाधन]

82. (क्र. 950) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना पहाड़ीखेड़ा क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पतने व्यारमा परियोजना अन्तर्गत पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो अभी तक कितना सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है? कितना कार्य शेष है? जानकारी दें। कब तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर परियोजना प्रारंभ की जावेगी? समय-सीमा बतावें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा सत्र फरवरी 2026 के प्रश्न क्रमांक 1709 के प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत सिद्धा बांध की स्वीकृति के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा योजना की साध्यता दिनांक 07.06.2024 पोर्टल पर दर्ज होना प्रतिवेदित है एवं वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इससे अवगत कराया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो प्रस्ताव विचाराधीन न होने का क्या कारण है? कारण बतावें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ, पन्ना पहाड़ीखेड़ा क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पतने व्यारमा परियोजना अंतर्गत पूर्ण कर लिया गया है एवं डी.पी.आर. परीक्षणाधीन है। पहाड़ीखेड़ा क्षेत्र को केन बेतवा परियोजना अंतर्गत शामिल करने की संभावना है। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) पहाड़ीखेड़ा क्षेत्र को केन बेतवा अंतर्गत पतने व्यारमा परियोजना में शामिल किये जाने की संभावना पर विचार के कारण सिद्धा बांध (सुकवाहा) की साध्यता प्रस्ताव को लंबित रखा जाना प्रतिवेदित है।

पंजीकृत एवं क्रियाशील मछुआ सहकारी समितियों की जानकारी

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

83. (क्र. 963) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में कितनी मछुआ सहकारी समितियां विभाग में पंजीकृत हैं और कितनी समितियां क्रियाशील हैं? सूचीबद्ध जानकारी दें। क्या क्रियाशील समितियों द्वारा मत्स्याखेट करने वाले सदस्यों द्वारा बंद ऋतु मत्स्याखेट प्रतिबंधित समय में प्रति व्यक्ति अंशदान की कितनी राशि जमा कराई जाती है? जमा अंशदान राशि एवं प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को मिलाकर कुल 4500 रुपए की राशि प्रति सदस्य को उपलब्ध कराने हेतु बचत सह राहत राशि का बजट वर्ष 2023-24 व 2024-25 स्वीकृत हुआ है? यदि हाँ, तो उस बजट से बचत सह राहत राशि का भुगतान जिला बालाघाट की मछुआ सहकारी समितियों में दर्ज सदस्यों को क्यों नहीं किया गया

है? (ख) क्या मत्स्य विभाग के पास मत्स्य मछुआ कृषक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बालाघाट का आवेदन पंजीयन हेतु पोर्टल पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसके पंजीयन की आवश्यक कार्रवाई कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? समय-सीमा बताएं। (ग) मत्स्य मछुआ कृषक उत्पादक सरकारी संस्था मर्यादित एफ.एफ.पी.ओ. के पंजीकृत करने हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं? नियमावली सहित प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं।

राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास (श्री नारायण सिंह पंवार) : (क) बालाघाट जिले में कुल 112 मछुआ सहकारी समितियां विभाग में पंजीकृत एवं क्रियाशील हैं। प्रति सदस्य को 09 माह में राशि रु. 1500/- जमा की जाती है। वर्ष 2023-24 में राशि रु. 86.43 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिससे राशि रु. 78.39 लाख का व्यय किया गया जिससे 2613 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2024-25 में राशि रु. 96.18 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, जिससे राशि रु. 25.59 लाख का व्यय किया गया जिससे 853 हितग्राही लाभान्वित हुए। शेष राशि रु. 70.59 लाख IFMIS पोर्टल में लेखा शीर्ष बदलने के कारण राशि आहरण नहीं हो सकी। बचत सह राहत की शेष राशि रु. 70.59 लाख का वितरण प्रक्रियाधीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार।** (ख) मछुआ कृषक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित योजना बन्द हो चुकी है। (ग) मछुआ कृषक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित योजना की गाइड-लाइन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।

सी.एम.एच.ओ. के विरुद्ध शिकायतों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

84. (क्र. 964) सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रभारी CMHO, बुरहानपुर की प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान तक की समस्त पदस्थापनाओं का पदवार, स्थानवार एवं अवधि सहित विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, उनके विरुद्ध आज दिनांक तक प्राप्त समस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिकायतों का पूर्ण विवरण, वर्तमान स्थिति सहित शिकायतों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु किन-किन अधिकारियों/समितियों को नियुक्त किया गया था? नियुक्ति संबंधी आदेशों एवं जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित छायाप्रति तथा जांच में दिए गए निष्कर्षों का विवरण उपलब्ध करायें एवं डॉ. वर्मा को प्रभारी CMHO, बुरहानपुर किस नियम, अधिसूचना, शासनादेश अथवा विभागीय निर्देश के अंतर्गत पदस्थ किया गया है? संबंधित निर्देशों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में यदि जांच में डॉ. राजेन्द्र वर्मा के विरुद्ध कोई अनियमितता अथवा दोष पाया गया हो, तो उनके विरुद्ध की गई विभागीय, प्रशासनिक अथवा अन्य कार्यवाही का पूर्ण विवरण एवं संबंधित आदेशों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा कार्यवाही न किए जाने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं? विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? बताएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। संचालनालय की शिकायत शाखा में इन्दौर संभाग सेल में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वर्तमान में प्रभारी सी.एम.एच.ओ. बुरहानपुर डॉ. राजेन्द्र कुमार वर्मा के

विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री मॉनिट "ए" में प्रश्नकर्ता महोदय द्वारा शिकायती पत्र क्रमांक. 37/सी.एम.एस./एस.डी.के./2026/दिनांक 07.01.2026 प्राप्त हुआ, जिसकी जांच क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर से पूर्ण कराई जाकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुक्रम में संचालनालय के जाप दिनांक 12.03.2026 द्वारा पुनः क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर से जानकारी चाही गई जो प्राप्त होने के उपरान्त, संचालनालय के जाप क्रमांक 1266/दिनांक 05.07.2026 द्वारा डॉ. आर. के. वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनका प्रतिवाद उत्तर चाहा गया। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर का अभिमत पत्र क्रमांक 6770, दिनांक 07.07.2026 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अभिलेखों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। उक्त शिकायत के अतिरिक्त कोई अन्य शिकायत, उनके विरुद्ध प्रचलन में नहीं है। डॉ. आर.के. वर्मा, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग अंतर्गत नियमित मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी हैं, प्रशासनिक पदों पर प्रशासनिक कारणों से पदस्थापना/प्रभार सौंपे जाने संबंधी कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है, जिसमें अधिकारियों/समितियों को जांच हेतु नियुक्त किये जाने तथा जांच में दिये गये निष्कर्षों का विवरण समाहित है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) में समाहित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रभारी सी.एम.एच.ओ. के विरुद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

85. (क्र. 965) सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. के पत्र क्र. 4/शिका. सेल-2/2026/488 दिनांक 12.03.2026 द्वारा जिला बुरहानपुर के प्रभारी CMHO के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच उपरांत क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर से जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत में किन वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे? पूर्ण विवरण सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जांच दल द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत सामग्री की कुल कितनी राशि का अनियमित व्यय एवं शासन को कितनी आर्थिक हानि होना पाया गया? पूर्ण विवरण अभिलेखों सहित दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या जांच प्रतिवेदन में अनियमितता के आधार पर संबंधित अधिकारी, अन्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या एवं नहीं तो क्यों? कारण बताएं एवं जाँच लंबित है तो क्यों? कारण बताएं। (घ) क्या सी.एम. मॉनिट में दर्ज शिकायत क्रमांक 37/CMS/SDK/2026 दिनांक 07.01.2026 (Monitoring-A) पर वर्तमान तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो बिंदुवार विवरण एवं संबंधित आदेश/प्रतिवेदन की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। यदि शिकायत लंबित है, तो लंबित रहने के कारण एवं वर्तमान स्थिति बतायें। समय पर कार्यवाही न किए जाने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। उक्त शिकायत में जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में क्रिटिकल केयर यूनिट में सामग्री खरीदी में अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं। उक्त शिकायत के तारतम्य में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुक्रम में संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 12.03.2026 द्वारा चाही गई जानकारी क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर से प्राप्त होने के उपरान्त संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक 1266/दिनांक 05.07.2026 द्वारा डॉ. आर.के. वर्मा, को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनका प्रतिवाद उत्तर चाहा गया। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर का अभिमत पत्र क्रमांक 6770, दिनांक 7.7.2026 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित जांच प्रतिवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त इसका निर्धारण संभव है। (ग) जी हाँ, जानकारी उत्तरांश (क) में समाहित है। (घ) जी हाँ, उक्त शिकायत के संदर्भ में की गई कार्यवाही का विवरण उत्तरांश (क) में समाहित है तथा संबंधित **अभिलेख पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

दान राशि एवं भूमि अधिग्रहण अनियमितताओं की जांच

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

86. (क्र. 966) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाकाल मंदिर विस्तार परियोजना (2021-2023) में मुआवजे की ₹97 करोड़ दान राशि नियम विरुद्ध जिला पी.डी. खाते के बजाय वाणिज्यिक बैंक खातों में रखी गई? क्या यह म.प्र. कोषालय संहिता के नियम 284 का उल्लंघन है? यदि हाँ, तो दोषी तत्कालीन अधिकारियों के नाम क्या हैं? (ख) क्या उक्त विधिक व वित्तीय अनियमितता पर 'स्टेट फाइनेंस इंटेलिजेंस सेल' व 'कोष एवं लेखा आयुक्त' द्वारा प्रमुख सचिव को जांच पत्र जारी किया गया? यदि हाँ, तो इस वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण प्रभावितों का अटका ₹20 करोड़ मुआवजा कब तक भुगतान होगा? (ग) क्या तारांकित प्रश्न क्र. 2053 (दिनांक 10/07/24), प्रश्न क्र. 1972 (दिनांक 25/03/2022) एवं पत्र क्र. 473 (दिनांक 29/04/26) पर प्रश्न दिनांक तक हुई संपूर्ण कार्यवाही, नोटशीट सहित विवरण क्या है? (घ) क्या विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की नीमनवासा स्थित 48 बीघा कृषि भूमि (TDS-3 व TDS-4) को विकास के नाम पर अधिग्रहीत कर व्यावसायिक उपयोग का षड्यंत्र किया जा रहा है? यदि नहीं, तो उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि मंदिर समिति को वापस लौटाने की अद्यतन स्थिति क्या है? UDA द्वारा भूमि लौटने के प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं। (ङ.) क्या सरकार इस संस्थागत गबन की जांच कर दोषी लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत FIR दर्ज करेगी? मंदिर के दान (आभूषण, सोना, चांदी, भूमि) की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट की प्रति देवें। (च) धर्मस्व विभाग के द्वारा मंदिर समिति को उक्त भूमि को लौटाने के संबंध में UDA से की गई कार्यवाही का विवरण देवें।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

87. (क्र. 971) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र को महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक छात्रवृत्ति (Scholarship) एवं प्रवेश हेतु मान्य किया जाता है? यदि हाँ, तो इस संबंध में दोनों राज्यों के बीच क्या कोई पारस्परिक समझौता (Reciprocal Agreement) या दिशा-निर्देश अस्तित्व में हैं? (ख) क्या महाराष्ट्र के मूल निवासी विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र को मध्यप्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति या अन्य लाभों हेतु मान्य नहीं किया जाता है? यदि हाँ, तो इसके क्या वैधानिक या नीतिगत कारण हैं? (ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस विसंगति के कारण सीमावर्ती जिलों (जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, सिवनी आदि) के उन विद्यार्थियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिनके परिवार रोजगार या अन्य कारणों से दोनों राज्यों से जुड़े हैं? (घ) क्या शासन महाराष्ट्र के जाति प्रमाण-पत्र धारक विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश में भी छात्रवृत्ति व प्रवेश प्रक्रिया में पात्रता देने हेतु नियमों में संशोधन या महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई समन्वय स्थापित करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या योजना है और इसे कब तक लागू किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधायक के पत्रों पर कार्यवाही

[परिवहन]

88. (क्र. 973) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) से संबंधित कुल कितने पत्र सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त हुए हैं? (ख) उपरोक्त प्राप्त पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या विभाग प्राप्त पत्रों का पत्र क्रमांक एवं दिनांक, विभाग का नाम, पत्र का मुख्य विषय, वर्तमान स्थिति (प्रक्रियाधीन/नस्तीबद्ध), जांच/Enquiry का विषय, लंबित रहने के कुल दिन तथा उत्तर न देने/लंबित रहने के स्पष्ट कारण का विवरण गौश्वारा (तालिका) बनाकर जानकारी प्रदाय करेगा? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नियमों/निर्देशों के अनुसार माननीय विधायकों (जनप्रतिनिधियों) के पत्रों पर जांच पूरी कर उत्तर देने हेतु कोई समय-सीमा (दिनों की संख्या) निर्धारित है? यदि हाँ, तो वह समय-सीमा क्या है? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) क्या शासन उन दोषी वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं उनकी सेवा अभिलेख (Service Record) में प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) दर्ज करने हेतु कोई कदम उठा रहा है, जिन्होंने नियमों का स्पष्ट उल्लंघन कर समय-सीमा में उत्तर नहीं दिया है? यदि हाँ, तो यह कार्रवाई कब तक सुनिश्चित की जाएगी?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) बी.सी.एल.एल., कार्यालय में जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता सदस्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) एवं नगरीय विकास एवं आवास

विभाग से कुल-22 पत्र प्राप्त हुए। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के परिपत्र दिनांक 26 नवम्बर 1997 के अनुसार जनप्रतिनिधियों के पत्रों का उत्तर शीघ्र दिये जाने का प्रावधान है। परिपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त माननीय विधायकों (जनप्रतिनिधियों) के पत्रों के संबंध में नियमानुसार अभिस्वीकृति पत्र प्रेषित किये जाते हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बिना कारण बताओ नोटिस के अर्थदंड अधिरोपित किया जाना

[परिवहन]

89. (क्र. 979) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को यह अधिकार है कि वह किसी निजी बस ऑपरेटर को बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) का पालन किए बिना सीधे अर्थदंड/शास्ति (Penalty) का आदेश जारी कर सकते हैं? (ख) यदि हाँ, तो मोटर यान अधिनियम (Motor Vehicles Act) या मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम की किस विशिष्ट धारा अथवा नियम के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है? उस विधि/अधिनियम की जानकारी दें। (ग) यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो बिना पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए सीधे पेनल्टी लगाना क्या पूर्णतः असंवैधानिक और विधि-विरुद्ध (Illegal) नहीं है? (घ) आर.टी.ओ. भोपाल (RTO Bhopal) द्वारा संबंधित बस ऑपरेटर को पिछले 5 महीनों से लिखित मांग के बावजूद टैक्स त्रुटि का विवरण (Detailed Break-up/Justification) उपलब्ध न कराना और सीधे पेनल्टी वसूली (Penalty Recovery Order) का आदेश निकाल देना किस सीमा तक वैधानिक है? क्या कोई कानून आर.टी.ओ. भोपाल को इस प्रकार की एकतरफा शक्तियों का अधिकार देता है?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) किसी भी बस ऑपरेटर को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी करने के उपरांत ही अर्थदंड/पेनल्टी लगायी जाती है। ऐसा न करना पूर्णतः विधि-विरुद्ध (Illegal) है। (घ) वाहन स्वामी द्वारा उनके स्वामित्व के वाहन का मोटरयान कर का भुगतान वाहन के उपयोग के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। भुगतान किये जाने वाले कर की दर एवं राशि की जानकारी संबंधित वाहन स्वामी को रहती है। आर.टी.ओ. भोपाल द्वारा संबंधित बस ऑपरेटर को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही कर का अवधारण किया जाकर बकाया राशि/पेनल्टी की वसूली का आदेश निकाला जाता है। उक्त संबंध में आ.टी.ओ. भोपाल द्वारा एकतरफा शक्तियों का प्रयोग न किये जाने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

90. (क्र. 984) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरगोन जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स

कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु किस कंपनी को अधिकृत किया गया है? उक्त कंपनी किस आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ती करेगा? कृपया उक्त प्रक्रिया की शासन द्वारा निर्धारित नियमावली उपलब्ध कराये तथा खरगोन जिले अन्तर्गत कितनी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति किस कार्य हेतु की गई है? नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराये तथा नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन निर्धारण क्या तय किया गया है? कृपया निर्धारित पदवार वेतन की जानकारी उपलब्ध करावे तथा उक्त नियुक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कब से लंबित है? भुगतान लंबित रहने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन दोषी है? क्या संबंधित दोषी व्यक्ति पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक तथा नहीं तो क्या कारण है? उक्त कर्मचारियों का लंबित वेतन कब तक प्रदाय किया जायेगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : खरगोन जिला अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियोजन हेतु न्यू बुंदेलखण्ड सिक्युरिटी सर्विसेस इन्दौर, कामथेन सिक्युरिटी सर्विसेस इन्दौर एवं शिवोहम बुंदेलखण्ड सिक्युरिटी एण्ड लैबर सर्विस प्रा.लि. इन्दौर अनुबंधित है। अनुबंधित एजेन्सी द्वारा श्रम विभाग, म.प्र. शासन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु निर्धारित श्रेणीवार योग्यता व मापदण्डों के निर्धारण के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में किया जाता है। प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। खरगोन जिले में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत नियोजित आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या, कार्य प्रकार एवं निर्धारित मानदेय की नामवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। एजेन्सियों द्वारा समस्त आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय भुगतान माह मई 2026 तक किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्कूल संचालन हेतु नवीन भवन की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

91. (क्र. 989) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी संख्या में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हैं? कृपया क्षतिग्रस्त शाला भवन की सूची विकासखण्डवार उपलब्ध कराये। (ख) विगत वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने भवनों की मरम्मत या नवीन स्वीकृति प्रदाय की गई है? कृपया विकासखण्डवार सूची एवं कार्य एजेन्सी की जानकारी उपलब्ध कराये तथा कितने भवन वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं, जो वर्तमान तक मरम्मत या नवीन भवन की स्वीकृति शेष है? कृपया सूची उपलब्ध कराये तथा यह भी बताएं की उक्त शेष भवनों की मरम्मत या नवीन भवन की स्वीकृती कब तक प्रदाय की जायेगी तथा उक्त क्षतिग्रस्त भवनों में स्कूल संचालन की व्यवस्था कैसे होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। विभाग के क्षतिग्रस्त 8 शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। नवीन भवन से संबंधित जानकारी निरंक है। शेष क्षतिग्रस्त भवनों में स्कूल संचालन न किए जाने संबंधी निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 2367 भोपाल दिनांक 15.04.2026 एवं पत्र क्रमांक 3396 दिनांक

09.06.2026 द्वारा प्रदान किए गए हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भूमि का रोवर-मशीन से सीमांकन कराकर विधिक कार्यवाही

[राजस्व]

92. (क्र. 993) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला तहसील कटनी के ग्राम झिंझरी एवं अमकुही के मध्य सरहदी नाला (झिंझरी खसरा-क्रमांक 292 के उत्तर तथा अमकुही खसरा-क्रमांक 285/5 के दक्षिण) की दूरी ग्राम झिंझरी के मिसल-नक्शा एवं चालू-शीट के अनुसार पुराने राष्ट्रीय-राजमार्ग क्रमांक-7 से कितनी है? वर्तमान में उक्त नाला भौतिक-रूप से कितनी दूरी पर है? उक्त सरहदी नाले को मूल-स्थिति से उत्तर दिशा में स्थानांतरित किया है। यदि हाँ, तो झिंझरी के मूल खसरा-क्रमांक 292 एवं उसके बटांक-खसरो का कितना रकबा बढ़ा है? उक्त अतिरिक्त-भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है? (ख) यश-लॉजिस्टिक, अतीशा-कंस्ट्रक्शन, निधि पाठक द्वारा विगत 15 वर्षों में झिंझरी के मूल खसरा-क्रमांक 288, 289, 290, 292 एवं उनके बटांक-खसरो तथा अमकुही के मूल खसरा-क्रमांक 264, 285, 286, 287, 288 एवं उनके बटांक-खसरो में से कितनी भूमि किस-किस विक्रेता से कब-कब क्रय की? विक्रेताओं के नाम, रजिस्ट्री दिनांक, रकबा सहित विवरण दें। उक्त संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा झिंझरी एवं अमकुही में कुल कितना रकबा पिछले 15 वर्षों में क्रय किया गया? (ग) उपरोक्त संस्थाएं/व्यक्ति केवल क्रय की गई भूमि पर ही काबिज हैं? यदि हाँ, तो संपूर्ण भूमि का रोवर-मशीन से सीमांकन कराकर सीमांकन प्रतिवेदन एवं फील्ड-बुक उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो अतिरिक्त कब्जे का रकबा बतावें तथा उसे हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? (घ) उपरोक्त भूमि का रोवर-मशीन से सीमांकन नहीं कराया है, तो कब तक कराया जाएगा? अतिरिक्त कब्जा पाए जाने पर उसे कब तक हटाया जाएगा? सम्पूर्ण विवरण दें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जिला-तहसील कटनी के ग्राम झिंझरी एवं अमकुही के मध्य सरहदी नाला (झिंझरी खसरा-क्रमांक 292 के उत्तर तथा अमकुही खसरा-क्रमांक 285/5 के दक्षिण) की दूरी ग्राम झिंझरी के मिसल-नक्शा एवं चालू-शीट के अनुसार पुराने राष्ट्रीय-राजमार्ग क्रमांक-7 से लगभग 5 जरीब (100 मीटर) की दूरी पर है एवं नाले की भौतिक दूरी एवं स्थल रिपोर्ट के संबंध में वर्षाकाल उपरान्त सीमाओं का विनिश्चय सीमांकन उपरान्त हो सकेगा। (ख) यश-लॉजिस्टिक, अतीशा-कंस्ट्रक्शन, निधि पाठक द्वारा विगत 15 वर्षों में ग्राम झिंझरी के मूल खसरा-क्रमांक 288, 289, 290, 292 एवं उनके बटांक-खसरो में कुल 3.68 हेक्टेयर एवं अमकुही के मूल खसरा-क्रमांक 264, 285, 286, 287, 288 एवं उनके बटांक खसरो में कुल 11.82 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया गया है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्षाकाल उपरांत रोवर-मशीन से सीमांकन कराकर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) जानकारी उत्तरांश 'क' एवं 'ग' अनुसार।

परिशिष्ट - "उनतीस"

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सामग्री का क्रय

[स्कूल शिक्षा]

93. (क्र. 1001) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1117, दिनांक 04/12/2025 के उत्तर में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी ने जाँच हेतु कहा था? यदि हाँ, तो अब तक क्या जाँच व कार्यवाही हुई? दस्तावेजों सहित जानकारी दें। (ख) मंडला जिला अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान/जिला शिक्षा केंद्र द्वारा वर्ष 2025-26 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न छात्रावासों व स्कूलों हेतु कितने इंटरएक्टिव पैनल, डेस्कटॉप-कम्प्यूटर आदि का क्रय किया गया है? इस हेतु क्रय नियम प्रक्रिया व विभागीय मापदंड की जानकारी उपलब्ध कराएं। इस हेतु कब-कब निविदा जारी की गई एवं निरस्त की गई? निरस्त करने के क्या कारण रहे? प्रत्येकवार निविदा में कौन-कौन सी शर्तों में संशोधन किया गया और क्यों? निविदा स्वीकृत होने के बाद कार्य आदेश कब जारी किया गया? प्रति उपलब्ध कराएं। भुगतान कब, कितना और किसको किया गया? क्या भुगतान के पूर्व सामग्री का भौतिक सत्यापन कराया गया? क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होने के कारण गुणवत्ता जाँच व मापदंड की जाँच तकनीकी विशेषज्ञ के द्वारा कराई जानी थी? क्या क्रय की गई समस्त सामग्री वर्तमान में समस्त निर्धारित छात्रावासों/स्कूलों में उपलब्ध है? क्या इस सम्पूर्ण क्रय व भुगतान प्रक्रिया की जाँच भोपाल स्तर से टीम गठन कर करवाई जाएगी? (ग) राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आईसीटी/2026-27/3093, दिनांक 18/05/26 के परिपालन में जिला परियोजना समन्वयक मंडला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। जिस शिकायत के परिप्रेक्ष्य में यह पत्र जारी किया गया, उसकी प्रति उपलब्ध कराएं। जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जाँच प्रचलन में है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार है। रा.शि.के. भोपाल से 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 03 एवं 04 जुलाई 2026 को जांच कराई गयी है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"2" अनुसार है। शिकायती पत्र जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"3" अनुसार है। जांच प्रतिवेदन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"4" अनुसार है।

मंडला जिले में आशा प्रशिक्षण हेतु प्राप्त बजट

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

94. (क्र. 1002) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में आशा प्रशिक्षण किस संस्था द्वारा एवं कब से कराया जा रहा है? आशा प्रशिक्षण हेतु बैचवार कितने बजट पिछले 2 वर्षों में प्राप्त हुआ है एवं किन-किन गतिविधि में व्यय किया गया है? (ख) आशा प्रशिक्षण की देखरेख किस अधिकारी को दी गई थी एवं अधिकारी द्वारा कब-कब प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया? क्या आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा गुणवत्ताहीन प्रशिक्षण के संबंध में शिकायत की गई थी, अगर की गई थी तो क्या कार्यवाही की गई है? (ग) आशा कार्यक्रम अंतर्गत किन-किन फर्मों से भोजन स्टेशनरी प्रिंटिंग एवं सामग्री पिछले 2 वर्षों में क्रय की गई? नोटशीट, सत्यापित बिल, स्टॉक रजिस्टर एंट्री की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (घ) मण्डला जिला अंतर्गत आशा प्रशिक्षण के लिए चिन्हित संस्था को कितना भुगतान किया गया एवं इनका अनुबंध व नवीनीकरण किन शर्तों में कब-कब किया गया है?

(ड.) आशा कार्यकताओं के प्रशिक्षण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, इसके लिए क्या संस्था को बदला जावेगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मंडला जिले में आशा प्रशिक्षण परिवर्तन सेवा एवं शिक्षा समिति, भोपाल द्वारा वर्ष 2012-13 से कराया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में आशा प्रशिक्षण हेतु बैचवार प्राप्त/आवंटित बजट एवं व्यय की गयी राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) आशा प्रशिक्षण की देखरेख की जिम्मेदारी जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर को दी गयी है। बैचवार निरीक्षण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। जी नहीं, कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आशा कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन, स्टेशनरी क्रय नहीं किया जाता है। प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री (एच.बी.एन.सी. किट) क्रय की नोटशीट, सत्यापित बिल, स्टॉक रजिस्टर का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार। (घ) मण्डला जिले के अंतर्गत आशा प्रशिक्षण के लिए चिन्हित संस्था को पिछले दो वर्षों में 37 बैच के लिए रु. 28, 42, 950/- भुगतान किया गया एवं इनके शर्तयुक्त अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार। नवीनीकरण की दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिवहन आयुक्त कार्यालय की स्थापना

[परिवहन]

95. (क्र. 1011) **श्री पंकज उपाध्याय :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के गठन के समय परिवहन-आयुक्त कार्यालय ग्वालियर में स्थापित करने संबंधी आदेश/राजपत्र की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) ग्वालियर के अलावा अन्य स्थान संचालित शाखा/कैम्प कार्यालय की स्थापना आदेश, वहां पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम और पदस्थापना आदेश सहित पिछले तीन वर्षों का विवरण दें। कर्मचारियों का वेतन किस कार्यालय से आवंटित होता है? यदि वे अन्य कार्यालयों में कार्यरत हैं, तो नगर, क्षतिपूर्ति भत्ता/गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है? पिछले 03 वर्षों की जानकारी दें। (ग) परिवहन-आयुक्त को किस ईयर-मार्क शासकीय आवास का आवंटन हुआ? क्या वे पिछले तीन वर्षों से वहाँ निवासरत हैं? पजेशन लेटर व वेतन से किराया कटौती का विवरण एवं आवंटित/अनुबंधित वाहनों के पिछले एक वर्ष की लॉगबुक और कटौती की प्रति दें। (घ) क्या कार्यालय ग्वालियर से किसी अन्य नगर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है? क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्यालय में भोपाल में स्थानांतरित किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश और मंत्रि-परिषद् की मंजूरी की प्रति दें। (ड.) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों के अटैचमेंट पर रोक है? ग्वालियर कार्यालय में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का अटैचमेंट मुख्यालय से भिन्न स्थानों पर है? उनके नाम, पदनाम और पिछले तीन वर्षों के अटैचमेंट आदेश दें। (च) परिवहन विभाग के उप-परिवहन आयुक्त, सहायक आर.टी.ओ., परिवहन निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षकों के पिछले दस वर्षों और पिछले 03 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के संपत्ति पत्रक दें। यदि सेवा में संपत्ति पत्रक नहीं दिए तो, विभाग द्वारा कृत कार्यवाही आदेश की प्रति दें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (च) जानकारी संकलित की जा रही है।

क्यू.सी.ओ. टेंडरिंग प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

96. (क्र. 1012) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हेल्थ कॉर्पोरेशन द्वारा चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु जारी QCO (Quality Control Order) टेंडर्स में 'बजट आवंटन' और 'टेंडर वैलिडिटी पीरियड' के बीच वित्तीय मिसमैनेजमेंट है, जिसके कारण बजट आने तक टेंडर लैप्स हो जाते हैं और प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया ठप हो जाती है? इस तकनीकी विफलता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? (ख) क्या हेल्थ कॉर्पोरेशन द्वारा टेंडर स्पेसिफिकेशन्स में स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर, मनमाने ढंग से चुनिंदा बिड्स में 'डेमो क्लॉज' लागू करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो नियमों को ताक पर रखने वाले इन अधिकारियों को कब तक निलंबित किया जाएगा? (ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में वेंडर्स के वैध कमर्शियल इनवॉइस और लायबिलिटी भुगतान की फाइलें संबंधित विंग के अधिकारियों द्वारा विगत 18 महीनों (डेढ़ वर्ष) से अकारण लंबित रखी गई है? ऑनलाइन ट्रेकिंग पोर्टल के लाइव होने के बाद भी फाइलों को डंप रखने वाले इन दोषी अधिकारियों पर विभाग क्या प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है? (घ) शासन के नियमों व सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट गाइड-लाइंस का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन पोर्टल को निष्क्रिय रखने वाले और वेंडर्स का भुगतान रोकने वाले इन समस्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कब तक विभागीय जांच (DE) संस्थित कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। चिकित्सा उपकरणों की प्रदायगी हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPPHSCL) द्वारा संपादित दर/मात्रा अनुबंध के तारतम्य में स्थानीय आवश्यकता, प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं बजट उपलब्धता के आधार पर राज्य एवं स्थानीय स्तर पर क्रयादेश जारी किए जाते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) शिकायतें मिली हैं। विभाग में यदि किसी उपकरण का डेमो लिया जाना अपेक्षित होता है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित इन्डेंट फॉर्म में किया जाता है। इन्डेंट फॉर्म में डेमो का प्रावधान अंकित होने की स्थिति में ही संबंधित उपकरण का डेमो लेने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाती है। अतः स्थापित प्रोटोकॉल के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण

[राजस्व]

97. (क्र. 1013) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुरैना के अंतर्गत आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर ग्राम जरेरूआ के सामने धनेला पहुंच मार्ग पर नियमों को ताक पर रखकर, बिना किसी वैध अनुमति, डायवर्सन और बिना 'रेरा' (RERA) की अनुमति के कृषि भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही है? क्या गंभीर विषय पर प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 07-04-2026 को कलेक्टर एवं एस.डी.एम. मुरैना को पत्र क्रमांक 07/26 प्रेषित कर निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के इस

पत्र पर स्थानीय प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है और की गई कार्रवाई से प्रश्नकर्ता को नियमानुसार कब तक अवगत कराया गया है? यदि अवगत नहीं कराया गया, तो क्यों? मैं रोड के किनारे धड़ल्ले से चल रहे इस अवैध निर्माण, भूखंडों के अवैध विभाजन और बिना रेरा पंजीकरण के चल रही खरीद-फरोख्त पर स्थानीय राजस्व अमले (पटवारी/आर.आई.) व संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करना क्या भू-माफियाओं को संरक्षण को प्रमाणित नहीं करता? शासन को करोड़ों के डायवर्सन शुल्क व राजस्व का चूना लगाने वाले तथा रेरा नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने वाले इन दोषी भू-माफियाओं के अवैध निर्माण को ढहाने व प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की कार्रवाई कब तक की जाएगी? साथ ही, जिम्मेदार अधिकारियों को कब तक निलंबित किया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : जी नहीं। मुरैना के अंतर्गत आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर ग्राम जरूरुआ के सामने धनेला पहुंच मार्ग पर कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित नहीं की जा रही है। श्री दिनेश गुर्जर माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा पत्र दिनांक 07.04.2026 से अवगत कराया गया था, जिसके अनुक्रम में तहसीलदार बामौर को जांच हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन अनुसार वस्तुस्थिति इस प्रकार है :- (1) उक्त प्रश्न ग्राम धनेला तहसील बामौर के सर्वे क्रमांक 111, 112, 113, 114, 151, 152/1, 150, 138, 139 रकबा 0.23, 0.25, 0.11, 0.64, 0.05, 0.79, 0.33, 0.23 जो निजी स्वामित्व की भूमि है से संबंधित है। (2) उक्त भूमि को सहखातेदारों द्वारा आपसी विभाजन कर अपने-अपने अंश भाग को सुरक्षा की दृष्टि से सीमेंट के आर.सी.सी. प्रीकास्ट कंपाउण्ड वाल से बाउन्ड्रीवॉल कर घेरा गया है। बाउन्ड्रीवॉल के अन्तर्गत प्लॉटिंग जैसी कोई संरचना नहीं पाई गई। (3) उक्त सर्वे नम्बरान 111, 112, 151, 152/1 का कृषि भिन्न आशय (डायवर्सन) व्यपवर्तन की सूचना क्रमांक 22138566521 चालान क्रमांक 051/9999999/0029/02/25/086417 दिनांक 15.02.2025 से एवं सर्वे क. 113, 114, 138, 139, 150 का कृषि भिन्न आशय व्यपवर्तन की सूचना क्रमांक 22138563629 चालान क्र. 051/9999999/0029/02/25/086397 दिनांक 15.02.2025 से व्यपवर्तन हो चुका है। (4) उपरोक्त जांच प्रतिवेदन एवं वस्तुस्थिति से माननीय विधायक महोदय को कार्यालय के पत्र क्रमांक 1374 दिनांक 04.07.2026 से विधिवत अवगत कराया गया था। चूंकि अवैध रूप से कॉलोनी विकसित नहीं की जा रही है तथा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत व्यपवर्तन किया जाकर निर्धारित शुल्क जमा किया गया है, किसी पर कार्यवाही संबंधी शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षकों/शिक्षकों हेतु वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

98. (क्र. 1019) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में वी.टी.पी (आउटसोर्स) के कितने व्यवसायिक प्रशिक्षक/शिक्षक किस वर्ष से नियुक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त व्यवसायिक प्रशिक्षकों/शिक्षकों को कितना वेतन/मानदेय दिया जा रहा है? (ग) नवीन व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ जिला ग्वालियर द्वारा समय-समय पर अन्य राज्यों के समान (38,000 से 42,000 रुपये तक) वेतन दिये जाने की मांग की जाती रही है, संघ द्वारा विभिन्न स्तरों पर

प्रस्तुत जापन पर वेतन बढ़ाये जाने के संबंध में शासन स्तर पर प्रस्ताव प्रचलित है? यदि हाँ, तो अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे। (घ) अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों की तरह व्यावसायिक प्रशिक्षकों को ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., बीमा कवर आदि अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने का प्रावधान है, एक प्रदेश में एक नीति तय किये जाने का निर्णय कब तक लिया जायेगा? समय-सीमा बताई जावे। यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 2014-15 में वी.टी.पी. (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर/पार्टनर) के माध्यम से 50 विद्यालयों में 100 व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत थे एवं वर्तमान में 3367 विद्यालयों में 6505 व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत हैं। (ख) वर्तमान में ₹20000/- प्रतिमाह प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक मानदेय की दर से माह की उपस्थिति के आधार पर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर/पार्टनर को मानदेय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। (ग) वी.टी.पी. के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुसार वी.टी.पी. व्यावसायिक प्रशिक्षक के नियोक्ता होने के कारण इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रचलन में नहीं है। (घ) वी.टी.पी. के साथ निष्पादित अनुबंध अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पी.एफ., ई.एस.आई.सी., टी.डी.एस. आदि का उत्तरदायित्व संबंधित वी.टी.पी. का है।

नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

99. (क्र. 1021) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के राजस्व अनुभागों एवं तहसीलों में दिनांक 1 जनवरी 2026 से प्रश्न दिनांक तक नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन के कितने प्रकरण प्राप्त हुए? तहसीलवार, माहवार, ग्रामवार, आवेदकों के नामवार जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अवधि में प्रश्नांश में उल्लेखित प्रकरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों/प्रश्नकर्ता द्वारा भी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निराकरण हेतु भेजे गए हैं? यदि हाँ, तो पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों को मान्य, अमान्य किया गया है, कितने प्रकरण किन कारणों से लंबित है, की प्रकरणवार जानकारी दें। क्या प्रकरणों के मान्य, अमान्य, लंबित रहने की सूचना देने, समय-सीमा में निराकरण करने के शासन के नियम निर्देश है? यदि हाँ, तो क्या? क्या प्रकरणों के निराकरण की जानकारी संबंधितों को दी गई है? यदि हाँ, तो पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र 578 दिनांक 11.5.2026 को जिला कलेक्टर ग्वालियर को लिखा गया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। पत्र के साथ प्रेषित प्रकरणों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही से अवगत करावें। यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र के तहसीलों में दिनांक 1 जनवरी 2026 से प्रश्न दिनांक तक नामांतरण, बंटवारे एवं सीमांकन की जानकारी निम्नसार है :-

घाटीगांव				भितरवार			चीनोर		
मद	प्राप्त आवेदन	निराकृत	शेष	प्राप्त आवेदन	निराकृत	शेष	प्राप्त आवेदन	निराकृत	शेष

नामांतरण	1641	1328	293	2399	1744	655	1137	533	604
बंटवारा	138	97	41	177	86	91	174	69	105
सीमांकन	414	336	78	217	172	45	142	118	24

तहसीलवार, माहवार, ग्रामवार आवेदकों की नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ", "ब", "स" अनुसार। तहसील घाटीगांव, (अ) भितरवार (ब) चीनोर (स). (ख) जी नहीं। प्रश्नांश (क) अवधि में प्रश्नांश में उल्लेखित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निराकरण हेतु नहीं भेजे गये हैं। (ग) प्रश्नांश "क" अवधि में प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित माध्यमों से कोई सूचीबद्ध प्रकरण अथवा आवेदन पत्रों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं। शासन नियमों के तहत अविवादित नामांतरण की समय-सीमा 30 दिवस, अविवादित बंटवारा की समय-सीमा 90 दिवस एवं अविवादित सीमांकन की समय-सीमा 45 दिवस है। आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से आवेदक स्वयं अपने प्रकरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। (घ) जी हाँ पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" में है। कलेक्टर जिला ग्वालियर को भेजे गये पत्र के 578 दिनांक 11.5.26 के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक/जनप्रतिनिधि/2026/8190 ग्वालियर दिनांक 19.5.2026 को अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग भितरवार, डबरा एवं घाटीगांव को प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु पत्र भेजा गया। माननीय विधायक के पत्र क्रमांक 578 दिनांक 11.5.2026 से संलग्न पी.एच.ई., विद्युत, राजस्व एवं पंचायत विभाग की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें 31 विषय विभाग से संबंधित है। तहसीलदार घाटीगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार उनके द्वारा 14 शिकायतों एवं भितरवार से 09 शिकायतों पर कार्यवाही की गई है। शेष कार्यवाही प्रचलित है।

कार्यालय भवन एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण

[राजस्व]

100. (क्र. 1024) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथौन अनुविभाग अन्तर्गत अनुविभागीय कार्यालय भवन एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व स्टॉफ आवास की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु विभाग की क्या योजना है? क्या भवन व आवास न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं? उक्त कार्यालय भवन एवं आवास सुविधा कब तक प्रदान कर दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन मालथौन के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08 सितम्बर, 2021 को जारी की गई तथा जनवरी, 2023 से कार्यालय नवीन भवन में संचालित है। अनुविभाग मालथौन के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव कार्यालय कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 08.07.2026 को विभागाध्यक्ष कार्यालय आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन को उपलब्ध कराया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसील कार्यालय पूर्व से निर्मित भवन में संचालित हैं तथा शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों का प्रस्ताव कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त हो गया है। कार्यालय भवन उपलब्ध होने से उक्त सुविधा प्रदान करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता

हैं तथा आवासीय भवनों की सुविधा प्रदान करने के लिये कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही के दृष्टिगत, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बीना नदी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन बांधों का अपूर्ण कार्य

[जल संसाधन]

101. (क्र. 1027) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की बहुप्रतीक्षित बीना नदी सिंचाई योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन हनौता, चकरपुर व बंडा परियोजना के उल्दन बांध से संबंधित कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं कौन-कौन से कार्य किन-किन कारणों से अभी तक अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार बीना नदी परियोजना के कार्यों में बार-बार समय-सीमा वृद्धि के बाद भी बांध निर्माण कार्य बढ़ाया गया। समय-सीमा में भी पूर्ण न होने के क्या कारण है? निर्माणाधीन बांध अनुसार कब-कब तक क्षेत्र के किसानों एवं नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान कर दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

102. (क्र. 1028) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर पन्ना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 340 दिनांक 05 अगस्त 2025 द्वारा गुनौर विधानसभा अंतर्गत शासन संधारित श्री जगदीश मंदिर बिहरासर, श्री बिहारी जू मंदिर गढीपडरिया एवं बिहारी जू मंदिर जसवंतपुरा के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व सिंहस्थ मेला कोठी रोड उज्जैन को प्रेषित किये गये थे? इन प्रस्तावों के अनुसार राशि स्वीकृति के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? इन प्रस्तावों की राशि शासन द्वारा कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? जानकारी दें। (ख) क्या कलेक्टर पन्ना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 22 दिनांक 21 जनवरी 2026 द्वारा गुनौर विधानसभा गुनौर अंतर्गत शासन संधारित मंदिर श्री रामजानकी मंदिर अखाड़ा भिलसांय, श्री बिहारी जी/जगदीश स्वामी मंदिर हिनौती, श्री जगदीश स्वामी मंदिर हिनौती, श्री जगदीश स्वामी जी एवं हनुमान गढी मंदिर ककरहटी, श्री मदन गोपाल मंदिर द्वारी एवं श्री धनुषधारी मंदिर महेबा के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व सिंहस्थ मेला कोठी रोड उज्जैन को प्रेषित किया था? इन प्रस्तावों के अनुसार राशि स्वीकृति के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? इन प्रस्तावों की राशि शासन द्वारा कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) जी हाँ। प्रस्ताव अपूर्ण होकर स्वीकृति योग्य नहीं होने से पूर्ति हेतु पत्र दिनांक 25/06/2026 द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना को लेख किया गया है। कार्य की गुणवत्ता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर राशि स्वीकृति की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। प्रस्ताव अपूर्ण होकर स्वीकृति योग्य नहीं होने से पूर्ति हेतु पत्र दिनांक 25/06/2026 द्वारा कलेक्टर

जिला पन्ना को लेख किया गया है। कार्य की गुणवत्ता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर राशि स्वीकृति की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निर्माण कार्यों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

103. (क्र. 1031) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने प्रगतिरत हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? प्रत्येक निर्माण कार्य का नाम, कार्य का स्थान, प्रशासनिक आदेश जारी होने का दिनांक, कार्य की लागत, कार्य पूर्ण करने का निर्धारित दिनांक, कार्य पूर्ण होने का वास्तविक दिनांक, संबंधित एजेंसी/ठेकेदार का नाम एवं उन्हें भुगतान की गई राशि के ब्यौरे सहित जानकारी दें। क्या इनके भूमि पूजन व लोकार्पण में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लिखित सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं तो इसके लिये दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** जिले के किन-किन तकनीकी अधिकारियों ने प्रश्नांश (क) से संबंधित निर्माण कार्यों का किन-किन अवधियों में निरीक्षण किया? निरीक्षण के जांच प्रतिवेदनों में क्या कार्यवाही की गई? निरीक्षण करने में शासन की कितनी राशि का व्यय हुआ? दिनांकवार व्यय का विवरण उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (क) से संबंधित निर्माण कार्यों के लिये विभाग से कोई निर्धारित कार्यक्रम है, जिसके अनुसार जांच किया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या उन नियमों के अनुसार निर्धारित जांच की गई है तथा जांच उपरांत दोषियों पर कार्यवाही भी की गई है? यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : **(क)** गुनौर विधानसभा में वर्ष 2022 प्रश्न दिनांक तक 17 निर्माण कार्य स्वीकृत हुये थे। सभी 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कोई भी कार्य प्रगतिरत एवं अपूर्ण नहीं है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर अनुबंध की धाराओं/शर्तों के अधीन ठेकेदार पर शास्ती अधिरोपित की जाती है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** **(ग)** **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** कार्य के निरीक्षण के दौरान संविदाकार को स्थल पर दिशा-निर्देश दिये जाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। म.प्र. वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार शासकीय एवं अनुबंधित वाहन से भ्रमण एवं निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण पर कोई अतिरिक्त राशि व्यय नहीं की जाती है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग की कार्य नियमावली अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, शिकायत प्राप्त होने पर जांच की कार्यवाही की जाती है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीस "

नियोजन प्रक्रिया की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

104. (क्र. 1032) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 871, दिनांक 19/02/2026 के जवाब में अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों की भर्ती नहीं की गई बताया गया है, जबकि दिनांक 01/05/2025 एवं 27/06/2025 को जारी आदेश द्वारा तत्कालीन अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों का संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन किया गया है? (ख) इसके पूर्व अनुदेशक/पर्यवेक्षक अपनी सेवा जिले के किस स्कूल में दे रहे थे? दिनांकवार जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही अनुदेशक/पर्यवेक्षक स्थायी कर्मचारी थे या अस्थायी कर्मचारी हैं, तो विभाग द्वारा नियोजन प्रक्रिया को अधिकारिक भाषा में क्या कहा जाता है? जानकारी दें। उक्त संबंध में की गई नियोजन प्रक्रिया में शासन के क्या नियम/निर्देश थे? समस्त नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें एवं बालाघाट जिले में कितने अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों का संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन किया गया है? सूची के साथ-साथ मूल निवासी प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें। (ग) बालाघाट में किये गये अनुदेशक/पर्यवेक्षक का संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में नियोजन के साक्षात्कार जिले के किस विभाग में किस अधिकारी द्वारा लिया गया एवं साक्षात्कार में कितने अनुदेशकों की उपस्थिति प्राप्त हुई? सूची सहित उपलब्ध करावें एवं साक्षात्कार देने वाले अनुदेशक/पर्यवेक्षक जिले के किस ग्राम के निवासी हैं? अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों की पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। अनुदेशक एवं पर्यवेक्षकों की भर्ती नहीं की गई। अपितु आदेश दिनांक 1/05/2025 एवं 27/06/2026 के माध्यम से तत्कालीन अनुदेशक/पर्यवेक्षक का संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियोजन किया गया। (ख) अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक अपनी सेवा किसी स्कूल में नहीं दे रहे थे। अपितु इनकी सेवाएं औपाचारिकेतर शिक्षा केन्द्र में अस्थायी रूप से थी। नियोजन की प्रक्रिया अर्थात् नियुक्ति है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार।** प्रश्नांश "क" के अनुक्रम में बालाघाट जिले में कुल 75 अनुदेशक/पर्यवेक्षकों का नियोजन किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"2" अनुसार।** (ग) अनुदेशक/पर्यवेक्षकों का संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद में नियोजन हेतु साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला स्टोर कार्यालय द्वारा क्रय की गई सामग्री की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

105. (क्र. 1034) श्री मधु भगत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय टीकमगढ़ अंतर्गत आने वाले जिला स्टोर कार्यालय द्वारा 1 अप्रैल 2020 से दिनांक 30 मार्च 2026 तक, स्टेशनरी, प्रिंटिंग सामग्री, दवाईयाँ, स्वास्थ्य उपकरण एवं अन्य सहित प्रचार प्रसार सामग्री क्रय करने हेतु जारी किए गए निविदा आदेशों, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन एवं सामग्री क्रय हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमावली की छायाप्रतियां प्रदान करें। (ख) उक्त टेंडर प्रक्रिया के पश्चात टेंडर प्राप्त फर्म/संस्था/दुकान/व्यक्ति को दिए गए क्रय आदेश पत्रों एवं अनुबंध पत्रों एवं संस्था/फर्म द्वारा प्रेषित सामग्री की सत्यापित सूची एवं पावती सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) उक्त सामग्री क्रय करने हेतु संबंधित फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल वाउचरों की एवं विभाग द्वारा भुगतान

की गई राशि के भुगतान वाउचरों की जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) टेंडर प्राप्त करने वाली फर्म/संस्था के दस्तावेजों (फर्म/संस्था रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों) का विवरण बतावें। (ड.) उक्त क्रय की गई सामग्री का वितरण कहाँ-कहाँ किया गया? संबंधित केंद्रों से प्राप्त मांग पत्रों एवं भेजी गई सामग्री की पावती दस्तावेज एवं सामग्री वितरण रजिस्टर की छायाप्रतियां उपलब्ध करवाई जाएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

106. (क्र. 1036) श्री संतोष वरकड़े : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिविल अस्पताल सिहोरा एवं अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर विशेषज्ञों जैसे स्त्री रोग, शिशु रोग व एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और पैरामैडिकल स्टाफ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद वर्तमान में भरे हैं और कितने पद रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों पर नियुक्ति की समय-सीमा से अवगत करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) "पदपूर्ति" एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

107. (क्र. 1039) श्री संतोष वरकड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नाम त्रुटि एवं नक्शा त्रुटि सुधार हेतु कितने प्रकरण पंजीबद्ध हैं? तहसील स्तर पर कितने प्रकरण निराकृत हुए एवं कितने लंबित हैं? (ख) क्या नाम त्रुटि सुधार प्रक्रिया जटिल है? उपर्युक्त त्रुटियों के लिए कौन जिम्मेदार है, हितग्राही या विभाग? यदि विभाग जिम्मेदार है तो विभाग स्वयं संज्ञान लेकर उपरोक्त आवेदनों पर निराकरण क्यों नहीं करता?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) नाम त्रुटि, नक्शा त्रुटि सुधार हेतु तहसील स्तर पर निराकृत हुए एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा के 115 के प्रावधान के तहत भू-अभिलेख के गलत या अशुद्ध? प्रविष्टि का शुद्धीकरण उप खण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या यदि व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर भू-अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए गलत अशुद्ध प्रविष्टि को ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अभिप्रमाणित की जाएंगी परन्तु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना 05 वर्ष की कालावधि

के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर भी आवेदनों का निराकरण किया जाता है।

जलाशय की नहरों का सुदृढीकरण एवं लाइनिंग कार्य

[जल संसाधन]

108. (क्र. 1043) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत पाथरी लघु जलाशय की नहरों का सुदृढीकरण एवं लाइनिंग कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विभाग द्वारा कब तक कर दी जाएगी? उसकी राशि का आवंटन विभाग द्वारा कितने समय में किया जाएगा? समय-सीमा बतायें। (ख) बालाघाट विधानसभा अंतर्गत कितने जलाशय हैं? 10 वर्षों में कितने छोटे-बड़े जलाशयों का निर्माण हुआ? जानकारी सूची में दें। निर्मित जलाशयों की जल भरण क्षमता क्या है तथा कितने हेक्टेयर में सिंचाई होती है? जलाशयवार बतायें। (ग) बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में नहरों की मरम्मत/मर्मतीकरण के लिये क्या विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो नहरों का सुधार कब तक होगा? समय-सीमा बतायें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा पाथरी लघु जलाशय की नहरों का सुदृढीकरण एवं लाइनिंग कार्य के संबंध में विभाग को कितने पत्राचार किए गए? उन पत्राचार पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? नस्ती आदेश एवं संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराएं।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) पाथरी जलाशय की नहरों का सुदृढीकरण एवं लाइनिंग कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विभाग में प्रचलित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जलाशयवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) जी हाँ। पाथरी जलाशय की नहरों एवं फीडर नहर के मरम्मत कार्य हेतु विशेष मरम्मत अंतर्गत राशि रु. 30.72 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 11.06.2026 को प्रदान की जा चुकी है। कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पाथरी जलाशय की नहरों के लाइनिंग कार्य हेतु राशि रु. 270.37 लाख का प्रस्ताव सुधार, सुदृढीकरण, पुनरूद्धार (आर.आर.आर.) के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रतिवेदित है। राज्य स्तरीय स्वीकृति उपरांत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्यों को कराया जाना संभव हो सकेगा। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वांछित पत्राचार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-1" के अनुसार है।

संजय सरोवर परियोजना की नहरों का रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य

[जल संसाधन]

109. (क्र. 1044) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संजय सरोवर परियोजना की मुख्य एवं वितरण नहरों की कुल लंबाई कितनी है तथा वर्तमान में कितनी नहरें क्षतिग्रस्त अथवा मरम्मत योग्य स्थिति में हैं? (ख) वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक नहरों के रख-रखाव, मरम्मत, लाइनिंग एवं सफाई कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय की गई है? कार्यवार जानकारी दें। (ग) क्या कई स्थानों पर नहरों के क्षतिग्रस्त होने, रिसाव एवं गाद भराव के कारण किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल

उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दें। (घ) नहरों के सुदृढीकरण, मरम्मत एवं नियमित रख-रखाव हेतु वर्तमान में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित अथवा स्वीकृत हैं? उनकी लागत, समय-सीमा एवं संभावित पूर्णता तिथि क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। परियोजना की नहरें 40 वर्ष पुरानी कच्ची नहर हैं। प्रतिवर्ष नहरें क्षतिग्रस्त होती हैं, जिनका आवश्यक मरम्मत कार्य कराकर कृषकों को आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाता है। नहरों की लाइनिंग कार्य ई.आर.एम. मद अंतर्गत प्रस्तावित है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर नहरों का लाइनिंग कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" एवं "स" अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा वार्षिक अनुरक्षण मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से नहरों के क्षतिग्रस्त होने, रिसाव एवं गाद, भराव का कार्य कराकर किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाना प्रतिवेदित है। वर्तमान में नहर सुधार संबंधी कोई शिकायत नहीं प्राप्त होना प्रतिवेदित है। (घ) नहरों के सुदृढीकरण, मरम्मत एवं नियमित रख-रखाव हेतु की गई कार्यवाही अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" एवं "इ" अनुसार है।

शासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टरों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

110. (क्र. 1045) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में कितने कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं? जिलेवार एवं विकासखंडवार विवरण दें। इनमें से कितने नियमित, संविदा, आउटसोर्स एजेंसी अथवा अन्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत हैं। (ख) क्या कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टरों से उनके मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक अथवा गैर-शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उनके लिए निर्धारित मानदेय कितना है तथा क्या यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन मानकों के अनुरूप है? (ग) विगत तीन वर्षों में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टरों के मानदेय भुगतान में विलंब के कितने प्रकरण सामने आए हैं? जिलावार विवरण एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी दें। (घ) क्या शासन द्वारा कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टरों के पदों के नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, आरक्षण लाभ, आयु सीमा में छूट अथवा भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में प्राथमिकता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका वर्तमान स्थिति सहित विवरण दें। (ङ.) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? वर्तमान में कितने विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है तथा शेष विद्यालयों में इसे कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विद्यालयों में 3135 कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर कार्यरत थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। इन्हें प्रोजेक्ट आउटसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (POMS) के तहत रखा गया था। (ख) जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। भुगतान समय पर किया जाता है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ.) भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के द्वारा इंटरनेट प्रदाय की

जाने की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में कुल 4638 विद्यालयों में यह उपलब्ध है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

111. (क्र. 1049) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लटेरी-सेमरखेड़ी तीर्थ क्षेत्र सिंचाई परियोजना, बरखेड़ा हरगन सिंचाई परियोजना (सिरोंज) एवं सेमरखेड़ी सिंचाई परियोजना (लटेरी) का निर्माण कार्य प्रगति पर है? यदि हाँ, तो परियोजनावार निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि, वर्तमान प्रगति, संभावित पूर्णता समय-सीमा तथा कार्य एजेंसियों/ठेकेदारों को अब तक दिनांकवार किए गए भुगतान का विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ख) उक्त परियोजनाओं से प्रभावित वन भूमि, उसके बदले उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि, वन विभाग को जमा की गई राशि, भूमि आधिपत्य प्रदान किए जाने की दिनांकवार जानकारी तथा शेष वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु की गई कार्यवाही एवं संबंधित पत्राचार की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएं। (ग) विकासखंड सिरोंज एवं लटेरी में 01.04.2023 से प्रश्न दिनांक तक लघु सिंचाई तालाब, नहर, स्टॉप डैम, बैराज एवं अन्य सिंचाई संरचनाओं के निर्माण, रख-रखाव, मरम्मत एवं संधारण हेतु स्वीकृत राशि, स्वीकृति आदेशों की प्रतिलिपियां तथा कार्य एजेंसियों/व्यक्तियों को किए गए भुगतान का विवरण उपलब्ध कराया जाए। (घ) विकासखंड सिरोंज एवं लटेरी की प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं का विवरण, तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य/असाध्य स्थिति, स्वीकृति हेतु की गई कार्यवाही तथा संबंधित पत्राचार एवं अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएं। (ङ.) 01.04.2024 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता को प्रेषित पत्रों पर प्राप्त पत्राचार, पत्र-पावती, की गई कार्यवाही, प्रश्नकर्ता को दी गई सूचना तथा संबंधित अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएं।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-स" एवं "द" अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ई" अनुसार है। (ङ.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-1" अनुसार है।

निर्धारित मापदंड अनुरूप निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग कॉलेज का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

112. (क्र. 1052) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कहाँ-कहाँ पर निजी चिकित्सालय/नर्सिंग कॉलेज किस-किस नाम से कब-कब से संचालित है? इनके संचालक/मालिकों के नाम, पते सहित सूची दें। (ख) उक्त निजी चिकित्सालय/नर्सिंग कॉलेज खोलने के क्या-क्या मापदण्ड/नियम/शर्तें हैं? (ग) क्या यह सही है, कि उक्त संचालित निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग कॉलेज में निर्धारित मापदण्डों/नियम/शर्तों का पालन नहीं किया जाकर उल्लंघन

किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विभाग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध संचालित निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग कॉलेज में संचालकों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग कॉलेज में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सर्वसुविधायुक्त व्यवस्था है एवं किन-किन में नहीं है? उनकी सूची दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वॉर्ड क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में संचालित निजी चिकित्सालयों के संचालक/मालिकों के नाम व पता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। निजी नर्सिंग कॉलेज के संचालक के नाम व पता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) निजी चिकित्सालय का संचालन संबंधी विनियामक अधिनियम एवं नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। निजी नर्सिंग कॉलेज के संचालन हेतु लागू मापदण्ड, नियम एवं शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है। (ग) निजी चिकित्सालय/नर्सिंग कॉलेज में स्थित सुविधाओं का निरीक्षण पंजीयन के समय किया जाता है। विभाग को निर्धारित मापदंड न होने की शिकायत इस वर्ष नहीं मिली है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार।

नियम विपरीत नियुक्ति पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

113. (क्र. 1054) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के आदेश क्र./शिका/सेल-4/विभा. जांच-भिण्ड-ग्वालियर/2025/471, भोपाल दिनांक 4/3/2025 डॉ. शर्मा के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच एक माह की समयावधि में अनिवार्य रूप से आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित था? यदि हाँ, तो उक्त जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? जांच प्रतिवेदन की प्रति दें। (ख) क्या सिविल अस्पताल लहार जिला भिण्ड में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. विजय शर्मा 3 बच्चे होने के बाद भी अवैध रूप से सेवारत हैं। (ग) यदि हाँ, तो विभागीय जांच में प्रमाणित होने के उपरान्त भी विभागीय अधिकारी अवैध रूप से सेवा में रखकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे हैं? यदि नहीं तो डॉ. शर्मा के नियम विपरीत नियुक्ति प्राप्त करने के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो कार्यवाही न किये जाने के कारण व समयावधि बतावें। (घ) प्रश्न दिनांक तक डॉ. विजय शर्मा के विरुद्ध कब-कब विधानसभा में किन-किन माननीय विधायक महोदयों द्वारा प्रश्न लगाकर कार्यवाही की मांग की गई? कार्यवाही दिनांक सहित बतावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। विभागीय जांचकर्ता अधिकारी से डॉ. विजय कुमार शर्मा के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच का जांच प्रतिवेदन, उनके ज्ञाप क्रमांक./शिका./14417-21 भिण्ड दिनांक 03.07.2026 द्वारा प्राप्त होने पर, प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति, संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक 1305 दिनांक 09.07.2026 द्वारा नियमानुसार डॉ. विजय कुमार शर्मा की ओर संलग्न प्रेषित कर, प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर उनका अभ्यावेदन चाहा गया है। विभागीय जांच प्रतिवेदन पर संबंधित से चाहा गया अभ्यावेदन प्राप्त होने

पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही संभव है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।

(ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार, नियमानुसार अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया होने से समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।

आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

114. (क्र. 1056) श्री हजारीलाल दांगी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स एजेंसियों ने कर्मचारियों को प्रश्न दिनांक तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है? भुगतान नहीं करने का क्या कारण है? जानकारी उपलब्ध करायें। क्या विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसियों को भुगतान कर दिया है, तो किस-किस माह का व कितना-कितना किया तथा कितने माह का बकाया है? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारियों को भुगतान करने के क्या नियम हैं? क्या मानदेय भुगतान नहीं करना शासन नियमों का उल्लंघन है? इसमें कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी दोषी हैं? इन आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या आउटसोर्स एजेंसियों के बिल भुगतान उपरान्त भी संबंधित कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इन आउटसोर्स एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतायें। (घ) वर्ल्ड क्लास आउटसोर्स एजेंसी द्वारा लगभग 8-10 माह से कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया है, जबकि विभाग द्वारा इनके बिल भुगतान कर दिये हैं? क्या कम्पनी टेंडर अनुबंध शर्तों का उल्लंघन कर रही है? कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक की जावेगी? बतायें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, जिला राजगढ़ अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियोजित आउटसोर्स कर्मियों को माह जून 2026 तक का भुगतान संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जा चुका है तथा विभाग द्वारा संबंधित एजेन्सी को भी माह मई 2026 तक का भुगतान किया गया है। राज्य मद के अंतर्गत नियोजित सिक्युरिटी एवं सपोर्ट स्टाफ का भुगतान भी जून 2026 तक किया जा चुका है। मल्टी ग्रुप-डी आउटसोर्स कर्मियों हेतु अनुबंधित एजेन्सी सिग्मा इन्फोटेक भोपाल एवं मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेस लि. इन्दौर द्वारा माह मार्च 2026 तक का भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार संबंधित एजेन्सियों द्वारा समय पर भुगतान न किये जाने के दृष्टिगत उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (ख) स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को भुगतान श्रम विभाग म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित श्रेणीवार योग्यता एवं मापदण्डों के आलोक में, म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) में निहित प्रावधान एवं म.प्र. वित्तीय अधिकार पुस्तिका के प्रदत्त अधिकार अनुसार किया जाता है। जी हाँ, भुगतान में विलम्ब हेतु दोषी एजेन्सी सिग्मा इन्फोटेक भोपाल एवं वर्ल्ड क्लास लि. इन्दौर

के द्वारा मल्टी ग्रुप-डी कर्मचारियों का भुगतान न किये जाने के संबंध में उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अनुबंध शर्तानुसार एजेन्सी द्वारा नियोजित कर्मिकों के मानदेय भुगतान किये जाने के पश्चात प्रस्तुत देयकों का नियमानुसार परीक्षण कर विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। जानकारी उत्तरांश "ख" में समाहित है। (घ) जी नहीं। जानकारी उत्तरांश "ख" एवं "ग" में समाहित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

115. (क्र. 1060) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2770 के उत्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसरावद को मात्र 74.93 प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु अपात्र बताया गया है? यदि हाँ, तो जब अस्पताल में चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के अनेक पद लंबे समय से रिक्त हैं, तब कम बेड ऑक्यूपेंसी को उन्नयन में बाधक मानने का औचित्य क्या है? क्या यह तथ्य नहीं है कि पर्याप्त विशेषज्ञ एवं सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को जिला अस्पताल एवं इंदौर रेफर किया जाता है, जिससे बेड ऑक्यूपेंसी प्रभावित होती है? (ख) क्या प्रदेश में ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हैं जिन्हें 80 प्रतिशत से कम बेड ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद सिविल अस्पताल में उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो उनका विवरण तथा कसरावद को इससे वंचित रखने के कारण क्या हैं? (ग) कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे तथा इसका सिविल अस्पताल में उन्नयन कब तक किया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। "पदपूर्ति" एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। रिक्त पद एवं सुविधाओं के अभाव में मरीजों को उनकी स्थिति अनुसार जिला चिकित्सालय खरगोन रेफर किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) बेड आक्यूपेंसी दर के अतिरिक्त अन्य मापदण्डों के आधार पर संस्था का उन्नयन किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) "पदपूर्ति" विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है। स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या मापदंड, वर्तमान संस्था के उपयोग की स्थिति एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध अन्य संस्थाओं के उपयोग की स्थिति आदि को देखते हुए प्राथमिकता निर्धारण के साथ किया जाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्वामित्व योजना 2022 अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य

[राजस्व]

116. (क्र. 1061) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आबादी भूमि के सीमांकन, अभिलेखीकरण एवं स्वामित्व अधिकार पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) जारी करने के उद्देश्य से ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य कराया गया है? (ख) यदि हाँ, तो योजनान्तर्गत कुल कितने जिलों का सर्वे किया जाना प्रस्तावित था? उनमें से कितने जिलों का पूर्ण, अपूर्ण एवं शेष है?

विवरण दें। (ग) जिन जिलों में सर्वेक्षण कार्य अपूर्ण अथवा प्रारंभ नहीं हुआ है, उसके क्या कारण हैं? अपूर्ण एवं शेष जिलों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? बताएं (घ) योजना अंतर्गत अब तक कितने स्वामित्व अधिकार पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) जारी किए जा चुके हैं तथा शेष पात्र हितग्राहियों को कब तक प्रदान किए जाने का लक्ष्य है? क्या रजिस्ट्रियों के नामांतरण हो पा रहे हैं? जानकारी दें। (ङ.) योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त आपत्तियों/विवादों के निराकरण हेतु क्या व्यवस्था की गई है एवं अब तक कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, संपूर्ण मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आबादी भूमि के सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कराया गया है। स्वामित्व योजनान्तर्गत 55 जिलों का सर्वे किया गया है। (ख) कोई भी जिला शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्वामित्व योजनान्तर्गत 28 जिलों में कार्य पूर्ण हो गया है, शेष जिलों में कार्य प्रगतिरत है। (घ) स्वामित्व योजनान्तर्गत लगभग 41586 आबादी ग्रामों में से 40855 आबादी ग्रामों में 68.47 लाख अधिकार पत्र (अधिकार अभिलेख) जारी किये जा चुके हैं। जिसमें 48.57 लाख निजी एवं 19.89 लाख शासकीय है। जी हाँ, रजिस्ट्रियों के नामांतरण हो रहे हैं। (ङ.) MPLRC 1959 के प्रावधानों के अनुकूल प्राप्त आपत्तियों/विवादों का निराकरण किया जा रहा है।

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

117. (क्र. 1064) श्री राजन मण्डलोई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 172/2026 दिनांक 07/05/2026, पत्र क्रमांक 179/2026 दिनांक 07/05/2026, पत्र क्रमांक 246/2026 दिनांक 19/06/2026, पत्र क्रमांक 247/2026 दिनांक 19/06/2026, पत्र क्रमांक 248/2026 दिनांक 19/06/2026, पत्र क्रमांक 249/2026 दिनांक 19/06/2026, जिला परियोजना समन्वयक, जिला बड़वानी को लिखे गये थे? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि "नहीं" तो सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. F-19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22-03-2011 अनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी तथा जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 183/2026 दिनांक 13/05/2026 संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल म.प्र. को लिखा गया था? यदि "हाँ" तो प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि "नहीं" तो सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. F-19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22-03-2011 अनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी तथा जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"2" अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चेक पॉइंट सेंधवा पर व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

[परिवहन]

118. (क्र. 1065) श्री राजन मण्डलोई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन को माह जुलाई 2024 से प्रश्न दिनांक तक जिला बड़वानी के सेंधवा परिवहन चेक पॉइंट पर वाहन चालकों/परिवहनकर्ताओं से अवैध वसूली, बिना रसीद के राशि लेने, ओवरलोड वाहनों को बिना जांच जाने देने एवं फर्जी एंट्री करने संबंधी शिकायतें किस-किस स्तर पर प्राप्त हुईं? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में चेक पॉइंट से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना राजस्व वसूल किया गया? क्या वसूला गया राजस्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या सेंधवा चेक पॉइंट पर CCTV कैमरे, वे-ब्रिज एवं ऑनलाइन एंट्री सिस्टम पूर्णतः क्रियाशील हैं? यदि नहीं, तो उपकरण खराब/बंद रहने की अवधि एवं इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? (घ) सेंधवा चेक पॉइंट महाराष्ट्र सीमा से लगा होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। वहां व्याप्त अनियमितताओं को रोकने, पारदर्शिता लाने एवं राजस्व हानि रोकने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या स्थायी व्यवस्था की जा रही है? (ङ.) बड़वानी जिले में मद क्रमांक 872 एवं 873 में जिला परिवहन अधिकारी की मिलीभगत के कारण वसूली नहीं किए जाने से विभाग का करोड़ों रुपया डूब रहा है, इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) अभिलेखानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) चेक पॉइंटों को पृथक से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। शासन द्वारा परिवहन विभाग को राजस्व प्राप्ति हेतु लक्ष्य समग्र रूप से निर्धारित किया जाता है। चेक पॉइंट बड़वानी 1 व 2 के द्वारा प्रश्नांश "क" में वर्णित अवधि के दौरान चेक पॉइंट बड़वानी-1 के द्वारा राशि रुपये 206034150 एवं चेक पॉइंट बड़वानी-2 के द्वारा राशि रुपये 5336350 का राजस्व वसूला गया है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) परिवहन विभाग के अंतर्गत समस्त चेक पॉइंट स्थाई रूप से एक ही स्थान पर रहकर कार्य नहीं करते हैं। चेक पॉइंट हेतु निर्धारित राजमार्गों पर विभागीय अमले द्वारा विभिन्न स्थानों पर खडे होकर रैन्डम चैकिंग की जाती है। इस कारण सी.सी.टी.वी. कैमरे, वे-ब्रिज एवं ऑनलाइन एंट्री सिस्टम की जानकारी निरंक है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। चैकिंग कार्य में पारदर्शिता एवं राजस्व हानि रोकने के लिये विभाग द्वारा प्रवर्तन अमले को बॉडीवार्न कैमरे तथा अन्य रोड सेफ्टी उपकरण प्रदाय किये गये हैं एवं चालानी कार्यवाही हेतु पी.ओ.एस. मशीन भी अमले को प्रदाय की गई है। (ङ.) बड़वानी जिले में माह अप्रैल 2026 से प्रश्न दिनांक तक मद संख्या 872 में राशि रुपये 1, 04, 055/- एवं मद संख्या 873 में राशि रुपये 3, 50, 730/- वसूल की गई है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर बकाया वाहन स्वामियों के विरुद्ध नोटिस जारी किये जाकर वसूली के प्रयास किये जाते हैं।

विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

119. (क्र. 1074) डॉ. विक्रान्त भूरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2020-21 से 2026-27 जून तक, नियमित अध्यापकों की संख्या, वर्ग और जेंडर अनुसार, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अनुसार विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12 में नामांकन वर्ग तथा जेंडर अनुसार, यूडाइस अथवा विभाग अनुसार बताएं। (ग) प्रदेश में "प्रतिभाशाली विद्यार्थी" प्रोत्साहन योजना में "प्रारंभ होने से वर्ष 2025-26" तक कितने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी गई? इस मद में प्रति वर्ष कितना बजट का प्रावधान था तथा कितना खर्च किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में "व्यापम/कर्मचारी चयन मंडल" से 137 करोड़ तथा 297 करोड़ क्यों लिए गए? क्या विभाग के पास बजट राशि समाप्त हो गई थी? जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-03 अनुसार है। (घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 में 137 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 160 करोड़ कुल 297 करोड़ योजना अंतर्गत पर्याप्त आवंटन न होने से राशि प्राप्त की गई थी।

परिशिष्ट - "इकतीस"

उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

120. (क्र. 1076) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट क्या है? (ख) बिरियाखेड़ी में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं हुआ है? इसे कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? (ग) लगभग सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य अपूर्ण है। कार्य अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण न होने की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई? (घ) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम बिरियाखेड़ी में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई है। (ग) जी नहीं, अद्यतन कुल स्वीकृत 23 कार्यों में से 05 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 06 भवन पूर्ण है एवं मात्र बाह्य विकास कार्य शेष है तथा 11 भवन अपूर्ण है। 01 कार्य उपयुक्त भूमि के अभाव में निरस्त। कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को निराकृत किया जाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित किए गए हैं। (घ) कार्यों की संभावित पूर्णता तिथि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-8 अनुसार है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि

[स्कूल शिक्षा]

121. (क्र. 1077) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि वर्ष 2023 में की गई थी। तत्पश्चात आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। क्या महंगाई एवं अतिथि शिक्षकों के संगठनों के द्वारा की जा रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि हेतु शासन कोई कार्यवाही करेगा? **(ख)** विगत सत्र 2025-26 में शासन द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें प्रारम्भिक दौर में तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगा पा रहे थे, किन्तु शाला उपस्थिति पंजी में सम्बंधित के द्वारा उपस्थिति दर्ज की गयी थी। ई.एस.आई. स्थिति में पूरे जिले भर के कुछ अतिथि शिक्षकों का 20-25 दिन का वेतन शेष रहा है, जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया है जबकि सत्र समाप्त हो चुका है। शासन इस शेष भुगतान को करने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर लेगा? बताने की कृपा करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : **(क)** वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **(ख)** संचालनालय के निर्देश क्र/388 दिनांक 17/10/2025 के द्वारा ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश जुलाई एवं अगस्त माह में किसी दिवस की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए शाला प्रभारी संबंधित अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति पंजी के आधार पर, जानकारी ऑनलाइन करते हुए मानदेय भुगतान कर निराकरण के निर्देश दिये गये थे। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।**

परिशिष्ट - "तैंतीस"**ब्लड बैंक संचालन में अनियमितता**

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

122. (क्र. 1080) श्री विपीन जैन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला चिकित्सालय और अन्य स्थानों पर ब्लड बैंक संचालन से संबंधित शासन प्रशासन की क्या नियमावली/निर्देश/सर्कुलर है? उसकी प्रति देवें। **(ख)** क्या ब्लड बैंक संचालन की नियमावली में शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के दिशा-निर्देश हैं? **(ग)** मंदसौर जिला चिकित्सालय में प्रोत्साहन राशि के रूप में कितने कर्मचारियों को कितनी कितनी राशि, कब-कब, किसके आदेश से, किसके कार्यकाल में प्रदाय की गई है? विवरण देवें। **(घ)** क्या शिकायतों के बाद राशि वसूली की जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो बताएं कि कितने कर्मचारियों द्वारा रोगी कल्याण समिति में ब्याज सहित राशि जमा करवा दी गई है और कितनों के द्वारा नहीं कराई गई है? बताएं कि यह राशि कब तक जमा कर दी जाएगी? राशि जमा नहीं करवाने पर क्या उन्हें कोई स्मरण पत्र दिया गया है या नहीं? क्यों न यह राशि उनके वेतन में से जमा कराई जाए? **(ङ.)** इस प्रकार का कार्य करने वाले उस समय के जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा की गई है? यदि नहीं तो बताएं कि कब तक कार्यवाही संबंधितों पर की जाएगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला चिकित्सालय और अन्य स्थानों पर ब्लड बैंक संचालन औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 के नियम 122 शेड्यूल "एफ" में वर्णित शर्तों के अनुसार किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जी नहीं। (ग) मंदसौर जिला चिकित्सालय में 61 चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को प्रदाय की गई प्रोत्साहन राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।** माह अप्रैल 2016 से जनवरी 2025 तक की अवधि में निजी चिकित्सालयों के मरीजों को मंदसौर जिला चिकित्सालय ब्लड सेंटर से रक्त एवं कम्पोनेंट्स उपलब्ध कराने पर शासन द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग चार्जस रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की गई राशि से ब्लड सेंटर में कार्यरत मानव संसाधन को तत्कालीन कलेक्टर एवं अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति मंदसौर से नोटशीट पर अनुमोदन प्राप्त कर प्रोत्साहन राशि दी गई है। उक्त अवधि में जिला चिकित्सालय में निम्नलिखित अधिकारी के कार्यकाल में प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई:-

(1) सेवानिवृत्त डॉ. अधीर कुमार मिश्रा के कार्यकाल दिनांक 03/06/2015 से 24/06/2020 तक। (2) सेवानिवृत्त डॉ. अजय कुमार गुलाटी के कार्यकाल दिनांक 25/06/2020 से 28/02/2021 तक। (3) सेवानिवृत्त डॉ. दिनेश कुमार शर्मा के कार्यकाल दिनांक 06/03/2021 से 31/05/2025 तक। **(घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में समाहित है।** कुल 61 चिकित्सकों एवं कर्मचारियों में से 12 चिकित्सकों/कर्मचारियों द्वारा राशि जमा करवा दी गई है। शेष 49 चिकित्सकों/कर्मचारियों से राशि प्राप्त करने हेतु कार्यालय सिविल सर्जन सह सचिव जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति मंदसौर के स्मरण पत्र क्रमांक/रोकस/2026/2508 दिनांक 04.07.2026 को जारी किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार।** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** तत्समय के जिम्मेदार अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने से तथा अधिकांश भुगतान 4 वर्ष से अधिक पुराने होने से पेंशन नियमों के तहत कार्यवाही संभव नहीं है।

खेल प्रतियोगिता में हुई अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

123. (क्र. 1081) श्री विपीन जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2024 में मंदसौर में हुई 68वीं राष्ट्रीय हॉकी की स्पर्धा कब से कब तक संचालित की गई थी? इस प्रतियोगिता में कितने ऑफिशियल्स की सूची जारी की गई थी। कितने उपस्थित हुए, कितने अनुपस्थित रहे और कितनों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण दें। **(ख)** उक्त प्रतियोगिता के आयोजन में आवास, भोजन, सफाई, मेडिकल, आतिशबाजी, टेंट, पुरस्कार वितरण इत्यादि की व्यवस्था हेतु खर्च की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? उपरोक्त अलग-अलग व्यवस्थाओं हेतु कितना भुगतान किस फर्म को किस नियम के आधार पर किया गया? जी.एस.टी. नंबर सहित प्रमाणित बिल की प्रति दें। **(ग)** इस प्रतियोगिता में वितीय अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें अनियमितताओं को लेकर जांच प्रस्ताव तैयार किए गए थे। जांच प्रस्ताव में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं? सहायक संचालक उज्जैन स्तर से क्या कार्यवाही उक्त प्रतियोगिता में अनियमितताओं को लेकर की गई है? उसका संपूर्ण विवरण दें। **(घ)** उक्त

प्रतियोगिता के संचालन की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों, कर्मचारियों पर थी? उसका विवरण दें और बताएं कि संपूर्ण प्रतियोगिता के संचालन में कुल कितने रुपए की राशि खर्च हुई थी? (ड.) उक्त प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर आर.टी.आई. के तहत भी जानकारी मांगी गई थी। क्या उन्हें जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें और नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 2024 में मंदसौर में राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा दिनांक 9.12.2024 से 13.12.2024 तक आयोजित हुई। प्रतियोगिता में लोक शिक्षण संचालनालय से 28 तथा हॉकी के फेडरेशन मध्यप्रदेश से 21 कुल 49 ऑफिशियल्स की सूचियां जारी हुई थी, इनमें से 30 ऑफिशियल्स उपस्थित हुए थे एवं 19 अनुस्थित रहे। उपस्थित ऑफिशियल्स को राशि 167467 रुपए का भुगतान किया गया है। उपस्थित ऑफिशियल्स की सूची एवं उन्हें भुगतान राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) उक्त प्रतियोगिता के आयोजन में म.प्र. भंडार एवं क्रय नियम अनुसार समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर टेंडर/कोटेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। आयोजन में हुए व्यय का मदवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार हैं। (ग) प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, उज्जैन संभाग, उज्जैन से करायी जा रही है, जाँच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) उक्त प्रतियोगिता के संचालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता जिले के कलेक्टर जिला मंदसौर, जिला शिक्षा अधिकारी जिला, मंदसौर एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला मंदसौर की थी। सम्पूर्ण प्रतियोगिता के संचालन में कुल राशि 2577674 का व्यय हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार हैं। (ड.) सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्रदाय की गई है, विवरण एवं दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार हैं।

सड़क निर्माण कार्य में विलम्ब

[जल संसाधन]

124. (क्र. 1085) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा के ग्राम-पडवार से ग्राम-मडैया गौड के मध्य निर्माणाधीन सड़क निर्माण के कार्य हेतु स्वीकृत राशि, निर्माण अवधि एवं कार्य आदेश एवं प्राक्कलन प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करवायें। (ख) सड़क निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति एवं शेष कार्य की जानकारी उपलब्ध करवायें। (ग) उक्त सड़क निर्माण कार्य में विलम्ब का कारण क्या है? (घ) उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? (ड.) निर्माण कार्य में विलम्ब के कारणों को पृथक् करने एवं कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिये अब तक क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई है? जानकारी प्रदान करें। (च) क्या लगभग 3 साल से लंबित इस कार्य में विलम्ब की जवाबदेही तय करके विलम्ब के जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जायेगी? (छ) क्या उक्त सड़क निर्माण कार्य को अविलम्ब पूर्ण करवाये जाने के लिये निर्देशित करेंगे? (ज) माननीय मंत्री जी बण्डा वृहद परियोजना अंतर्गत 3 वर्षों से निर्माणाधीन यह मार्ग इसी वर्ष डैम के भराव उपरांत मुख्य वैकल्पिक मार्ग में परिवर्तित हो जायेगा, इसलिये क्या उक्त सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये अंतिम रूप से समय-सीमा निर्धारित कर कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य हेतु अनुबंधित राशि रु. 9.57 करोड़, निर्माण अवधि 18 माह, दिनांक 09.08.2023 प्रतिवेदित है। अनुबंध एवं प्राक्कलन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" एवं "2" अनुसार है। (ख) वर्तमान में मार्ग का निर्माण लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, शेष 25 प्रतिशत निर्माण कार्य जुलाई-2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) उक्त सड़क निर्माण कार्य में विलम्ब का कारण निम्नानुसार है :- 1- मार्ग के निर्माण में ग्राम राखसी, ग्राम चितौआ, ग्राम चितौली, ग्राम पडवार में मार्ग के Row में निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रक्रिया के कारण प्रभावित रहा। 2- ग्राम मडैया गौड में निर्मित मार्ग लगभग 1700 मी. में वन विभाग द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब हुआ। 3- बाबर मटिया नहर के चलने के समयान्तराल में निर्माण कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 4- समय-समय पर निर्माणाधीन मार्ग से प्रभावित कृषकों द्वारा किये जाने वाले विरोध आदि कारणों से कार्य प्रभावित होना प्रतिवेदित है। (घ) सड़क का निर्माण कार्य 31 जुलाई-2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ङ.) विभाग लगातार राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित कृषकों के भू-अर्जन प्रकरणों को जारी कराने का प्रयास किये गये, प्रभावित कृषकों से विभाग के अधिकारियों द्वारा समझाइश व आपसी समन्वय स्थापित कर शेष निर्माणाधीन मार्ग में Row को स्थापित कर दिया गया है, मात्र बिटुमेन कार्य ही शेष है, जिसे जुलाई माह में पूर्ण कराया जाना लक्षित है। कृषकों से आपसी सामंजस्य स्थापित कर पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वन विभाग से भी स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित मार्ग में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाना प्रतिवेदित है। (च) मैदानी अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर सार्थक प्रयास कर कार्य को कराये जाने का प्रयास किया जाना प्रतिवेदित है। अतः बिलंब के लिए किसी की जवाबदारी नियत करने की स्थिति नहीं है। (छ) जी हाँ। (ज) जी हाँ, मार्ग निर्माण कार्य जुलाई-2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

125. (क्र. 1087) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक क्र./भवन/एन.एच.एम./2024-25/4978 दिनांक 01.09.2024 द्वारा 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत जिला रतलाम के सैलाना एवं बाजना विकासखण्ड में 50-50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य हेतु प्रत्येक के लिए 995.00 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो स्वीकृतियों एवं कार्यादेश की छायाप्रति पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त कार्यों की निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम को नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो एजेंसी को अब तक कितनी राशि जारी की गई है? कार्यवार एवं जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न दिनांक तक सैलाना एवं बाजना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) एवं वित्तीय प्रगति का विवरण पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। जानकारी दें कि प्रश्न दिनांक तक दोनों कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा कितनी राशि शेष है? (घ) क्या दोनों निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो गए हैं? यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं तथा दोषी

अधिकारियों/निर्माण एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक 9671 दिनांक 17.09.2018 के अंतर्गत कंसलटेंट, इंजीनियर्स एवं डॉक्टर्स द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण, निरीक्षण तिथियां, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं दिए गए सुझावों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, अपितु दिनांक 11.09.2024 को जारी प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। सैलाना एवं बाजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु यद्यपि निविदा आमंत्रित की गई थी, परन्तु आगामी कार्यवाही स्थगित किये जाने से कार्यादेश जारी नहीं किए गये। (ख) जी हाँ। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत समुचित राशि प्राप्त न होने एवं योजनावधि मार्च 2026 में समाप्त होने के कारण निर्माण एजेंसी को कोई राशि जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश "ख" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

आदिवासी कृषकों की भूमि का हस्तांतरण

[राजस्व]

126. (क्र. 1089) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के मध्य पारित उन प्रकरणों की समीक्षा कराई गई है जिनमें आदिवासी भू-स्वामियों की संपूर्ण कृषि भूमि गैर-आदिवासी व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरित हुई? यदि हाँ, तो समीक्षा प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। क्या शासन के संज्ञान में ऐसी शिकायतें आई हैं कि कुछ प्रकरणों में राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों एवं भूमाफियाओं की मिलीभगत से आदिवासी कृषकों की भूमि का हस्तांतरण कराया गया? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करावें। (ख) तारांकित प्रश्न क्रमांक 1188 दिनांक 12/02/2024 के उत्तर के पश्चात कितने प्रकरणों की पुनर्समीक्षा, पुनरीक्षण अथवा जांच की गई है? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ऐसे कितने प्रकरणों में आदेश निरस्त किए गए हैं अथवा भूमि को मूल आदिवासी भू-स्वामियों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को वापस दिलाने की कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। क्या शासन भूमिहीन हो चुके आदिवासी परिवारों को उनकी मूल कृषि भूमि वापस दिलाने अथवा वैकल्पिक कृषि भूमि उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष अभियान चलायेगा? (ग) जिला रतलाम में अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के गैर-आदिवासी व्यक्तियों को हुए हस्तांतरण के समस्त प्रकरणों की जांच कर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, दलालों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने तथा भूमिहीन आदिवासियों को न्याय दिलाने हेतु शासन द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है अथवा प्रस्तावित है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) यह प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के अध्यधीन है, जिसमें संहिता की धारा 165 (6) अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रक्रिया कर या संहिता के प्रावधान अंतर्गत आदेशों का पुनरीक्षण पुनर्विलोकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। प्रावधान अंतर्गत आदेश पारित करने की अधिकारिता है। शासन स्तर पर समस्त कलेक्टर को धारा 165 (6) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) आयुक्त, उज्जैन संभाग,

उज्जैन से प्राप्त जानकारी अनुसार विषयांतर्गत तत्कालीन अपर कलेक्टर, रतलाम के कार्यकाल में आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को विक्रय किये जाने की जांच के संबंध में प्रचलित विभागीय जांच सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 07.08.2025 से समाप्त की गई है।

सांदीपनि विद्यालय की स्थापना

[स्कूल शिक्षा]

127. (क्र. 1091) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शासन/विभाग ने सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की है? विद्यालयों के भवन व संसाधन भी स्वीकृत किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा व पिपलोदा विकासखंड में सांदीपनि विद्यालय कहाँ-कहाँ पर कितनी राशि से स्वीकृत किये जाकर कितना कार्य पूर्ण हुआ है? कितना व्यय हुआ है? क्या-क्या कार्य लंबित है? (ग) सांदीपनि विद्यालय जावरा के भवन निर्माण में स्वीकृत राशि से कितनी राशि बचत में है? उक्त बचत राशि से विद्यालय के शेष कार्य ऑडिटोरियम निर्माण एवं पुराने पुरातात्विक भवन के जीर्णोद्धार कार्य कराए जाने की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी? (घ) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल, माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन होकर अन्य भवनों में संचालित हो रहे हैं? इन विद्यालयों के भवनों की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी? वर्ष 2020 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन विद्यालयों में किस-किस प्रकार के नवीन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गये? माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार ग्राम सुजापुर एवं ग्राम ढोढर में बालिका छात्रावास एवं पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जायेगी? जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा एवं पिपलौदा विकासखण्ड में सांदीपनि विद्यालय जावरा में राशि रु. 3753.00 लाख स्वीकृत किये जाकर राशि रु. 3209.22 लाख व्यय किये जा चुके हैं। कार्य माह अप्रैल 2025 में पूर्ण किया जा चुका है। सांदीपनि विद्यालय पिपलौदा में राशि रु. 3773.00 लाख स्वीकृत किये जाकर अद्यतन राशि रु. 2076.15 लाख व्यय किये जा चुके हैं। आउटर डेव्हलपमेंट, फिनिशिंग एवं फर्नीचर का कार्य लंबित है जो कि प्रगतिरत है। (ग) सांदीपनि विद्यालय जावरा के भवन निर्माण में स्वीकृत राशि से राशि रु. 411.00 लाख की बचत हुई है। उक्त बचत राशि से विद्यालय के शेष कार्य ऑडिटोरियम निर्माण एवं पुराने पुरातात्विक भवन के जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने का प्रावधान डी.पी.आर. में नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड जावरा की एक प्राथमिक शाला उणी भवन जीर्णोद्धार होने से भवन विहीन होकर सामुदायिक भवन में संचालित हो रही है। उक्त शाला हेतु नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यपूर्ण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट -1 पर है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी भवन क्रमशः माध्यमिक एवं हाई स्कूल के उन्नयन से अस्तित्व में आते हैं। अतः उन्नत हुए माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल के भवन ही क्रमशः हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन हैं। अतः कोई भी शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं है, अपितु विद्यार्थी नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उपलब्ध बजट अनुसार

आवश्यक अधोसंरचना निर्माण किया जाता है। आवश्यक अधोसंरचना निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2' अनुसार** है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार ग्राम सुजापुर एवं ग्राम ढोढर में बालिका छात्रावास निर्माण हेतु बजट उपलब्ध हो गया है। भूमि का चिन्हांकन तथा डीपीआर आदि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं ग्राम पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

राजस्व अभिलेखों को ऑनलाइन किया जाना

[राजस्व]

128. (क्र. 1092) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व बंदोबस्त रिकार्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है? प्रदेश में राजस्व मिसल बंदोबस्त एवं ऑनलाइन रिकार्ड में कुल कितना रकबा दर्ज है तथा इसमें कितना अंतर है? स्पष्ट करें? रतलाम जिले की जानकारी दें? (ख) क्या रतलाम जिले में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण होने के पश्चात अभिलेख संधारण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? किन-किन स्थानों पर अभी तक नहीं हो पाया है? स्पष्ट जानकारी से अवगत करें? (ग) क्या ड्रोन सर्वे में नक्शा, खसरा आदि में त्रुटि को सुधार के लिए एवं अभिलेख नहीं मिलने जैसी रतलाम जिले भर में शिकायतें जिला/तहसील के राजस्व कार्यालय में आ रही है? वर्ष 2020 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किस-किस तहसील में उक्त आशय के कितने आवेदन प्राप्त होकर कितनों का निराकरण किया गया? यदि लंबित है तो कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? जानकारी दें। (घ) राजस्व महाभियान जैसे अभियान के बावजूद नामांतरण/ बंटवारा/नक्शा/खसरा सुधार के अलावा शासकीय/नजूल भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने के प्रकरण लंबित है? उक्त अवधि में कितने आवेदन किस कार्यालय में लंबित है? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध कराएं?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जिला रतलाम अंतर्गत राजस्व बंदोबस्त रिकार्ड को ऑनलाइन करने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। प्रदेश स्तर की राजस्व मिसल बंदोबस्त एवं ऑनलाइन रिकार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। जिला रतलाम अंतर्गत राजस्व मिसल बंदोबस्त कुल रकबा 486967 हे. है एवं वर्तमान ऑनलाइन राजस्व रिकार्ड में कुल रकबा 489619 हे. दर्ज है। उक्त में 2652 हे. का अन्तर है। (ख) जी हाँ। जिला रतलाम में आबादी ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण होकर अभिलेख संधारण का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। (ग) जिला रतलाम की जानकारी निरंक। (घ) जिला रतलाम की तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है।

सुसरी एवं कालाअंबा परियोजनाओं की निविदाएं

[जल संसाधन]

129. (क्र. 1099) श्री श्याम बरडे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसरी एवं कालाअंबा परियोजनाओं हेतु अब तक कितनी बार निविदाएं जारी की गईं तथा

कितनी बार निरस्त की गई? वर्षवार विवरण प्रदान करें। (ख) प्रत्येक निविदा के निरस्तीकरण के कारण क्या-क्या रहे? (ग) क्या निविदाओं में पर्याप्त संख्या में निविदाकारों द्वारा भाग नहीं लेने, तकनीकी कारणों, प्रशासनिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से निविदाएं निरस्त की गई? यदि हाँ, तो कारणवार विवरण प्रदान करें। (घ) निविदा निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं एजेंसियों का विवरण क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) एवं (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) और (ख) अनुसार तकनीकी कारणों एवं निविदाकारों के द्वारा निविदा में भाग नहीं लेने के कारण निविदा को प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है। अतः कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं होना प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

शासन द्वारा संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

130. (क्र. 1100) श्री श्याम बरडे : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पानसेमल में शासन द्वारा संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) विधानसभा क्षेत्र पानसेमल में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अधीन शासन द्वारा संधारित मंदिरों की संख्या कितनी है? मंदिरवार विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) विगत तीन वर्षों में उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? वर्षवार एवं मंदिरवार विवरण प्रदान करें। (घ) वर्तमान में किन-किन मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के प्रस्ताव विभाग के समक्ष लंबित हैं? लंबित रहने के कारणों सहित जानकारी प्रदान करें। (ड.) क्या विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र पानसेमल के किसी मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु नवीन प्रस्ताव तैयार किए गए हैं? यदि हाँ, तो उनका विवरण एवं स्वीकृति की वर्तमान स्थिति बताई जाए।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) विधानसभा क्षेत्र पानसेमल स्थित श्री राम मंदिर पानसेमल के जीर्णोद्धार हेतु प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होने से पूर्ति हेतु कलेक्टर जिला बड़वानी को लेख किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विधानसभा पानसेमल क्षेत्र अंतर्गत मंदिर जीर्णोद्धार हेतु विगत 3 वर्षों से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (घ) श्री राम मंदिर पानसेमल का जीर्णोद्धार प्रस्ताव जिला बड़वानी द्वारा अपेक्षित पूर्ति नहीं किये जाने से विभाग स्तर पर परीक्षणाधीन है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

उज्जैन संभाग में "टेम्पल बांड" जारी करने के प्रस्ताव

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

131. (क्र. 1102) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उज्जैन प्रशासन द्वारा मंदिरों के कायाकल्प हेतु "टेम्पल बांड" से राशि जुटाने का प्रस्ताव तैयार किया है? यदि हाँ, तो स्मार्ट सिटी, महाकाल लोक (300 करोड़) व सिंहस्थ के 20 हजार करोड़ बजट के बाद अतिरिक्त कर्ज की विधिक-वित्तीय आवश्यकता क्यों हुई? **(ख)** क्या बांड से 'म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 13, 14 व 'श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम, 1982' का उल्लंघन होगा? क्या ऋण पुनर्भुगतान हेतु मंदिर परिसंपत्ति, भूमि या चढ़ावा गिरवी रखने अथवा वित्तीय प्रभार (Lien) की गुप्त योजना है? यदि हाँ, तो तकनीकी विवरण व विधिक स्पष्टीकरण सहित अभिलेख दें। **(ग)** क्या मुख्यमंत्री के उज्जैन प्रतिनिधित्व के बावजूद ऐसा प्रस्ताव राजकोषीय विफलता है? यदि नहीं, तो व्यवसायीकरण की मानसिकता रखने वाले संभाग आयुक्त, कलेक्टर व मंदिर प्रशासक पर 'म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965' के तहत क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई या जांच संस्थित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या एक तरफ विकास हेतु कर्ज व दूसरी तरफ अधिकारियों के बंगलों के सौंदर्यीकरण व हवाई यात्राओं पर करोड़ों का अपव्यय हो रहा है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों का मदवार व्यय क्या है तथा 'म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम' की ऑडिट रिपोर्ट क्या है? **(ड.)** क्या जनभावना व धार्मिक मर्यादा हित सरकार इस विवादित निर्णय को तत्काल निरस्त करेगी? क्या आगामी सिंहस्थ व प्रमुख मंदिरों हेतु मुख्य बजट में 2,000 करोड़ का पृथक विशेष बजटीय प्रावधान किया जाएगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के खसरा में दर्ज भूमि

[राजस्व]

132. (क्र. 1104) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले में कहाँ-कहाँ की किस-किस खसरा नं. की कितने-कितने रकबे की किस-किस मद की भूमि किन-किन को कब-कब खसरा के कालम नम्बर 12 में दर्ज करने आदेशित/आवटित की गई है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्देश के तहत हस्तांतरित/आदेशित भूमि जिस ग्राम की है उन ग्रामों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कृषि भूमि, खाता मद, गैरखाता मद, निस्तार प्रायोजन की कितनी-कितनी भूमि आदेशित करने के पहले थी? और प्रश्न दिनांक को कितनी-कितनी है? **(ग)** क्या निस्तार प्रायोजन एवं बड़े झाड़ जंगल, छोटे झाड़ जंगल मद की भूमि हस्तांतरण नहीं बल्कि शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाने/विभिन्न प्रायोजन के लिए दर्ज करने आदेशित किया गया है? **(घ)** यदि हाँ, तो भू-अभिलेखों के किस प्रारूप में दर्ज करने आदेशित किया गया? क्या निस्तार प्रायोजन की भूमि का अन्य लोक प्रायोजन हेतु व्यपवर्तन की कार्यवाही के उपरान्त ही हस्तांतरित किया जा सकता है? हाँ या नहीं बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की तहसील परसवाड़ा अंतर्गत रा.प्र.क्र. 0015/अ-

20 (3)/2024-25 आदेश दिनांक 04.10.2024 अनुसार ख.नं. 208 रकबा 0.198 हे. मद घास म.प्र. शासन में से 0.038 हे. भूमि जनपद पंचायत परसवाड़ा को बस स्टेण्ड एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाये जाने एवं रा.प्र.क्र./0011/30-20(3)/2024-25 आदेश दिनांक 04.10.2024 अनुसार ग्राम परसवाड़ा स्थित भूमि ख.नं. 238/9 रकबा 1.011 हे. मद म.प्र. शासन छोटे झाड़ का जंगल में से 0.038 हे. भूमि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाये जाने आरक्षित की गई है। (ख) बालाघाट जिले की तहसील परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 523.580 हे. कृषि भूमि/खाता मद 440.474 हे. गैर खाता मद 123.106 हे. निस्तार प्रयोजन की 64.054 हे. भूमि आदेश करने के पूर्व थी और प्रश्न दिनांक को 64.054 हे. भूमि है। (ग) बालाघाट जिले की तहसील परसवाड़ा अंतर्गत निस्तार प्रायोजन एवं बड़े झाड़ जंगल, छोटे झाड़ जंगल मद की भूमि हस्तांतरण नहीं बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/बस स्टेण्ड हेतु आरक्षित की गई है। (घ) बालाघाट जिले की तहसील परसवाड़ा अंतर्गत भू-अभिलेख में आरक्षित करने हेतु आदेशित किया गया है। निस्तार प्रायोजन की भूमि का अन्य लोक प्रायोजन हेतु शासन के नियम अनुसार व्यवर्तन की कार्यवाही के उपरांत हस्तांतरित किया जा सकेगा।

भू-अभिलेखों को ऑनलाइन करने हेतु विशेष अभियान

[राजस्व]

133. (क्र. 1105) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले की तहसीलों बालाघाट, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर, कटंगी, वारासिवनी, लालबर्गा, खैरलांजी, तिरोड़ी एवं लामता में कुल कितने खातेदार किसान दर्ज हैं? बतावें? इनमें से कितने किसानों के भू-अभिलेख (खसरा, खतौनी, बी-1, नक्शा आदि) MP Bhulekh पोर्टल पर पूर्ण रूप से ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा कितने किसानों के अभिलेख आज दिनांक तक ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं? तहसीलवार जानकारी दी जाए? (ख) क्या बालाघाट जिले के अनेक किसानों के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेखीय त्रुटियों अथवा तकनीकी कारणों से उनके भूमि अभिलेख ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं? यदि हाँ, तो ऐसे लंबित प्रकरणों की संख्या तहसीलवार कितनी है तथा उन्हें निराकृत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? (ग) वर्ष 2023, 2024, 2025 एवं 2026 में बालाघाट जिले में भू-अभिलेखों को ऑनलाइन करने हेतु कितने विशेष अभियान चलाए गए तथा उन पर कितना व्यय हुआ? (घ) क्या शासन बालाघाट जिले के शेष किसानों के भू-अभिलेखों को निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन करने हेतु विशेष अभियान चलाने का विचार रखता है? यदि हाँ, तो समय-सीमा क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) बालाघाट जिले की तहसीलों बालाघाट, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर, कटंगी, वारासिवनी, लालबर्गा, खैरलांजी, तिरोड़ी एवं लामता में कुल 745106 खातेदार/किसान दर्ज हैं। इनमें से सभी किसानों के भू-अभिलेख (खसरा, खतौनी, बी-1, नक्शा आदि) MP Bhulekh पोर्टल पर पूर्ण रूप से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जिले में ऑनलाइन अभिलेख उपलब्ध नहीं होने वाले किसानों की संख्या निरंक है। (ख) जिले में राजस्व अभिलेखों के त्रुटि सुधार बावत जिले के राजस्व न्यायालय में कुल 685 प्रकरण लंबित हैं जिनमें आदेश उपरांत अभिलेखों की दुरुस्तगी की जाती है। लंबित प्रकरणों की संख्या **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** निराकरण हेतु जिला

स्तर से बैठकों में मॉनीटरिंग की जाती है। (ग) राजस्व महा अभियान 1.0 15/01/2024 से 29/02/2024 राजस्व महा अभियान 2.0 16/07/2024 से 31/08/2024 राजस्व महा अभियान 3.0 15/09/2024 से 26/01/2025 अभियान चलाये गए जिसमें राज्य स्तर पर राजस्व महाभियान के प्रचार-प्रसार हेतु राशि ₹1.35 करोड़ के देयक का भुगतान शासन स्तर पर जनसंपर्क विभाग को किया जा चुका है। जिला बालाघाट स्तर पर पृथक से कोई व्यय नहीं हुआ है। (घ) भू-अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

सुवासरा में आवासीय पट्टे का प्रदाय

[राजस्व]

134. (क्र. 1107) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा में आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान करने हेतु दिसम्बर 2025 से प्रश्न दिनांक तक विभाग को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? वार्ड-वार आवेदनों की कुल (नाम, पिता/पति का नाम एवं पते सहित) जानकारी दें। (ख) प्राप्त आवेदनों में से विभाग द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को आवासीय पट्टे हेतु पात्र माना गया है तथा कितने व्यक्तियों को अपात्र घोषित किया गया है? कुल स्वीकृत, लंबित एवं निरस्त आवेदनों की पृथक-पृथक सूची (नाम, पिता/पति का नाम एवं पते सहित) उपलब्ध कराएं। (ग) उक्त आवेदकों को किन-किन दस्तावेजों के आधार पर पात्र घोषित किया गया है? (घ) कई आवेदकों के पास एक समान दस्तावेज होने के बावजूद भी, कुछ हितग्राहियों को पात्र और कुछ हितग्राहियों (प्रभूसिंह पिता भगवानसिंह वार्ड क्र. 01, शंकरसिंह पिता उदयसिंह वार्ड क्र. 01, पूरसिंह पिता करणसिंह वार्ड क्र. 01, गंगा बाई पति बंशीलाल व्यास वार्ड क्र. 01, सुगना बाई पति शंकरसिंह वार्ड क्र. 01) को अपात्र घोषित कर दिया गया है? इस विसंगति का क्या कारण है? एक जैसे दस्तावेज होने पर भी अपात्र करने के ठोस एवं तार्किक कारण स्पष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) नगर परिषद सुवासरा में आवासीय भूमि के पट्टे हेतु 595 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनकी वार्डवार नाम पिता/पति के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क" अनुसार है। (ख) नगर परिषद सुवासरा में 62 हितग्राही पात्र एवं 533 अपात्र हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ख" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क" अनुसार है। (घ) नगर परिषद सुवासरा में हितग्राहियों के आवेदन पर नियमानुसार जांच दल गठित कर जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदनकर्ता को अपात्र किया गया है। जिसमें प्रभूसिंह पिता भगवानसिंह वार्ड क्र. 01, शंकरसिंह पिता उदयसिंह वार्ड क्र. 01, पूरसिंह पिता करणसिंह वार्ड क्र. 01, गंगा बाई पति बंशीलाल व्यास वार्ड क्र. 01 एवं सुगना बाई पति शंकरसिंह वार्ड क्र. 01 को पट्टे के शर्त अनुसार दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण अपात्र किया गया था। अपात्र आवेदकों की सूची एवं आवेदनकर्ताओं के आवेदन की छायाप्रति मय दस्तावेज जवाब के साथ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ख" अनुसार है।

नई आबादी घोषित करने के प्रावधान

[राजस्व]

135. (क्र. 1108) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 एवं 243 के तहत नई आबादी घोषित करने के कौन-कौन से प्रावधान दिए गए हैं? (ख) विगत 2 वर्षों में मंदसौर जिले के राजस्व एवं पंचायत विभाग के किसी भी स्तर के कार्यालय में नई आबादी घोषित करने हेतु किसी भी माध्यम से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये, सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपरोक्त आवेदनों पर प्रश्न दिनांक तक कितनी नई आबादी घोषित की गई है जिनको नहीं की गई है तो उनका कारण बतावें तथा शेष वंचित नई आबादी घोषित करने के लिए जिला प्रशासन कोई अभियान चलाएगा यदि हाँ, तो जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 एवं 243 के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 फरवरी 2020 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) विगत 2 वर्षों में मंदसौर जिले में नई आबादी घोषित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के जरिये कुल 03 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें आबादी नोईयत परिवर्तित की गई है। 1. ग्राम कांवली तहसील भानपुरा 2. ग्राम केथुली तहसील भानपुरा 3. ग्राम रावटी तहसील सीतामउ (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में 03 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

गणवेश टेंडर में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन

[स्कूल शिक्षा]

136. (क्र. 1112) श्री दिनेश जैन बोस : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के 52 लाख स्कूली बच्चों की गणवेश वितरण योजना हेतु जारी ₹355 करोड़ के टेंडर में ₹700 करोड़ का कुल टर्नओवर और ₹233 करोड़ का गणवेश निर्माण टर्नओवर जैसी अभूतपूर्व शर्तें जोड़ी गई हैं? यदि हाँ, तो क्या यह 'म.प्र. भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015' के नियम 23.1 का खुला उल्लंघन कर स्थानीय MSMEs और महिला स्व-सहायता समूहों को प्रक्रिया से बाहर करने का सुनियोजित प्रयास है? (ख) क्या दिनांक 10 जून 2026 को गठित 'तकनीकी मूल्यांकन समिति' में किसी वस्त्र विशेषज्ञ को शामिल न कर विसंगतिपूर्ण शर्तों को मंजूरी दी गई? टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के ठीक पहले प्रबंध संचालक को हटाने तथा नए अधिकारी को असीमित विवेकाधीन शक्तियां सौंपने के प्रशासनिक कारण क्या हैं? (ग) क्या दिनांक 19 जून 2026 की आधिकारिक 'प्री-बिड' बैठक में किसी अनाधिकृत बाहरी व्यक्ति/दलाल की सक्रिय संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सिंडिकेट निर्माण की भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त या किसी स्वतंत्र उच्च स्तरीय न्यायिक एजेंसी से समयबद्ध जांच कराकर वर्तमान दूषित निविदा को तत्काल निरस्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। राज्य शासन के निर्णय के आधार पर उपार्जन की कार्यवाही सुसंगत नियमों के अनुसार की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। दिनांक 10/06/2026 को गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति में विशेषज्ञ को

शामिल किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश संबंधित नहीं है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य परिवहन निगम की संपत्तियों की स्थिति

[परिवहन]

137. (क्र. 1113) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुख्यालय नीमच में राज्य परिवहन निगम की कुल कितनी एवं किस-किस प्रकार की संपत्तियाँ स्थित हैं? उक्त संपत्तियों से वर्तमान में किस-किस व्यक्ति/संस्था से कितनी किराया राशि प्राप्त की जा रही है? साथ ही, किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा उक्त संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है? अतिक्रमणकर्ताओं के नाम एवं अतिक्रमण का स्वरूप सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित राज्य परिवहन निगम की संपत्तियों के संरक्षण, उपयोग, विकास अथवा पुनर्विकास हेतु शासन की कोई योजना, नीति अथवा कार्ययोजना वर्तमान में प्रचलन में है? यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) उज्जैन संभाग में राज्य परिवहन निगम की कुल कितनी संपत्तियाँ कहाँ-कहाँ स्थित हैं? इन संपत्तियों पर वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा किस प्रकार (दुकान, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य) का अतिक्रमण किया गया है? साथ ही, इन संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही एवं प्रयास किए गए हैं? जिलावार एवं संपत्तिवार विवरण उपलब्ध कराएं।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जिला मुख्यालय नीमच में म.प्र. सड़क परिवहन निगम की 02 प्रकार की सम्पत्तियाँ हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:- 1. बस डिपो/स्टैंड - इस भूमि पर बस डिपो एवं स्टैंड संचालित था तथा बस स्टैंड पर निगम द्वारा कुल 12 दुकान निर्मित कर व्यवसायियों को मासिक किराया आधार पर आवंटित की गई हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। इन 12 दुकान संचालकों द्वारा वर्ष 2022 से किराया जमा नहीं किया जा रहा है, जिसमें किराया वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। 2. कर्मचारी आवास - इस सम्पत्ति पर निगम द्वारा 19 "कर्मचारी आवास निर्मित" किये गये। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। बस स्टैंड एवं डिपो की सम्पत्ति का उपयोग नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की इन सम्पत्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उज्जैन संभाग में म.प्र. राज्य परिवहन निगम की सम्पत्तियों की अद्यतन जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"स" अनुसार है। मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की इन सम्पत्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

शासकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

138. (क्र. 1115) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों सहित विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की

संस्थावार जानकारी दें। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विभाग को कब-कब पत्र प्रेषित किए गए? संबंधित पत्रों की प्रतिलिपियाँ एवं उन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दें। (ख) ग्राम सावन स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल कितने पद सृजित हैं? उनके विरुद्ध कितने पदों पर नियुक्तियाँ की गई हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? शेष रिक्त पदों की पूर्ति कब तक किए जाने का प्रस्ताव है? (ग) क्या यह सत्य है कि भादवामाता में नवीन शासकीय चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं यदि नहीं, तो विलंब के कारण बताए जाएँ। (घ) नीमच जिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी अनुमतियाँ प्राप्त की गई हैं? इन अनुमतियों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराएं। किस संस्था या व्यक्ति द्वारा जिला चिकित्सालय का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है? ऑडिट रिपोर्ट एवं सेफ्टी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। विभाग द्वारा पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निरन्तर सीधी भर्ती हेतु मांग पत्र प्रेषित किया जाता है एवं चयन उपरांत पदस्थपना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति एक निरन्तर प्रक्रिया है जिस हेतु विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं बंधपत्र चिकित्सकों के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। "पदपूर्ति" एक निरन्तर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है। "पदपूर्ति" एक निरन्तर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) हाँ, भादवामाता में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की भवन निर्माण हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। किन्तु निर्माण हेतु जिस भूमि का चयन हुआ है उस भूमि का क्षेत्रफल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु कम है। राजस्व विभाग से अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिये भूमि की मांग की गई है। भवन स्वीकृति एवं भूमि आवंटन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है। (घ) जिला चिकित्सालय नीमच में फायर सेफ्टी हेतु ग्लोबल फायर सर्विसेस इंदौर के फायर इंजीनियर श्री रोहित बामने द्वारा आडिट किया गया, आडिट में प्राप्त कमियों की पूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया क्रमांक 297210 के माध्यम से जिला चिकित्सालय नीमच में फायर फायटिंग हायड्रेंट एवं फायर सेफ्टी का कार्य संपादित किये जाने के दृष्टिगत OM Ashvani Infrastructure Anantpur Dist Rewa को अनुबंधित किया गया है परन्तु मार्च 2026 से उक्त फर्म के द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है। जिससे फायर एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"इ" अनुसार है।

राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के त्रुटि सुधार

[राजस्व]

139. (क्र. 1117) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 656, दिनांक 19 फरवरी 2026 के पूछे गये प्रश्न के उत्तर में ग्राम रजरवारा नं.1 को ग्राम रजरवारा नं. 2 तथा ग्राम जंगल पुरैनी को ग्राम राखी पुरैनी के साथ राजस्व

अभिलेख सम्मिलित होने की चाही गयी जानकारी में उपरोक्त ग्रामों को ग्रामवार, हल्कावार पृथक कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर सही है तो उपरोक्त ग्रामों की जमीनों की गाइड लाइन की भी जानकारी पृथक-पृथक हल्कावार एवं ग्रामवार उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या (क) में वर्णित प्रश्न दिनांक से वर्तमान प्रश्न दिनांक तक उक्त ग्रामों की जमीनों का विक्रीकरण किया गया है? यदि हां, तो ग्रामवार, हल्कावार गाइड लाइन के हिसाब से पंजीयन शुल्क की जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) यदि उपरोक्त ग्रामों के विक्रय पत्रों में लगने वाली पंजीयन शुल्क पूर्व सम्मिलित ग्रामों के अनुसार है तो इसके लिये किसानों को होने वाली असुविधा के लिये कौन-कौन जवाबदार है? लंबित समस्या का कब तक निराकरण कर दिया जायेगा, समय बताए? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, कटनी जिले के अनुभाग विजयराघवगढ़ अन्तर्गत ग्राम रजरवारा नं.1 एवं ग्राम रजरवारा नं.2 व इसी तरह ग्राम जंगल पुरैनी एवं राखी पुरैनी पृथक-पृथक राजस्व ग्राम है उपरोक्त ग्रामों की ग्रामवार, हलकावार जानकारी का पृथक विवरण निम्नानुसार है:-

तहसील का नाम	राजस्व निगम मंडल	पटवारी हल्का नम्बर	ग्राम का नाम	LGD CODE
विजयराघवगढ़	सिंगोडी	22	रजरवारा नं. 1	488545
विजयराघवगढ़	देवराकलां	02	रजरवारा नं. 2	488491
विजयराघवगढ़	सिंगोडी	22	जंगल पुरैनी	488488
विजयराघवगढ़	विजयराघवगढ़	20	राखी पुरैनी	488544

(ख) पंजीयन विभाग अन्तर्गत चारों ग्रामों यदा रजरवारा नं. 1 को ग्राम-रजरवारा नं. 2 तथा ग्राम जंगल पुरैनी को ग्राम राखी पुरैनी की गाईड लाईन दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वर्ष 2026-27 पृथक से खुली हुई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ग) जी हाँ, वर्णित प्रश्न दिनांक से वर्तमान प्रश्न दिनांक तक उक्त ग्रामों की जमीनी के 21 विक्रय पत्रों का पंजीयन हुआ है जिसका ग्रामवार पटवारी हल्कावार मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (घ) उक्त ग्रामों के 21 विक्रय पत्रों का पंजीयन दस्तावेज की लिखत अनुसार पंजीयन शुल्क प्राप्त कर किया गया है, किसी भी पक्षकार अथवा किसानों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन में असुविधा के संबंध में लिखित अथवा मौखिक माध्यम से कार्यालय को अवगत नहीं कराई गई है। चूंकि सम्पदा 2.0 साफ्टवेयर भू-अभिलेख सॉफ्टवेयर से लिंक है अतः माननीय विधायक महोदय द्वारा उठाये गये प्रश्न को संज्ञान में लेते हुये तकनीकी समस्या का आवश्यक परीक्षण कर सम्पदा तकनीकी टीम भोपाल से समन्वय कर आवश्यक समाधान शीघ्र कर लिया जायेगा।

अनुबंधकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही

[राजस्व]

140. (क्र. 1118) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के तहसील विजयराघवगढ़ के ग्राम डोकरिया के अंतर्गत आने वाले छप्पन

सागर तालाब को कलेक्टर कटनी के आदेश क्रमांक 388 दिनांक 09.07.2010 के द्वारा दुर्गा मछुवारा समिति सिजहरा को 10 वर्षीय पट्टे पर आवंटित किया था? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो क्या कलेक्टर कटनी द्वारा मछली पालन हेतु दिये गये तालाब को पुनः समयावधि के अंदर मेसर्स वेलस्पन एनर्जी म.प्र. लि. को दिनांक 25.04.2016 से वर्ष 2040 तक रुपये 7,14,270.00 प्रतिवर्ष प्रीमियम निर्धारित किया गया था? उपरोक्त निर्धारित प्रीमियम की राशि को किस राजस्व के अधिकारी कार्यालय में जमा की गयी? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अनुबंध अनुसार राशि जमा नहीं की गयी है तो संबंधित अनुबंधकर्ता के विरुद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के अधीनस्थ तालाब की राशि जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ को कब-कब कितनी उपलब्ध करायी गयी? वर्षवार जानकारी दें? नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ । निर्धारित प्रीमियम/भूभाटक की राशि भारतीय स्टेट बैंक शाखा कटनी म.प्र. के माध्यम से भू-राजस्व के मद क्रमांक 0029LR, 0029LR/0007/101, 0029-00-101-0007 में चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा की गई है। जमा राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	चालान नंबर	दिनांक	राशि (रु. में)
1	2	3	4
2016-17	1436	05-04-2026	714270
2017-18	09	23/03/2020	3760639
2018-19	08	06/11/2020	3760639
2019-20	06	11/02/2021	3760639
2020-21	41	20/11/2021	3760639
2021-22	40	15/02/2022	3760639
2022-23	120670	24/02/2023	3760639
2023-24	077018	20/10/2023	3760639
2024-25	001687	01/07/2024	3760639
2025-26	195132	20/06/2025	3760639
2026-27	019333	03/07/2026	3760639

कटनी जिले में मेसर्स वेलस्पन एनर्जी म.प्र. लिमि. को ग्राम डोकूरिया में कुल रकबा 333.54 हे. भूमि राजस्व आवंटित की गई है जिसका प्रीमियम, पंचायत उपकर एवं भू-राजस्व की कुल राशि 3760639 रु. होता है इस राशि में से ग्राम डोकूरिया स्थित छप्पन सागर तालाब भूमि रकबा 16.42 हे. का भू-भाटक राशि 714270 रु. होती है। यह राशि प्रतिवर्ष जमा कुल राशि 3760639 रु. के साथ संयुक्त रूप से चालान के माध्यम से ट्रेजरी में जमा की गई है। (ग) अनुबंध अनुसार प्रतिवर्ष राशि जमा की गई है। ऐसी स्थिति में अनुबंधकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उदभूत नहीं होता। (घ) जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ अन्तर्गत ग्राम डोकूरिया स्थित भूमि खसरा नं. 1251 रकबा 15.42 हे. छप्पन सागर तालाब की निर्धारित वार्षिक भू-भाटक राशि

कालूराम बर्मन अध्यक्ष दुर्गा मछुआ सहकारी समिति सिजहरा द्वारा जमा की गई है जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	जमा किये जाने योग्य राशि	जमा की गई राशि	जमा दिनांक	बकाया राशि	रिमार्क
1	2010-11	7710	0		7710	
2	2011-12	7710	0		15420	
3	2012-13	7710	0		23130	
4	2013-14	7710	0		30840	
5	2014-15	7710	0		38550	
6	2015-16	7710	0		46260	
7	2016-17	7710	30840	20-08-16	23130	
8	2017-18	7710	0	-	30840	
9	2018-19	7710	10000	07-02-19	28550	
10	2019-20	7710	10000	22-02-20	26260	
11	2020-21	0	16840	30-06-20	9420	
12	2020-21	0	9420	09-03-21	0	

शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित शिक्षकों को राहत

[स्कूल शिक्षा]

141. (क्र. 1123) श्री सुनील उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा TET को अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद राज्य के बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं? (ख) क्या राज्य सरकार ने इस विषय में केंद्र सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से समन्वय स्थापित कर शिक्षकों को राहत देने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है? (ग) क्या राज्य एवं केंद्र सरकार मिलकर TET संबंधी प्रावधानों में संशोधन या छूट देने हेतु कोई विधायी कदम (अध्यादेश/कानून संशोधन) लाने पर विचार कर रही हैं? (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका (Review Petition) या अन्य कोई विधिक उपाय अपनाया है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? (ङ.) क्या सरकार प्रभावित शिक्षकों को समय सीमा में छूट, विशेष प्रशिक्षण, या वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्यस्तर पर विचाराधीन नहीं है। (घ) जी हाँ। याचिका खारिज हो गई। (ङ.) जी नहीं। पात्रता परीक्षा के लिए शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

रिक्त पदों की पूर्ति एवं प्रस्तावित शैक्षणिक अस्पताल की कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

142. (क्र. 1127) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय खंडवा में निरंतर दुर्घटना एवं गंभीर

मरीजों की बढ़ती संख्या व आवश्यकताओं को देखते हुये न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति व व्यवस्थाओं हेतु क्या कार्य योजना व समय सीमा है, विगत 2 वर्षों में कितने चिकित्सकों के खंडवा से स्थानांतरण हुये वर्षवार नामजद जानकारी प्रदान करें। (ख) जिला चिकित्सालय खंडवा एवं मेडिकल कालेज खंडवा में विगत 2 वर्षों में कितने चिकित्सकों, प्रशिक्षक चिकित्सकों की किस-किस पद पर नियुक्तियां की गई है, उनकी नाम, पद श्रेणी अनुसार जानकारी देने का कष्ट करें। चिकित्सा विद्यार्थियों एवं आमजन की उपचार सुविधा को देखते हुये प्रस्तावित 1100 बिस्तरिय शैक्षणिक अस्पताल हेतु आवश्यक कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी। (ग) विगत 2 वर्षों में जिला चिकित्सालय खंडवा में उपचार के दौरान कितने मरीजों की मृत्यु, किन-किन कारणों/बीमारी के चलते हुई है मृतक मरीज का नाम प्रदान करें। (घ) विगत 2 वर्षों में जिला चिकित्सालय खंडवा में कितने उपचार उपकरण, मशीनें स्थापित की गई है उनके क्रय एवं उपयोगिता की विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रदेश अंतर्गत स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु विभाग द्वारा दिनांक 05.07.2024 को पद स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय मानक वर्ष 2024 निर्धारित किए गए है, मापदण्ड अनुसार जिला चिकित्सालय स्तर की संस्थाओं में न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ के पद स्वीकृत नहीं हैं। उपरोक्त मानको अनुसार 400 बिस्तरिय जिला चिकित्सालय खंडवा में निश्चेतना विशेषज्ञ के 03 पदों के विरुद्ध 02 विशेषज्ञ पदस्थ हैं। पद पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।** 1100 बिस्तरिय शैक्षणिक अस्पताल हेतु विभाग स्तर से कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है।**

सामग्री क्रय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

143. (क्र. 1128) श्री अमर सिंह यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिला राजगढ़ में एनएचएम, जिला चिकित्सालय, रोगी कल्याण समिति आदि में कोई सामग्री क्रय की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इसके लिए शासन से कोई बजट प्राप्त होता है? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस मद में कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ है? वर्षवार एवं मदवार बताएं। (ग) 1 अप्रैल 2023 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सामग्री किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई है? नाम व राशि सहित सूची उपलब्ध करावें। (घ) उक्त प्राप्त बजट से क्रय की गई सामग्री में क्या भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम से सामग्री क्रय की गई है? (ङ.) यदि सामग्री क्रय में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है तो इसके लिए कौन दोषी है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट

"ब" अनुसार। (घ) जी हाँ, म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधन 2022) का पालन नहीं करने की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "स" अनुसार। (ड.) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बसों के परमिट व बकाया टैक्स की जानकारी

[परिवहन]

144. (क्र. 1129) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला परिवहन कार्यालय द्वारा बसों के परिचालन हेतु परमिट जारी किये जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो जिला परिवहन कार्यालय राजगढ़ द्वारा किन-किन बसों का परमिट किस-किस मार्ग पर कब से कब तक जारी किया गया है बस मालिक का नाम सहित बतावें। (ग) क्या उक्त सभी बसों का पूरा टैक्स जमा है? यदि हाँ, तो बतावें। (घ) यदि नहीं तो ऐसी कौन-कौन सी बसे राजगढ़ जिले में संचालित हैं जिनका टैक्स जमा नहीं है? नाम सहित बतावें। (ड.) उक्त बसों पर कितना-कितना टैक्स कितने-कितने समय का शेष है। बस का नाम, नंबर सहित बतावें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

डबरा शहर में बस स्टैंड का निर्माण

[परिवहन]

145. (क्र. 1134) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्र. 1096 दिनांक 30/07/25 के उत्तर में अवगत कराया गया था कि मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के परिसमापन का निर्णय वर्ष 2005 में लिया गया जिसके क्रम में राज्य परिवहन निगम डबरा बस स्टैंड की भूमि का विक्रय किया गया, वर्तमान में ग्वालियर-झाँसी मार्ग पर नगर पालिका डबरा द्वारा सड़क पर ही बस स्टैंड का संचालन किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित राज्य परिवहन निगम डबरा बस स्टैंड की भूमि का विक्रय किस फर्म को किस दिनांक में कितनी राशि में किया गया? नगर पालिका डबरा को बस स्टैंड का संचालन करने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश की सत्यापित प्रति देवें तथा नगर पालिका/पंचायत को शहर के मुख्य मार्ग पर बस स्टैंड संचालित करने हेतु सम्बंधित आदेश/नियम की सत्यापित प्रति देवें (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार नपा डबरा शहर की लगभग 02 लाख जनसँख्या है तथा डबरा से अंतर्राज्यीय बस भी संचालित हैं किन्तु बस स्टैंड का संचालन मुख्य मार्ग पर होने तथा निजी चार पहिया वाहनों का इस पहुँच मार्ग के दोनों ओर खड़ा रहने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में डबरा में बस स्टैंड भूमि हेतु अभी तक किये गए प्रयास तथा कब तक बस स्टैंड हेतु भूमि का चयन कर संचालन किया जायेगा? समयावधि बतावें

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिगनिया-बारकरी सिंचाई परियोजना की जानकारी

[जल संसाधन]

146. (क्र. 1135) श्री सुरेश राजे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिगनिया-बारकरी सिंचाई परियोजना अंतर्गत संचालित कार्यालयों का पूर्ण पता जिसमें कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री कब से इस परियोजना में पदस्थ होकर कार्यरत हैं? इनका नाम/पद/संपर्क सहित बतावें (ख) विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत जिगनिया-बारकरी सिंचाई परियोजना में बाँध का निर्माण एवं कितने किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने तथा अन्य कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि की परियोजना किस दिनांक को स्वीकृत हुई? जिसका निर्माण कार्य किस दिनांक से प्रारंभ किया गया तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि कब तक है? एजेंसी का नाम सहित बतावें (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रश्न दिनांक तक निर्माण एजेंसी को भुगतान की गई राशि, बाँध निर्माण पर व्यय की गई राशि तथा कितने किलोमीटर पाइप-लाइन बिछाई गई उसकी व्यय राशि तथा अन्य कार्यों पर व्यय की गई राशि बतावें, उक्त प्रत्येक कार्य पर कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? शेष कार्य कब तक पूर्ण होगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जिगनिया-बारकरी सिंचाई परियोजना के नाम कोई योजना नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिंचाई परियोजना से डूब क्षेत्र प्रभावित परिवारों को मुआवजा

[राजस्व]

147. (क्र. 1136) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले की बमौरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन ग्वाल टोरिया सिंचाई परियोजना में कौन-कौन से गांव की कितनी-कितनी भूमि राजस्व, वनविभाग की डूब क्षेत्र में आ रही है। यह भूमि किस-किस के नाम पर कितने-कितने हेक्टेयर दर्ज है तथा किन-किन लोगों की राजस्व के खाताधारक, पट्टेधारक एवं वनाधिकार पट्टेधारक की कितनी-कितनी भूमि है। गांववार, नाम, रकबा (हेक्टेयर में) सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में समस्त डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों की राजस्व खाताधारक, पट्टेधारक एवं वनाधिकार पट्टेधारक की भूमि को अधिग्रहण/क्रय करने के लिये किन-किन कृषकों को भूमि क्रय प्रस्ताव जारी किये गये एवं किन-किन राजस्व खाताधारक, पट्टेधारक एवं वनाधिकार पट्टेधारक कृषकों को मुआवजा वितरण कर दिया गया एवं कितने शेष हैं। क्रय प्रस्ताव, मुआवजा वितरण एवं शेष की सूची नाम, रकबा सहित जानकारी दें एवं शेष राजस्व खाताधारक, पट्टेधारक एवं वनाधिकार पट्टेधारक कृषकों को प्रश्न दिनांक तक मुआवजा वितरण क्यों नहीं किया गया कारण बतावें एवं इनको कब तक वितरण किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वन विभाग से कितनी भूमि अधिग्रहण की गई एवं इस भूमि के बदले में राजस्व विभाग द्वारा कहां, कब और कितनी भूमि वनविभाग को हस्तांतरित की गई?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) गुना जिले की बमौरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन ग्वालटोरिया सिंचाई परियोजना में राजस्व विभाग, वन विभाग की डूब क्षेत्र में आ रही भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	डूब क्षेत्र में आने वाली राजस्व विभाग की भूमि		डूब क्षेत्र में आने वाली वन विभाग की भूमि	
		कृषकों की संख्या	प्रभावित रकबा (हे.) में	कृषकों की संख्या	प्रभावित रकबा (हे.) में
1	आटाखेड़ी	42	39.394	2	3.090
2	ककरुआडांग	27	28.675	19	35.117
3	कुंवरपुर	15	3.577	0	0
4	डिबिया मानपुर	37	10.458	0	0
5	काबर बमौरी	49	53.420	17	33.863
कुल योग		170	135.524	38	72.070

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) डूब क्षेत्र में आने वाले राजस्व खाताधारक/पट्टेधारक कृषकों की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	डूब क्षेत्र में आने वाली राजस्व विभाग की भूमि		
		कृषकों की संख्या जिनकी आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु आदेश जारी किए गए हैं	कृषकों की संख्या जिनको मुआवजा भुगतान किया गया है	मुआवजा भुगतान हेतु शेष कृषकों की संख्या
1	आटाखेड़ी	35	29	13
2	ककरुआडांग	23	21	6
3	कुंवरपुर	09	6	9
4	डिबिया मानपुर	23	16	21
5	काबर बमौरी	35	29	20
कुल योग		125	101	69

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है, शेष 69 कृषकों में से 44 कृषकों के अनिवार्य भू-अर्जन हेतु धारा-11 के तहत कार्यवाही प्रचलित है। शेष कृषकों के पट्टा प्रकरण संबंधी दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है एवं कुल 38 वनाधिकार पट्टेधारक कृषकों को मुआवजा भुगतान हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3/2026/1118806 भोपाल दिनांक 25/06/2026 एवं वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना

के पत्र क्रमांक/डी.एम./2026/6014 गुना दिनांक 06/07/2026 के दिये गये निर्देशानुसार मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष कृषकों की ग्रामवार सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। जिनके प्रकरण अनिवार्य भू-अर्जन हेतु दिनांक 3.7.2026 को नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल भेजे जा चुके हैं।

क्रमांक	ग्राम का नाम	कृषक संख्या
1	आटाखेड़ी	09
2	ककरूआडांग	03
3	कुंवरपुर	06
4	डिबिया मानपुर	12
5	काबर बमोरी	14
	कुल योग	44

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है। (ग) ग्वालटोरिया मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में वनमण्डल गुना की कुल 203.964 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वनभूमि के बदले में यूजर एजेन्सी द्वारा कलेक्टर जिला गुना के माध्यम से कुल 204.777 हेक्टेयर राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) वन विभाग को हस्तांतरण कराई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है।

ईटीपी/एस.टी.पी कार्य में शासन के क्रय भंडार नियम की अवहेलना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

148. (क्र. 1140) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया मेडिकल कॉलेज में ईटीपी/एस.टी.पी. का कार्य किस फर्म के द्वारा किस नियम से तथा किस दर से किया जा रहा है? (ख) क्या वर्तमान में प्रश्नांश (क) से संबंधित कार्य की कोई ऑनलाइन निविदा जारी की गई है यदि हाँ, तो कार्य आदेश की छाया प्रति एवं इसकी एल-1 दर क्या है? (ग) क्या वर्तमान में ई.टी.पी./एस.टी.पी. का कार्य मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 संशोधित 2022 के अनुसार किया जा रहा है यदि नहीं तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है, इन दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी शासन के हुए नुकसान की इनसे कब तक वसूली की जाएगी? (घ) क्या उक्त कार्य में शासन के क्रय भंडार नियम का पालन कराया जायेगा, जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया अंतर्गत ईटीपी/एस.टी.पी कार्य फर्म मे. मां पीताम्बरा ट्रेडर्स द्वारा सीमित निविदा से राशि रु. 4,95,000/- प्रतिमाह की दर से किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ख) जी हाँ। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया अंतर्गत प्रश्नांश (क) से संबंधित कार्य की ऑनलाइन निविदा जारी की गई, जिसमें एल-1 वार्षिक दर राशि रु. 39,40,000/- मय टैक्स प्रतिवर्ष है। अभी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। (ग) वर्तमान में ई.टी.पी./एस.टी.पी. का कार्य म.प्र. भण्डार क्रय

नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के बिन्दु क्रमांक 10.1.3 अनुसार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस हेतु सम्बंधित का स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार।**

अधिग्रहित जमीन की वापसी

[राजस्व]

149. (क्र. 1145) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना शहर में वर्ष 1939 में 981.29 एकड़ भूमि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अधिगृहीत की थी? क्या वर्ष 1951 से 1975 के दौरान और बाद के वर्षों में विभिन्न राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न कार्यालयों नायब तहसीलदार/तहसीलदार/एसडीएम/डिप्टी कमिश्नर/राजस्व मंडल का लिखित आदेश न होने पर भी हवाला देकर 529.36 एकड़ भूमि खुरद-बुर्द कर दी गई? उक्त भूमि की वापसी का प्रश्न तिथि तक आदेश एसडीएम/कलेक्टर सतना एवं अन्य सक्षम कार्यालयों के पास उपलब्ध नहीं है? है तो एक प्रति दें? **(ख)** क्या सरस्वती विद्यापीठ उतैली के बाजू में व सामने की भूमि व बाजू की भूमि को एसडीएम रघुराजनगर ने शासकीय घोषित किया था? प्रेरणा सिंह पत्नी राजकिशोर सिंह की खसरा क्रमांक 104/1/5/1/1 एवं 104/1/3/1 एवं 104/1/3/2 को नोटिस जारी किया था? क्या उससे सटे सरस्वती विद्यापीठ उतैली को नोटिस दिया गया? अगर नहीं तो वर्ष 1958-59 की खसरा खतौनी में जिस स्थान पर सरस्वती विद्यापीठ उतैली है, के खसरों की (पूरी भूमि की) एक प्रति दें? **(ग)** सरस्वती स्कूल कृष्ण नगर सतना के आसपास गरीबों के घरों को नभ विभाग की जमीन पर काबिज कहकर तोड़ा/हटाया जा रहा है? सरस्वती स्कूल कृष्णनगर जिस भूमि पर है उस पूरी भूमि (खेल के मैदान एवं निर्माण सहित) का वर्ष 1958-59 की खसरा खतौनी की एक प्रति दें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : **(क)** उपलब्ध कार्यालयीन रिकार्ड के अनुसार तहसील रघुराजनगर के कुल 9 ग्रामों में 981.29 एकड़ भूमि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** खतौनी संवत् 1982-2002 में एरोड्रम दर्ज अभिलेख हैं। जी हां, बगैर किसी सक्षम लिखित आदेश के एरोड्रम दर्ज अभिलेख भूमि को खुरद-बुर्द किया गया है। उक्त भूमियों की वापसी का आदेश उपलब्ध नहीं है। **(ख)** हां, शासकीय घोषित किया गया था। प्रेरणा सिंह को नोटिस जारी किया गया था। सरस्वती विद्यापीठ, उतैली को नोटिस जारी नहीं किया गया है। सरस्वती विद्यापीठ उतैली की भूमि की आ.नं. 101, 102, 108 की वार्षिक खतौनी वर्ष 1958-59 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग)** सरस्वती स्कूल के आसपास अतिक्रमणकर्ताओं को राजस्व विभाग द्वारा नहीं तोड़ा/हटाया जा रहा है। सरस्वती स्कूल कृष्णनगर की भूमि का अभिलेख रीवा रियासत संवत् 1983-2002 की प्रति एवं वर्ष 1958-59 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है।

शासकीय शालाओं के क्षतिग्रस्त भवन

[स्कूल शिक्षा]

150. (क्र. 1147) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र खंडवा अंतर्गत विगत 2 वर्षों में कितने शासकीय, अशासकीय नए

स्कूल खोले गए, कितने शासकीय स्कूल में अतिरिक्त कक्ष, लेब, स्वीकृत किये गए हैं, पूर्ण अपूर्ण, अपूर्ण का कारण सहित जानकारी दें। (ख) विधान सभा खंडवा अंतर्गत विगत 2 वर्षों में कितने विद्यालयों में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड, फर्नीचर व अन्य उपकरण किस-किस मद से प्रदाय किये गए, संस्थावार जानकारी प्रदान की जावे। (ग) विधान सभा खंडवा अंतर्गत संचालित कितनी शालाओं में बालक बालिका शौचालय निर्मित है, विगत 2 वर्षों में कितने शौचालय किन-किन शालाओं में स्वीकृत किये गए हैं। ऐसी कितनी प्राथमिक, माध्यमिक, उ.मा. शालाये हैं, जिनमें बालिका शौचालय नहीं है या क्षतिग्रस्त अनुपयोगी है एवं मांग है की जानकारी शालावार प्रदान करें। (घ) विधान सभा खंडवा अंतर्गत संचालित समस्त प्रकार की शासकीय शालाओं में सभी प्रकार के (नियमित, शैक्षणिक, कार्यालयीन, अनुकम्पा, संविदा, दवैभो, आउट सोर्स) आदि स्वीकृत पद, भरे पद, रिक्त पद की शाला वार जानकारी प्रदान की जावे।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) विधानसभा खण्डवा अन्तर्गत विगत 02 वर्षों में कोई भी नवीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं खोले गये हैं एवं 20 अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक व 06 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले गये। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में कोई भी अतिरिक्त कक्ष एवं कम्प्यूटर लेब स्वीकृत नहीं किये गये हैं। शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विधानसभा खण्डवा अन्तर्गत विगत 02 वर्षों प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" अनुसार है। शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की स्मार्ट टी.वी की जानकारी निरंक है। स्मार्ट बोर्ड एवं फर्नीचर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" अनुसार है व अन्य उपकरण प्रदाय नहीं किए गए हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विधानसभा खण्डवा अन्तर्गत जिले में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में कुल 186 शालाओं में बालक एवं बालिका शौचालय निर्मित है। विगत 02 वर्षों में 29 शालाओं में शौचालय रिपेयर कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"तीन" अनुसार है। सभी शालाओं में बालिका शौचालय उपलब्ध है एवं क्रियाशील है। 18 शासकीय हाईस्कूल एवं 15 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बालक-बालिका शौचालय निर्मित हैं, विगत 02 वर्षों में किसी भी शाला में शौचालय स्वीकृत नहीं हुए हैं। शासकीय उ.मा. शालाओं में बालिका शौचालय नहीं होने या क्षतिग्रस्त अनुपयोगी होने संबंधी माँग अप्राप्त है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"चार" अनुसार है।

मल्टी टास्क ग्रुप डी वर्कर के पदों की स्वीकृति/नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

151. (क्र. 1161) श्री अजय विश्‍नोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर द्वारा मल्टी टास्क ग्रुप डी वर्कर के कुल कितने पदों हेतु स्वीकृति प्राप्त की गयी है। उक्त पदों पर नियुक्तिकर्ता, चयनकर्ता एजेंसी कौन है? क्या, उक्त नियुक्तियां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर द्वारा की गई हैं? यदि नहीं, तो नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी का

विवरण क्या है? (ख) प्रश्न दिनांक तक मल्टी टास्क ग्रुप डी वर्कर के कितने पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है तथा कितने पद रिक्त हैं? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के अंतर्गत स्वीकृत अन्य आउट-सोर्स पदों पर भर्ती हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? उक्त पदों हेतु किस एजेंसी, फर्म को निविदा अथवा कार्यादेश प्रदान किया गया है? (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के अंतर्गत आउट-सोर्स व्यवस्था से संचालित सफाई कर्मी, सपोर्ट स्टॉफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुक, हेल्पर, सुरक्षा गार्ड, वार्ड अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट एवं अन्य समस्त आउट सोर्स पदों के संबंध में पदवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिसमें प्रत्येक पद हेतु स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत कर्मियों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या, नियुक्ति की प्रक्रिया तथा संबंधित एजेंसी/फर्म का नाम उल्लेखित हो।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर द्वारा मल्टी टास्क ग्रुप डी वर्कर के कुल 314 पदों पर नियोजन हेतु कलेक्टर जिला जबलपुर के अनुमोदन से स्वीकृति प्राप्त की गई है। मल्टी टास्क ग्रुप डी वर्कर के पदों पर नियोजन की कार्यवाही उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) की अधिकृत एजेन्सी (Zeus Enterprises) के माध्यम से की जा रही है। जी नहीं, नियोजन की प्रक्रिया उद्यमिता विकास केन्द्र के (CEDMAP) नामित नोडल अधिकारियों से की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार।** (ख) प्रश्न दिनांक तक कुल 177 मल्टी टास्क ग्रुप डी वर्कर की नियोजन की गई है एवं वर्तमान में कुल 137 पद रिक्त है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य आउटसोर्स पदों पर भर्ती हेतु उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) से की जा रही है। आउटसोर्स पदों पर भर्ती हेतु उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) की अधिकृत एजेंसी ओम पारस मेन पावर सर्विस के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर स्तर पर पृथक निविदा आमंत्रित नहीं की जाती है क्योंकि उद्यमिता विकास (CEDMAP) शासन द्वारा अधिकृत एजेन्सी है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार।**

चिकित्सकों की भर्ती एवं पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

152. (क्र. 1162) श्री अजय विश्‍नोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के अंतर्गत जिला जबलपुर को कितने चिकित्सा अधिकारी आवंटित/पदस्थ किए गए हैं? साथ ही म.प्र. के प्रत्येक जिले में कितने-कितने चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिलेवार विवरण प्रदान किया जाए? (ख) विगत 8 माह की अवधि में जिला जबलपुर में नियमित एवं संविदा पदों पर कार्यरत कितने चिकित्सकों द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। नियमित एवं संविदा श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उक्त अवधि में कितने चिकित्सकों ने नवीन पदस्थापना अथवा जॉइनिंग दी है, उसका भी विस्तृत विवरण प्रदान किया जाए? (ग) विधानसभा क्षेत्र पाटन में, वर्ष 2026 के दौरान कितने चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति, पदस्थापना की गई है? साथ ही इसी अवधि में कितने चिकित्सा अधिकारियों को स्थानांतरित अथवा

कार्यमुक्त किया गया है? संस्थावार विवरण उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र पाटन के स्वास्थ्य संस्थानों में कितने चिकित्सा अधिकारियों को अन्य स्वास्थ्य केंद्रों/स्वास्थ्य संस्थाओं में संलग्न किया गया है? संलग्न की अवधि, आदेश क्रमांक, कारण एवं वर्तमान कार्यस्थल सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (घ) विधानसभा क्षेत्र पाटन अंतर्गत संचालित प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन हैं? संस्थावार विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही, प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया तथा अपेक्षित समय-सीमा का विवरण भी प्रदान किया जाए?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के अंतर्गत जिला जबलपुर जिले में आवंटित चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी निरंक है। जिलेवार विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है।** (ख) विगत 8 माह की अवधि में जिला जबलपुर में कार्यरत नियमित चिकित्सकों द्वारा त्याग पत्र नहीं दिया गया है, संविदा पदों पर कार्यरत कुल 31 चिकित्सकों द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। उक्त वर्णित अवधि में जबलपुर जिले में 02 विशेषज्ञ, 09 चिकित्सा अधिकारी, 01 दंत चिकित्सक सहित कुल 12 नियमित एवं 10 संविदा चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। जबलपुर जिले में पदस्थ किए चिकित्सकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।** (ग) विधानसभा क्षेत्र पाटन में प्रश्नांश में वर्णित अवधि में 01 नियमित चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की गई है एवं किसी नियमित चिकित्सक को अन्यत्र स्थानांतरित अथवा कार्यमुक्त नहीं किया गया है अपितु 03 संविदा चिकित्सकों को त्याग-पत्र प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप संविदा सेवा से कार्यमुक्त किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है।** रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा चिकित्सक की व्यवस्था किए जाने संबंधी संदर्भ में पाटन विधानसभा क्षेत्र पाटन में पदस्थ डॉ निमिषा पॉल को सिविल डिस्पेंसरी हाईकोर्ट में कार्य करने हेतु, कलेक्टर जबलपुर से अनुमोदन उपरांत ड्युटी लगाई गई है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है।** पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत करपा को नई तहसील बनाया जाना

[राजस्व]

153. (क्र. 1167) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अनूपपुर में विगत कई वर्षों से सामाजिक, व्यापारिक संगठनों के साथ ही क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधियों द्वारा बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते जनकार्यों को सुगमता से किये जाने हेतु पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत करपा को नई तहसील बनाये जाने की मांग की जा रही है? (ख) क्या मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 2207/cms/pub/2024 दिनांक 8.5.2024 के माध्यम से जिला कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर को पत्र भेजकर ग्राम पंचायत करपा को तहसील का दर्जा दिये जाने के संबंध में

परीक्षण कर यथोचित प्रतिवेदन मांगा गया था। जिसमें यह उल्लेख था कि उक्त संबंध में अधीक्षक, भू-अभिलेख, अनूपपुर से समन्वय स्थापित कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें ताकि वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी प्रेषित की जा सके? (ग) क्या जिला स्तर पर समस्त औपचारिकता पूर्ण कर नवीन तहसील बनाये जाने संबंधी प्रकरण को शासन के पास में भेज दिया गया है किंतु प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या विभाग द्वारा ग्राम पंचायत करपा को नई तहसील बनाये जाने के संबंध में प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्तावों के पूर्ण होने का विस्तृत सकारात्मक प्रतिवेदन अग्रेषित किया है तो ग्राम पंचायत करपा को नई तहसील बनाये जाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, प्रस्ताव तैयार किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) वर्तमान में प्रशासनिक इकाईयों के परिसीमन एवं युक्तियुक्तकरण के लिये मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित होकर कार्यरत है। जनगणना 2027 हेतु क्षेत्राधिकार परिवर्तन की फ्रीजिंग तिथि दिनांक 31.12.2025 से किसी प्रशासनिक इकाई में क्षेत्राधिकार परिवर्तन अनुमत्य न होने से आगामी कार्यवाही वर्तमान में प्रतिबंधित हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

154. (क्र. 1168) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर के विकासखंड पुष्पराजगढ़ अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ़ का उन्नयन कर सिविल अस्पताल बनाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेनीवारी का उन्नयन सामुदायिक स्वा. केन्द्र में करने संबंधी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अनूपपुर द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को दिनांक 10.9.2024 को पत्र प्रेषित किया गया था। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दिनांक 4 दिसम्बर, 2025 को उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि प्रकरण अभी परीक्षणाधीन है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, तो क्या उल्लेखित मांग को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक 470 दिनांक 24.2.2026 को माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित कर पुष्पराजगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर सिविल अस्पताल बनाने एवं प्रा. स्वा. केन्द्र बेनीवारी का उन्नयन कर सामु. स्वा. केन्द्र करने का अनुरोध किया था। यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये बतावें कि कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या मापदंड, वर्तमान संस्था के उपयोग की स्थिति एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध अन्य संस्थाओं के उपयोग की स्थिति आदि को देखते हुए प्राथमिकता निर्धारण के साथ किया जाता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सांदीपनि विद्यालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

155. (क्र. 1173) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सांची के रायसेन एवं गैरतगंज सांदीपनि विद्यालयों को कब तक पूर्ण किया जाना था? (ख) इन विद्यालयों का किन-किन विभागीय अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण उपरांत क्या निर्देश जारी किये गये? निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा सांदीपनि विद्यालय रायसेन एवं सांदीपनि विद्यालय गैरतगंज के संबंध में निरीक्षण उपरांत पत्र क्रमांक 390, 391, 392 एवं 393/2025 दिनांक 01.06.2025 द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड एवं अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को भी लिखा गया था। प्रश्नकर्ता उपरोक्त पत्रों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह सही है कि यह विद्यालय निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किये गये हैं? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में संबंधितों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ङ.) उपरोक्त विद्यालयों का संपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जाकर संबंधित विभाग को भवन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) विधानसभा क्षेत्र साँची के शासकीय सांदीपनि उ.मा.वि. पाटनदेव रायसेन को दिनांक 22.05.2024 में एवं शासकीय सांदीपनि कन्या उ.मा.वि. गैरतगंज को दिनांक 25.06.2024 में पूर्ण किया जाना था। (ख) इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग से आयुक्त, लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं निर्माण एजेंसी, म.प्र. भवन विकास निगम से तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षणों का प्रतिवेदन एवं निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार है। (ग) जी हाँ। मान. विधायक के पत्रों के परिपालन में प्रबंध संचालक, म.प्र. भवन विकास निगम द्वारा दिये गये निर्देशों के संदर्भ में किये गये सुधार कार्य आवश्यक कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (ब) के पृष्ठ क्र. 196 से 205 के अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" अनुसार है। (घ) जी हाँ। अनुबंधित प्रावधान अनुसार अर्थदण्ड की राशि रोकी गई। (ङ.) शास. सांदीपनि उ.मा.वि. पाटनदेव रायसेन एवं शा. सांदीपनि कन्या उ.मा.वि. गैरतगंज का निर्माण कार्य पूर्ण कर क्रमशः दिनांक 05.06.2026 एवं 29.06.2026 को विभाग को हस्तांतरित किये गये हैं।

स्टॉप डेम/तालाब का निर्माण

[जल संसाधन]

156. (क्र. 1174) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सांची अंतर्गत विगत 3 वर्षों में नहरों/तालाब/डेम मरम्मत हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि से विभाग द्वारा नहरों तालाब एवं डेम पर क्या-क्या मरम्मत/सुधार कार्य किन-किन फर्मों से करवाये गये हैं? सुधार कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई है? कार्यवार जानकारी दें। (ख) क्या विधानसभा सांची अंतर्गत नवीन स्टॉप डेम/तालाब निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? कार्यवार जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।
परिशिष्ट - "चालीस"

स्वास्थ्य व्यवस्था अंतर्गत डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

157. (क्र. 1176) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग के सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधा हेतु कौन-कौन सी संस्था कहां-कहां पर कब-कब से संचालित है, उन सभी संस्था में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं कब से रिक्त हैं। सभी संस्थाओं में उपर्युक्त व्यवस्था है, अगर नहीं, तो कहां-कहां क्या-क्या व्यवस्था नहीं है, जानकारी दें? (ख) वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा 2026-27 में म.प्र. सरकार ने कौन-कौन सी दवाई एवं मशीन कहां-कहां से कितनी-कितनी राशि में कब-कब क्रय किया तथा कितनी-कितनी राशि किसे-किसे, कब-कब भुगतान किया? जानकारी दें। (ग) वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में किसे-किसे, कितनी-कितनी राशि, कब-कब आयुष्मान योजना के तहत भुगतान किया गया। भुगतान के क्या नियम हैं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "अ" अनुसार। उक्त संस्थाओं में सुविधा/व्यवस्था की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। (ख) वर्ष 2024-2027 के दौरान विभाग द्वारा क्रय की गई दवाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार तथा उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"इ" अनुसार।

सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

158. (क्र. 1180) श्री मुकेश टंडन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-44-02/2020/20-2 दिनांक 05.10.2023 के द्वारा विदिशा जिले के गुलाबगंज में सी.एम. राईस योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालयों के रूप में प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उपरोक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता ने पत्र क्र. 102 दिनांक 17.03.26 एवं कलेक्टर विदिशा ने पत्र क्र. 3503 दिनांक 26.03.26 को सचिव/प्रमुख सचिव को अवगत कराया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) क्या इस चालू शैक्षणिक सत्र में गुलाबगंज में सर्व संसाधन संपन्न विद्यालय के रूप में प्रारंभ करने की शासन द्वारा अनुमति दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। सर्व संसाधन सम्पन्न सांदीपनि विद्यालयों की संचालन सक्षम अनुमोदन एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। विगत 02 वित्तीय वर्षों में अतिरिक्त सांदीपनि विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत नहीं होने से शा.उ.मा.वि. गुलाबगंज का सांदीपनि विद्यालय के रूप में संचालन नहीं हो सका है। (ख) जी हाँ, बजट की अनुपलब्धता के

कारण शा.उ.मा.वि. गुलाबगंज को सांदीपनि विद्यालय के रूप में संचालन नहीं किया जा सका है।
(ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नवीन नहर के विस्तार हेतु सर्वे किया जाना

[जल संसाधन]

159. (क्र. 1181) श्री मुकेश टंडन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला विदिशा में बेतवा नदी पर ग्राम रुसल्ली-सुरई मूड़ा के पास से नहर विस्तार की योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो इसमें ग्राम सुमेर बर्री को शामिल किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों, कारण बतावें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता ने उपरोक्त के संबंध में मा. मंत्री महोदय को पत्र क्र. 956 दिनांक 15/12/25 के माध्यम से अवगत कराकर ग्राम सुमेर बर्री को शामिल करने का आग्रह किया है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ। बेतवा नदी पर ग्राम रुसल्ली-सुरई मूड़ा के पास बेतवा प्रेशराइज सिंचाई योजना प्रस्तावित है। इस योजना से ग्राम सुमेर बर्री में सिंचाई प्रस्तावित है। (ख) इस योजना के लाभान्वित ग्रामों में सुमेर बर्री प्रस्ताव में सम्मिलित है। (ग) योजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आगामी साधिकार समिति में रखा जाना प्रस्तावित है।

राजस्व न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

160. (क्र. 1184) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में वर्ष 2023 से 2026 प्रश्न दिनांक तक के दौरान राजस्व न्यायालयों में सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, नक्शा सुधार, अतिक्रमण एवं अन्य राजस्व प्रकरणों के कुल कितने आवेदन/प्रकरण प्राप्त हुये वर्षवार, तहसीलवार एवं जिलावार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ख) म.प्र. शासन के प्रचलित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार सीमांकन तथा अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सीमा क्या है? प्रकरणवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिले में कुल कितने प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया था कितने प्रकरण समय सीमा के पश्चात निराकृत हुये? वर्षवार, तहसीलवार, प्रकरणवार विवरण उपलब्ध करायें। (घ) वर्तमान में लंबित प्रकरणों में से कितने प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि से लंबित है? उनको कब तक पूर्ण किया जायेगा? प्रकरणवार एवं तहसीलवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ङ.) प्रश्नांश (क), (ग) एवं (घ) के तारतम्य में निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण न होने का कारण क्या है? ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु शासन द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है एवं उन्हें कब-तक निराकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? समय सीमा सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" अनुसार। (ख) म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अविवादित नामांतरण 30 दिवस,

अविवादित बंटवारा 90 दिवस एवं सीमांकन प्रकरणों में 45 कार्यदिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। (ग) जिले में प्रश्न (क) में बताई गई अवधि में कुल 123771 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 1404 प्रकरण शेष हैं। शेष सभी प्रकरण नियत समय सीमा के अंदर हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं हैं। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। (ड.) नियमित साप्ताहिक व्ही.सी. से समीक्षा, मासिक राजस्व अधिकारियों की भौतिक बैठक, वरिष्ठ कार्यालय द्वारा पाक्षिक समीक्षा एवं कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर समीक्षा की जाती है।

पर्यटन स्थलों के विकास हेतु बजट का आवंटन

[पर्यटन]

161. (क्र. 1185) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल एवं रीवा जिलों में पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विकसित, विकासाधीन एवं प्रस्तावित पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है? पर्यटन स्थल का नाम, श्रेणी (धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक इको-टूरिज्म, साहसिक पर्यटन आदि) एवं वर्तमान स्थिति सहित सूची उपलब्ध कराएँ। (ख) वित्तीय वर्ष 2023 से 2026 तक उक्त जिलों के पर्यटन स्थलों के विकास सौंदर्यीकरण, आधारभूत संरचना, निर्माण, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार एवं प्रचार-प्रसार हेतु कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय की गई? स्थलवार, मदवार एवं वर्षवार विवरण उपलब्ध कराएँ। (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितने पर्यटन स्थल उनके विकास हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं? प्रस्ताव प्राप्त तिथि, प्रस्तावित लागत, स्वीकृत की वर्तमान स्थिति एवं विलम्ब के क्या कारण हैं? उन पर क्या कार्यवाही हुई है? (घ) क्या शासन द्वारा शहडोल एवं रीवा जिलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय युवाओं के लिये रोजगार, सृजन, होम स्टे, इको टूरिज्म, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के विकास हेतु कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो इसका विस्तृत विवरण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन, कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए। (ड.) जिलेवार यह भी बताएँ कि आगामी 3 वर्षों में किन-किन पर्यटन स्थलों को विकसित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके लिये कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? जानकारी उपलब्ध कराएँ।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों की संख्या एवं सूची संधारण नहीं की जाती है। (ख) वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) परिप्रेक्ष्य में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार। (ड.) पर्यटन स्थलों को विकसित किये जाने हेतु वर्तमान में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

म.प्र. में संचालित 108 एम्बुलेंस के विरुद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

162. (क्र. 1192) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. 2829, दिनांक 13.05.2026 के द्वारा परिवहन आयुक्त, कैम्प ऑफिस 1100 क्वार्टर भोपाल से मध्य प्रदेश में संचालित 108 एम्बुलेंस एवं जननी एक्सप्रेस का मध्यप्रदेश मोटरयान कर एवं शास्ति की राशि जमा कराने संबंधी पत्र लिखा गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कर एवं शास्ति की

राशि जमा कराई गई है? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं तो कितनी? (ग) क्या शासन इस वित्तीय अनियमितता के संबंध में शीघ्र पहल कर राशि की वसूली करेगा एवं संबंधित के विरुद्ध एफ.आई.आर. की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर में संस्थित याचिका क्रमांक WP-3433/2026 M/S JAES PROJECTS I PVT. LTD AND OTHERS Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 18.02.2026 अनुसार संस्था JAES को उक्त प्रकरण में अन्तरिम राहत प्रदाय की गई है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** प्रश्न भाग के प्रथम भाग में दिए गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना

[राजस्व]

163. (क्र. 1195) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा शहरी व अन्य आबादी क्षेत्रों के नागरिकों के भू-खंड संबंधी अधिकारों को सुरक्षित करने तथा बैंकों से ऋण प्राप्ति सुगम बनाने हेतु हाल ही में 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना' को स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त जनहितैषी योजना के अंतर्गत जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरी आबादी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से निर्मित अधिकार अभिलेखों (डीड ऑफ कन्वेयेंस) के निष्पादन एवं नागरिकों के हित में पूर्णतः निःशुल्क पंजीयन हेतु विभाग द्वारा क्या विशेष अभियान या कार्ययोजना तैयार की गई है? (ग) क्या विभाग द्वारा जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे पात्र भू-खंडधारियों व शहरी संपत्तियों का वार्डवार पूर्ण चिन्हांकन कर लिया गया है जिन्हें इस योजना के तहत बिना स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क दिए मालिकाना हक के पंजीकृत दस्तावेज सौंपे जाएंगे यदि हाँ, तो क्षेत्र के कुल कितने शहरी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा? (घ) जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के शहरी नागरिकों को गृह निर्माण, व्यवसाय व अन्य आर्थिक कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने वाली इस योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कब से प्रारंभ होगा तथा इसके प्रभावी संचालन व जन-जागरूकता हेतु स्थानीय स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी नहीं। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना शहरी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। (ख) से (घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय अस्पताल का सिविल अस्पताल में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

164. (क्र. 1196) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जबलपुर के मनमोहन नगर स्थित

शासकीय अस्पताल को सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन (अपग्रेड) करने के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव शासन व विभाग को प्रेषित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सघन आबादी वाले क्षेत्र की अत्यधिक चिकित्सा आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा अब तक दिनांकवार क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा वर्तमान में यह प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है? (ग) क्या शासन मनमोहन नगर अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करने तथा आधुनिक जीवन रक्षक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने हेतु इस उन्नयन प्रस्ताव की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति आगामी बजट में शामिल करने पर विचार कर रहा है? (घ) यदि हाँ, तो क्षेत्र की जनता को सर्वसुविधायुक्त स्वास्थ्य लाभ समय पर मिल सके, इसके लिए उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम स्वीकृति प्रदान कर राशि जारी कर दी जाएगी? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या मापदंड, वर्तमान संस्था के उपयोग की स्थिति एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध अन्य संस्थाओं के उपयोग की स्थिति आदि को देखते हुए प्राथमिकता निर्धारण के साथ किया जाता है। इस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नियम विरुद्ध उद्योगों को पानी का आवंटन

[जल संसाधन]

165. (क्र. 1199) श्री गौरव सिंह पारधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव सागर परियोजना में उद्योग को पानी देने का कोई प्रावधान नहीं है? यदि नहीं हैं तो क्या उद्योग को पानी क्यों दिया जा रहा है? (ख) परियोजना में सिंचाई के लिये चिन्हित रकबे से कम में सिंचाई हो रही है? हाँ या ना। (ग) ऐसी परिस्थिति में किसान के सिंचाई के पानी को उद्योग में किस नियम के तहत दिया जा रहा है? (घ) मुख्य अभियंता के पत्र के बाद भी अभी तक इथेनाल उद्योग से अनुबंध कब तक निरस्त होगा? देरी के कारण कृपया बताएं।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) यद्यपि परियोजना के निर्माण के समय उद्योग को पानी देने का प्रावधान नहीं रखा गया था, तथापि परियोजना में तत्समय जल की उपलब्धता एवं उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में उद्योगों एवं पेयजल हेतु जल आवंटन संभव हुआ। उक्त आवंटन मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जलकर जमा करने की शर्त पर किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) जी हाँ। (ग) परियोजना में सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता एवं उपयोग के अनुरूप उद्योग को जल आवंटन मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम में निहित प्रावधान एवं निर्धारित जलकर जमा करने की शर्त पर किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम में निहित प्रावधान एवं निर्धारित जलकर जमा करने की शर्त पर विभाग द्वारा उद्योग के साथ 30 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाना प्रतिवेदित है। शेष प्रश्न लागू नहीं होता है।

शालाओं को आवंटित राशि में भ्रष्टाचार

[स्कूल शिक्षा]

166. (क्र. 1222) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य की शालाओं की मरम्मत रख-रखाव हेतु आवंटित राशि में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं? क्या मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में विद्यालयों की मरम्मत एवं संधारण कार्यों के नाम पर लगभग 4 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं/घोटाले का मामला पिछले विधानसभा सत्र में उठाये जाने पर सरकार द्वारा मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया था? **(ख)** यदि हाँ, तो मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक से संबंधित उक्त मामले की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या जांच पूर्ण हो चुकी है यदि हाँ, तो जाँच में किन अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है तथा किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया है? **(ग)** दोषी पाए अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या विभागीय, प्रशासनिक अथवा वैधानिक कार्रवाई की गई है? कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया जाए। क्या शासन उक्त जांच प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेगा? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी जाएं। यदि नहीं, तो कारण दें। **(घ)** प्रदेश के अन्य जिलों से विद्यालय मरम्मत एवं संधारण कार्यों में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों की संख्या, जिलेवार विवरण तथा उन पर की गई जांच एवं कार्रवाई का ब्यौरा दिया जाए, क्या शासन अनियमितताओं की रोकथाम हेतु कोई राज्यस्तरीय विशेष जांच अथवा निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : **(क)** जी नहीं। जी हाँ। **(ख)** प्रकरण में पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है, शेषांश उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर के प्रकाश में प्रकरण पुलिस विवेचना के अंतर्गत होने के कारण जानकारी निरंक है। **(घ)** उत्तरांश **(क)** के पूर्वार्ध के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। शासन नियम एवं निर्देशों के विपरीत कार्य करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के पूर्व से प्रावधान है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

जिला जबलपुर में क्रूज हादसे की जानकारी

[पर्यटन]

167. (क्र. 1223) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले के बरगी डेम में क्रूज डूबने के हुये हादसे में कितने लोगों की मृत्यु हुई? डूबे क्रूज का नाम, रजिस्ट्रेशन नं., क्रय दिनांक, अंतिम रूप से क्रूज की फिटनेस/तकनीकी जाँच कब करायी गयी व क्या फिटनेस के आधार पर क्रूज संचालन के उपयुक्त था? क्रूज में सवारी बैठने की क्षमता क्या थी व घटना के समय कितनी सवारी थी? घटना की जाँच किस अधिकारी द्वारा की व जाँच में क्या पाया? क्या घटना के बाद डूबे क्रूज की तकनीकी जाँच करायी गयी थी? घटना के दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की पूर्ण जानकारी व समस्त जाँच प्रतिवेदनों की छायाप्रतियाँ सहित संपूर्ण नस्ती की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाए। **(ख)** क्या दुर्घटनाग्रस्त हुये उक्त क्रूज का नष्टीकरण किया जा चुका है? यदि हाँ, तो इतने आनन-फानन में क्रूज के नष्टीकरण का क्या आधार था? नष्टीकरण किस अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर व नियमानुसार किया गया? पूर्ण जानकारी सहित अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये। **(ग)** बरगी सहित पूरे प्रदेश में कब-कब क्रूज खरीदे गए? कितने क्रूज संचालित थे? क्रूजवार बैठने की क्षमता व शुल्क निर्धारित हैं? बरगी में अप्रैल

व मई 2026 में प्रत्येक दिवस कितने टिकट वितरण किये गए? दिनवार टिकट संख्या सहित वर्ष 2025 से मई 2026 तक समस्त क्रूज के टिकट वितरण रिकॉर्ड व केशबुक की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्रूज संचालन से संबंधित व सुरक्षा मानक व मौसम से संबंधित सम्पूर्ण दिशा निर्देश क्या है? आपदा, आंधी, तूफान मौसम की जानकारी रखने सचेत व सूचना प्रसारण करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है, के पदनाम सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) बरगी डेम में क्रूज डूबने से हुये हादसे में 13 लोगों की मृत्यु हुई। डूबे क्रूज का नाम मैकलसुता था। रजिस्ट्रेशन क्रमांक निल क्रय दिनांक 14/10/2006 अंतिम रूप से क्रूज की Fitness/तकनीकी जांच दिनांक 30/12/2024 को कराई गई थी, जिसमें फिटनेस के आधार पर क्रूज संचालन हेतु उपयुक्त था। क्रूज में 81 व्यक्ति बैठने की क्षमता थी। क्रूज में घटना के समय 41 व्यक्ति सवार थे। घटना की जांच हेतु म.प्र. शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ: GAD/50/0001/2026-GAD-10-01 (GAD) दिनांक 10/05/2026 से एकल सदस्यी जाँच आयोग गठित किया गया है, जिसकी जाँच प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ख) बरगी डेम में क्रूज डूबने से हुई घटना की जाँच हेतु म.प्र. शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ: GAD/50/0001/2026-GAD-10-01 (GAD) दिनांक 10/05/2026 से एकल सदस्यी जाँच आयोग गठित किया गया है, जिसकी जांच प्रचलित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। (घ) क्रूज संचालन से संबंधित सुरक्षा मानक, मौसम संबंधी दिशा निर्देश (SOP) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार। आपदा, तूफान मौसम की जानकारी रखने सचेत व सूचना प्रसारण की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर संबंधित बोट क्लब प्रबंधक एवं पायलेट की है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

168. (क्र. 1227) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर के विधानसभा क्षेत्र बंडा, सुरखी एवं देवरी अर्न्तगत वि.खं. में भवन मरम्मत, विद्युतीकरण एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु वर्ष 2025-2026 में किस-किस मद में बी.ई.ओ. को राशि आवंटित की गई थी, स्कूलवार, मदवार जानकारी दें। किन-किन स्कूलों में सामग्री क्रय की गई किन स्कूलों में मरम्मत कार्य करा लिये गये मदवार स्कूलवार जानकारी दें। (ख) जिन विधानसभा क्षेत्रों के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को राज्य शासन द्वारा विभिन्न स्कूलों को अपग्रेड करने हेतु मांग अनुसार राशि आवंटित की गई थी उन विकास खंड के स्कूलों द्वारा प्राप्त बजट का उपयोग किया गया है। स्कूलवार जानकारी प्रदान कराये। यदि नहीं तो क्यों। (ग) जिन विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं स्कूलों के प्राचार्य के द्वारा मांग की गई थी क्या उनके द्वारा बजट का उपयोग किया जा चुका है यदि नहीं तो क्या बजट विभाग को वापिस हुआ है यदि हाँ, तो इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध जिला अधिकारी संभाग अधिकारी या शासन के द्वारा क्या कोई कार्यवाही की है यदि हाँ, तो विवरण दें। नहीं तो क्या कार्यवाही की जावेगी। पूर्व में प्राप्त बजट 2025-2026 जो शासन को वापिस हुआ है उसे पुनः स्कूलों

में आवश्यक विद्युतीकरण, मरम्मत, पेयजल व्यवस्था आदि हेतु बजट मांगा गया है यदि हाँ, तो पत्र की प्रति दें, यदि नहीं तो क्यों विवरण दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" एवं "दो" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" अनुसार है। विकासखण्ड देवरी एवं केसली में माह मार्च 2026 में राशि प्राप्त होने से समय-सीमा में राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" अनुसार हैं। जिला स्तर से की गई कार्यवाही जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"तीन" अनुसार है। जी नहीं। मांग एवं बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विधानसभा देवरी अंतर्गत परियोजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

169. (क्र. 1228) **श्री बृज बिहारी पटैरिया :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सागर जिले की विधानसभा देवरी की कौन-कौन सी लघु एवं वृहद या अन्य परियोजनाओं योजनाओं की साध्यता स्वीकृत है। जिन पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाओं साध्यता की स्वीकृति दी जा चुकी है किनकी शेष है। योजनाएँ किस स्तर पर लंबित है? (ग) विधानसभा क्षेत्र देवरी अन्तर्गत दिनांक 14 जून 2026 को मा. मुख्यमंत्री जी के द्वारा किन-किन विभागीय योजनाओं की घोषणा की गई है उनके नाम बताये एवं उनकी स्वीकृति कब तक प्रदान करा दी जावेगी।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) साध्यता प्राप्त योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। डुडरया, सेमरा, सनगढ़ा जलाशय, कुण्डा जलाशय, थावरी जलाशय, देहचुआ स्टॉपडेम कम कॉजवे, योजनाओं की साध्यता हेतु प्रस्ताव मैदानी स्तर पर तैयार किये जाना प्रतिवेदित है। (ग) वेबसाइट पर उपलब्ध विधानसभा क्षेत्र देवरी अन्तर्गत दिनांक 14 जून 2026 को मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा सूची में कोई उल्लेख नहीं होना प्रतिवेदित है। अतः शेष प्रश्न लागू नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

सायकल स्टैंड निर्माण में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

170. (क्र. 1230) **श्री देवेन्द्र पटेल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में भोपाल संभाग के जिलों के किन-किन उच्च माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कितनी-कितनी लागत से सायकल स्टैंड/वाहन स्टैंड/पार्किंग सुविधा के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? विद्यालयवार लागत की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित कार्य किन तकनीकी मापदण्डों से किन निर्माण एजेंसियों द्वारा किये गये है? क्या कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण किये गये हैं? नहीं तो क्यों, क्या कार्य एजेंसी के निर्धारित व गुणवत्तापूर्ण कार्य के मामले में विभाग व शासन के नियम-निर्देशों का पालन किया गया है? नहीं तो क्यों? इस हेतु कौन उत्तरदायी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) वर्णित गुणवत्ताहीन कार्यों के मामले में क्या विभाग भोपाल से

विभागीय व तकनीकी जांच दल भेजकर इनका भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच कराकर उत्तरदायी लोगों को दंडित करेगा? नहीं तो क्यों? क्या विस्तृत जांच कराई जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) प्रश्नाधीन संभाग अंतर्गत विगत दो वर्षों में जिला भोपाल एवं जिला रायसेन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष जिलों की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जिला भोपाल में निर्माण कार्य विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) द्वारा प्राक्कलन अनुसार कराये गये हैं, जो कि गुणवत्तापूर्ण है। जी हाँ। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। जिला रायसेन में विहीत प्रक्रिया का पालन न होने के फलस्वरूप संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जिला भोपाल हेतु उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिला रायसेन अंतर्गत ऐसी शासकीय सेवक जिनके द्वारा विहीत प्रक्रिया का पालन न होने के फलस्वरूप संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।

मुआवजा राशि वितरण में विलम्ब

[राजस्व]

171. (क्र. 1231) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में वर्ष 2020-21 में कीट व्याधि, ओलावृष्टि संबंधी राहत राशि वितरण में रु. 18 करोड़ से ज्यादा राशि की अनियमितता के मामले में प्रश्न दिनांक तक किस स्तर से क्या-क्या कार्यवाही हुई है? विस्तृत विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित गंभीर मामले में वास्तविक दोषियों पर समुचित कार्यवाही न होने व जांच में अत्यंत विलम्ब होने के क्या कारण हैं? (ग) कब तक दोषियों से राशि वसूल कर वास्तविक हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया जायेगा? नहीं तो क्यों? (घ) किन अधिकारियों के संरक्षण के कारण दोषियों को बचाने के लिए जांच में विलम्ब किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) रायसेन जिले में वर्ष 2020-21 में कीट व्याधि ओलावृष्टि संबंधी राहत राशि वितरण में 18 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि की अनियमितता के मामले में प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही में जिले की तहसील बेगमगंज में रुपये 57,19,276/-, तहसील उदयपुरा में रुपये 2,90,933/- एवं तहसील सुल्तानपुर में रुपये 9,53,860/- की पाई गई अनियमितता जांच अंतर्गत राशि संबंधितों से वसूल कर शासन पक्ष में चालान के माध्यम से जमा की गई। तहसील बेगमगंज एवं सुल्तानपुर में पटवारी तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर स्तर के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उन्हें दंडित किया गया। तहसील उदयपुरा में दोषी पाए गए तात्कालीन नाजिर, पटवारी एवं सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर (संविदा) में से पटवारी एवं नाजिर की मृत्यु हो जाने से कार्यवाही समाप्त की गई तथा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को सेवा से पृथक किया गया है। तहसील सिलवानी में तत्समय पदस्थ तात्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी अधिकारी श्री बृजेश कुमार सिंह, श्री रामजीलाल वर्मा, श्री शत्रुघ्न सिंह चौहान व श्री संजय नागवंशी, नायब नाजिर, प्रभारी नाजिर एवं सहायक ग्रेड-2 उप कोषालय सिलवानी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गंभीर मामले के

दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जिला रायसेन अंतर्गत तहसील बेगमगंज में रुपये 57,19,276/-, तहसील उदयपुरा में रुपये 2,90,933/- एवं तहसील सुल्तानपुर में रुपये 9,53,860/- राशि की अनियमितता की जांच कर राशि वसूल की गई है। दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। परिणाम पश्चात गुणदोषों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

स्टॉप डेम का निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

172. (क्र. 1234) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1219 उत्तर दिनांक 30 जुलाई 2025 एवं प्रश्न क्र. 2900 उत्तर दिनांक 26/02/26 के संदर्भ में तत्समय उत्तर कार्यवाही प्रचलन में थी दिया गया था। प्रश्नकर्ता के उक्त प्रश्नों के प्रश्नांशों के अनुसार वर्तमान में अद्यतन कार्य की प्रगति की जानकारी दें। (ख) उक्त स्टॉपडेम की कितनी राशि की निविदाएँ किस निर्माण एजेन्सी की स्वीकृत की गई? निर्माण एजेन्सी का नाम, पता, निर्माण एजेन्सी की श्रेणी, कार्य का अनुभव सहित पूर्ण अनुबंध एवं निविदा के दस्तावेज उपलब्ध करायें। (ग) अनुबंध की शर्तों के अनुसार कितनी समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ, प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्र.1219 एवं प्रश्न क्र.2900 के संदर्भ में तत्समय कार्यवाही प्रचलन में बताई गई थी। वर्तमान में योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति में प्रचलित विभागीय सी.एस.आर. जुलाई 2024 पर प्राप्त की जाकर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। (ख) नुन्हाटा स्टॉप डेम की निविदा राशि 306.06 लाख से 28.26 प्रतिशत कम दर पर राशि रु.219.57 लाख की माँ अंजनी कन्स्ट्रक्शन, सुरेश नगर ठाटीपुर, ग्वालियर की स्वीकृत की गई थी। सितम्बर 2016 से नवीन केन्द्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली लागू होने से निर्माण एजेन्सी की श्रेणी का प्रश्न ही नहीं उठता है। 5 करोड़ से कम लागत की निविदाओं में कार्य का अनुभव लागू नहीं होता है। नुन्हाटा स्टॉप डेम के निर्माण हेतु स्वीकृत निविदाकार द्वारा अनुबंध नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। तथापि निविदा दस्तावेज की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पूर्व में आमंत्रित की गई निविदा अनुसार नुन्हाटा स्टॉप डेम के निर्माण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित था।

300 बिस्तरीय नवीन भवन की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

173. (क्र. 1235) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय भिंड का वर्तमान भवन कब निर्मित हुआ था तथा इसकी बिस्तर क्षमता कितनी है? क्या वर्तमान बिस्तर क्षमता जिले की जनसंख्या के मान से पर्याप्त है? (ख) क्या जिला चिकित्सालय भिंड के नए भवन का निर्माण स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो नवीन भवन हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई, कितनी राशि जारी की जा चुकी है तथा प्रश्न

दिनांक तक कितनी राशि व्यय हुई है? स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) नवीन भवन की स्वीकृत बिस्तर क्षमता कितनी है तथा इसमें कौन-कौन से विभाग/विशेषज्ञ सेवाएं जैसे आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस यूनिट, एसएनसीयू प्रस्तावित हैं? पुराने भवन से नवीन भवन में सेवाएं कब तक स्थानांतरित होंगी? (घ) नवीन भवन के निर्माण कार्य का ठेका किस एजेंसी को दिया गया है? कार्यादेश दिनांक क्या है तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा क्या थी? यदि विलंब हुआ है तो इसके कारण क्या हैं तथा दोषी एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई? (ङ.) क्या नवीन भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण होने के कारण पुराने जर्जर भवन में ही मरीजों का उपचार किया जा रहा है? विगत माह में पुराने भवन का छत गिरने से दो महिला घायल हो गई थी? यदि हाँ, तो पुराने भवन की संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराकर पी.डब्ल्यू.डी. ने भवन को अनुपयोगी (कण्डम) करने की अनुशंसा कर पत्र कलेक्टर भिण्ड को दिनांक 29/08/2022 को भेजा था? (च) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्नकर्ता ने 300 बिस्तरीय नवीन भवन स्वीकृत करने बाबत मा. विभागीय उपमुख्यमंत्री जी से भेटकर दिनांक 09/02/2025 को पत्र दिया था? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला चिकित्सालय भिण्ड का वर्तमान भवन शिलालेख अनुसार वर्ष 1936 में निर्मित हुआ था। समय-समय पर भवन का उन्नयन होने से 400 बिस्तरीय क्षमता का है। बिस्तर क्षमता का विकास जिले की जनसंख्या की बजाय बेड ऑक्युपेन्सी रेशो के आधार पर किया जाता है। (ख) जी नहीं, बल्कि अतिरिक्त मैटरनिटी विंग और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्वीकृति दी गई है जिसकी जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार,** भवन हस्तांतरण होने के उपरान्त स्वास्थ्य सेवायें नवीन भवन में यथाशीघ्र संचालित होंगी। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ङ.) जी हाँ, अस्पताल भवन की छत नहीं अपितु एस.एन.सी.यू. के स्थानपान कक्ष की सिलिंग का प्लास्टर गिरने के कारण दुर्घटना हुई। जी हाँ। (च) जी हाँ। नवीन भवन हेतु प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

जिम्मेदारी के विरुद्ध कार्यवाही

[राजस्व]

174. (क्र. 1238) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अद्योहस्ताक्षरकर्ता का पत्र 1886 दिनांक 13/05/26 जो कलेक्टर गुना को आरक्षक राघौगढ़ द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में लिखा गया, उस पर साप्रवि के आदेश दिनांक 22/03/2011 के पालन में कब-क्या कार्यवाही की गई? आदेश के उल्लंघन पर कब तक निलंबन कर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा? (ख) तहसीलदार परगना-आरोन के राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र मामला क्र.-0033/अ-68/26-27 दिनांक 04/06/2026 को पारित आदेश में क्यों-क्या आदेश जारी किया गया? क्या तहसीलदार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ है? यदि हाँ, तो कब-क्या? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बताये एवं इसके लिये जिम्मेदारों पर कब-क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) शा.भूमि को लीज एवं पट्टे पर दिये जाने के क्या नियम-शर्तें हैं? क्या लीजधारी-पट्टाधारी को अधिकार हस्तांतरित करने के अधिकार हैं? यदि हाँ, तो किस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना

होगा लीज-पट्टे के संबंध में सउदाहरण जानकारी दें? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतायें। यद्यपि लीजधारी एवं पट्टाधारी ने भूमि को हस्तांतरित कर दिया है उसे वापस लेने के लिये क्या प्रक्रिया-नियम-निर्देश आदेश की प्रति सहित सउदाहरण बतायें। (घ) वनभवन, भोपाल, एकेव्हीएन इंदौर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स इंदौर को कब-कितनी भूमि, कितनी अवधि के लिये लीज पर, किस दर पर, किन नियम-शर्तों पर आवंटित की गई है? संपूर्ण दस्तावेजों की प्रति दें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) मा. विधायक के पत्र 1886 दिनांक 13/05/26 जो कलेक्टर गुना को आरक्षक राघौगढ़ द्वारा अतिक्रमण के संबंध में लिखा गया उस पर साप्रवि के परिपत्र दिनांक 22/03/2011 के पालन में जिला योजना कार्यालय द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का पूर्णतः पालन किया गया है। कस्बा राघौगढ़ के भूमि सर्वे क्रमांक 759 रकबा 23.902 हे. में से 1550 वर्गफीट पर अतिक्रमक महेन्द्रपाल सिंह पुत्र नंदलाल चौहान निवासी पीलाघाटा द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु न्यायालय तहसीलदार के प्र.क्र. 0007/3-68/2026-27 से कार्यवाही प्रचलित है। तहसीलदार तहसील राघौगढ़ के द्वारा का.वा. प्रधान आरक्षक महेन्द्र पाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (ख) तहसीलदार परगना आरोन के राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र मामला क्रमांक 0033/अ-68/26-27 में पारित आदेश दिनांक 04/06/2026 के अनुसार ग्राम बनियाई शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 58 नोईयत शासकीय रास्ता रकबा 1.254 हे. में से हि. 1/3 रकबा 0.418 हे. पर अनावेदक थानसिंह पुत्र गनेशराम राजपूत हि. 1/3 रकबा 0.418 हे. पर विजयसिंह पुत्र हरिया कुशवाह एवं हि. 1/3 रकबा 0.418 हे. पर कल्लू पुत्र दिमान कुशवाह का कब्जा पाया गया। क्रमशः अनावेदकों पर प्रति व्यक्ति 6000 अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर बेदखल आदेश पारित किया गया एवं हल्का पटवारी द्वारा उक्त शासकीय रास्ते की भूमि से अनावेदकगणों को बेदखल कर उक्त भूमि पंचायत सचिव को देख-रेख हेतु सुपुर्द की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" अनुसार** बेदखली आदेश एवं बेदखली रिपोर्ट मय पंचनामा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" अनुसार। (ग) लीज पट्टों के हस्तांतरण एवं वापस लेने हेतु नजूल निर्वर्तन निर्देश नियम 2020 लागू है। शेष जानकारी निरंक है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" अनुसार।** (घ) म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-128/2008/सात/नजूल भोपाल दिनांक 22 मार्च 2008 द्वारा वन विभाग म.प्र. शासन के पक्ष में ग्राम शहर भोपाल के लिंक रोड़ नं. 2 पर स्थित खसरा नंबर 1499/1 में से 5.825 हेक्टेयर, खसरा। नंबर 296/85/2 में से 1.945 हेक्टेयर खसरा नंबर 89-90 में से 0.631 हेक्टेयर ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद स्थित खसरा नंबर 144/2 में से 0.437 हेक्टेयर, खसरा नंबर 145 में से 1.587 हेक्टेयर (ग्राम शहर भोपाल की 6.027 हेक्टेयर, ग्राम शाहपुरा की 2.574 हेक्टेयर, ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद की 2.024 हेक्टेयर) कुल रकबा 10.625 हेक्टेयर भूमि जो वन विभाग के आधिपत्य में है, उनके उपयोग हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र दण्ड परि. क्रमांक-1 की कंडिका 36 के अंतर्गत वन विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रिय कार्यालय इंदौर पत्र द्वारा कार्यालयीन क्रमांक/एम.पी.आई.डी.सी./क्षे.का.इं./मन्वय/10264/इंदौर दिनांक 13-7-2026 से अवगत कराया है कि ए.के. व्ही.एन. इंदौर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, इंदौर को भूमि लीज पर प्रदान नहीं की गई है।

आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

175. (क्र. 1239) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले में कितनी आशा कार्यकर्ता कहां पर पदस्थ हैं? नाम, पता, मो.नं. पदस्थ आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान कब से क्यों लंबित हैं? कारण सहित बताएं। इस संबंध में जारी समस्त पत्र आदेश-निर्देश एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा दिए गए आवेदनों पर कब-क्या कार्यवाही की गई? एकल नस्ती प्रदान करें? **(ख)** बीएमओ राघौगढ़ द्वारा सीएमएचओ गुना को दिनांक 27/01/2025 में लिखे गए पत्र में आशा पोर्टल बंद का लेख है आशा पोर्टल कब से क्यों बंद हैं? कारण सहित बताएं और पुनः कब शुरू कर दिया जाएगा? **(ग)** मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल में 2026-27 सत्र के लिये कितने नर्सिंग कॉलेजों के नवीनीकरण एवं कितने नये कॉलेजों ने आवेदन किये? आवेदन की प्रति, निरीक्षण रिपोर्ट, स्कूटनी कमेटी की रिपोर्ट, कॉलेजों के स्टॉफ की समस्त जानकारी अनुभव प्रमाण पत्र, अस्पताल की जानकारी सहित पृथक-पृथक गौश्वारा बनाकर मय दस्तावेजों के एकल नस्ती सहित बतायें। **(घ)** अ.ता. प्र.क्र. 1307 उत्तर दिनांक 19/02/26 की (क) से (च) तक एवं अं.ता.प्र.क्र. 3027 उत्तर दिनांक 06/08/2025 की (ख) की जानकारी अप्राप्त है? कब तक दी जायेगी? **(ङ.)** कार्या.म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल का पत्र क्र. 7277/शिका./26 दिनांक 09/04/26 जो कलेक्टर जिला भोपाल, अवर सचिव लो.स्वा. एवं चि.शि.वि मप्र का पत्र 464/PHME-0282/2026/सत्रह/मेडि-3 जो कि आयुक्त लो.स्वा.एवं चि.शि. को प्रेषित किया गया, पत्र की प्रति एवं की गई कार्यवाही की एकल नस्ती प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) गुना जिले में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के नाम, पता व मोबाईल नंबर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। गुना जिले में आशा कार्यकर्ताओं के वर्तमान में कोई भुगतान लंबित नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** बीएमओ राघौगढ़ द्वारा आशा पोर्टल पर नाम अंकित न होने के कारण आशा पोर्टल बंद होने का लेख किया गया है, आशा पोर्टल बंद नहीं है, आशा कार्यकर्ता का चयन वर्ष 2023-24 से बंद किया गया है। आशा पोर्टल पर नवीन आशा कार्यकर्ता की प्रविष्टि बंद है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** वर्ष 2026-27 के सत्र के लिए 272 नर्सिंग कॉलेजों के नवीनीकरण एवं 45 नये कॉलेजों के आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। नवीन कॉलेज के निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र जारी किये गये हैं। कॉलेज स्टॉफ एवं उनके अनुभव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है। अस्पतालों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है। **(घ)** अ.ता. प्रश्न क्रमांक 1307 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ई" अनुसार है एवं अं.ता.प्र. क्र. 3027 के प्रश्नांश (ख) की जानकारी दिनांक 10.03.2026 को प्रेषित की जा चुकी है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"फ" अनुसार है। **(ङ.)** उक्त प्रश्न से संबंधित एकल नस्ती की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ज" अनुसार है।

कलेक्टर की अनुमति के बगैर रजिस्ट्री का नामान्तरण

[राजस्व]

176. (क्र. 1242) श्री फूलसिंह बैरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम बावडियाकलां तहसील कोलार जिला-भोपाल म.प्र. की भूमि खसरा क्र. 497/97 रकबा 4.17 एकड़ जो कि म.प्र. शासन द्वारा प्रकरण क्र. 181/ए-74/1967-68 आदेश दिनांक 05/07/1968 को उक्त भूमि भवानी जिला-गिरधारी जाति भील आदिवासी (भूमिहीन) को पट्टा दिया था। पट्टा मिलने के पूर्व ही कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिनांक 20/02/1968 को आरोपी हमीरसिंह दांगी ने फर्जी अनुबंध बनाकर न्यायालय से नॉन इस्ट जजमेंट प्राप्त कर दिनांक 05/05/1976 को कूटरचित दस्तावेजों से (किसान की अनुपस्थिति में) रजिस्ट्री करवाई तथा उसने सालिगराम गुजराती को विक्रय कर दी। सालिगराम गुजराती से महेश पाटीदार ने पॉवर लेकर उक्त भूमि अन्य लोगों को टुकड़ों-टुकड़ों में विक्रय कर दी। (ख) पट्टा मिलने के पूर्व ही फर्जी अनुबंध बनाकर तथा पट्टा मिलने के 10 वर्ष पूर्व भू-स्त्व प्राप्त होने के पहले ही मात्र 7 वर्षों में कूटरचित दस्तावेजों से रजिस्ट्री करवाने व आदिवासी की भूमि एवं पट्टे की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बगैर रजिस्ट्री नामान्तरण आदि कराकर उक्त भूमि खुरद-बुर्द कर दी गई है। वर्तमान में किसान के वारिस भूमिहीन होकर मजदूरी कर रहे हैं। (ग) क्या सरकार आरोपियों द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, पट्टा मिलने के पूर्व ही फर्जी अनुबंध बनाने, नॉन इस्ट जजमेंट (void-ab-initio or non est.) प्राप्त करने, कलेक्टर की अनुमति के बगैर रजिस्ट्री करवाने तथा किसान के बगैर रजिस्ट्री करवाने आदि पर एफ.आई.आर. दर्ज कर, फर्जी रजिस्ट्री निरस्त कर किसान के वारिस के नाम फोती नामान्तरण करायेंगे, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नर्मदापुरम जिले में पर्यटन गतिविधि का बढ़ावा

[पर्यटन]

177. (क्र. 1246) श्री केशव देसाई : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक जिला एक उत्पाद योजनान्तर्गत नर्मदापुरम जिले का चयन पर्यटन हेतु किया गया था, यदि हाँ, तो चयन उपरांत प्रश्न दिनांक तक पर्यटन गतिविधि बढ़ाने हेतु क्या-क्या कार्य किये हैं सूचीवार जानकारी दें। (ख) नर्मदापुरम जिले में पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने हेतु विभाग की भविष्य की क्या कार्ययोजना है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) नर्मदापुरम जिला अंतर्गत सोहागपुर तहसील में पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने हेतु विभाग ने विगत 05 वर्षों में क्या-क्या कार्य किये हैं सूची दें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में सोहागपुर में पर्यटन गतिविधि बढ़ाने हेतु विभाग की क्या-क्या कार्य योजनाएं प्रस्तावित हैं। संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) नर्मदापुरम जिले में पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित गतिविधियां निरंतर कराई जाती हैं:- 1. पचमढ़ी मानसून मैराथन 2. फोर्सिथ ट्रेल रन 3. फोर्सिथ ट्रेकिंग ट्रेल 4. मढ़ई-तवा साइक्लिंग 5. बाइकिंग इवेंट "Riders in the wild" 6. छिंदवाड़ा से पचमढ़ी साइक्लिंग 7. जटाशंकर रॉक क्लाइम्बिंग नर्मदापुरम जिले में मध्यप्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। जिले में पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें ही केन्द्र बिंदु मानकर कार्यवाही संपादित की जा रही है। (ग) (1) ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत सोहागपुर ब्लॉक के पर्यटन ग्राम

छेड़का में 06 होमस्टे हितग्राहियों द्वारा बनाये गये हैं एवं दो हितग्राहियों द्वारा माइक्रो एंटरप्राइजेज गतिविधि अंतर्गत घोड़ागाड़ी एवं बैलगाड़ी गतिविधि की जा रही है। (2) जनजातीय पर्यटन परियोजना अंतर्गत पर्यटन ग्राम ढाबा में 03 होमस्टे पूर्णतः निर्मित हैं। (3) वर्ष 2023 से 2025 में ग्राम छेड़का में 15 स्थानीय युवाओं का चयन कर ग्राम स्तर पर स्टारगैजिंग गतिविधि पर प्रशिक्षित किया गया। तवा-मढ़ई साइक्लिंग, बाइकिंग इवेंट, बर्ड वाचिंग, विलेज टूर इत्यादि कार्य किये गये। (4) मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट एवं IATO Convention के अंतर्गत फैम टूर में भ्रमण कराया गया। (5) भूटान एवं यूनाइटेड किंगडम (यूके) से आए प्रतिनिधिमंडलों को मढ़ई एवं जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों का फैम टूर कराया गया। पर्यटन अधोसंरचना को बढ़ाने हेतु किये गये कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। (घ) सोहागपुर में पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित गतिविधियां निरंतर कराई जाती हैं:- 1. मढ़ई-तवा साइक्लिंग 2. बाइकिंग इवेंट "Riders in the wild" सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में वन विभाग की अनुमति के अधीन पर्यटन गतिविधियां की जा रही हैं।

औद्योगिक भूमि को निजी भूमि में परिवर्तित कर अवैध निर्माण

[राजस्व]

178. (क्र. 1247) श्री केशव देसाई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला भिण्ड की नगर परिषद मालनपुर क्षेत्र अंतर्गत पटवारी हल्का क्रमांक 27 की भूमि सर्वे क्रमांक 221, 258, 264 एवं 261 पूर्व में औद्योगिक प्रयोजन (फैक्ट्रियों/उद्योगों) हेतु आवंटित की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त भूमि को किस आदेश, किस विभाग की अनुमति तथा किन नियमों के तहत निजी भूमि/आवासीय उपयोग हेतु परिवर्तित किया गया? (ख) क्या उक्त भूमि पर वर्तमान में अवैध कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है, जबकि भूमि का मूल उपयोग औद्योगिक था? (ग) क्या उक्त भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन/लैंड यूज चेंज) की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति एवं दिनांक उपलब्ध करवाई जाये। (घ) यदि उक्त भूमि नियम विरुद्ध तरीके से निजी उपयोग में लाई गई है, तो अवैध कॉलोनी निर्माण रोकने की कार्रवाई की जाएगी? दोषी कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? (ङ.) क्या मालनपुर पटवारी हल्का क्रमांक 27 के सर्वे क्रमांक 221, 258, 264 एवं 261 की पूरी जांच कराकर यह स्पष्ट किया जाए कि औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भूमि किस प्रकार निजी हाथों में पहुंची और आवासीय कॉलोनी निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई। यदि हाँ, तो समय सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) ग्राम मालनपुर के भूमि सर्वे क्रमांक 261 औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित किया गया था जो वर्तमान में उद्योग विभाग के अधीन है शेष सर्वे क्रमांक 221, 258, 264 बन्दोवस्त पूर्व से ही भूमिस्वामी स्वत्य पर दर्ज है। (ख) सर्वे क्रमांक 221, 264 पर पूर्व में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था। कार्यालय कलेक्टर महोदय (जिला शहरी विकास अधिकरण) जिला भिण्ड के आदेश क्रमांक/इडा/2024/1582, 1584 दिनांक 11-10-2024 से उपरोक्त भूमि को शासकीय प्रबंधन में लिया जाकर नगर परिषद मालनपुर को विकास कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं सर्वे नम्बर 258 पर कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अधिकरण जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक/कॉलोनी शाखा/2026/381 भिण्ड दिनांक 04-06-2026 से कॉलोनी विकास की अनुमति प्रदान की गई है एवं सर्वे नम्बर 261 औद्योगिक प्रयोजन हेतु उद्योग विभाग को आवंटित है। जानकारी

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क" अनुसार है। (ग) सर्वे नम्बर 221 पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के प्र.क्र. 0134/3-2/2022-23 आदेश दिनांक 17-01-2023 के द्वारा व्यपवर्तन कर भूमि उपयोग आवासीय किया गया एवं सर्वे नम्बर 264 पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के प्रकरण क्रमांक 0019 अ-2/2022-23 आदेश दिनांक 08-06-2022 के द्वारा व्यपवर्तन कर भूमि, उपयोग आवासीय किया गया एवं सर्वे नम्बर 258 पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के प्र.क्र. 0071/अ-2/2025-26 आदेश दिनांक 10-06-2025 के द्वारा व्यपवर्तन कर भूमि उपयोग आवासीय किया गया आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ख" अनुसार है। (घ) हाँ, सर्वे क्रमांक 221, 264 पर पूर्व में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था। कार्यालय कलेक्टर महोदय (जिला शहरी विकास अधिकरण) जिला भिण्ड के आदेश क्रमांक/इडा/2024/1582 दिनांक 11-10-2024 एवं कार्यालय कलेक्टर महोदय (जिला शहरी विकास अधिकरण) जिला भिण्ड के आदेश क्रमांक/इडा/2024/1584 दिनांक 11-10-2024 से उपरोक्त भूमि को शासकीय प्रबंधन में लिया जाकर नगर परिषद मालनपुर को विकास कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं सर्वे नम्बर 258 पर कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अधिकरण जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक कॉलोनी शाखा/2026/381 भिण्ड दिनांक 04-06-2026 से कॉलोनी विकास की अनुमति प्रदान की गई है एवं सर्वे नम्बर 261 औद्योगिक प्रयोजन हेतु उद्योग विभाग को अवांटित है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ङ.) सर्वे क्रमांक 221, 258, 264 बन्दोबस्त पूर्व से ही राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है एवं सर्वे क्रमांक 221, 264 पर पूर्व में अवैध कॉलोनी का निर्माण करने के कारण कार्यालय कलेक्टर महोदय (जिला शहरी विकास अधिकरण) जिला भिण्ड के आदेश क्रमांक/इडा/2024/1582, 1584 दिनांक 11-10-2024 से उपरोक्त भूमि को शासकीय प्रबंधन में लिया जाकर नगर परिषद मालनपुर को विकास कार्य हेतु योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं सर्वे नम्बर 258 पर कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अधिकरण जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक कॉलोनी शाखा/2026/381 भिण्ड दिनांक 04-06-2026 से कॉलोनी विकास की अनुमति प्रदान की गई एवं सर्वे नम्बर 261 औद्योगिक प्रयोजन हेतु उद्योग विभाग को अवांटित है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

स्कूलों में प्रवेशित विद्यार्थी की संख्या

[स्कूल शिक्षा]

179. (क्र. 1251) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रजेंटेशन डिल्स नर्सरी स्कूल नेहरू नगर भोपाल में वर्ष 2012 से 2015 के मध्य किन-किन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विद्यार्थियों के नाम, माता-पिता का नाम तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत जन्म प्रमाण-पत्र का विवरण बतायें? (ग) उक्त विद्यार्थियों में से किन-किन विद्यार्थियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं (छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साइकिल, आरटीई एवं अन्य योजनाओं) का लाभ प्रदान किया गया? योजना-वार लाभान्वित एवं लाभ से वंचित विद्यार्थियों की संख्या एवं विवरण बतायें? (घ) यदि पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं तथा संबंधित प्रकरणों में क्या कार्रवाई की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (घ) यह संस्था गैर-शासकीय है, अतः इस संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया जाता है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन

[राजस्व]

180. (क्र. 1252) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला धार के जनपद डही में दाऊदी बोहरा जमात के लिए कब्रिस्तान हेतु सर्वे क्रमांक 20/1 की भूमि आवंटित किए जाने हेतु तत्कालीन तहसील कुक्षी में प्रकरण क्रमांक 01/अ-56/2001-02 किया गया था? इस प्रकरण में प्रारंभ से लेकर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उल्लेखित प्रकरण में पारित अंतिम आदेश के संदर्भ में पटवारी स्तर से लेकर शासन स्तर तक अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? इससे संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति दें। (ग) क्या प्रश्नांकित भूमि आवेदित प्रयोजन के लिए आवंटित हो चुकी है, यदि हाँ, तो इससे संबंधित खसरा नकल की प्रमाणित प्रति दें, यदि नहीं तो क्यों? प्रमाणित जानकारी दें। (घ) यदि उपरोक्त अनुक्रम में आवेदित भूमि का आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है, तो कब तक हो जाएगा? समयसीमा से अवगत करायें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित तहसीलदार तहसील कुक्षी का प्रकरण क्रमांक 1/अ-56/2001-02 का शोध किया गया। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय की दायरा पंजी में दर्ज नहीं होना पाया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रकरण कलेक्टर न्यायालय की दायरा पंजी में दर्ज नहीं होने से जानकारी निरंक। (ग) प्रश्नाधीन भूमि आरक्षित नहीं हुई है। तहसीलदार डही से नवीन प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर प्रकरण क्रमांक 0006/अ-59/2026-27 पर दर्ज किया गया है। (घ) प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत होने से समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही

[परिवहन]

181. (क्र. 1253) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता के कुल कितने पत्र नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्रालय/संचालनालय स्तर पर तथा भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) कार्यालय में प्राप्त हुए? उन पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है? प्राप्त पत्रों, उन पर की गई कार्रवाई लंबित रहने के कारणों तथा पेंडेंसी के दिनों का विवरण गौशवारा बनाकर उपलब्ध करायें। नियमों का स्पष्ट उल्लंघन कर विधायक के पत्रों की निरंतर उपेक्षा करने वाले दोषी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (CEO, BCLL) के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं उनकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने हेतु शासन क्या कदम उठा रहा है? (ख) वर्ष मई 2023 से प्रश्न दिनांक तक लोकायुक्त, EOW, District Court. High Court. AG Audit में BCLL के विरुद्ध कितनी शिकायतें, जांच अथवा प्रकरण दर्ज/लंबित/प्रचलित हैं? OIC का नाम, दर्ज प्रकरणों, शिकायतों की वर्तमान स्थिति, विभाग द्वारा दिए गए जवाब का पृथक-पृथक गौशवारा प्रदान करें। प्रकरणों में से ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनमें BCLL के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से नामजद प्रतिवादी

थे, फिर भी उनकी पैरवी हेतु फीस का भुगतान BCLL के कोष से किया गया? ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम और उन पर व्यय की गई फीस की राशि का प्रकरणवार विवरण दें। (ग) BCLL के NIT 41 के तहत संचालित 12 बसों को बिना वैधानिक अनुमति के कर्नाटक (उडुपी) भेज दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी कौन हैं? उनके नाम एवं पद बताएं। क्या NIT 41 के संबंध में कोई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं? 12 बसें गायब (मिसिंग) होने के बाद भी क्या CEO द्वारा VGF का भुगतान किया गया? इसका स्पष्ट कारण बताएं एवं भुगतान से संबंधित नोटशीट की छायाप्रति प्रदान करें। (घ) वर्ष 2023 से वर्तमान दिनांक तक नगर निगम परिषद में जो निंदा प्रस्ताव लाया गया है या किसी अपर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उस निंदा प्रस्ताव/कार्रवाई से संबंधित सत्यापित आदेश प्रदाय करें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अधिकारियों की कार्यप्रणाली

[परिवहन]

182. (क्र. 1254) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या BCLL की NIT-13 के अंतर्गत दिनांक 11/12/2025 की संयुक्त बैठक की हस्तलिखित नोटशीट के बाद, दिनांक 18/12/2025 को CEO द्वारा प्रस्तावित बैठक बुलाई गई थी? हाँ अथवा नहीं? बैठक न बुलाने के स्पष्ट कारण क्या हैं? (ख) क्या उक्त नोटशीट में स्पष्ट लिखित है कि BOD की बैठक 18/12/25 की संयुक्त बैठक संपन्न होने के पश्चात ही होगी? हाँ अथवा नहीं? उक्त तिथि के उपरांत आज तक कुल कितनी BOD बैठकें हुई? उनका तिथि व कार्यसूची-वार पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। NIT 13 Adjustable Security Deposit से संबंधित CA रिपोर्ट, महापौर कार्यालय की नोटशीट क्रमांक 436, 572, 609, 653 एवं अन्य, ADC Finance nagar nigam को प्रेषित नोटशीट, Dispute Resolution Procedure के संबंध में नोटशीट की छायाप्रति प्रदान करें। (ग) क्या BCLL CEO द्वारा NIT-13 की 'Adjustable Security Deposit' राशि रोकने हेतु अपनाई गई जटिल प्रक्रिया (CA रिपोर्ट, विधिक अभिमत, BOD अनुमति का इंतजार), अन्य सफल निविदाओं NIT-41 (लापता बसें/VGF भुगतान), NIT-43 (Capex से अधिक भुगतान), NIT-60 & 63 (BG वापसी), NIT-121 & 122 (NPA/बसें बंद होने पर 80 लाख भुगतान), NIT-123 (ब्लैक लिस्टिंग हटाना), NIT-153 (1 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी), NIT-183 (अपूर्ण कार्य के बावजूद भुगतान), NIT-147 & 148 (अपूर्ण कार्य के बाद भी समय-वृद्धि) पर भी अपनाई गई? विवरण हाँ अथवा नहीं में निविदावार गोशवारा बनाकर प्रदाय करें। (घ) सभी मामलों में एक ही अधिकारी (CEO) के कार्यकाल में केवल NIT-13 के विरुद्ध ही दुर्भावनापूर्ण एवं दंडात्मक प्रक्रिया अपनाने के क्या कारण हैं? क्या शासन उक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने, एक प्रतिष्ठित निविदाकार कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाने के प्रयासों और वित्तीय दोहरे मापदंडों की उच्च-स्तरीय निष्पक्ष जाँच कराएगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा क्या होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। दिनांक 18/12/2025 को BCLL के संचालक मंडल की 42वीं बैठक प्रस्तावित होने के कारण NIT-13 के अंतर्गत पुनः संयुक्त, बैठक नहीं बुलाई गई। (ख) जी नहीं। दिनांक 18-12-25 के उपरांत 02 बोर्ड बैठक हुई। 42 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24-12-2025 को तथा 43 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25-02-2026 को आयोजित हुई थी, जिसकी कार्य सूची

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" एवं "2" अनुसार है, NIT 13 Adjustable Security Deposit से संबंधित सीए रिपोर्ट, महापौर कार्यालय की नोट शीट क्रमांक 436, 572, 609, 653, ADC Finance, nagar nigam को प्रेषित नोटशीट, Dispute Resolution Procedure के संबंध में नोटशीट क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"3" से "9" अनुसार है। (ग)** जी नहीं। प्रश्न में NIT-13 के Adjustable Security Deposit की वापसी संबंधी प्रकरण की तुलना अन्य निविदाओं के ऐसे प्रकरणों से की गई है, जिनका विषय, कार्य का स्वरूप, अनुबंधीय प्रावधान, अधिकार एवं दायित्व तथा तथ्यात्मक परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्येक निविदा में संबंधित अनुबंध की शर्तों, उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परीक्षण के उपरांत, आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अतः प्रश्न में अपेक्षित स्वरूप में निविदावार तुलनात्मक गोशवारा तैयार कर प्रदाय किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** बीसीएलएल द्वारा NIT-13 अथवा अन्य किसी भी निविदा के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही संबंधित निविदा दस्तावेज, अनुबंध की शर्तों, उपलब्ध अभिलेखों, प्रकरण के तथ्यों एवं गुण-दोष के परीक्षण के आधार पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है, न कि किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

बिना नोटिस दिए बसों पर कार्यवाही

[परिवहन]

183. (क्र. 1263) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 1 जनवरी 2025 से प्रश्न दिनांक तक कराधान प्राधिकारी/आर.टी.ओ. भोपाल के समक्ष मेसर्स केपिटल रोडवेज एण्ड फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, केपिटल रोडवेज एण्ड बिल्डर्स, चरणजीत सिंह गुलाटी, हरजीत कौर, परमिंदरपाल सिंह गुलाटी एवं पूनम गुलाटी के विरुद्ध कराधान व अन्य शिकायतों संबंधी मामलों की सुनवाई की गई है? यदि हाँ, तो किस शिकायत/आधार पर की गई। **(ख)** क्या इन 23 बसों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और कितनी बसों में बिना नोटिस कार्यवाही की गई। **(ग)** प्रत्येक वाहन के पारित आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ (आदेश दिनांक सहित) उपलब्ध करायें। **(घ)** उपरोक्त ऑपरेटर्स को टैक्स और पेनाल्टी के जो नोटिस जारी किए गए वे किस कानून/धारा के तहत जारी किए गए? क्या टैक्स अथवा पेनाल्टी अधिरोपित करने से पूर्व नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : **(क)** जी हाँ। प्रकरणों की सुनवाई श्री शिवराज सिंह एवं श्री मंगल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर की गई। **(ख)** जी हाँ, जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रत्येक वाहन के पारित आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ (आदेश दिनांक सहित) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (घ)** उपरोक्त ऑपरेटर्स को मोटरयान कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 8 की उपधारा (3) एवं (4) के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए। जी हाँ।

टैक्स की जानकारी

[परिवहन]

184. (क्र. 1264) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनांक 01/04/2023 से प्रदेश में आर.टी.ओ. (RTO) से संबंधित सभी कार्य एन.आई.सी.

(NIC) पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं? क्या एन.आई.सी. एक सरकारी उपक्रम है अथवा निजी उपक्रम है तथा क्या इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है? हाँ अथवा नहीं मैं स्पष्ट उत्तर दँ। **(ख)** क्या आर.टी.ओ. विभाग ने स्वयं अपने स्तर पर 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुकी पुरानी बसों के संबंध में यह अभियान चलाया है कि ऐसी कितनी बसे हैं जिनके आर.सी. (Registration Certificate) निरस्त होने के पश्चात उन पर कोई कर (Tax) संबंधित बकाया रह गया है? क्या इसमें ऐसी बसें भी शामिल हैं जिनकी आयु 20 या 30 वर्ष की हो चुकी है? यदि हाँ, तो श्रेणीवार विवरण दँ। **(ग)** यदि उपरोक्त प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ है, तो दिनांक 01/04/2024 से प्रश्न दिनांक तक इस संबंध में कितनी बसों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा किन-किन बसों पर कितनी-कितनी बकाया राशि के नोटिस जारी किए गए हैं? नोटिस प्राप्त सम्पूर्ण बसों के क्रमांक, उनके वाहन स्वामी के नाम, पते तथा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण मय पत्राचार एवं प्राप्त जवाबों के गौश्वारा दस्तावेज सहित बतावें। **(घ)** बस क्रमांक MP04D8026 वाहन का प्रथम पंजीकरण कब हुआ था, इस पर कुल कितना कर (Tax) बकाया है, कितना कर विभाग द्वारा वसूला जा चुका है, उक्त वाहन का नामांतरण कब-कब और किसके पक्ष में हुआ तथा इसका पंजीयन किस दिनांक को निरस्त किया गया? पंजीयन निरस्त होने के पश्चात एन.आई.सी. (NIC) पोर्टल पर इस वाहन को पुनः जिंदा (Re-activated/Active) कर दिया गया है? यदि हाँ, तो यह किस नियम के अंतर्गत, किस सक्षम अधिकारी के आदेश से तथा किस दिनांक को किया गया?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : **(क)** जी हाँ। जी हाँ। एन.आई.सी. एक सरकारी उपक्रम है तथा इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। **(ख)** जी नहीं। वाहन पर उदगृहणीय मोटरयान कर जमा कराने उपरांत ही वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त किया जाता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उत्तर अपेक्षित नहीं है। **(घ)** बस क्रमांक MP04 D8026 वाहन का प्रथम पंजीकरण दिनांक 07.01.1991 को हुआ था, इस वाहन पर कोई कर बकाया नहीं है। इससे विभाग द्वारा कर की राशि रुपये 3,16,200 वसूली जा चुकी है। उक्त वाहन का नामांतरण दिनांक 24.09.2005 को श्री मुकेश कुमार मेहता पुत्र श्री मिट्ठूलाल मेहता निवासी रेहटी के नाम किया गया था तथा इस वाहन का दिनांक 20.03.2020 को पंजीयन निरस्त किया गया। एन.आई.सी. के वाहन पोर्टल के रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में उक्त वाहन सक्रिय स्थिति में नहीं है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संचालक मण्डल की बैठकों के मिनिट्स

[परिवहन]

185. (क्र. 1265) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** BCLL की BOD की बैठक क्रमांक 39, 40, 41, 42, 43 की तिथियां क्या हैं? क्या इन सभी बैठकों में "ऑन-स्पॉट" हस्तलिखित कार्यवाही तैयार की गई थी? यदि हाँ, तो छायाप्रति प्रदान करें एवं प्रत्येक बैठक के ऑन-स्पॉट मिनट लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम क्या है? यदि ऑन-स्पॉट मिनट तैयार नहीं किए गए, तो इसका वैधानिक कारण क्या है? **(ख)** उक्त प्रत्येक बैठक (BOD 39 से 43) में कौन-कौन से संविदा अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे? क्या इनमें से किसी संविदा कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित थी? यदि हाँ, तो किस कर्मचारी के विरुद्ध किस

दिनांक से विभागीय जांच शुरू की गई थी? जांच शुरू होने की स्पष्ट दिनांक से आज दिनांक तक जांच लंबित रहने का क्या कारण है और जांच लंबित होने के बावजूद उन्हें बोर्ड बैठक जैसी गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठकों में किस नियम के तहत सी.ई.ओ. द्वारा शामिल किया गया? (ग) उपरोक्तानुसार प्रत्येक BOD बैठक के संपन्न होने के वास्तविक दिन और अध्यक्ष/संचालकों द्वारा उस बैठक के मिनिट्स पर वास्तविक हस्ताक्षर किए जाने के दिन के बीच कितने दिनों का अंतर था? कंपनी अधिनियम के तहत बैठक संपन्न होने के कितने दिनों के भीतर मिनिट्स हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है और BCLL द्वारा प्रत्येक BOD में वास्तव में कितना समय लिया गया? गौश्वारा बनाकर प्रदान करें। यदि इसमें देरी हुई है, तो बैठकवार देरी का स्पष्ट कारण क्या है? (घ) क्या बैठक संपन्न होने से लेकर मिनिट्स पर अंतिम हस्ताक्षर होने की इस "प्रतीक्षा अवधि" के दौरान एजेंडा, प्रस्तावों या नोटशीट पर कोई पत्राचार या संशोधन किया गया था? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) BCLL की BOD की बैठक क्रमांक 39, 40, 41, 42, 43 की तिथियां क्रमशः दिनांक 07.03.24, 30.09.24, 04.04.25, 24.12.25 एवं 25.02.26 है। जी नहीं, BOD की बैठक क्रमांक 39, 40, 41, 42, 43 के टंकित मिनिट्स पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" से "5" अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रत्येक बैठक (BOD 39 से 43) में उपस्थित संविदा अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"6" अनुसार है। उक्त परिशिष्ट में उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों में श्री रोहित यादव, श्री जीशान खान के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय जांच संस्थापित न होकर शिकायत पत्र की जांच हेतु BCLL के आदेश दिनांक 02.04.2026 से समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समिति में शामिल अधिकारियों का स्तर समकक्ष/कनिष्ठ होने के कारण वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की समिति से जांच कराए जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रतिवेदन संचालनालय नगरीय विकास एवं आवास विभाग के समक्ष पत्र दिनांक 08.06.2026 से प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"7" अनुसार है। शिकायत पत्र पर जांच उपरांत निष्कर्ष प्राप्त न होने से अधिकारी/कर्मचारियों को प्रारंभिक रूप से दोषी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक BOD बैठक के संपन्न होने के 30 दिवस में मिनिट्स पर हस्ताक्षर होने के प्रावधान है। BCLL द्वारा प्रत्येक BOD के मिनिट्स में हुए हस्ताक्षर हेतु समय एवं देरी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"8" अनुसार है। (घ) जी हाँ। बैठक संपन्न होने से लेकर मिनिट्स पर अंतिम हस्ताक्षर होने की इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान एजेंडा, प्रस्तावों या नोटशीट पर पत्राचार या संशोधन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"9" से "13" अनुसार है।

बीसीएलएल निविदाओं में अनियमितता

[परिवहन]

186. (क्र. 1266) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) BCLL की सफल निविदाएं क्रमांक 41, 43, 63, 121, 122, 123, 147, 148, 153, 183 वर्तमान में इन ऑपरेटरों पर कुल कितनी पेनाल्टी लंबित है, लंबित बैंक गारंटी तथा न्यायालयीन स्टे की स्थिति

क्या है? क्या उक्त पेनाल्टी को वित्तीय बहियों में दर्ज किया गया है? हाँ अथवा नहीं? निविदावार गौशवारा (विवरण) बनाकर प्रदाय करें। (ख) NIT 148 के अंतर्गत जिसे BOD द्वारा टर्मिनेशन नोटिस जारी करने के बाद पुनः बहाल किया गया था उस टेण्डरर द्वारा बहाली के बाद कुल कितना कार्य धरातल पर किया गया? कार्य में देरी के लिये कुल कितनी पेनाल्टी राशि वसूली गई? (ग) जिस निविदाकार ने स्वयं लिखित पत्र देकर भविष्य में Ticket (Tender) संचालन न करने की बात स्वीकार की थी, उसकी ब्लैकलिस्टिंग को किस नियम के तहत हटाया गया? (घ) BCLL के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने बस स्टॉप निर्मित/संचालित हैं? कुल स्वीकृत बस स्टॉप में से कितने बस स्टॉप के टेंडर्स में 'यूनिपोल' लगाने की अनुमति है? इन बस स्टॉप/यूनिपोल विज्ञापनों के माध्यम से BCLL को प्रतिवर्ष कुल कितनी राजस्व राशि प्राप्त होती है? यदि यूनिपोल से राशि प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसका निविदावार गौशवारा बनाकर प्रदान करें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"1" अनुसार है। (ख) NIT 148 के अंतर्गत DOB द्वारा टर्मिनेशन नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एनआईटी क्रमांक 123 अंतर्गत एजेंसी चलो मोबिलिटी द्वारा जिला न्यायालय में दायर प्रकरण में दिनांक 03.09.2024 को पारित आदेश अनुसार आर्बिट्रेशन के माध्यम से निराकरण किये जाने के परिपालन में निष्पादित अनुबंध की कंडिका 4.48 Dispute Resolution के प्रावधान अनुसार संभागायुक्त भोपाल आर्बिट्रेटर थे। आर्बिट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रकरण में एजेंसी द्वारा प्रकरण का निराकरण अमीकेबली किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत पत्र दिनांक 11.02.2025 एवं बीसीएलएल को बकाया राशि के भुगतान किये जाने के अनुक्रम में बीसीएलएल बोर्ड की 41वीं बैठक दिनांक 04.04.2025 में प्रकरण के गुण दोष के आधार पर ब्लैक लिस्टिंग एवं टर्मिनेशन सम्बन्धी जारी पत्र को निरस्त किये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"2" अनुसार है। अनुबंध अनुसार यूनिपोल से पृथक से राशि प्राप्त होना प्रावधानित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चवालीस"

केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना प्रारंभ की जाना

[जल संसाधन]

187. (क्र. 1517) श्री हरिशंकर खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना से कौन-कौन से ग्रामों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि इससे जिले में और क्या-क्या सुविधाएं इस जिले की जनता को मिलेगी? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर इस योजना की सम्पूर्ण कार्ययोजना की छायाप्रतियां प्रदाय कर यह भी जानकारी दें कि विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा क्या-क्या कार्य कार्ययोजना को प्रारंभ कराने हेतु कराए जा चुके हैं और क्या-क्या शेष हैं? सम्पूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित सम्पूर्ण जानकारी देते हुए

बताएं कि टीकमगढ़ जिले में कब से केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारंभ हो जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) टीकमगढ़ जिले में केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना से 157 ग्रामों के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है।** (ख) केन बेतवा लिंक परियोजना से टीकमगढ़ जिले की 57256 हे. सिंचाई के अतिरिक्त 09 चंदेलकालीन तालाबों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण का कार्य तथा 4.64 एमसीएम जल पेयजल हेतु उपलब्ध होगा। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।** (ग) टीकमगढ़ जिले हेतु केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत पम्प हाउस क्र.06 की अनुमानित लागत रु. 2606.20 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली में परीक्षाधीन है। 09 चंदेलकालीन तालाबों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जा रहा है। जिला टीकमगढ़ अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर निर्माण हेतु भूअर्जन अंतर्गत धारा-11 का प्रकाशन पूर्ण किया जा चुका है एवं धारा-19 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। (घ) निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दूषित खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

188. (क्र. 1636) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2023 के पश्चात नीमच, मंदसौर और रतलाम जिलों में दूषित खाद्य पदार्थों एवं अन्य सामग्रियों के संबंध में विक्रेताओं के विरुद्ध किस-किस अधिकारी द्वारा, कब और क्या कार्यवाही की गई? शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नमूना लिए जाने के उपरांत किसी दुकान/प्रतिष्ठान को अधिकतम कितने समय तक सील किए जाने का प्रावधान है? इस संबंध में प्रचलित अधिनियम, नियम, विभागीय निर्देश अथवा परिपत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच विभागीय/अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा नियमानुसार अधिकतम कितने दिनों में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है? (ग) 1 जनवरी 2018 के पश्चात नीमच उपभोक्ता न्यायालय में कुल कितने प्रकरण दर्ज किए गए? इनमें से कितनों का निराकरण हुआ और कितने शेष हैं? शिकायतकर्ता के नाम सहित प्रकरणवार जानकारी प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नीमच, मंदसौर और रतलाम जिलों से प्राप्त जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार।** (ख) नमूना लिए जाने के उपरांत किसी दुकान/प्रतिष्ठान को सील किए जाने की समयसीमा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में उल्लेखित नहीं है। अपितु खाद्य प्रतिष्ठान सील किए जाने संबंधी अधिनियम की धारा 31 व नियम 2.1.3 (4) (i) की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार।** खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच विभागीय/अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा नियमानुसार पूर्ण किये जाने का उल्लेख अधिनियम की धारा 46 (3), नियम 2.4.2 (5) व 2.4.2 (6) में किया गया है जिसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार।** (ग) कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग नीमच से प्राप्त पत्र क्रमांक 85/2026 दिनांक 07-07-2026 अनुसार वर्ष 2018 के पश्चात दूषित

खाद्य पदार्थों एवं अन्य सामग्री संबंधी विक्रेताओं के विरुद्ध जिला उपभोक्ता नीमच में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। उक्त जानकारी निरंक है।

खाद्य सामग्री की शुद्धता एवं गुणवत्ता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

189. (क्र. 1709) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग यह मानता है कि खाद्य सामग्री की शुद्धता और गुणवत्ता का सीधा संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य से है? यदि हाँ, तो प्रदेश में आमजन को मिलावट रहित एवं उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा नीतिगत स्तर पर क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं? **(ख)** विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने तथा गुणवत्ता सुधार हेतु गत 5 वर्षों में कब-कब विशेष अभियान चलाए गए हैं? इस अवधि के दौरान जबलपुर जिले में मिलावटखोरों, नकली खाद्य पदार्थ निर्माताओं एवं विक्रेताओं के विरुद्ध की गई कुल दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई (जैसे-दर्ज प्राथमिकी, सील की गई दुकानें, जब्त सामग्री एवं वसूला गया जुर्माना) का वर्षवार विस्तृत विवरण देवें? छापेमारी या जांच में दोषी पाए गए संस्थान/विक्रेता भविष्य में दोबारा ऐसी गड़बड़ी न करें, इसके लिए विभाग के पास क्या नियम व दंडात्मक प्रावधान हैं? क्या विभाग द्वारा ऐसे दागी संस्थानों की दोबारा (री-चेकिंग) जांच की गई है कि वे पुनः मिलावट कर रहे हैं अथवा नहीं? यदि हाँ, तो जबलपुर जिले में दोबारा गड़बड़ी करते पाए गए संस्थानों पर क्या-क्या कड़ी चालानी व वैधानिक कार्रवाई की गई, स्पष्ट विवरण देवें?

(ग) क्या खाद्य सामग्री की पैकिंग के संबंध में विभाग की कोई विशिष्ट नीति अथवा दिशा-निर्देश निर्धारित हैं? क्या विभाग इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करता है कि अत्यधिक गर्म खाद्य सामग्री को प्लास्टिक सामग्री में पैक करने से उसमें कैंसर उत्पन्न करने वाले हानिकारक तत्व पैदा होते हैं, जिससे प्रदेशवासी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या होटल, भोजनालय एवं रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं द्वारा गर्म भोजन को प्लास्टिक में पैक किए जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु विभाग कोई नई नियमावली जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में खाद्य सामग्री की पैकिंग हेतु केवल जैव-अपघटनीय (प्रकृति में स्वतः नष्ट होने वाली इको-फ्रेंडली) सामग्री का ही उपयोग अनिवार्य किया जाए? यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक कड़े नियम व कानून लागू किए जाएंगे? क्या विभाग यह मानता है कि खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले गैर-जैव अपघटनीय प्लास्टिक से भारी मात्रा में ऐसा कचरा उत्पन्न हो रहा है, जो मृदा की गुणवत्ता को नष्ट करने के साथ-साथ शहरों की जल निकासी व्यवस्था को भी गंभीर रूप से बाधित कर रहा है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : **(क)** जी हाँ। प्रदेश में सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत जोखिम-आधारित खाद्य निगरानी (RBIS), नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं प्रयोगशाला परीक्षण, खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग एवं पंजीयन, विशेष प्रवर्तन अभियान, जन-जागरूकता कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण (FoSTaC),

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से त्वरित परीक्षण एवं जागरूकता तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। (ख) प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु त्यौहार विशेष अभियान, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विशेष अभियान, मावा एवं मिष्ठान जांच अभियान, खाद्य तेल एवं मसाला जांच अभियान, वर्षा ऋतु विशेष अभियान, ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थ एवं पेयजल अभियान, उच्च जोखिम (High Risk Food) खाद्य पदार्थों के निरीक्षण अभियान, होटल/रेस्टोरेंट एवं स्ट्रीट फूड निरीक्षण अभियान तथा अन्य जोखिम-आधारित विशेष प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से संचालित किए गये हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम संबंधी कार्यवाही हेतु अभियान निरंतर जारी है। जबलपुर जिले में उक्त अवधि के दौरान मिलावटखोरों, नकली खाद्य पदार्थ निर्माताओं एवं विक्रेताओं के विरुद्ध की गई निरीक्षण, नमूना संग्रहण, अधिनिर्णयन, अभियोजन, दर्ज प्राथमिकी, प्रतिष्ठानों पर की गई कार्यवाही, जब्त सामग्री, वसूले गए अर्थदण्ड तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार सुधार सूचना (Improvement Notice), अधिनिर्णयन, अर्थदण्ड, अभियोजन, अनुज्ञप्ति का निलंबन अथवा निरस्तीकरण तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान भी प्रावधानित है, ऐसे प्रतिष्ठान जो पूर्व में भी अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए हैं, उनके विरुद्ध आवश्यकता एवं जोखिम के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अंतर्गत पुनः निरीक्षण (Pre Inspection) एवं नमूना संग्रहण की कार्यवाही की जाती है। जबलपुर जिले में पुनः निरीक्षण के दौरान अधिनियम के उल्लंघन की पुनरावृत्ति पाए जाने पर की गई वैधानिक कार्यवाही **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अंतर्गत खाद्य सामग्री की पैकेजिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम प्रावधानित है। इन विनियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) खाद्य सामग्री की पैकेजिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन अधिसूचित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के अनुसार खाद्य-ग्रेड एवं सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियम 2011 एवं विनियमों में जैव-अपघटनीय (Eco-friendly) पैकेजिंग सामग्री का उपयोग अनिवार्य किए जाने संबंधी कोई नियम/विनियम प्रावधानित नहीं है। अतः ऐसी नियमावली लागू किए जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियम 2011 एवं विनियमों में गैर-जैव अपघटनीय प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों के एवं मृदा गुणवत्ता तथा जल निकासी की व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

1. (क्र. 6) श्री प्रहलाद लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भूमि, विशेषकर मवेशियों के चरने हेतु आरक्षित गोचर भूमि, युवाओं हेतु चिन्हित खेल मैदानों, विद्यालयों एवं चिकित्सालयों की भूमि पर व्यापक स्तर पर अतिक्रमण है? (ख) क्या पवई नगरीय क्षेत्र स्थित शासकीय स्टेडियम की भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया है? उक्त स्टेडियम की भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई है? (ग) क्या शासन को यह संज्ञान है कि मिलोनीगंज (टोरिया) क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से पक्के मकानों का निर्माण और झुग्गी-झोपड़ियाँ बनाकर लगातार कब्जा बढ़ाया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है और वहाँ निर्माण कार्य को रोकने में विभाग विफल क्यों रहा है? (घ) पवई विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में राजस्व विभाग द्वारा कुल कितनी हेक्टेयर शासकीय भूमि, गोचर भूमि, खेल मैदानों एवं संस्थागत भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है? इसका पूर्ण विवरण ग्रामवार/क्षेत्रवार उपलब्ध कराएं। (ङ.) क्या मिलोनीगंज (टोरिया) एवं स्टेडियम के मामलों में स्थानीय राजस्व अधिकारियों/पटवारियों की संलिप्तता या लापरवाही की जांच कराई जाएगी? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और भविष्य में पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए क्या कार्ययोजना है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) विषयांतर्गत भूमियों पर अतिक्रमण की जांच करवाई गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) प्रश्न के अनुक्रम में जांच की जाकर स्टेडियम की भूमि पर अतिक्रमणकारियों का चिंहांकन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) प्रश्न अन्तर्गत टोरिया म.प्र. राजपत्र दिनांक 03.05.1957 के तहत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा राजस्व खसरा नंबर 2412 को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चित किया गया है अतः उपरोक्त स्थल पर अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अधिकारियों को है अतः उक्त प्रश्नांश वन विभाग से संबंधित है। वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दक्षिण वन मण्डल पन्ना अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पवई मिलौनीगंज (टौरिया) क्षेत्र वन खण्ड पवई "अ" अन्तर्गत आता है अधिसूचना अनुसार कुल रकबा 25.899 हे. अर्थात् 63.9978 एकड़ है जो प्रशासनिक रूप से वन परिक्षेत्र पवई बीट उत्तर पवई कक्ष क्रमांक पी 613 वन क्षेत्र है जिसमें वन खण्ड के मानचित्र अनुसार कुल 13 नग मुनारे मौके पर निर्मित हैं जो सुरक्षित हैं एवं मुनारों के अंदर वन भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है तथा वन भूमि में कोई भी पक्के मकान एवं झुग्गी झोपड़ी का निर्माण

नहीं है वन खण्ड के मुनारे एवं पूर्व में लगी फेंसिंग के बाहर कुछ जगह पर अतिक्रमण है जिसमें वन-राजस्व का संयुक्त सीमांकन के पश्चात् स्थिति स्पष्ट होने पर अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। (घ) पर्वट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत तीन वर्षों में राजस्व विभाग द्वारा शासकीय गोचर भूमि, खेल मैदानों एवं संस्थागत भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (ड.) स्टेडियम के मामले में जांच उपरान्त संलिप्तता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष उत्तरांश 'ग' अनुसार।

विद्यालयों की जर्जर स्थिति एवं भौतिक सुविधाओं की कमी

[स्कूल शिक्षा]

2. (क्र. 14) श्री प्रहलाद लोधी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्वट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय संचालित हैं? (ख) उक्त विद्यालयों में से कितने विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में हैं? क्या इन जर्जर भवनों के मरम्मत या पुनर्निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? (ग) इन विद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ (शिक्षकों) के स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? विभाग द्वारा इन रिक्त पदों को भरने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? (घ) क्या यह सत्य है कि उक्त विधानसभा क्षेत्र के कई विद्यालयों में आज भी पर्याप्त पेयजल, क्रियाशील शौचालय, बिजली कनेक्शन एवं फर्नीचर जैसी मूलभूत भौतिक सुविधाओं का भारी अभाव है? यदि हाँ, तो इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा क्या समयावधि निर्धारित की गई है? (ड.) स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में दी गई शिकायतों/ज्ञापन पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं हुई है, तो इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? (च) शासकीय कन्या हाई स्कूल मोहंद्रा, शासकीय कन्या हाई स्कूल रैपुरा एवं माध्यमिक कन्याशाला हरदवा खमरिया के उन्नयन (अपग्रेडेशन) हेतु जनप्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विभाग की क्या स्थिति है? क्या इन विद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से उन्नयन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 398 प्राथमिक शाला, 616 माध्यमिक शाला, 32 हाई स्कूल एवं 21 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं। (ख) पर्वट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 59 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं। 06 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। जर्जर भवनों में शाला संचालन न करने के संबंध में संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./राशिके/निर्माण-1/2026/2367 भोपाल, दिनांक 15.04.2026 एवं पत्र क./राशिके/ निर्माण-1/2026/3396 भोपाल, दिनांक 09.06.2026 द्वारा सर्व संबंधितों को निर्देश दिये गये हैं। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की जानकारी निरंक है शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) स्वीकृत पद-2710, कार्यरत-1688 एवं रिक्त पद-1022 हैं। वर्तमान में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं रिक्त पदों पर

अतिथि शिक्षकों द्वारा अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। (घ) सभी प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त पेयजल, बालिका शौचालय उपलब्ध है। 26 बालक शौचालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। 58 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में से 40 शालाओं में विद्युत कनेक्शन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। फर्नीचर एवं मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु चरणबद्ध योजना बनाई गई है। शेष स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। शास. हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, अपितु छात्र नामांकन एवं उपलब्ध बजट अनुसार हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई मांग अनुसार जिला स्तर से 29 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के मरम्मत हेतु जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से 20 लाख की राशि जारी गई एवं शेष स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के संबंध में जानकारी उतरांश 'घ' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (च) शासकीय माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु उन्नयन प्रस्तावों के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सांदीपनि विद्यालयों में अन्य शालाओं के छात्रों का समायोजन

[स्कूल शिक्षा]

3. (क्र. 27) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सांदीपनि विद्यालयों में लक्ष्य के अनुरूप छात्र संख्या दर्ज न होने के कारण आसपास की शालाओं के छात्रों को सांदीपनि विद्यालयों में समायोजित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन सी शालाओं को कौन से सांदीपनि विद्यालय में समायोजित किया गया है? नाम बताये? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत समायोजित की गई शालाओं में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे एवं कितने विद्यार्थियों ने सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश लिया कितने ने नहीं लिया? स्कूलवार बतावे? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत शेष विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश न लेने के कारण बतावे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश नीति के तहत निकटस्थ संचालित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों से प्रवेश कराकर शून्य नामांकन की स्थिति में समाहित किया गया। (ख) विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत सांदीपनि विद्यालयों में समाहित किए गए विद्यालय एवं छात्र संख्या इस प्रकार है- I. शासकीय प्राथमिक शाला ब्योहारीचौक-89 II. शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला रिझाई-210 III. शासकीय प्राथमिक शाला उन्नत कंचनपुर-38 IV. शासकीय प्राथमिक सेटलाईट शाला हिनौता-20 (ग) चारों विद्यालयों की कुल छात्र संख्या 357 है। जिसमें से 347 विद्यार्थियों ने सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश लिया है। (घ) शेष 10 छात्रों के प्रवेश न लेने की जानकारी प्राप्त नहीं है।

सांदीपनि विद्यालयों में समायोजित अन्य शालाओं के रिक्त भवनों का उपयोग

[स्कूल शिक्षा]

4. (क्र. 28) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर एवं प्रदेश के सांदीपनि विद्यालयों में निर्धारित छात्र संख्या पूर्ति करने हेतु अन्य

विद्यालयों के छात्रों को प्रवेश देकर शालाओं का समायोजन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कितनी शालाओं का समायोजन किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत इन शालाओं के रिक्त भवनों को आंगनवाड़ी अथवा स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु उपयोग किया जा सकता है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश नीति के तहत निकटस्थ संचालित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों से प्रवेश कराकर शून्य नामांकन की स्थिति में समाहित किया गया। (ख) 67 सांदीपनि विद्यालयों में 448 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं से प्रवेश कर समायोजन किया गया है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। (ग) सांदीपनि विद्यालयों के रिक्त भवनों का उपयोग म.प्र. शासन के आदेश क्रं. 1041776/2026/1232555/2026/20-2 भोपाल दिनांक 26.05.26 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** किया जावेगा। (घ) उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मध्यप्रदेश में मदरसों के पंजीयन की प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

5. (क्र. 39) **श्री आरिफ मसूद :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य में नये मदरसों के पंजीयन की प्रक्रिया विगत कितने वर्षों से किस कारण से बंद है? इससे संबंधित आदेश/निर्देश की प्रति सहित जानकारी प्रदाय करे। (ख) मध्यप्रदेश में नये मदरसों के पंजीयन की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी? समय सीमा बताएं। यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभाव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना

[राजस्व]

6. (क्र. 40) **श्री संजय उइके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग आधारताल जबलपुर को पत्र क्रमांक 901/2025-26 दिनांक 02-02-2026 को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों हेतु पत्र लिखा गया था? जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग आधारताल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर जबलपुर को ऑनलाईन सर्च करने पर उक्त जाति प्रमाण पत्र गोरखपुर तहसील से जारी किया गया । अतः जानकारी उपलब्ध कराने पत्र क्र. 737/प्रवा-1/अ.वि.अ./अधा./2026 जबलपुर दिनांक 27-02-2026 लिखा गया? (ख) हां तो प्रश्नकर्ता को जानकारी किन कारणों से उपलब्ध नहीं कराई गई है? बतावें और जानकारी कब तक उपलब्ध कराई जावेगी समय सीमा बतावें? (ग) प्रश्नकर्ता की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जवाबदार है? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय विधायक महोदय को पत्र क्रमांक 71/री.-3/अ.वि.अ.रा.गो./2026 जबलपुर दिनांक 13/07/2026 द्वारा जानकारी ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश 'ग' उद्भूत नहीं होता है।

मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होना

[राजस्व]

7. (क्र. 47) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हरदा जिले में वर्ष 2025-26 के दौरान हुई प्राकृतिक आपदा एवं ओलावृष्टि से गेहूँ, चना, मक्का, चीया सहित अन्य फसलें व्यापक रूप से प्रभावित एवं नष्ट हुई थीं? (ख) यदि हाँ, तो प्रभावित किसानों एवं क्षतिग्रस्त क्षेत्र का तहसीलवार विवरण क्या है तथा फसल क्षति के आंकलन हेतु शासन द्वारा कराए गए सर्वे की स्थिति क्या है? (ग) क्या सर्वे उपरांत हरदा जिले के किसानों को देय राहत/मुआवजा राशि कितनी स्वीकृत की गई है तथा आज दिनांक तक कितने किसानों को राशि का भुगतान किया जा चुका है? शेष किसानों की संख्या एवं लंबित राशि का विवरण क्या है? (घ) क्या सर्वे पूर्ण होने के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों को आज दिनांक तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन से प्रशासनिक अथवा वित्तीय कारण उत्तरदायी हैं? (ङ.) लंबित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा? समय-सीमा बताये। (च) क्या शासन इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित कर किसानों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) प्रभावित किसानों एवं क्षतिग्रस्त क्षेत्र का तहसीलवार विवरण तथा फसल क्षति के सर्वे के आंकलन अनुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) सर्वे पूर्ण होने के पश्चात कृषक एवं बटाईदार के मध्य आपसी विवाद, स्थानीय स्तर पर निवासरत नहीं होने एवं खाते/सहखातेदारों की सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। इसके लिए कोई प्रशासनिक अथवा वित्तीय कारण उत्तरदायी नहीं है। (ङ.) शेष किसानों को राहत राशि के भुगतान हेतु सहखातेदारों एवं बटाईदारों के मध्य आपसी विवाद के निराकरण की कार्यवाही सतत की जा रही है। (च) उत्तरांश (ङ.) के परिप्रेक्ष्य में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पामाखेड़ी एवं परसोरिया का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

8. (क्र. 59) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसोरिया एवं पामाखेड़ी में भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवे तथा क्या नव निर्मित भवन विभाग के आधिपत्य में है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) में वर्णित भवन विभाग के आधिपत्य में है तो विभाग द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र संचालन के संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन में

स्वीकृति पदों की पूर्ति एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की? (घ) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसोरिया एवं पामाखेड़ी का नवीन भवन में संचालन कब से किया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसोरिया एवं पामाखेड़ी में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 पदस्थ है, उपलब्ध सामग्री की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) भवन निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित होने के उपरांत संचालन की कार्यवाही की जाती है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति

[जल संसाधन]

9. (क्र. 60) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग में लघु सिंचाई परियोजना प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लंबित है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवे। (ख) क्या लघु सिंचाई परियोजना गौतमिया में तालाब निर्माण कार्य, गढ़ौली सेवारा जलाशय, पिपरिया जसराज जलाशय, रतौना जलाशय, घुरैटा सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा दिनांक 23/04/2026 को की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवे। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। परियोजनावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

किसानों को मिलने वाली मुख्यमंत्री किसान कल्याण की राशि

[राजस्व]

10. (क्र. 65) इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में किसानों को सालाना 6000 हजार रुपये प्रत्येक चार माह में दो-दो हजार रुपये की किश्तों में वर्ष 2021-22 से प्रदान किये जाते रहे हैं। परंतु अगस्त 2025 के बाद से 10 माह हो जाने के बाद भी अब तक राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? (ख) क्या मुख्यमंत्री किसान कल्याण के अंतर्गत मिलने वाली राशि सरकार द्वारा बंद कर दी गयी है अगर नहीं तो अब तक किसानों को राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया। बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु कितना आवंटन किया गया था जिसमें से अब तक कितना शेष है। क्या आगे इस योजना को जारी रखा जायेगा या बंद किया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। शेष किश्तों के भुगतान हेतु कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी नहीं। योजनांतर्गत हितग्राहियों को राशि के वितरण के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में योजनांतर्गत राशि रुपये 5500.85 करोड़ का बजट प्रावधानित होकर शेष है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राजस्व अभिलेखों में दर्जीकरण की कार्यवाही

[राजस्व]

11. (क्र. 67) इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर की अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने राजस्व-विहीन बसाहट (आबादी) ग्राम/मजरो की पहचान की गई है? उक्त राजस्व-विहीन बसाहटों में से कितने ग्रामों का राजस्व अभिलेखों में दर्जीकरण/नामांतरण किया जा चुका है तथा कितने ग्राम अभी भी दर्जीकरण से वंचित हैं? (ख) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि राजस्व-विहीन बसाहटों के कारण ग्रामीणों को भूमि स्वामित्व, आवास, पेयजल, विद्युत, सड़क तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? इन बसाहटों को राजस्व ग्राम अथवा राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के शेष राजस्व-विहीन बसाहट ग्रामों का दर्जीकरण कब तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि कोई समय-सीमा निर्धारित है तो उसका विवरण प्रदान किया जाए। यदि समय-सीमा निर्धारित नहीं है, तो इसके कारण क्या हैं तथा शासन द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर सहित विधानसभा पटल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जिला अशोकनगर की अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में राजस्व विहीन बसाहट (आबादी) 4 मजरो की पहचान की गई है। जो निम्नानुसार हैं। क्र. ग्राम का नाम मजरे का नाम 1 डोगरापछार प्याउ चक 2 खजूरिया कला श्यामाटोरा 3 महूआलमपुर आलमपुर 4 राजपुर बिजलाई वर्तमान में उक्त मजरे राजस्व ग्राम में दर्ज नहीं किए गए हैं। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार मजरे मूल ग्राम में समाहित होने से ग्रामीणों को भूमि स्वामित्व, आवास, पेयजल, विद्युत, सड़क तथा अन्य सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। (ग) शेष जानकारी निरंक होने से प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण एवं अवकाश अवधि में वेतन भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

12. (क्र. 71) इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की वर्तमान संख्या जिला एवं विकासखंडवार कितनी है? क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि अनेक अतिथि शिक्षक कई वर्षों से निरंतर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है? क्या राज्य सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण अथवा उन्हें स्थायी सेवा में समायोजित करने संबंधी कोई नीति, प्रस्ताव अथवा विचाराधीन योजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण

एवं संभावित समय-सीमा क्या है? (ख) क्या अवकाश अवधि (ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अथवा अन्य स्वीकृत अवकाश) के दौरान अतिथि शिक्षकों को वेतन/मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों को अवकाश अवधि में भी मानदेय/वेतन प्रदान करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं? अतिथि शिक्षकों के हितों की रक्षा, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) दिनांक 06.07.2026 की स्थिति में (एजुकेशन पोर्टल 3.0 अनुसार) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमितिकरण का कोई प्रावधान नहीं है। मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में संशोधित नियम दिनांक 27.12.2024 अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के विज्ञापित पदों की 50 प्रतिशत रिक्तियां म.प्र. शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस (प्रतिसत्र न्यूनतम 30 दिवस) के रूप में कार्य किया हो, के लिये आरक्षित है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं तदुपरांत चयन परीक्षा से मेरिट क्रम में नियुक्ति का प्रावधान है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतिथि शिक्षक व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वर्ष 1999 से 2003 के मध्य वितरित भूमि पट्टों पर अमल न होना

[राजस्व]

13. (क्र. 75) इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर में वर्ष 1999 से 2003 के मध्य शासकीय भूमि के कितने पट्टे वितरित किए गए थे? तहसीलवार, ग्रामवार एवं हितग्राहीवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उक्त अवधि में वितरित पट्टों में से कितने पट्टाधारियों को आज दिनांक तक वास्तविक कब्जा, सीमांकन, नामांतरण अथवा राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? कारण सहित जानकारी दी जाए। ऐसे कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं जिन पर आज तक अमल नहीं हुआ है? प्रत्येक प्रकरण की लंबित अवधि, ग्राम, तहसील एवं लंबित रहने के कारणों का विवरण उपलब्ध कराया जाए? (ख) क्या शासन द्वारा लंबित पट्टा प्रकरणों की समीक्षा अथवा विशेष अभियान चलाकर निराकरण की कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए। जिन अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही, उदासीनता अथवा प्रशासनिक त्रुटियों के कारण पट्टों पर अमल नहीं हो पाया, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा प्रस्तावित है? क्या शासन जिला अशोकनगर के सभी लंबित पट्टा प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर पट्टाधारियों को वास्तविक लाभ दिलाने हेतु विशेष अभियान चलाएगा? यदि हाँ, तो कब तक सभी पट्टों पर पूर्ण अमल सुनिश्चित कर दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जिला अशोकनगर में वर्ष 1999 से 2003 के मध्य शासकीय भूमि के 14103 पट्टे वितरित किये गये थे। तहसीलवार जानकारी निम्नवत है। ग्रामवार, हितग्राहीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

क्र.	तहसील	पट्टों की संख्या
1	अशोकनगर	2731
2	शाढौरा	3148
3	नईसराय	1774
4	ईसागढ़	2359
5	चंदेरी	817
6	मुंगावली	1178
7	बहादुरपुर	1216
8	पिपरई	880
योग		14103

सभी पट्टाधारियों का राजस्व अभिलेख में अमल हुआ है एवं भूमि का कब्जा सीमांकन एवं नामांतरण तथा राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि का लाभ समस्त हितग्राहियों प्राप्त कर रहे हैं। (ख) पट्टा आवंटन अवधि के दौरान शासन निर्देशानुसार तत्समय पट्टा प्रकरणों की समीक्षा की गई है। अभियान चलाकर हितग्राहियों को मौके पर कब्जा दिये गये हैं तथा भू-अभिलेख में अमल की कार्यवाही की गई है। वर्तमान में कोई प्रकरण अमल संबंधी प्रकाश में आता है, नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

किसान सम्मान निधि वितरण की विसंगति को दूर करना

[राजस्व]

14. (क्र. 84) श्री नरेन्द्र प्रजापति [इंजीनियर] : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा मनगवां 73 अंतर्गत तहसील मनगवां, सिरमौर, नईगढ़ी में राजस्व से संबंधित कितने प्रकरण लंबित हैं? पूर्ण विवरण सहित जानकारी दें। उपरोक्त लंबित प्रकरण कब तक में निराकृत किये जायेंगे? (ख) तहसील स्तर के प्रकरण जैसे वारिसाना नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम में समय सीमा रहती है परंतु अपीलीय प्रकरणों में कोई समय सीमा नहीं रहती है। जिससे प्रकरण दस-दस सालों तक बेवजह चलते रहते हैं और न्याय समय सीमा में नहीं मिल पाता है। क्या अपीलीय प्रकरणों में समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? अगर हाँ, तो कब तक लागू किया जा सकता है? (ग) राजस्व विभाग में पदस्थ पटवारी संवर्ग द्वारा कैडर रिव्यू/वेतनमान विसंगति को दूर करने के लिये लम्बे समय से मांग की जा रही है शासन स्तर पर इन्हें आश्वासन भी दिया गया, इसे कब तक लागू किये जाने की शासन की योजना है? बतलावें। (घ) राजस्व विभाग में पदस्थ विभिन्न कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा 2017 में आयोजित की गयी थी उसके बाद विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं हुयी यह विभागीय परीक्षा कब तक आयोजित की जायेगी? समय सीमा बतलावें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) विधानसभा मनगवां 73 अंतर्गत तहसील मनगवां, सिरमौर में राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ','ब','स' एवं 'द' अनुसार है।

तहसील	अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में लंबित प्रकरण	तहसीलदार के न्यायालय में लंबित प्रकरण	कुल लंबित प्रकरण
मनगवां	1135	1254	2389
सिरमौर	810	760	1570

उक्त प्रकरण विधि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो जायेंगे। (ख) जी हाँ, नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों में समय सीमा नियत है, किन्तु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं लोकसेवा गारंटी नियमों में अपील प्रकरणों हेतु कोई समय सीमा वर्तमान में नियत नहीं है। विषयांकित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से जानकारी निरंक है। (ग) पटवारी संवर्ग द्वारा कैडर रिव्यू/वेतनमान विसंगति संबंधी मांग पर वित्त विभाग द्वारा अभिमत चाहा गया है। अभिमत प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक तथा लिपिक संवर्ग से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के रिक्त 73 पदों पर विभागीय परीक्षा आयोजित कराये जाने का मांग पत्र म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को प्रेषित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय शालाओं की स्थिति

[स्कूल शिक्षा]

15. (क्र. 90) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक छिंदवाड़ा एवं नवगठित पांडुर्णा जिले में कुल कितने शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय बंद किए गए हैं या अन्य विद्यालयों में संविलियन (Merge) किए गए हैं, विकासखंडवार बंद/संविलियन किए गए विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? (ख) क्या उक्त अवधि में इन दोनों जिलों के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की दर्ज संख्या (Enrollment) में भारी कमी आई है, यदि हाँ, तो वर्ष 2020 में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है? विकासखंडवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) क्या सरकार बंद किए गए/संविलियन हुए इन सभी विद्यालयों की विकासखंडवार सूची (जिसमें बंद होने का कारण स्पष्ट हो) तथा प्रत्येक विद्यालय में कम हुई छात्र संख्या की स्कूलवार सूची बतावें? (घ) इन दोनों जिलों के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शासकीय स्कूलों के बंद होने या छात्र संख्या कम होने के मुख्य तकनीकी एवं प्रशासनिक कारण क्या हैं, क्या शासन इन क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और ड्रॉप-आउट रेट को रोकने के लिए पुनः इन स्कूलों को शुरू करने या विशेष कार्ययोजना लागू करने पर विचार कर रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला को बंद करने का प्रावधान नहीं है। अपितु शून्य नामांकन होने के कारण शालायें असंचालित रहती हैं। 15 शालाओं को सांदीपनी विद्यालयों में मर्ज किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"1" अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट- "2" अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट- "1" अनुसार। (घ) शून्य से 06 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में कमी के कारण मुख्य रूप से शालाएं असंचालित रहती हैं। "स्कूल चले हम अभियान" एवं चाइल्ड ट्रेकिंग के माध्यम से छात्रों का पुनः

नामांकन करते हुये इन शालाओं को संचालित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्राथमिक शाला की मैपिंग/को-लोकेशन भी की जा रही है। जिससे न्यूनतम कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित हो सके।

परिशिष्ट - "उनचास"

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संजीवनी की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

16. (क्र. 103) श्री राकेश शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा यशवंत राय होलकर अस्पताल में पिछले वित्तीय वर्ष में की गई विभिन्न खरीददारी (चिकित्सा उपकरणों एवं दवाएं) का विस्तृत ब्यौरा प्रदान करें? (ख) MGM महाविद्यालय में पिछले 2 वित्त वर्ष में की गई विभिन्न खरीददारी जिनकी लागत मूल्य 1 लाख रु. से अधिक हो ऐसी खरीददारी का विस्तृत ब्यौरा प्रदान करें? (ग) जिला चिकित्सालय में उपलब्ध विभिन्न जाँच मशीनों की जानकारी उपरोक्त जाँच मशीनों से की जाने वाली जांचों की जानकारी उपरोक्त जांचों में आम नागरिकों से वसूल किए जाने वाले शुल्क की जानकारी? (घ) जिला चिकित्सालय एवं उनसे संबद्ध विभिन्न चिकित्सालयों (इंदौर शहर) में पदस्थ चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों का संपूर्ण ब्यौरा उनका पदनाम एवं कार्य स्थल का विवरण प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) महाराजा यशवंत राय होलकर अस्पताल में वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय किए गये चिकित्सा उपकरणों एवं दवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) महाराजा यशवंत राय होलकर अस्पताल में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में की गई खरीददारी जिसकी लागत मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) जिला चिकित्सालय इन्दौर में उपलब्ध विभिन्न जांच मशीनों की जानकारी एवं जांच में आम नागरिकों से वसूल किया जाने वाले शुल्क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जिला चिकित्सालय इन्दौर एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालयों में पदस्थ चिकित्सकों के पदनाम एवं कार्य स्थल सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संजीवनी क्लीनिक की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

17. (क्र. 104) श्री राकेश शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत इंदौर शहर में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की सूची पदनाम सहित दें। (ख) मिशन द्वारा संचालित कार्यों की सूची एवं पिछले 2 वर्षों में उनके क्रियान्वयन की जानकारी उनकी सफलता का प्रतिशत। (ग) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र में कितने संजीवनी अस्पताल कार्यरत हैं, कितने और खुलने वाले हैं। इन संजीवनी अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टर नर्स और अन्य स्टॉफ की संपूर्ण जानकारी पद एवं पदनाम सहित दें।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इंदौर शहरी क्षेत्र में किए गए कार्य एवं उनके क्रियान्वयन में किए गए वित्तीय आदान प्रदान का पिछले 2 वर्ष का लेखा जोखा प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) इंदौर शहरी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची पदनाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) मिशन द्वारा संचालित कार्यों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र में 10 संजीवनी क्लीनिक कार्यरत है व कुल 03 संजीवनी क्लीनिक खोले जाने हैं। क्रियाशील संजीवनी अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टर नर्स और अन्य स्टाफ की पद एवं पदनाम सहित संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इंदौर शहरी क्षेत्र में किए गए कार्य एवं उनके क्रियान्वयन में किए गए वित्तीय आदान प्रदान का पिछले 2 वर्ष का लेखा जोखा जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है।

शासकीय शालाओं में इंटरैक्टिव पैनल लगाना

[स्कूल शिक्षा]

18. (क्र. 118) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की शासकीय शालाओं में स्मार्ट क्लासों हेतु इंटरैक्टिव पैनल लगाये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में कुल कितने इंटरैक्टिव पैनल लगाये जाना है? (ग) नर्मदापुरम जिले में किन-किन शालाओं में इंटरैक्टिव पैनल लगाये गये हैं। (घ) इंटरैक्टिव पैनल किस दर से, कब, कितने इंच की किस कंपनी के किस मॉडल की, किस प्रक्रिया के अंतर्गत खरीदे गये।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश में सत्र 2023-24 में 2050 एवं 2024-25 में 1960 शालाओं में 2 इंटरैक्टिव पैनल प्रति शाला के मान से कुल 4010 शालाओं में इंटरैक्टिव पैनल की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 8,870 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु भारत सरकार द्वारा स्मार्ट क्लास स्वीकृत किये जा चुके हैं, इसमें प्रति विद्यालय इंटरैक्टिव पैनल की संख्या 2 है, जिससे इंटरैक्टिव पैनल की कुल संख्या 17,740 है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) नर्मदापुरम में इंटरैक्टिव पैनल 31/07/2024 को 38 पैनल रु. 104990 प्रति पैनल की दर से LG make 65" तथा 01/09/2025 को 48 पैनल रु. 107155 प्रति पैनल की दर से ViewSonic 65" जिला स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये गए हैं। सत्र 2025-26 हेतु 3 वर्ष की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी तथा इन्शुरेन्स के साथ प्रति नग कीमत 1,14,850 रुपये से, दिसंबर 25 में 65 इंच इंटरैक्टिव पैनल मेक LG का 65TR3DK-I मॉडल एवं मेक Samsung का (SAMSUNG WA65F (LH65WAFWLNCXXL)) मॉडल जेम खुली निविदा के माध्यम से क्रय किए गए। पूर्व में क्रय की कार्यवाही जिला कार्यालय द्वारा की गई है। जिला नर्मदापुरम में संचालित 43 प्राथमिक शाला/माध्यमिक शालाओं में इंटरैक्टिव पैनल प्रथम बार 31.07.2024 को 38 पैनल रुपये 104990/-प्रति पैनल की दर से LG make 65" Inteactive Panal क्रय किये गये एवं द्वितीय बार 01.09.2025 को 48 पैनल रुपये 107155/- प्रति पैनल की दर से Viewsonic 65" क्रय किये गये जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया पूर्ण कर क्रय किये गये। नर्मदापुरम जिले में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु जिला स्तर से प्रथमवार 67 इंटरैक्टिव

पैनल 31 विद्यालयों हेतु राशि रुपये 115900/- प्रति पैनल की दर से LG make 65" क्रय किये गये। इसी प्रकार राज्य स्तर से द्वितीयवार में 170 इंटरैक्टिव पैनल 85 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु SAMSUNG 65" क्रय किये गये हैं।

आर.टी.ई. के अंतर्गत भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

19. (क्र. 122) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी निजी शालाओं को विगत तीन वर्षों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितने छात्रों को शिक्षा हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार जानकारी दें। जिलावार जानकारी दें। (ख) वर्तमान में कितनी शालाओं का कितनी राशि का भुगतान लंबित है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।

तालाबों को लीज पर देना

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

20. (क्र. 142) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा से कितने तालाबों को लीज पर दिया गया (ख) इन पर आखेट करने वाली संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया (ग) अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थानों एवं हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास (श्री नारायण सिंह पंवार) : (क) जी नहीं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत तालाबों को लीज पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।

मंदिरों में दान पेटी से आय

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

21. (क्र. 144) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में रतलाम जिले में शासन नियंत्रित विभिन्न मंदिरों में दान पेटी से कितनी आय प्राप्त हुयी है? (ख) मंदिरों से प्राप्त आय का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया?

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में रतलाम जिले में शासन नियंत्रित विभिन्न मंदिरों में दान पेटी से कुल रुपये 27,73,010/- आय प्राप्त हुई है। (ख) मंदिरों से प्राप्त आय का उपयोग शिवरात्रि पर्व, मेला एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने में, मंदिरों के विद्युत व साजसज्जा तथा डोल ग्यारस व महाशिवरात्रि पर झांकी निकालने पर किया जाता है।

वाहनों पर लगने वाली हेड लाइट को लेकर दिशा निर्देश

[परिवहन]

22. (क्र. 172) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में सफेद चमकीली हेड लाइट लगने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो किस नियमों से अनुमति दी है? (ख) क्या इन हेड लाइट की चमक से सामने आ रहे वाहन चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने के संभावना है यदि हाँ, तो चमकीली सफेद हेड लाइट हटाने के लिए शासन स्तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं और ये कब तक हटाई जा सकेगी जानकारी प्रदाय करें?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। प्रदेश में सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाने वाली वाहन चेकिंग की कार्यवाही के दौरान इस प्रकार की अमानक हेड लाइट लगी होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाती है। प्रवर्तन अमले द्वारा इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आरोग्यधाम चिकित्सालयों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

23. (क्र. 178) श्री सुरेश राजे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्र. 19 डबरा के अंतर्गत गत 10 वर्षों में चिकित्सालय भवन एवं आरोग्यधाम भवनों का निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस दिनांक को स्वीकृत की गई? निर्माण एजेंसी का नाम तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि कब तक है? प्रत्येक कार्य पर प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई? कार्य पूर्ण भवन का आधिपत्य चिकित्सालय विभाग को किस दिनांक को सौंपा गया? अपूर्ण कार्य का कारण सहित बतावें। (ख) विधानसभा डबरा के अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र तथा आरोग्यधाम चिकित्सालयों के खुलने एवं बंद होने का समय एवं इसमें संवर्गवार स्वीकृत/भरे/रिक्त/पद सहित वर्तमान में कार्यरत द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी/सहित सभी स्टाफ की जानकारी दें, (चिकित्सालय का पता/कर्मचारी का नाम/पद/जन्मतिथि/शैक्षणिक योग्यता/नियुक्ति दिनांक/वर्तमान स्थान पर कार्यरत दिनांक/ स्थायी पता/मोबाइल नंबर) सहित पूर्ण जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार।

प्रदेश में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

24. (क्र. 190) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में सरकार द्वारा श्रमोदय आवासीय विद्यालय संचालित है? यदि हाँ, तो कहाँ-

कहाँ व कब से संचालित है इनमें प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? इसकी संपूर्ण जानकारी देवे। (ख) क्या जबलपुर जिले में श्रमोदय आवासीय विद्यालय संचालित है? यदि हाँ, तो विद्यालय परिसर में रिक्त पड़े शिक्षक आवास में अतिथि शिक्षकों को उक्त आवास आवंटित करने में कोई परेशानी है? यदि नहीं तो उन्हें कब तक आवास आवंटित कर दिया जावेगा? (ग) क्या उक्त आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु संचालित मेस/भोजन व्यवस्था की निविदा प्रक्रिया व छात्रों को अमानक/कम गुणवत्ता की भोजन दिए जाने सम्बन्धी कोई पत्र शासन/विभाग/जिला-प्रशासन को प्राप्त हुए है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या उक्त विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को संविदा श्रेणी में उन्नयन किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो उन्हें कब तक संविदा श्रेणी में उन्नयन कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 2018 से प्रदेश में 04 श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में संचालित हैं। प्रवेश प्रक्रिया संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। अतिथि शिक्षकों को आवास आवंटन हेतु श्रम विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

व्यापारियों का विस्थापन

[राजस्व]

25. (क्र. 191) श्री आरिफ मसूद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ओल्ड सुभाष नगर व्यापारी वेल्फेयर एसोसिएशन 13, मोतीनगर ओल्ड सुभाष नगर भोपाल के सचिव म.प्र. शासन को संबोधित ज्ञापन दिनांक 12/02/2026 को मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व के अन्तर्गत एम.पी. समाधान पोर्टल पर दिनांक 20/02/2026 को दर्ज कर लिया गया है जिसका शिकायत क्र. 1000070699 है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक प्रकरण का निराकरण किया जाएगा? समयावधि बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) भोपाल शहर में आर.ओ.बी. रेलवे क्रांसीग क्रमांक 249 पर तीसरी भुजा निर्माण कार्य हेतु म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि रु. 3182.55 लाख की दिनांक 15/03/2024 को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके निर्माण हेतु मोती नगर ओल्ड सुभाष नगर में विद्यमान अतिक्रमणकारी 110 लोगों को नोटिस जारी किये गये, उक्त नोटिस अवैध अतिक्रमण को हटाकर शासकीय प्रयोजन को आर.ओ.बी. रेलवे की तृतीय भुजा का निर्माण पूर्ण किये जाने के लिये दिये गये थे, जिसमें अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल के अंतर्गत उक्त अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है इसलिये इस विभाग द्वारा पुनर्वास की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है।

स्वामित्व अधिकार अभिलेख (भू-अधिकार पत्र) का सर्वेक्षण

[राजस्व]

26. (क्र. 194) श्री आरिफ मसूद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल जिले में स्थित सब्जी फार्म, ई-8 भरत नगर भोपाल के कितने किसानों का स्वामित्व योजना "स्वामित्व अधिकार अभिलेख" (भू-अधिकार पत्र) के लिए सत्यापन और सीमांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है? जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उक्त किसानों के नाम और उनको कब तक मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा? जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) स्वामित्व अधिकार योजना म.प्र. में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिये लाई गई थी। प्रश्नांश भूमि नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत आने से ये योजना उक्त भूमि पर लागू नहीं होती हैं। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश "ख" उत्पन्न ही नहीं होता।

मुआवजा दर में संशोधन

[राजस्व]

27. (क्र. 204) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 520 दिनांक 3 जुलाई 2024 के उत्तरांश (क) में बताया कि वर्ष 2004 के पूर्व से ही राजस्व ग्राम सिहोरा जिला जबलपुर की सम्पूर्ण भूमि नगरीय क्षेत्र घोषित थी? (ख) क्या अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के प्रकरण क्रमांक-01/अ-82/2006-07 के प्रतिवेदन दिनांक 24.1.2008 एवं पत्र क्रमांक-465/20-2/अविअ/2014 दिनांक 4.6.2014 में खसरा क्रमांक 127 भू-अभिलेख में वर्ष 1994-95 से ही नगरीय भूमि होना सूचित करते हुए प्रतिवर्ग फुट की दर से मुआवजे की गणना कर भुगतान प्रस्ताव कलेक्टर को दिया गया था? (ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रमाणित है कि भू-अर्जन अवार्ड दिनांक 16 जून 2015 में नगरीय/आवासीय भूखण्ड का मुआवजा कृषि भूमि की दर से भू-धारक को भुगतान किया गया? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर हाँ तो राज्य शासन ने पत्र क्रमांक-एफ16-5/2014/सात-2ए, दिनांक 3.6.2014 में दिये अपने निर्देश का पालन कराकर आवासीय दर से भुगतान करने हेतु कलेक्टर को कब आदेश दिया? नहीं दिया तो कब देगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहोरा के पत्र क्र. 465/री-2/अ.वि.अ./2014 सिहोरा दिनांक 04.06.2014 द्वारा भूमि विनिमय के संबंध में मौजा सिहोरा प.ह.न. 73/06 खसरा क्रमांक 127 रकवा 0.081 हे. की कीमत 174000/- पर 12 प्रतिशत ब्याज दर की गणना एवं वर्तमान गाईड लाईन के अनुसार कीमत की जानकारी जिले को प्राप्त हुई थी। (ग) मुआवजा कृषि भूमि की दर से भू-धारक को भुगतान किया जा चुका है। (घ) म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक-एफ16-5/2014/सात-2ए, दिनांक 03.06.2014 द्वारा कलेक्टर जबलपुर से जानकारी चाही गई। 03.06.2014 कलेक्टर जबलपुर को भेजा गया। इसके पश्चातवर्ती दिनांक में कलेक्टर न्यायालय के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 001/अ-82/1445 में दिनांक 16.06.2015 को अवार्ड आदेश पारित कर दिया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्धभूत नहीं होता।

झाबुआ पावर प्लांट बरेला के संबंध में

[राजस्व]

28. (क्र. 216) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी अन्तर्गत तहसील घंसौर, बरेला के झाबुआ पावर प्लांट के अनुपयोगी फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन भंडारण एवं किसानों की सहमति/असहमति पर एसडीएम तहसील घंसौर के द्वारा निष्पादित नस्तियों, दस्तावेजों, किये गये पत्राचारों की प्रतियां कब तक उपलब्ध कराई जावेगी समय दिनांक से अवगत करावें। (ख) तहसील घंसौर जिला सिवनी के ग्राम मेहरतला की कृषक की कृषि भूमि प.ह.नं.-6 खसरा नं. 189/5, 189/2, 189/1 पर स्थानीय नागरिकों/कृषकों द्वारा किये गये अवैध कब्जा एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कराये गये नामांतरण को निरस्त कराया जाकर मूल भूमि स्वामी को उसका आधिपत्य दिलाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जिला सिवनी अन्तर्गत तहसील घंसौर बरेला के झाबुआ पावर प्लांट से निकली प्लाई ऐश की नस्तियों/पत्राचारों की प्रति निम्नानुसार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार 1. कार्या.अनु.वि.अधि. घंसौर का अनुमति पत्र क्र./104/री.-2/अ.वि.अधि./2025 घंसौर दिनांक 21.02.2025 2. कार्या.अनु.वि.अधि. घंसौर का अनुमति पत्र क्र./731/री.-2/अ.वि.अधि./2024 घंसौर दिनांक 30.05.2024. (ख) प्रश्नांश (ख) के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :- 1. तहसील घंसौर जिला सिवनी के ग्राम मेहरतला के अन्तर्गत प.ह.न. 06 रा.नि.म. कहानी तहसील घंसौर के अन्तर्गत मिशल बंदोबस्त वर्ष 1988-1989 के अनुसार, भूमि खसरा क्रमांक 189 रकबा 5.87 हे., गोपाल प्रसाद पिता चन्द्रभान निवासी शिकारा के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार उक्त भूमि खसरा क्रमांक 189/1 एवं 189/2 रकबा क्रमशः 2.26 हे. एवं 1.41 हे. भूमि शंकरलाल पिता मुल्लु जाति अहीर मेहरतला के नाम से तथा खसरा क्रमांक 189/3 रकबा 1.00 हे. तुपई पिता डुम्मन जाति कुर्मि मेहरतला, खसरा क्रमांक 189/4 रकबा 1.20 हे. कमलाबाई पत्नी बाबूलाल जाति नाई मेहरतला एवं खसरा क्रमांक 189/5 रकबा 0.26 हे. रामनाथ पिता मुल्लु जाति अहीर मेहरतला के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। 2. उक्त भूमि स्वामी गोपाल प्रसाद पिता चन्द्रभान द्वारा एवं उनकी मृत्यु उपरांत उनके वारसानों 1-शकुंतला पत्नी गोपाल प्रसाद 2-रोहणी कुमार 3-रोहित कुमार 4- प्रीति 5-प्रमिला पिता गोपाल प्रसाद निवासी शिकारा द्वारा निम्नानुसार विक्रय की गई है :- 1. वर्ष 1990 दिनांक 30.03.1990 में भूमि स्वामी विक्रेता गोपाल पिता चन्द्रभान जाति ब्राम्हण, निवासी शिकारा द्वारा भूमि खसरा क्रमांक (पुराना 79) वर्तमान में 189 रकबा 5.87 हेक्टर में से 1.416 हेक्टर भूमि क्रेता शंकरलाल पिता मुल्लु यादव को विक्रय की गई तथा विक्रय उपरांत 4.454 हे. भूमि शेष रही। 2. वर्ष 1994 दिनांक 17.01.1994 में भूमि स्वामी विक्रेता 1-शकुंतला 2- रोहणी कुमार पिता गोपाल 3-रोहित कुमार 4- प्रीति 5-प्रमिला पिता गोपाल प्रसाद द्वारा भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 4.46 में से 1 हेक्टर भूमि डुम्मन वल्द मनमामदी जाति कुर्मि मेहरतला को विक्रय की गई तथा विक्रय उपरांत 3.46 हे. भूमि शेष रही। 3. वर्ष 2002 दिनांक 07.05.2003 में भूमि स्वामी विक्रेता 1- शकुंतला पत्नी गोपाल 2 रोहणी कुमार पिता गोपाल 3-रोहित कुमार पिता गोपाल 4 प्रमिला पिता गोपाल प्रसाद द्वारा भूमि खसरा नम्बर 189/1 रकबा 3.46 में से 1.20 हेक्टर भूमि क्रेता कमलाबाई पत्नी बाबूलाल निवासी शिकारा जाति

नाई को विक्रय की गई तथा विक्रय उपरांत 2.26 हे. भूमि शेष रही। 4. वर्ष 2007 दिनांक 20.06.2007 को भूमि स्वामी 1-शकुतला पत्नि गोपाल 2-रोहणी कुमार पिता गोपाल 3-रोहित कुमार पिता गोपाल 4-प्रमिला पिता गोपाल प्रसाद द्वारा भूमि खसरा नम्बर 189/1 का संपूर्ण रकबा 2.26 हे. क्रेता मुल्लु पिता बल्ली यादव, रूपसिंह बल्द सेवाराम यादव निवासी पाटन को विक्रय किये जाने के पश्चात् विक्रेता के पास कोई रकबा शेष नहीं रहा। 5. खसरा नम्बर 189/1 रकबा 2.26 का बटवारा रा.प्र.क. 21/अ-27/2010 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2010 के तहत किया गया। जिसमें खसरा क्र. 189/1 रकबा 2.26 हेक्टेयर भूमि में से 0.26 हे. भूमि रामनाथ पिता मुल्लु को प्राप्त हुई थी तथा शेष भूमि 2.00 हेक्टेयर भूमि शंकरलाल पिता मुल्लु के नाम दर्ज होना था किन्तु लिपकीय त्रुटिवश खसरा क्रमांक 189/1 का रकबा अशुद्धि पूर्ण 2.26 हे. दर्ज हो गया था। जिसके कारण नवीन निर्मित खसरा बटाकों का रकबा मूल रकबे से 0.26 हेक्टेयर अधिक हो गया था। उक्त त्रुटि के सुधार हेतु न्यायालय अ.वि.आ. (रा.) घंसाौर में प्रकरण गतिशील था। जिसका निराकरण रा.प्र.क. 0282 अ-6 (अ)/2026-27, आदेश दिनांक 13/07/2026 को किया जाकर उक्त त्रुटिपूर्ण रकबा 2.26 हे. से कम किया जाकर 2.0 हे. किया जाकर अभिलेख दुरुस्त कराया जा चुका है। आदेश एवं खसरे की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

गुटखा फैक्ट्रियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

29. (क्र. 224) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में करैरा विधान सभा में कितने गुटखा फैक्ट्रियों को गुटखा बनाने का लाइसेंस दिया गया है। फैक्ट्रियों का नाम, मालिक का नाम एवं कंपनी का नाम सहित बताएं। (ख) शिवपुरी जिले में करैरा विधान सभा में कितनी अवैध नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्रियों पर कार्यवाही की गई है। नकली गुटखा बनाने वाले व्यक्तियों अथवा फर्म के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का नियम क्या है? (ग) क्या शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा के ग्राम टीला में नकली गुटखा बनाते हुए फैक्ट्री पकड़ी गई है। यदि हाँ, तो विभागीय अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शिवपुरी जिले के करैरा विधान सभा में नकली गुटखा बनाने वाले व्यक्तियों पर F.I.R. दर्ज कराई गई? यदि नहीं तो क्यों नहीं, कब तक की जायेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) शिवपुरी जिले में करैरा विधानसभा में गुटखा फैक्ट्रियों को गुटखा बनाने का कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। (ख) शिवपुरी जिले में करैरा विधानसभा में किसी भी अवैध नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्रियों पर कार्यवाही नहीं की गई है। विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। (ग) विभाग द्वारा शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा के ग्राम टीला में नकली गुटखा बनाते हुए फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई है। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सर्वे नं. 96 हल्का घसराई की जानकारी

[राजस्व]

30. (क्र. 225) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्वे नं. 96 हल्का घसराई बंदोबस्त के बाद शासकीय पट्टा किस-किस व्यक्तियों के नाम पर है। (ख) क्या इस भूमि सर्वे नं. 96 की भूमि को विक्रय करने का आदेश किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है? (ग) क्या पट्टा धारक को दिए गए पट्टे की वर्ष से आज तक यह भूमि कितने बार क्रय या विक्रय हुई और वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज है? (घ) क्या वर्तमान में इस सर्वे नं. 96 में कृषि योग्य भूमि है या नहीं जानकारी बताएं। (ङ.) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता धारा 165/7 क्या नियमों का पालन किया गया है? नहीं किया है सर्वे नं. 96 को सहकारी घोषित नहीं की गई इस भूमि को सरकारी घोषित कर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) मिसल बंदोबस्त वर्ष 1982-83 के अनुसार ग्राम घसारही स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकवा 2.00 हे. पर शहजाद पुत्र शुभराती मुसलमान निवासी ग्राम शासकीय पट्टा ग्राहिता के रूप में दर्ज है। (ख) न्यायालय तहसीलदार करैरा के प्रकरण क्रमांक 69/2000-2001/अ-74 आदेश दिनांक 06.09.2001 से विक्रय वर्जित शब्द विलोपित किया गया। (ग) 1. वर्ष 1975-76 लगायत 2005-06 तक ग्राम घसारही स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकवा 2.00 हे. पर शहजाद पुत्र शुभराती मुसलमान के नाम दर्ज रहा। 2. वर्ष 2006-07 में उक्त भूमि में से 1.00 हे. का विक्रय शंकरलाल पुत्र राजाराम शर्मा को किया। 3. दिनांक 30.12.2017 को शंकर लाल शर्मा के द्वारा 96/2 रकवा 0.98 हे. का विक्रय पत्र गायत्री शर्मा पत्नि शिवकुमार शर्मा के पक्ष में कराया गया। 4. दिनांक 21.04.2023 को गायत्री शर्मा पत्नि शिवकुमार शर्मा के द्वारा 96/2 रकवा 0.98 हे. का विक्रय पत्र क्रेता संगीता पाण्डेय पत्नि सूर्यकान्त पाण्डेय को कराया गया। 5. वर्तमान में सर्वे क्रमांक 96/1 रकवा 0.98 हे. शहजाद के वारिसान विहिदन वेवा शहजाद खॉ, आजाद, रफीक, मोहम्मद शाह, एहसान पुत्रगण शहजाद खॉ के नाम भूमि स्वामी स्व पर दर्ज है। 6. सर्वे क्रमांक 96/2/2 रकवा 0.70 हे. संगीता पाण्डेय पत्नि सूर्यकान्त पाण्डेय, 96/2/1 रकवा 0.28 हे. व्यवसायिक लगान 2800 रुपये पर संगीता पाण्डेय पत्नि सूर्यकान्त पाण्डेय के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है, 96/2/1 कर व्यपवर्तन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 0158/आदेश दिनांक 08.03. 2018 से किया गया। 7. सर्वे क्रमांक 96/3 रकवा 0.04 हे. राष्ट्रीय राज्य मार्ग में अधिग्रहण की जा कर वर्तमान राजस्व अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। (घ) वर्तमान में ग्राम घसारही स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96/1 रकवा 0.98 हे. शहजाद के वारिसानों के नाम दर्ज होकर कृषि कार्य किया जा रहा है, शेष रकवा 0.98 हे. में दुकान, मकान, वेयर गोदाम (वेयर हाउस) निर्मित है व शेष भूमि रिक्त पड़ी है। (ङ) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165/7 का उल्लंघन हुआ है। प्रश्नाधीन भूमि ग्राम घसारही स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकवा 2.00 हे. में न्यायालय तहसीलदार करैरा के प्रकरण क्रमांक 69/2000-2001/अ-74 आदेश दिनांक 06.09.2001 से विक्रय वर्जित शब्द विलोपित किया गया था। प्रकरण की गहन जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी करैरा को पत्र लिखा गया है। जानकारी प्राप्ति पश्चात प्रकरण दर्ज कर दोषियो पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

सहरांव नदी पर बने हुए स्टॉपडेम मरम्मतकीकरण

[जल संसाधन]

31. (क्र. 238) श्री दिव्यराज सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले की जनपद पंचायत गंगेव के अधीन ग्राम पंचायत खरहरी में प्रवाहित सहरांव नदी पर स्टॉपडेम का निर्माण कराया गया था? यदि हाँ, तो ऐसे कुल कितने स्टॉपडेम हैं जो सहरांव नदी पर बने हुए हैं? विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में स्टॉपडेम निर्माण कार्य किस सत्र में कराए गए? क्या कारण है कि ऐसे समस्त स्टॉपडेम वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं जिस कारण जल संचय न हो पाने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं? गुणवत्ताहीन स्टॉपडेम निर्माण कराने वाली एजेंसी के विरुद्ध क्या विभाग के द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) कब तक सहरांव नदी पर बने हुए स्टॉपडेम का मरम्मतकीकरण कार्य पूरा कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) से (ग) जी नहीं। सहराव नदी पर विभाग द्वारा अन्य कोई स्टॉपडेम का निर्माण नहीं किया गया है।

अयोग्यता धारी शिक्षकों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

32. (क्र. 290) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) कुण्डेश्वर जिला टीकमगढ़ म.प्र. में कुल कितने पद सृजित हैं, उनमें कितने पद रिक्त हैं, संपूर्ण पदों का विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों में किस पद पर कितनी योग्यताधारी कर्मचारी या अधिकारी होना चाहिये पदवार अनिवार्य योग्यता बतायें? (ग) क्या यह सही है कि सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के पद हेतु एम.एड. योग्यता अनिवार्य है यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित संस्था में सभी कर्मचारी अनिवार्य योग्यताधारी है यदि नहीं तो? (घ) शासन द्वारा निर्धारित योग्यता न रखने वाले अयोग्य अधिकारियों को कब तक पद से पृथक किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "क" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ख" अनुसार। (ग) जी हाँ। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ख" में वर्णित अनुसार। (घ) निर्धारित अर्हता नहीं रखने वाले लोक सेवकों को अन्यत्र पदस्थापना किये जाने हेतु प्रकरण परीक्षणाधीन है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय गौचर भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

33. (क्र. 291) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के दिनांक 26 फरवरी 2026, तारांकित प्रश्न क्र. 1462 में प्रश्नांश (क) के उत्तर में स्वीकार किया था, कि हाँ अतिक्रमण है एवं प्रश्नांश (घ) के उत्तर में लेख, किया था कि मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलित है तो क्या यह उत्तर असत्य दिया गया था। यदि नहीं तो आज भी

अवैध अतिक्रमण यथावत क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित असत्य जानकारी किन-किन अधिकारियों तहसीलदार द्वारा दी गई तहसीलदारों के नाम व तहसीलदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ग) क्या प्रश्नगत भूमि ख.नं. 946/8 रकबा 04.477 हे. शासकीय गौचर भूमि है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र. 7356/2021 दिनांक 05.04.2021 एवं कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अपने राजस्व प्र.क्र. 15 ब 121 सत्र 2021-22 को आदेश पारित कर पालन प्रतिवेदन मांगा था? (घ) कलेक्टर टीकमगढ़ के पास प्रतिवेदन न आने विधानसभा में असत्य जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही होगी यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) एवं (ख) जी हाँ, विषयांतर्गत अतिक्रमण प्रकरण क्रमांक 69/अ-68/ 2025-26 प्रचलित होने से असत्य उत्तर नहीं दिया गया था। उक्त प्रकरण वर्तमान में अतिक्रमकों की राजस्व न्यायालयों में सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रचलित है। (ग) जी हाँ। कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 15/बी-121/2021-22 में आदेश पारित कर पालन प्रतिवेदन मांगा गया था। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।

अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा हटाना

[राजस्व]

34. (क्र. 308) इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अखिल भारतीय अखंड रघुवंशी क्षत्रिय परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा रघुवंशी राजपूत बोर्डिंग हाउस अशोक नगर से अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा हटाए जाने के संबंध में पत्र क्रमांक 122, दिनांक 23 मार्च 2026 (सहपत्रों सहित) प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को दिनांक 26 मार्च 2026 को प्रस्तुत किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर कार्यालयवार एवं दिनांकवार क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? इसलिए कौन-कौन जवाबदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? कब तक कार्रवाई करके छात्रावास का कब्जा हटाकर रघुवंशी राजपूत छात्रावास को सौंप दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) अखिल भारतीय अखण्ड रघुवंशी क्षत्रिय परिषद द्वारा श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र क्र. 123 दिनांक 23/03/2026 पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर, अपर कलेक्टर अशोकनगर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अशोकनगर, तहसीलदार अशोकनगर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोकनगर को मार्क होकर पृथक-पृथक टी.एल. दिनांक 28/05/2026 से दर्ज होने के उपरांत दिनांक 01/06/2026 को प्राप्त हुआ। (ख) उक्त टी.एल. के क्रम में कार्यालयीन ई-ऑफिस पत्र क्र. 1059291 दिनांक 02/06/2026 एवं स्मरण पत्र क्र. 1126201 दिनांक 30/06/2026 से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अशोकनगर, तहसीलदार अशोकनगर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोकनगर (संयुक्त जांच दल) से टी.एल. में जबाब दर्ज कराने बावत वस्तु स्थिति का विस्तृत, स्पष्ट एवं अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन चाहा गया। उक्त पत्रों की प्रति पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर को भी प्रेषित की गई। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग अशोकनगर द्वारा प्रेषित विधानसभा प्रश्न के उत्तर क्र. 646 दिनांक 03/07/2026 अनुसार उक्त के क्रम में संयुक्त जांच दल की बैठक दिनांक 03/07/2026 को आयोजित की गई है एवं वर्तमान में जांच प्रचलित है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त राशि का आवंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

35. (क्र. 330) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर को राज्य शासन एवं केन्द्रीय शासन की संचालित किन-किन योजनान्तर्गत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम व पल्स पोलियो अभियान में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2026-27 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में योजनाओं के प्रचार- प्रसार, स्टेशनरी - सामग्री, दवाइयों आदि का क्रय, मुद्रण कार्य, शिविरों का आयोजन टीकाकरण, वाहनों का किराया व पी.ओ.एल. पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांश (क) में कोविड-19 मोबिलिटी सपोर्ट व मोबिलिटी सपोर्ट में वैक्सीन परिवहन, नमूना संग्रहण, एम्ब्यूलेंस में वाहनों का किराया एवं पी.ओ.एल. पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? किन-किन वाहनों में कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का पी.ओ.एल. भरवाया गया तथा कौन-कौन सा वाहन कब से कब तक कितने-कितने दिवस माहवार कितने-कितने कि.मी. चला हैं? वाहनों का पं.क्र. मॉडल प्रकार नोटशीट सहित बिलों व लाकबुक की छायाप्रति दें। (घ) जिला टीकाकरण अधिकारी (डी.आई.ओ.) ने शासकीय कार्य व यात्राओं में कोविड-19 मोबिलिटी सपोर्ट, मोबिलिटी सपोर्ट में वाहनों के किराया पर माहवार कितनी-कितनी राशि व्यय की हैं? इन्होंने शासकीय आवंटित वाहन का माहवार कितने-कितने कि.मी. उपयोग किया हैं? बिलों सहित लाकबुक की छायाप्रति दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। वाहनों के प्रकार, नोटशीट सहित बिल व लाकबुक की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। (घ) जिला टीकाकरण अधिकारी को आवंटित वाहन के उपयोग, बिल सहित लाकबुक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "इ" अनुसार।

बरगी बांध क्रूज हादसा

[पर्यटन]

36. (क्र. 331) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 2023 को जारी दिशा निर्देश के तहत पर्यटन विभाग जबलपुर ने बरगी बांध में क्रूज संचालन हेतु एवं पर्यटकों की सुरक्षा, व्यवस्था के सम्बंध में क्या-क्या प्रबंध व उपाय किये गये हैं? दिशा-निर्देश की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) में क्रूज संचालन हेतु कब किस स्तर पर कहां से कितने क्रूज कितनी राशि में क्रय किये गये? इनका क्रय हेतु प्रमुख रूप से किन बातों का ध्यान रखा गया। इनकी फिटनेस व सुधार, मरम्मत कार्य पर व स्थानीय स्तर पर क्रूज का इंजन व इलेक्ट्रिक मरम्मत, सुधार कार्य में कब-कब, कितनी-कितनी राशि व्यय हुई हैं? वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में दिनांक 30/04/2026 को घटित हादसा के समय क्रूज में लगे दो इंजन में से एक इंजन कब से बंद,

खराब था एवं क्यों? इसे किसके निर्देश पर किन नियमों के तहत एक इंजन पर संचालित किया जा रहा था एवं क्यों? ट्रेवलिंग नियमों व प्रोटोकाल का पालन न करने व पर्यटकों को लाइफ जैकेट न देने का क्या कारण है? इस घटित हादसे में कितने पर्यटकों की मृत्यु हुई हैं। शासन ने इसके लिये दोषी किन अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की है?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 12 दिसंबर 2023 को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो "Minor mineral mining operation (Stone, limestone, sand and murram)" से संबंधित है। इसके अतिरिक्त नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिनांक 12 सितम्बर 2023 को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके तारतम्य में विभाग द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन हेतु अनुमति प्राप्त की गई है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2006 में एक एवं 2007 में एक (प्रत्येक का मूल्य राशि रुपये 59,68,703/-) कुल दो क्रूज राशि रुपये 1,19,37,406/- में राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से मेसर्स हैदाराबाद बोट विल्डर्स, हैदाराबाद से क्रय किए गए। क्रूज की स्थिरता, तेज हवा एवं खराब मौसम में चलने की क्षमता, जलपोत के अंतरराष्ट्रीय मानक जो कि इन्टरनेशनल मेरीटाईम आरगनाइजेशन (आई.एम.ओ.) जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है के द्वारा अनुमोदित है का पूर्ण रूप से पालन, क्रूज बोट की लम्बी लाइफ एवं क्रूज बोट के अंदर आपातकालीन स्थिति में बचाव के सभी उपकरणों की मौजूदगी तथा प्रदूषण रहित इंजन का ध्यान रखा गया। मैकल रिसोर्ट बरगी में वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि में फिटनेस व सुधार, मरम्मत कार्य पर व स्थानीय स्तर पर क्रूज का इंजन व इलेक्ट्रिक मरम्मत, सुधार कार्य आदि अन्य विविध व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग) म.प्र. शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ GAD/50/0001/2026-GAD-10-01 (GAD) दिनांक 10/05/2026 से न्यायिक जांच हेतु एकल सदस्यी जांच आयोग गठित किया गया है, जिसकी जांच प्रचलन में है। इस हादसे में कुल 13 पर्यटकों की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार।

संरक्षित वन एवं नारंगी वन सर्वे में शामिल भूमि

[राजस्व]

37. (क्र. 355) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पत्र क्रमांक 13/भू/1672 दिनांक 12/06/1956 से निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज 3 लाख 60 हजार 478 एकड़ भूमि एवं पत्र क्रमांक 38/92/एस आर/908 दिनांक 02/08/1996 से 1 लाख 39 हजार 320 हेक्टेयर भूमि अधीक्षक भू-अभिलेख बैतूल द्वारा वन विभाग को अन्तरित की गई जिसे वन विभाग ने संरक्षित वन सर्वे, नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किया जिनसे संबंधित भा.व.अ.1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही के पास लम्बित है। (ख) वन विभाग को अन्तरित संरक्षित वन एवं नारंगी वन सर्वे में शामिल भूमि म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1954 एवं भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के अनुसार किस-किस प्रयोजन के लिए आरक्षित की जाकर निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किस-किस मद में दर्ज भूमि है इनमें से किस ग्राम की कितनी भूमि

किस वनखण्ड में शामिल है। (ग) प्रमुख सचिव वन म.प्र. शासन भोपाल ने पत्र क्रमांक एफ. 25-36/005/10-3 दिनांक 10 अप्रैल 2015 को मद एवं प्रयोजन से संबंधित क्या-क्या निर्देश दिए इस निर्देश का पालन करवाने हेतु वन मुख्यालय वन भवन भोपाल एवं वन वृत्त बैतूल ने किस-किस दिनांक को पत्र जारी किए यदि कोई पत्र जारी नहीं किया हो तो कारण बतावे। (घ) धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित किस वनखण्ड की कितनी भूमि वर्किंग प्लान, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास, वनकक्ष मानचित्र में दर्ज कर वन विभाग के कब्जे में है।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) पत्र क्रमांक 13/भू/1672 दिनांक 12/06/1956 एवं पत्र क्रमांक 38/92/एसआर/908 दिनांक 02/08/1996 के माध्यम से अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा भूमि वन विभाग को अंतरित नहीं की गयी है, बल्कि पत्र क्रमांक 13/भू/1672 दिनांक 12/09/1956 द्वारा वन विभाग को प्रबंधन के लिये वर्ष 1954 से पत्र दिनांक तक भूतपूर्व मालगुजारी व रैय्यतवाड़ी गांवों के जो वन हस्तांतरित किये गये उनकी खसरा नंबर एवं गाँववार सूची पत्र दिनांक 12/09/1956 के माध्यम से भेजी गयी है तथा पत्र क्रमांक 38/92/एलआर-2/908/दिनांक 02/08/1996 द्वारा राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़, बड़े झाड़ के जंगल के अधीन भूमि के खसरा नंबरवार सूची तैयार कर भेजी गयी है। संरक्षित वन सर्वे, नारंगी भूमि सर्वे में शामिल भूमि के सन्दर्भ में भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 की जांच वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/वन व्यवस्थापन अधिकारी भैंसदेही, मुलताई एवं बैतूल के पास लंबित नहीं है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) प्रमुख सचिव वन मध्यप्रदेश शासन भोपाल के पत्र क्रमांक 25-36/005/10-3 दिनांक 10 अप्रैल 2015 से जारी निर्देश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 अनुसार। उक्त पत्र से प्राप्त निर्देशों के पालन हेतु वनमंडल कार्यालय द्वारा जारी किये गए पत्रों की क्रमांक एवं दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 अनुसार। (घ) वनमंडल के अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 5 से 19 तक की जांच के लिये लंबित 574 वनखंडों की 74319.269 हे. भूमि वर्किंग प्लान एरिया रजिस्टर वनकक्ष इतिहास, वनकक्ष मानचित्र में दर्ज है। जिसका नियंत्रण एवं प्रबंधन वनमण्डल द्वारा किया जा रहा है। वनखंडवार भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 अनुसार।

कलेक्टर द्वारा प्रेषित आपति

[राजस्व]

38. (क्र. 356) **कुँवर अभिजीत शाह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर बैतूल ने जयस द्वारा प्रस्तुत आपतियों को दिनांक 24/03/2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही को भा.व.अ.1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित कुल 467 आपतियां प्रेषित की है। (ख) यदि हाँ, तो किस ग्राम के निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी में दर्ज किस-किस मद एवं प्रयोजन के किस-किस खसरा नम्बर के कितने रकबे की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में किस अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है इसमें से किस ग्राम की कितनी भूमि वर्किंग प्लान, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास वनकक्ष मानचित्र में वन विभाग द्वारा दर्ज कर अपना कब्जा भी कर लिया है। (ग) आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के पत्र क्रमांक 621/वन.अधि/15/136 दिनांक 16/04/2015 में

दिए प्रारूप में धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित किस-किस ग्राम की जमीनों की जानकारी संकलित करवाई जाकर प्रश्नांकित दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है संकलित जानकारी की प्रति सहित बतावे।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) जिला बैतूल अंतर्गत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल में 212, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई में 116 एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के 244 वनखंडों की धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही प्रचलित है। ग्राम, वनखण्डवार निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी में दर्ज मद एवं प्रयोजनवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। वन मंडल उत्तर, पश्चिम, दक्षिण जिला बैतूल के अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लंबित कुल 574 वनखंडों की 74319.269 हेक्टर। भूमि कार्य आयोजना, वन कक्ष, इतिहास, मानचित्र में दर्ज है, जिसका नियंत्रण एवं प्रबंधन वन मंडल द्वारा किया जा रहा है। वनखण्डवार ग्रामवार भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

39. (क्र. 375) श्री अरूण भीमावद : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पनवाड़ी, मंडोदा एवं तिलावद गोविन्द बड़े कस्बे में आते हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो रहे हैं। जिसमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आमजनों को हो रही हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन करने हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित है? (ग) यदि नहीं है तो क्यों नहीं? और यदि हाँ, तो कब तक उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन किया जाना है? कृपया समयावधि बताने का कष्ट करें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) ग्राम पनवाड़ी, मंडोदा एवं तिलावद गोविन्द में उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। (ख) स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या मापदंड, वर्तमान संस्था के उपयोग की स्थिति एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध अन्य संस्थाओं के उपयोग की स्थिति आदि को देखते हुए प्राथमिकता निर्धारण के साथ किया जाता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

मेडिकल कॉलेज का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

40. (क्र. 376) श्री अरूण भीमावद : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिनांक 8 दिसम्बर 2024 के प्रवास के दौरान एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है और इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा? कृपया समय-सीमा बताने का कष्ट करें। (ग) इस संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) पीपीपी मोड पर शाजापुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है, इसलिये राशि की स्वीकृति नहीं की गई है। पीपीपी मोड पर स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के नियमानुसार सफल निविदाकार उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकता है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रदेश में पीपीपी मोड में स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये निविदायें आमंत्रित की गई थी। उक्त सूची में पीपीपी मोड पर जिला शाजापुर में स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालय को भी शामिल किया गया है। कोई निविदा प्राप्त नहीं होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शाजापुर में पीपीपी मोड पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में भूमि का आवंटन/चिन्हांकन कलेक्टर, जिला शाजापुर द्वारा किया जा चुका है।

कोलार वनखण्ड के प्रकरण की जानकारी

[राजस्व]

41. (क्र. 381) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भा.व.अ.1927 की धारा 4 के तहत दिनांक 22 जनवरी 1988 को कोलार वनखण्ड की 6976.707 हेक्टर भूमि से संबंधित धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी अधिसूचित करने के बाद भी कोलार वनखण्ड का प्रकरण धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए प्रश्नांकित दिनांक तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। (ख) कोलार वनखण्ड के अन्दर किस-किस वनग्राम की भूमि शामिल की गई है उस वनग्राम का अप्रैल 2025 से प्रश्नांकित दिनांक तक वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा कब-कब संयुक्त सीमांकन, निरीक्षण किया, किस वनग्राम में, कितनी भूस्वामी हक की भूमि होना पाया गया? (ग) कोलार वनखण्ड में शामिल ग्राम लावाखाड़ी के पटवारी मानचित्र में वनखण्ड एवं मुनारों की सीमा लाइन काली स्याही से कब अंतिम की गई उस सीमा लाइन में किस-किस भूस्वामी के किस खसरा नम्बर का कितना रकबा शामिल है खसरा नम्बर 122 के कितने रकबे को वनखण्ड का हिस्सा बताया है।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल सीहोर के पत्र अनुसार वन मंडल के अंतर्गत भा.व.अ. 1927 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना क्र./6550-6254-10-62 दिनांक 24.07.1962 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 12.10.1962 एवं अधिसूचना क्र./5-38-87-10-3 (54) दिनांक 12.01.1998 राजपत्र प्रकाश दिनांक 22.01.1988 कोलार वनखण्ड रकबा 17239.82 एकड़ (6976.707 हे.) अधिसूचित किया गया है जिनमें सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल सीहोर के अनुसार उतरांश 'क' के वनखंड की अधिसूचना में ग्रामवार मदवार भूमि का विवरण शामिल नहीं होने से जानकारी देना संभव नहीं है। (ग) कार्यालय में उपलब्ध ग्राम लावा-खाड़ी की बंदोबस्ती नक्शा शीट में वनखण्ड एवं मुनारों की सीमा लाइन काली स्याही से अंकित नहीं है। शेष प्रश्नांश जानकारी उक्त परिप्रेक्ष्य में निरंक।

Motuary (शव गृह) बनाये जाने की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

42. (क्र. 403) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित सिविल अस्पताल परासिया 100 बिस्तरों का अस्पताल है परन्तु अस्पताल में Motuary (शव गृह) नहीं होने के कारण अस्पताल में मृत व्यक्तियों/मरीजों के पार्थिव शरीर को नहीं रखा जाता है और ना ही अस्पताल में शव परीक्षण संभव हो पाता है कई बार अज्ञात मृत व्यक्तियों के शवों को पहचान हेतु उनके परिवार को सौंपने के लिये पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है परन्तु अस्पताल में Motuary (शव गृह) नहीं होने के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों एवं अस्पताल प्रबंधन को अनेक असुविधाओं व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुये सिविल अस्पताल परासिया में Motuary (शव गृह) बनाया जाना बहुत जरूरी है विभाग द्वारा उपरोक्त संबंध में कब तक कार्यवाही करते हुये सिविल अस्पताल परासिया में Motuary (शव गृह) बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित Motuary (शव गृह) बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मान. विभागीय मंत्री महोदय को पत्र क्र. 285 दिनांक 17.06.2026 को प्रेषित किया गया है, जिस पत्र पर स्वीकृति हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : **(क)** वर्तमान में जिला अस्पताल के अतिरिक्त अन्य अस्पतालों में शव गृह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हाँ, प्रश्नांश (क) के उत्तर में समाहित है।

एलोपैथिक दवाओं के निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

43. (क्र. 504) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** एलोपैथिक दवाइयों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है? एलोपैथिक दवा निर्माण के कौन-कौन से नियम हैं एवं लायसेंस देने कि न्यूनतम अर्हता क्या-क्या है? **(ख)** वर्ष 2023 से प्रश्नांश दिनांक तक कितनी कंपनियों को एलोपैथिक दवा बनाने का लायसेंस दिया गया है? जिलेवार जानकारी दें और इन दवाओं का सैंपल टेस्टिंग वर्ष भर में कितनी बार किया जाता है? **(ग)** क्या दवा निर्माता द्वारा दवा बनाकर अन्य विक्रेताओं की कंपनियों को दवाइयां दी जा रही है, जो अपना लेवल लगाकर इन्हे मेडिकल स्टोर्स से बिक्री कर रहे हैं? **(घ)** दवा निर्माण करने वाले कारखानों में तय मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं विभाग बताएं वर्ष 2023 से प्रश्नांश दिनांक तक कितनी दवा कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई? प्रकरण संख्या बताएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : **(क)** औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदक को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली

1945 के नियम 69, 74 के अनुसार राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष एम.पी. ऑन लाइन (M.P.Online) अथवा ओएनडीएलएस (ONDLS) के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। आवेदन प्राप्ति उपरांत, राज्य एवं केन्द्र सरकार के औषधि निरीक्षकों के द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण स्थल का निरीक्षण किया जाता है। संयुक्त निरीक्षण की अनुशंसाओं के आधार पर एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 69, 74, 76 एवं 78 में वर्णित अर्हतायें पूर्ण किये जाने के उपरांत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति प्रदाय की जाती है। एलोपैथिक दवाइयों के निर्माण संबंधी प्रावधान एवं न्यूनतम अर्हतायें उक्त नियमावली में विहित हैं। (ख) वर्ष 2023 से प्रश्नांश दिनांक तक कुल 25 कंपनियों को एलोपैथिक दवा बनाने का लायसेंस दिया गया है। औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को उनके द्वारा निर्मित औषधियों को बाजार में विक्रय किये जाने से पूर्व औषधियों की टेस्टिंग औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 74 (c) एवं 78 (c) (ii) के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। दवाओं के बाजार में विक्रय हेतु जाने के बाद निर्माता फर्म द्वारा उनकी एसओपी (Standard Operating Procedure) के अनुसार समय-समय पर टेस्टिंग की जाती है जिसकी जानकारी निर्माता फर्म के पास संधारित होती है। निर्माता फार्मों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) औषधि निर्माण हेतु आवेदक या आवेदक फर्म द्वारा किसी दूसरी फर्म जिसे पूर्व से ही औषधियों के निर्माण हेतु औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति प्रदत्त है, से औषधियों का निर्माण लोन लाइसेंस के अंतर्गत करवाया जा सकता है। जिस पर आवेदक फर्म का नाम एवं पता तथा निर्माता फर्म का पता उल्लेखित करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 96 अनुसार अनिवार्य है। इन दवाओं का विक्रय मेडिकल स्टोर्स से किया जा सकता है। (घ) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में तय मानकों के पालन सुनिश्चितता संबंधी निरीक्षण समय-समय पर करवाये जाने के प्रावधान है। वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक किये गये निरीक्षणों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश स्थित कुल 86 दवा कंपनियों पर कार्यवाही की गई।

गंभीर बीमारियों के शासकीय अस्पताल में उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

44. (क्र. 505) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में किन-किन अस्पतालों में आर्गन ट्रांसप्लान्ट (अंग प्रत्यारोपण) एवं हृदय की बाय-पास सर्जरी सुविधाएं हैं? अस्पताल का नाम और स्थान बतायें। यदि इन शासकीय अस्पताल में ये दोनों शल्य क्रियाएँ की जाती हैं, तो इनमें अनुमानित मरीजों को कितना खर्च करना पड़ता है? (ख) विभाग बतायें कि निजी अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण एवं हृदय की बाय-पास सर्जरी में मरीजों को आने वाले खर्च के भुगतान में सरकार किन-किन योजनाओं से कितनी-कितनी राशियों की मदद कर रही है? और योजनाओं के नाम बतायें। (ग) क्या-सरकार भविष्य में प्रत्येक जिला अस्पताल में हृदय-रोग के उपचार की यूनिट स्थापित करने पर

विचार कर रही है, यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं तो किस कारण से? क्या विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव से अथवा मशीनों की कमी से।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्यप्रदेश में निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) तथा हृदय की बाय-पास सर्जरी हेतु संबद्ध अस्पतालों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। भिन्न-भिन्न अंगों के प्रत्यारोपण के लिए व्यय भिन्न-भिन्न होने तथा निजी क्षेत्र के अस्पतालों में होने वाले व्यय के अभिलेख संधारित नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (ख) राशि 5.00 लाख तक की कैशलेस (निःशुल्क) उपचार की सुविधा आयुष्मान भारत योजनांतर्गत संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध करायी जाती है। योजनांतर्गत अंग प्रत्यारोपण एवं हृदय की बायपास सर्जरी हेतु पैकेज के राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) प्रदेश में जिला चिकित्सालयों में मूलभूत हृदय रोग से संबंधित सेवाएँ प्रदान की जा रही है। प्रत्येक जिला चिकित्सालय में वर्तमान में हृदय रोग से संबंधित विशिष्ट इकाई स्थापित करने की योजना नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है।

डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

45. (क्र. 506) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग बतायें कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के अन्तर्गत सिविल अस्पताल कन्नौद एवं खातेगांव में चिकित्सकों नर्सों, लेब टेक्नीशियन के कितने पद स्वीकृत हैं? इसकी तुलना में वर्तमान में कितने पद भरे हैं? (ख) उक्त दोनों अस्पताल नेशनल हाइवे पर स्थित होने के कारण लगातार दुर्घटना में सर्जन, उचित उपचार के आभाव से मरीजों को 100 कि.मी. दूर इन्दौर भेजना पड़ता है जिसके कारण कभी-कभी पेशेन्ट की मृत्यु हो जाती है। (ग) क्या विभाग इन दोनों अस्पतालों में शल्य चिकित्सक और महिला चिकित्सक के साथ अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरेगा बतावें?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) दुर्घटना में घायल मरीजों को उपचार सिविल हॉस्पिटल में किया जाता है एवं गंभीर मरीजों को आकस्मिक परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार उपचार हेतु उच्च स्वास्थ्य सुविधायुक्त निकटतम स्वास्थ्य संस्थान को रेफर किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) पदपूर्ति विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विद्यालयों के उन्नयन एवं भवन निर्माण की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

46. (क्र. 540) श्री अभय मिश्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन विद्यालयों का संचालन एवं स्वीकृत बावत् कितने प्रस्ताव किन-किन जिलों/विधान सभा क्षेत्रों के प्रस्ताव लंबित है का विवरण देवे? इस बावत् अपनाई गई विधि प्रक्रिया/निर्देश की प्रति साथ

जानकारी देवे? प्रस्ताव पर कार्यवाही कर विद्यालयों का संचालन कब तक करावेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया के विद्यालयों के उन्नयन के कितने प्रस्ताव विभाग में लंबित है। लंबित प्रस्तावों पर कार्यवाही बावत् क्या निर्देश देंगे बतावे? सांदीपनी विद्यालय के रूप में संचालित किये जाने बावत् सेमरिया विधान सभा के लंबित प्रस्तावों पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश देंगे नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में विधान सभा क्षेत्र सेमरिया में संचालित हाई स्कूल/हायर सेकेंड्री के भवन खेल मैदान के निर्माण बावत् निर्देश देंगे? इन विद्यालयों में से कितने भवन 50 वर्ष से पुराने हैं, इनके निर्माण/सुधार बावत् राशि जारी करेंगे तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उल्लेखित अनुसार कार्यवाही बावत् क्या निर्देश देंगे बतावे? जिन विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण एवं 50 वर्ष पुराने हैं, उनके निर्माण बावत् राशि स्वीकृत के निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) नवीन विद्यालयों के संचालन एवं स्वीकृति के संबंध में कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। जिलों से प्राप्त शाला उन्नयन के प्रस्तावों के परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सांदीपनी विद्यालयों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता एवं सक्षम अनुमोदन पर निर्भर है, अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र के सेमरिया के अंतर्गत प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन के प्रस्ताव लंबित नहीं है। जिलों से प्राप्त शाला उन्नयन के प्रस्तावों के परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। **जानकारी परिशिष्ट अनुसार।** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) शा.उ.मा.वि. सेमरिया का भवन 50 वर्ष पुराना हैं। भवन एवं खेल मैदान की स्वीकृति बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेंगा। (घ) उत्तरांश 'क', 'ख' एवं 'ग' अनुसार।

परिशिष्ट - "पचास"

जिम्मेदारों पर कार्यवाही के साथ नाम सुधार

[राजस्व]

47. (क्र. 541) श्री अभय मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की तहसील सिरमौर, सेमरिया एवं हुजूर अंतर्गत नहरों के निर्माण हेतु अधिगृहित की गई भूमियों, जिनके मुआवजे की राशि किसानों की दी जा चुकी है, उन आराजियों पर आज भी किसानों के नाम दर्ज है, इनके नाम हटा कर म.प्र. शासन के नाम दर्ज किये जाने के क्या निर्देश देंगे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अधिगृहित की गई भूमियों में राजस्व अभिलेखों म.प्र. शासन का नाम दर्ज न किये जाने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है उनके पद नाम के साथ उन पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे अगर नहीं तो क्यों एवं तब तक राजस्व अभिलेखों में म.प्र. शासन के नाम दर्ज करा दिये जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) रीवा जिले की तहसील सिरमौर, सेमरिया एवं हुजूर अंतर्गत नहरों के निर्माण हेतु अधिगृहित की गई भूमियों जिनके मुआवजे की राशि किसानों को दी जा चुकी है, उन आराजियों में संबंधित विभाग/म.प्र.शासन के नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है एवं विवादित प्रकरणों में कार्यवाही जारी है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र

क्रमांक 1071/2308260/2024/सात भोपाल दिनांक 27.09.2024 से मध्यप्रदेश शासन के विभाग के लिये अर्जित भूमियों पर संबंधित विभाग का नाम भू-अभिलेखों में प्रविष्टि किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं। निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तरांश अनुसार।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

नियम विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 10/07/2025 निरस्त करना

[राजस्व]

48. (क्र. 583) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा शिकायतकर्ता मोती मोहल्ला सारंगपुर, जिला-राजगढ़ के अभ्यावेदन दिनांक 15.05.2026 एवं दिनांक 01.06.2026 के संबंध में तहसीलदार सारंगपुर, जिला-राजगढ़ द्वारा नियम विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 0075/ब-121/2024-25 तथा पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट करें। (ख) कलेक्टर, जिला-राजगढ़ द्वारा शिकायतकर्ता के अभ्यावेदन मई 2026 को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 2708/रीडर-1/2025 राजगढ़ दिनांक 18.11.2025 को दृष्टिगत रखते हुये म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने के प्रावधान परिलक्षित नहीं होने पर तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण क्रमांक 0075/ब-121/2024-25 तथा पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है? अथवा नहीं स्पष्ट करें। (ग) म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, तहसीलदार सारंगपुर, जिला-राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 नियम विरुद्ध पारित करने पर तथा पारित आदेश पर अपील का प्रावधान नहीं होने पर प्राकृतिक न्याय आवेदक को प्राप्त हो किस धारा के तहत अपील स्वीकार की जायेगी या पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 निरस्त किया जायेगा तथा निरस्त आदेश से रजिस्ट्रार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल को अवगत कराया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

49. (क्र. 594) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आशा-ऊषा कार्यकर्ता अंतिम छोर की पंक्ति की आम जनता का कार्य करने वालों को एक निश्चित मानदेय देकर राज्य कर्मचारी की श्रेणी में क्यों नहीं लिया जा रहा है कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या खरगापुर विधान सभा सहित पूरे म.प्र. में आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर कार्य किया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2023 में 1000 रु. बढ़ाये जाने, की घोषणा की थी परन्तु वह भी किसी को प्राप्त नहीं हो रही है ऐसा क्यों? (ग) क्या सम्पूर्ण म.प्र. सहित टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधान सभा की आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि, एल.टी.टी. की राशि, डिलेवरी

की राशि समस्त ऐक्टिविटी की राशि समय पर प्रदाय क्यों नहीं की जाती है क्या बल्देवगढ़ स्वास्थ्य विभाग की लेखापाल द्वारा आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को जानबूझकर परेशान किया जाता है और आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं से भ्रष्टाचार करते हुये राशि की मांग की जाती है? (घ) क्या प्रदेश की समस्त आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं शासकीय कार्य करने के दौरान किसी आकस्मिक घटना पर 10 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया तथा आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को भुगतान को स्लिप क्यों नहीं दी जाती है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आशा कार्यकर्ता ग्राम सभा से चयनित एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है। एक निश्चित मानदेय देकर राज्य कर्मचारी की श्रेणी हेतु पात्रता नहीं है। (ख) जी नहीं, घोषणा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित वृद्धि की थी जिसका पालन हो गया है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में आशाओं के कोई भुगतान लंबित नहीं है। आशाओं द्वारा बल्देवगढ़ विकासखंड में भुगतान लंबित होने की शिकायत कलेक्टर, टीकमगढ़ को की गयी थी। जिस पर कलेक्टर, टीकमगढ़ के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था। (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं को दुर्घटना में घायल होने पर रु.1 लाख की राशि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत तथा रु. 2 लाख मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने का प्रावधान है, साथ ही आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु. 5 लाख तक की आशा एवं उनके परिजनों को चिन्हित चिकित्सालय में एक वित्तीय वर्ष में उपचार की पात्रता है। मृत्यु की स्थिति में रु. 10 लाख सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। आशाओं को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है एवं आशा पोर्टल पर उनके वाउचर डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।

सी.एम. राईज स्कूल का भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

50. (क्र. 595) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर में स्वीकृत सी.एम. राईज स्कूल के भवन का निर्माण कार्य जानबूझकर टाला जा रहा और भवन निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसका कारण क्या है सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराये? (ख) क्या विगत विधानसभा में पूछे गये प्रश्न में उत्तर दिया गया था कि माह-जुलाई 2026 तक भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा परन्तु निर्माण कार्य तैयारी की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्या टेंडर लग चुका है यदि हाँ, तो सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या खरगापुर में निर्माण होने वाले सी.एम. राईज के भवन निर्माण हेतु कहाँ पर किस खसरे की जमीन आवंटित की गई तथा टेंडर किस फर्म को किस दिनांक को दिया गया है? सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करते हुये स्पष्ट करें, कि खरगापुर में सी.एम. राईज भवन का निर्माण कब से प्रारंभ कर कब समाप्त कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। पूर्व में सांदीपनि विद्यालय खरगापुर का निर्माण कार्य हायर सेकेन्डरी स्कूल खरगापुर के परिसर के अंदर कराया जाना था परन्तु उक्त स्थल पर निर्माण कार्य के संबंध में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कार्य आरंभ नहीं हो सका था, जिस कारण से जारी निविदा से विद्यालय का कार्यक्षेत्र हटा दिया गया था तदोपरांत दिनांक 11.03.2024 को सांदीपनि विद्यालय को नवीन भूमि आवंटित की गई। वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। सांदीपनि विद्यालय खरगापुर के निर्माण कार्य की निविदा दिनांक 19.01.2026 को जारी की गई थी। वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) सांदीपनि विद्यालय खरगापुर निर्माण कार्य हेतु स्थल खरगापुर में तहसील प्रागण के पीछे एवं कृषि उपज मंडी के समीप भूमि आवंटित की गई है जिसका खसरा नं. 2208/1 है। कार्य की निविदा प्रक्रिया उपरांत L-1 निविदाकार मे सेन्चुरी कंस्ट्रक्शन, ग्वालियर को दिनांक 28.05.2026 को LOA (Letter of acceptance) जारी किया गया है। वर्तमान में 18 माह की कार्यावधि का अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट - "बावन"

शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना

[राजस्व]

51. (क्र. 637) श्री फूलसिंह बरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय एवं निजी भूमि पर खसरा क्रमांक-568/2, 569/4, 566 ग्राम बगवाज तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ (म.प्र.) पर अतिक्रमण होने व कब्जा होने की सूचना कलेक्टर राजगढ़ को दिनांक 19.08.2025 दी, संभाग आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को दिनांक 22.08.2025 को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव महोदय को दिनांक 22.08.2025 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन को दिनांक 22.06.2025 को सूचना प्रदान करने के उपरांत प्रश्न दिनांक तक संबंधित अधिकारियों एवं अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) शासकीय एवं निजी भूमि पर खसरा क्रमांक-568 ग्राम बगवाज तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ (म.प्र.) पर किये गये, अतिक्रमण पर कलेक्टर राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? संपूर्ण विवरण सहित की गई प्रक्रिया की जानकारी दें। (ग) ग्राम पंचायत बगवाज तह. सुठालिया में शासकीय भूमि है एवं कितने दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है एवं कितनी भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है, कितनों के विरुद्ध शिकायत दर्ज है? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) तहसील सुठालिया के ग्राम बगवाज की भूमि सर्वे खसरा क्रमांक 568/2, 569/4, कुल रकबा 0.442 हेक्टर भूमि गणपत पिता बक्सू जाति चमार निवासी ग्राम घूघचिडी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि पर वर्तमान में किसी भी अन्य व्यक्ति का अवैध कब्जा न होकर भूमि स्वामी ही पुराने समय से काबिज चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी भूमि स्वामी गणपत के विधिक वारिसान के द्वारा सोयाबीन की फसल बोकर भूमि पर काबिज है और बगवाज के भूमि खसरा क्रमांक 566 रकबा 0.354 हेक्टर भूमि शासकीय दर्ज है। जिस पर लगभग 50 वर्षों पूर्व से भगवान विष्णु व शिव पार्वती व बालाजी

महाराज और ग्राम की माताजी का मंदिर स्थित है। उक्त सभी मंदिर ग्राम घुघचिडी के सभी ग्रामवासियों का आस्था का केन्द्र है। वर्तमान में उक्त मंदिर की स्थिति जीर्ण-शीर्ण होने से सभी ग्रामवासियों की सहमति से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वर्तमान में किसी भी व्यक्ति का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। (ख) प्रश्नांश 'ख' में अंकित भूमि पर कोई अतिक्रमण न होने से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना उचित एवं विधिसंगत नहीं है। (ग) ग्राम बगवाज में शासकीय भूमि है। जिस पर 14 कृषकों के द्वारा रकबा 3.149 हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया गया था। जिसमें उक्त कृषकों को धारा 248 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रकरण दर्ज कर बेदखल किया जाकर उक्त भूमि मुक्त करवाई गई है।

परिवहन विभाग के नियमों की जानकारी

[परिवहन]

52. (क्र. 683) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है की मोटर यान अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कमर्शियल वाहन के परमिट प्रदान करने की स्वीकृति देने की पात्रता संभागीय उप परिवहन आयुक्त/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को होती है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो भोपाल संभाग में दिनांक 01/07/24 से दिनांक 16/08/24 की अवधि में संभागीय उप परिवहन आयुक्त/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के पद पर कौन व्यक्ति पदस्थ थे? उनकी पदस्थापना के आदेश की प्रति देवें, क्या इस अवधि में पद रिक्त था? यदि हाँ, तो भोपाल संभाग में उक्त अवधि में किस अधिकारी के द्वारा कितने कमर्शियल वाहन के परमिट जारी किये गए? उन्हें परमिट जारी करने की पात्रता किस आधार पर थी? उनके आदेश की प्रति देवें। (ग) अगर किसी व्यक्ति ने यह कार्य बिना पात्रता के किया है को अपने पद के दुरुपयोग कर किसी अन्य को अनुचित लाभ पहुँचाना तथा कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा नहीं? यदि हाँ, तो इसके कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? अथवा की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? इसकी पूर्ण जानकारी, विस्तृत विवरण, नियम के प्रावधान के साथ देवें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, भोपाल संभाग में दिनांक 01/07/24 से दिनांक 16/08/24 की अवधि में संभागीय उप परिवहन आयुक्त/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का पद रिक्त था। उक्त अवधि में भोपाल संभाग में जारी किये गये कमर्शियल वाहनों के परमिटों की वांछित जानकारी निम्नानुसार है-

परिवहन कार्यालय का नाम	परमिट जारीकर्ता अधिकारी	परमिट संख्या
भोपाल	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल	1920
राजगढ़	जिला परिवहन अधिकारी, राजगढ़	1022
सीहोर	जिला परिवहन अधिकारी, सीहोर	304
विदिशा	जिला परिवहन अधिकारी विदिशा	442
रायसेन	जिला परिवहन अधिकारी रायसेन	201

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (5) सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 67 के उपनियम (1) एवं नियम 64 के उपनियम (1) के अंतर्गत पारित संकल्प दिनांक 19.06.2023 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर उक्त परमिट जारी किए गए। **आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** उत्तरांश (ख) के अनुसार उक्त कार्य संबंधित अधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (5) सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 67 के उपनियम (1) एवं नियम 64 के उपनियम (1) के अंतर्गत पारित संकल्प दिनांक 19.06.2023 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर अमल किया जाना

[राजस्व]

53. (क्र. 685) श्री सुरेश राजे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र डबरा में विधानसभा उपचुनाव 2020 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा तहसील डबरा को जिला बनाने तथा शहर में कन्या महाविद्यालय, विशाल खेल स्टेडियम का निर्माण करवाने की मंच से घोषणा की गई थी, उक्त घोषणाओं पर कब तक अमल कर पूर्ण किया जायेगा? समयावधि बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से तहसील को जिला बनाने संबंधी नियम/आदेश/शर्त की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाएं तथा तहसील बुरहानपुर/कटनी/पांडुर्णा/मऊगंज/मेहर/निवाड़ी एवं नीमच को किस-किस दिनांक को किस आधार पर जिला घोषित किया गया?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) वर्तमान में प्रशासनिक इकाइयों के परिसीमन एवं युक्तियुक्तकरण के लिये मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित होकर कार्यरत है। जनगणना 2027 हेतु क्षेत्राधिकार परिवर्तन की फ्रीजिंग तिथि दिनांक 31.12.2025 से किसी प्रशासनिक इकाई में क्षेत्राधिकार परिवर्तन अनुमत्य न होने से आगामी कार्यवाही वर्तमान में प्रतिबंधित हैं। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत तहसील को जिला बनाने संबंधी नियम की सत्यापित प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** 1. बुरहानपुर तहसील को 11 अगस्त 2003 को जिला घोषित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** 2. मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 22 मई 1998 द्वारा दिनांक 25 मई 1998 से जिला जबलपुर से नवीन कटनी जिले का गठन किया गया। 3. दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को पांडुर्णा जिले का गठन किया गया। 4. दिनांक 13 अगस्त 2023 को मऊगंज जिले का गठन किया गया है। 5. मेहर को दिनांक 05/10/2023 को जिला घोषित किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** 6. निवाड़ी को 30/09/2018 को जिला घोषित किया गया। 7. नीमच को दिनांक 06/07/1959 से प्रथम जिला घोषित किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

शिक्षक/सेवानिवृत्त शिक्षक के वेतन की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

54. (क्र. 697) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में ऐसे कितने शिक्षक/सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जिनका वेतन कनिष्ठ शिक्षकों से कम हो जाने पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल, अधिसूचना भोपाल दिनांक 28 फरवरी, 2009 क्र.एफ-8/2009/नियम/चार के प्रावधान की टिप्पणी क्रमांक 5 तथा 7 का लाभ प्रदान किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है? (ख) क्या उनके अभ्यावेदन पर वेतन पुनर्निर्धारण कर संयुक्त संचालक कोष और लेखा से अनुमोदन प्राप्त कर लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या तथा नहीं तो क्यों? (ग) क्या ऐसे शिक्षकों को वेतन पुनर्निर्धारण कर वेतन/पेंशन का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक बताये?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) नियमानुसार पात्रता नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उप स्वास्थ्य केंद्र/अन्य भवनों का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

55. (क्र. 699) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-पांडुर्णा, छिंदवाड़ा व सिवनी में लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला मुख्यालय व ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य विभाग की भवन निर्माण विंग द्वारा वर्ष 2023 से आज दिनांक के मध्य कोई निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केंद्र भवन व अन्य किये गए हैं व निर्माणाधीन हैं? यदि हाँ, तो उन कार्यों की लागत-स्थानवार, कार्यादेश, कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र एवं वह निर्माण कार्य जो विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण न हुये हो जिनकी तथ्यात्मक कारण सहित जानकारी देवें। (ख) क्या उक्त निर्माण कार्यों के निर्माण स्थल में मजदूरों को मिलने वाली सुविधा के अभाव व अन्य तकनीकी अनियमितता के सम्बंध में कोई पत्र स्थानीय जनप्रतिनिधियों व मजदूर संघ द्वारा शासन/विभाग/संभाग कमिशनर को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उस पर पत्र के बिंदु अनुसार क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक कि जावेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" "ब" एवं "स" अनुसार। (ख) मजदूरों को मिलने वाली सुविधा के अभाव व अन्य तकनीकी अनियमितता के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उप तहसील को तहसील में उन्नयन करना

[राजस्व]

56. (क्र. 700) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की जनजातीय विधानसभा-क्षेत्र पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा की जनजातीय उप तहसील-

नादनवाडी व सांवरी जिसके अंतर्गत वृहद क्षेत्र आता है। जिसमें निवासरत जनजातीयजनों को अपने अधिकतर राजस्व सम्बन्धी व अन्य मुकदमों के निपटारे हेतु तहसील मुख्यालय जाने के लिए अधिक दूरी की यात्रा करना पड़ता है? क्या उक्त परेशानियों व अन्य समस्याओं का उल्लेख करते हुए स्थानीय विधायक द्वारा उप तहसील नादनबाड़ी व सावरी को उन्नयन कर तहसील बनाने हेतु पत्र शासन/विभाग को प्राप्त हुए है? यदि हाँ, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त उप तहसील को कब तक तहसील में उन्नयन कर दिया जावेगा? (ख) क्या प्रदेश के जिला-पांडुर्णा, छिंदवाड़ा व सिवनी के जनजातीय विकासखण्डों की तहसील में पदस्थ पटवारी एक ही प.हल्का में 04 वर्षों से अधिक अवधि से पदस्थ है? यदि हाँ, तो क्या इन्हें उसी तहसील के अन्य रा.नि.मं.के पटवारी हल्का में पदस्थ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? क्या इस बाबत स्थानीयजनों व जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन/विभाग को पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उस पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) उप तहसील नांदनवाड़ी का कार्यालय वर्तमान में नांदनवाड़ी में ही संचालित है। उक्त उप तहसील भवन में ही नियमित रूप से कार्य संपादित किए जाते हैं। उप तहसील नांदनवाड़ी में नायब तहसीलदार पदस्थ हैं तथा पूर्णकालीक रूप से राजस्व न्यायालय संचालित होता है। अतः क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय पांडुर्णा अथवा अन्य स्थान पर अनावश्यक यात्रा नहीं करनी पड़ती है। सांवरी उप तहसील पांडुर्णा जिले में स्थित नहीं है। जनगणना 2027 हेतु क्षेत्राधिकार परिवर्तन की फ्रीजिंग तिथि दिनांक 31.12.2025 से किसी प्रशासनिक इकाई में क्षेत्राधिकार परिवर्तन अनुमत्य न होने से आगामी कार्यवाही वर्तमान में प्रतिबंधित है। (ख) प्रदेश के जिला पांडुर्णा, छिन्दवाड़ा व सिवनी के जनजातीय विकासखण्डों की तहसील में पदस्थ पटवारी एक ही पटवारी हल्का में 04 वर्षों से अधिक अवधि से पदस्थ है की जानकारी निम्नानुसार है-1.जी हाँ। जिला सिवनी अंतर्गत म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2026 के प्रावधानों पर नियम एवं विचार उपरांत कार्यवाही की गई है। 2.पांडुर्णा जिले में कोई भी जनजातीय विकासखण्ड अधिसूचित नहीं है। जिले में वर्तमान में दो तहसीले पांडुर्णा एवं सोंसर स्थित हैं। एक ही तहसील के अंतर्गत पटवारियों के हल्कों का परिवर्तन समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किये जाते हैं। एक ही तहसील के अंतर्गत पटवारियों के हल्का परिवर्तन की समय सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। 3.जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2026 अनुसार कार्यवाही की चुकी है।

स्कूलों के बैग पॉलिसी की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

57. (क्र. 746) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा 'स्कूल बैग पॉलिसी 2020' के तहत पहली से दसवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए बस्ते का वजन (1.6 से 4.5 किलोग्राम) निर्धारित किए जाने के बावजूद प्रदेश के निजी स्कूल संचालक इस नियम की सरेआम अनदेखी कर रहे हैं और दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 से 8 किलो का भारी बस्ता उठाना पड़ रहा है? (ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों को बैग पॉलिसी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं,

यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में सितंबर 2022, फरवरी 2024 और मार्च 2025 में बार-बार आदेश जारी होने के बाद भी इसका कड़ाई से पालन न हो पाने के क्या कारण हैं? (ग) क्या विभाग के नियमानुसार जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा हर तीन महीने में स्कूलों का औचक निरीक्षण कर बस्तों का वजन जांचने और सप्ताह में एक दिन 'नो बैग डे' लागू कराने का नियम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यदि हाँ, तो निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है? (घ) क्या निजी स्कूल संचालक एनसीईआरटी की सीमित पाठ्य-पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की 10 से 12 अनावश्यक किताबें पढ़ा रहे हैं, जिसने बस्ते का वजन और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूलों के खुलने पर इस मनमानी को रोकने और दोषी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए विभाग क्या ठोस दण्डात्मक कदम उठाने जा रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं (ख) जी हाँ, निर्देशों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं है। (ग) जी, नहीं शेषांश का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्यपत्र दिनांक 02.03.2020 में प्रवधान है शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

निजी अस्पतालों में महंगे दर पर हो रहा इलाज

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

58. (क्र. 747) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में उपयोग होने वाले आवश्यक मेडिकल उपकरणों (जैसे ₹3 की फैक्टरी कीमत वाली सिरिंज ₹30 में और ₹6 का केनुला ₹120 की अत्यधिक खुदरा कीमत पर) को मरीजों को महंगे दाम पर देकर भारी मुनाफाखोरी की जा रही है? (ख) क्या राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में इन जीवन रक्षक उपकरणों, पेसमेकर और हार्ट वाल्व की कीमतों को तर्कसंगत बनाने के लिए कोई राज्य स्तरीय गाइड-लाइन तय की है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? (ग) क्या निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के फाइनल बिल में मेडिकल कंज्यूमबल्स और उपकरणों के नाम पर की जाने वाली इस अत्यधिक वसूली के कारण आमजनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? (घ) प्रदेश के नागरिकों को निजी चिकित्सालयों में सस्ता इलाज उपलब्ध कराने तथा मेडिकल उपकरणों की कीमतों में फैक्टरी मूल्य और खुदरा मूल्य के इस भारी अंतर (मुनाफाखोरी) को नियंत्रित करने के लिए विभाग स्तर पर क्या ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत आवश्यक औषधियों के मूल्यों के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को नहीं अपितु भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नई दिल्ली को है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर शेड्यूल औषधियों की सीलिंग प्राइज के निर्धारण का कार्य किया जाता है। जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपभोक्ता को इस मूल्य से अधिक मूल्य पर औषधियों का विक्रय न हो। सिरिंज अथवा केनुला को मूल्य नियंत्रण की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए उनके मूल्य पर

नियंत्रण नहीं है। (ख) जी नहीं। प्रदेश में निजी अस्पतालों का विनियमन म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियम 1997 (यथा संशोधित) 2021 के स्थापित प्रावधान अनुरूप किया जाता है। जिसके नियम 17 के अनुसूची-2 (ब) अनुसार उपचर्यागृह में उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं के अनिवार्य प्रदर्शन का प्रावधान है। (ग) मेडिकल कंज्यूमबल्स और उपकरणों के दरों के विनियमन हेतु पृथक से प्रावधान निजी अस्पतालों के विनियामक अधिनियम म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियम 1997 (यथासंशोधित) 2021 में उपलब्ध नहीं है। (घ) उत्तर प्रश्नांश (क) के उत्तर में समाहित है।

विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

59. (क्र. 771) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विकासखंड के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या क्या है कितने पद रिक्त हैं? (ख) कितने विद्यालय एकल शिक्षक के भारसे संचालित हो रहे हैं। उन्हें पूर्ण शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (ग) कितने विद्यालयों में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के पद रिक्त हैं? (घ) कितने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु पृथक शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन विद्यालयों में नहीं है उनमें कब तक सुविधा उपलब्ध हो जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) चौरई विकासखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या 1094 है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। अतः रिक्त पदों की संख्या निरंक है। (ख) एकल शिक्षकीय शालाओं में अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। जानकारी निरंक है। (ग) चौरई विकासखण्ड में कुल संचालित विद्यालयों में से विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। अतः जानकारी निरंक है। (घ) छिंदवाड़ा जिले विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत चौरई विकासखण्ड के 02 प्राथमिक एवं 01 माध्यमिक शाला बालक शौचालय ध्वस्त है। इनमें से 02 प्राथमिक शालाओं में नवीन शौचालय वार्षिक कार्य योजना 26-27 में स्वीकृत हुये है। शेष की स्वीकृति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर जानकारी निरंक है।

माचागोरा डैम में पर्यटन विकास की जानकारी

[पर्यटन]

60. (क्र. 772) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में माचागोरा डैम में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी रही है? (ख) क्या शासन माचागोरा डैम को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई कार्य योजना बना रहा है यदि हाँ, तो विवरण दें? (ग) क्या माचागोरा डैम क्षेत्र में पर्यटन निवेश आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP) मॉडल पर विचार किया जा रहा है?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) माचागोरा डैम पर विगत तीन वर्षों में पर्यटकों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:- (1) वर्ष 2023-24- 3000 (2) वर्ष 2024-25-12000, (3) वर्ष 2025-26, 5000 (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।

डॉक्टर्स के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

61. (क्र. 790) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अशोकनगर जिला अस्पताल में मात्र 100 बिस्तर स्वीकृत हैं, जबकि 300 से अधिक मरीज भर्ती रहते हैं? (ख) क्या अशोकनगर जिला अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं संभालने के लिए केवल एक मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध है, जबकि स्वीकृत पद 23 हैं? (ग) क्या यह सत्य है कि अशोकनगर जिला अस्पताल, ईसागढ़ अस्पताल एवं चंदेरी अस्पताल में कुल स्वास्थ्य स्टाफ मात्र 10 प्रतिशत ही कार्यरत है और अत्यधिक मरीजों की सेवा कर रहा है? हाल ही में जारी ट्रांसफर लिस्ट में इन अस्पतालों से और भी डॉक्टरों के स्थानांतरण के कारण इनकी स्थिति और अधिक खराब हो गई है, क्या सरकार इसकी जानकारी रखती है? अशोकनगर जिले के साथ-साथ ईसागढ़, चंदेरी आदि क्षेत्रों के मरीज इन तीनों अस्पतालों में डॉक्टरों एवं स्टाफ की भारी कमी के कारण भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं? (घ) इन तीनों अस्पतालों (अशोकनगर जिला अस्पताल, ईसागढ़ अस्पताल एवं चंदेरी अस्पताल) में रिक्त पड़े डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के पदों पर तत्काल नियुक्ति/पोस्टिंग करने का क्या प्रस्तावित समय-सारणी है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, वर्तमान में जिला अस्पताल अशोकनगर में कुल 200 बिस्तर स्वीकृत हो कर उपलब्धता के आधार पर कुल 356 बिस्तर संचालित है। रोगियों की माहवार भर्ती की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जी नहीं, वर्तमान में जिला चिकित्सालय अस्पताल में 24 घंटे एमरजेन्सी सेवाएं प्रदायगी हेतु कुल 02 नियमित चिकित्सा अधिकारी, 03 संविदा चिकित्सा अधिकारी, 01 संलग्नित चिकित्सा अधिकारी एवं 01 बंध पत्रक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध है तथा 24 घंटे ऑनकाल आकस्मिक सेवा प्रदायगी हेतु कुल 17 विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध है। जी नहीं, राज्य स्तरीय मानक वर्ष 2024 के आलोक में जिला चिकित्सालय अशोक नगर में कुल चिकित्सा अधिकारी के 13 पद स्वीकृत है। (ग) राज्य स्तरीय मानक वर्ष 2024 के आलोक में जिला चिकित्सालय अशोकनगर में 102.6 प्रतिशत, सिविल अस्पताल ईसागढ़ में 64.28 प्रतिशत तथा सिविल अस्पताल चंदेरी 55.36 प्रतिशत स्वास्थ्य स्टाफ (नियमित एवं संविदा) कार्यरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। जी नहीं, वर्तमान में संपादित स्थानांतरण प्रक्रिया में जिला चिकित्सालय अशोकनगर से कुल 02 चिकित्सकों, अधिकारी का स्थानांतरण किया गया था, जिसमें से 01 चिकित्सा अधिकारी के स्थानांतरण का निरस्तीकरण किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है तथा निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मत्स्य पालन विभाग अंतर्गत कार्यों की जानकारी

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

62. (क्र. 798) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिला अन्तर्गत अप्रैल 2023 से प्रश्न दिनांक तक मत्स्य पालन विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य किस मद एवं योजना से स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने कार्य पूर्ण किये गये हैं? सभी की वर्षवार, कार्यवार, हितग्राही के नाम एवं पता सहित जानकारी दें। (ख) किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है, कितनी राशि शेष हैं? कार्यवार विस्तृत जानकारी दें। (ग) किस-किस कार्य का भौतिक सत्यापन एवं भुगतान कब-कब किया गया था?

राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास (श्री नारायण सिंह पंवार) : (क) अशोकनगर जिला अंतर्गत अप्रैल 2023 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार, कार्यवार हितग्राही के नाम एवं पता संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) स्वीकृत समस्त कार्यों पर अनुदान राशि व्यय की गई है। कोई राशि शेष नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं उपयंत्री से मूल्यांकन उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

भारत से बाहर मेडिकल की पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

63. (क्र. 819) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दिनांक 6 मार्च 2026 को भारत से बाहर मेडिकल की पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो चीन से 2019 बैच में एमबीबीएस किए विद्यार्थियों को जिन्होंने ऑनलाइन क्लास की प्रतिपूर्ति विशेष कक्षाओं के माध्यम से की हो व भारतीय दूतावास से वेरीफाई करवाया हो एवं एफएमजीई उत्तीर्ण की हो तो इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी? (ग) क्या एनएमसी की गाईडलाईन में 2020 के पूर्व नेपाल, बंगलादेश व चीन से इंटरनशीप किए गए विद्यार्थियों की इंटरनशीप को मान्य कर उन्हें भारत में इंटरनशीप से मुक्त किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो ऐसे कितने विद्यार्थियों का मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रेशन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? रजिस्ट्रेशन में कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है? रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बताने का कष्ट करें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाईन दिनांक 06/03/2026 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा डायरेक्ट परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हेतु परिषद द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25/06/2024 एवं आदेश दिनांक 05/06/2026 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी एडवायजरी दिनांक 30/07/2020 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (घ) 61 छात्रों को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन जारी किया

गया है। परिषद द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25/06/2024 एवं आदेश दिनांक 05/06/2026 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन संबंधित संस्थानों से प्राप्त होने के उपरांत परमानेंट पंजीयन जारी किया जाता है। अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।

आयुष्मान कार्ड योजना से लाभान्वित मरीजों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

64. (क्र. 837) श्री बिसाहलाल सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में आयुष्मान कार्ड से ईलाज की सुविधा देने वाले कौन-कौन से शासकीय एवं निजी चिकित्सालय चिन्हित किये गये हैं? सूची उपलब्ध करावे। (ख) जिला अनूपपुर के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के कितने मरीजों को आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क ईलाज का लाभ मिला है? (ग) जिला अनूपपुर अंतर्गत कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ के मरीजों को जिले में संचालित आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्राप्त चिकित्सालयों द्वारा कितने मरीजों को लाभ पहुँचाया गया है? मरीजवार सूची बद्ध जानकारी उपलब्ध करावे। (घ) आयुष्मान कार्ड से जिले के विधानसभा क्षेत्र कोतमा, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ के कितने आयुष्मान कार्डधारियों को लाभ मिल सका है तथा उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है? चिकित्सालयवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावे।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। लाभार्थी मरीजों का नाम, बीमारी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर की जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण दी जाना संभव नहीं है। (घ) जिला अनुपपूर में योजनांतर्गत संबद्ध चिकित्सालयों द्वारा कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ अंतर्गत उपचारित मरीजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का क्रियान्वयन

[जल संसाधन]

65. (क्र. 838) श्री बिसाहलाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में सिंचाई योजना कहां-कहां संचालित है, जिला अनुपपुर में अब तक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में कितनी भूमि सिंचित हो रही है तथा इसके लिये भारत सरकार से कितनी राशि आवंटित हुई है विगत 3 वर्षों की जानकारी विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत जिले के कितने कृषकों को सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त है तथा कृषक कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लाभ लेकर फसल उत्पादन कर रहे हैं? इस योजना के लिये कृषकों के चयन की प्रक्रिया क्या है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत कृषकों को सिंचाई योजना का लाभ पहुंचाने का क्या प्रावधान तैयार किया गया है तथा कृषकों को उक्त योजना का लाभ कैसे मिलता है? (घ) अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र सहित प्रश्न दिनांक तक

कितने कृषकों को उक्त योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया है तथा उन्हें कौन-कौन सी अनुदान योजना का लाभ दिया जा चुका है, स्वीकृत एवं वितरित अनुदान का वर्षवार विवरण दे? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार कृषकों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत प्रदान की गई अनुदान की स्वीकृति एवं वितरित राशि व सामग्री का विभाग द्वारा वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। राशि रु. 4428.32 लाख आवंटित हुई है, विवरण संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) जी नहीं। योजनाओं से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर कृषकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) विवरण संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। कृषकों को किसी भी प्रकार की अनुदान योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान विभाग में नहीं होना प्रतिवेदित है। (ड.) प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किसी भी प्रकार की अनुदान राशि व सामग्री वितरण किये जाने का प्रावधान नहीं होना प्रतिवेदित है। अतः शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चउवन"

सीमांकन विवादों का निराकरण

[राजस्व]

66. (क्र. 843) **श्री भंवर सिंह शेखावत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में भूमि सीमांकन के अधिकांश कार्य आज भी पारंपरिक जरीब पद्धति से किए जा रहे हैं, जिसके कारण सीमांकन विवाद एवं न्यायालयीन प्रकरण बढ़ रहे हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में, कृषक हितों की सुरक्षा, सीमांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा विवादों के स्थायी निराकरण के उद्देश्य से क्या शासन प्रदेश की प्रत्येक तहसील एवं नायब तहसील स्तर पर आधुनिक जी.एन.एस.एस. (GNSS) रोवर उपलब्ध कराने की कोई योजना संचालित कर रहा है? यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण, समय-सीमा एवं वित्तीय प्रावधान बताएं। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में, वर्तमान में प्रदेश में कितनी तहसील एवं नायब तहसील न्यायालय कार्यरत हैं? इनमें से कितनी तहसीलों एवं नायब तहसीलों में रोवर उपलब्ध है तथा कितनी इकाइयाँ अभी भी इससे वंचित हैं? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के सन्दर्भ में, रोवर उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक सभी तहसीलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी नहीं। प्रदेश में भूमि सीमांकन का कार्य अब केवल पारंपरिक जरीब पद्धति पर निर्भर नहीं है। वर्तमान में शासन द्वारा सीमांकन कार्य में सटीकता और गति लाने के लिए ई.टी.एस. (Electronic Total Station) मशीनों तथा आधुनिक जी.एन.एस.एस. (GNSS) रोवर तकनीक का भी उपयोग मैदानी स्तर पर किया जा रहा है। अतः यह कहना पूर्णतः सही नहीं है कि केवल जरीब पद्धति के कारण सीमांकन विवाद या न्यायालयीन प्रकरण बढ़ रहे हैं। (ख) जी हाँ। कृषकों के हितों की सुरक्षा, सीमांकन कार्य में पारदर्शिता और विवादों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में CORS (Continuously Operating Reference Stations)

नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश की तहसीलों में आधुनिक जी.एन.एस.एस. (GNSS) रोवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह कार्य डी.आई.एल.आर.एम.पी. (DILRMP - Digital India Land Records Modernization Programme) एवं विभागीय बजट प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। उपकरणों का क्रय एवं वितरण एक सतत् प्रक्रिया है। (ग) प्रदेश में वर्तमान में कुल 486 तहसील एवं 743 नायब तहसील न्यायालय कार्यरत हैं। प्रदेश के जिलों में सीमांकन कार्य हेतु वर्ष 2022 में 60 रोवर प्रदाय किये गए हैं जिसका क्रियान्वयन जिलों में रोस्टर बना कर किया जाता है तथा नगरीय कार्य के लिए वर्ष 2026 में 43 रोवर प्रदाय किये गए हैं। जिलेवार विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में, रोस्टर अनुसार तहसीलों में रोवर उपलब्ध कराए जाते हैं, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा मांग के अनुसार जेम (GeM) पोर्टल/निविदा के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जाती है। चूँकि उपकरणों का क्रय एवं वितरण तकनीकी आवश्यकताओं और बजट की उपलब्धता पर निर्भर एक सतत् प्रक्रिया है, किन्तु शासन प्रदेश की सभी राजस्व इकाइयों को इस तकनीक से शीघ्र लैस करने हेतु संकल्पित है।

परिशिष्ट - "पचपन"

मठ-मंदिरों के पुजारियों का मानदेय भुगतान एवं नियुक्ति की जानकारी

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

67. (क्र. 846) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिला अंतर्गत धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अधीन संचालित मठों एवं मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? इनमें से कितने मठ-मंदिरों में नियमित पुजारी नियुक्त हैं तथा कितने मंदिर बिना पुजारी के संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में, क्या समस्त नियुक्त पुजारियों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो वर्तमान मानदेय दर एवं विगत तीन वर्षों में किए गए भुगतान का विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में, क्या यह सत्य है कि धार जिले के अनेक पुजारियों का मानदेय लंबित है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक लंबित राशि कितनी है, कितने पुजारी प्रभावित हैं तथा भुगतान लंबित रहने के कारण क्या हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के सन्दर्भ में, पुजारियों की आजीविका एवं आर्थिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लंबित मानदेय का भुगतान कब तक किया जाएगा? साथ ही क्या शासन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि, नियमित भुगतान व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोई नई योजना लागू करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) धार जिले में शासन संधारित मंदिरों की कुल संख्या 1199 है। जिनमें से कुल 563 मंदिरों में नियमित पुजारी नियुक्त है तथा शेष 636 मंदिरों में शासन द्वारा पुजारी नियुक्त नहीं है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छप्पन"

भूमि का नामांतरण समय सीमा में करना

[राजस्व]

68. (क्र. 851) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से भूमि (खसरा सम्पूर्ण रकबा) की रजिस्ट्री (विक्रय पत्र) होते ही RCMS Portal में नामांतरण हेतु स्वतः ही प्रकरण दर्ज हो जाता है और दर्ज नामांतरण आवेदन पत्र व अन्य प्रपत्र पावती क्रेता के वाट्सअप व ई-मेल पर विभाग द्वारा भेज दी जाती है मध्यप्रदेश रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) साइबर तहसील के माध्यम से नामांतरण होना होता है परन्तु बहुत सारे भूमि के नामांतरण प्रकरण सायबर तहसील RCMS Portal डेशबोर्ड में लम्बित होते हैं परन्तु भौतिक रूप से संबंधित तहसीलदार के न्यायालय (ID) में प्राप्त नहीं होते और पटवारी की आईडी में भी प्रदर्शित नहीं होते जिसके कारण नियमों का हवाला देकर प्रकरण अस्वीकार कर दिया जाता है और भूमि का नामांतरण सायबर तहसील के माध्यम से नहीं हो पाता जबकि इसमें आवेदक की कोई गलती नहीं होती Portal/विभाग की समस्या के कारण आवेदक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है उपरोक्त संबंध में कब तक विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुये समस्या का समाधान कर दिया जायेगा? (ख) सायबर तहसील के माध्यम से भूमि नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण 15 से 30 दिवसों के भीतर किया जाना होता है परन्तु बहुत सारे प्रकरण कई दिनों तक लम्बित रहते हैं क्यों नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से RCMS पोर्टल पर भूमि (खसरा सम्पूर्ण रकबा) के नामांतरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है इसमें भौतिक रूप से प्रकरण संबंधित साइबर तहसीलदार को नहीं भेजा जाता है ना ही पटवारी को पटवारी प्रतिवेदन हेतु मेमो भौतिक रूप से भेजा जाता है। साइबर तहसील के माध्यम से नामांतरण आवेदन दर्ज होने से लेकर आदेश और अमल तक पूर्णतः ऑनलाइन है। नियमों का हवाला देकर प्रकरण अस्वीकार करने की सुविधा साइबर तहसीलदार को उनके लॉगिन पर उपलब्ध ही नहीं है। प्रकरण में यदि पटवारी का नकारात्मक प्रतिवेदन या किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति दर्ज की जाती है तो प्रकरण स्वतः ही क्षेत्रीय तहसीलदार को स्थानांतरित हो जाता है और प्रकरण क्षेत्रीय तहसील कार्यालय से नियमानुसार निष्पादित किया जाता है। अतः पोर्टल/विभाग की कोई समस्या नहीं है जिसके कारण आवेदक को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता हो। (ख) राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं प्रचलित प्रावधानों के अनुसार साइबर तहसील के माध्यम से नामांतरण प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आज दिनांक तक 15-22 दिवसों के भीतर ही नामांतरण कर दिया जाता है। समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तथा नियमित समीक्षा भी की जाती है।

राजस्व ग्रामों की भूमियों के नक्शा विहीन ग्रामों की जानकारी

[राजस्व]

69. (क्र. 859) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों की भूमियों के नक्शे राबूद हो जाने के कारण किसानों को

उनकी भूमियों के सीमांकन, बंटवारे आदि कार्य प्रभावित रहने की दशा में नक्शा विहीन ग्रामों के नवीन नक्शा बनवाये जाने की प्रक्रिया शासन स्तर में क्या प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण करा ली जावेगी, समयावधि निर्धारित कर जानकारी दी जावे। नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में मैहर तहसील के कितने ग्रामों के नक्शे नवीन रूप में बनवाये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है और कितने ग्रामों की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना शेष है, ग्रामों के नामवार पटवारी हल्कावार जानकारी दी जावे।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) नक्शा विहीन ग्रामों के नवीन नक्शे बनाए जाने की प्रक्रिया सर्वे नियम 2020 में लिखित है पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार वृहद स्वरूप की होने से नियमानुसार प्रक्रिया की जाएगी। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में तहसील मैहर अंतर्गत ग्राम आमातारा, जरियारी, जुड़वानी, बुढ़ेरूआ, हिनौताकला, भैंसासुर, पचौंहा, बम्हनी, मउ, मांद, लेदरी, सलैयाकाप, ढबरई, बैहार, मनौरा, मोहरवा, करौंदी उपाध्याय/दुबे, सगमनिया कुल 18 ग्रामों के नक्शा नवीनीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन था। जिसमें से ग्राम बम्हनी, मांद, पचौंहा, सगमनिया, मोहरवा, जुड़वानी, आमातारा, हिनौताकला, लेदरी, भैंसासुर, मनौरा, ढबरई कुल 12 ग्राम के नक्शों का डिजिटाइजेशन MPSEDC द्वारा किया जा चुका है। ग्राम मऊ, सलैयाकाप का मिलान पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा करा लिया गया है। शेष ग्राम बैहार, जरियारी, करौंदी उपाध्याय/दुबे एवं बुढ़ेरूआ कुल 04 ग्राम टेसर द्वारा ट्रेस कराकर हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक से मिलान कराया जा रहा है। मैहर तहसील के किसी भी नक्शा विहीन ग्राम की नवीन नक्शे बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना शेष नहीं है।

स्थानांतरण आदेश का पालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

70. (क्र. 890) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्र. 853 दि. 04.12.2025 के उत्तरांश (क) उत्तर में बताया गया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के निराकरण तक माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, लेकिन स्थगन आदेश में सक्षम अधिकारी द्वारा निराकरण का उल्लेख है, तो विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा इसका निराकरण क्यों नहीं किया गया? इस अधिकारी का नाम, पदनाम दें। (ख) न्यायालयीन आदेश को कारण बताकर प्रकरण को लंबित क्यों रखा गया जबकि आदेश में सक्षम अधिकारी (विभाग) को प्रकरण सौंप दिया गया था इसको स्पष्ट करें। इस प्रकरण को विभागीय अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के चलते लंबित रखने पर उन पर कब तक कार्यवाही होगी? (ग) जिला देवास से प्रकरण भोपाल प्रेषित हुए कितना समय हो गया जानकारी दें। इतने समय पश्चात भी इस पर निर्णय न लेकर लंबित रखने वाले भोपाल स्तरीय अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बताने कि इस पर उनके खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाएगी? इस पर निर्णय की समयावधि दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 853 दिनांक 04.12.2025 के उत्तरांश (क) उत्तर में बताया गया है कि याचिकाकर्ता के

अभ्यावेदन के निराकरण तक माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया था। श्रीमती सपना राठौर का अभ्यावेदन संचालनालय के आदेश क्रमांक 275 दिनांक 11.07.2026 द्वारा अमान्य किया गया है। आदेश की प्रति **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार।** विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। **(ग) यह प्रकरण जिला देवास से एक वर्ष पूर्व प्राप्त हो गया था। शेष उत्तरांश (ख) अनुसार।**

परिशिष्ट - "सत्तावन"

निजी भूमि पर से अवैध कब्जा

[राजस्व]

71. (क्र. 891) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजपुर तहसील कार्यालय जिला बड़वानी में प्रार्थी नुरला पिता टुकड़या निवासी घुसगांव तहसील राजपुर जिला बड़वानी के मामला क्रमांक 0002/अ-70/सन 2026-27 प्रकरण में प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण देंगे। **(ख)** इस प्रकरण से संबंधित कितने पत्र किन-किन कार्यालयों से राजपुर/बड़वानी स्थित कार्यालयों को प्राप्त हुए? उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी उत्तर दिनांक के संदर्भ में पत्रवार देंगे। **(ग)** प्रार्थी की निजी भूमि पर से कब तक कब्जा हटा दिया जाएगा? समय-सीमा देंगे। यदि नहीं तो अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षण देने का कारण बतावें। इन संरक्षणकर्ताओं अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : **(क)** जिला बड़वानी तहसील राजपुर में उक्त प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये जाकर जवाब तलब किया जाकर प्रकरण तर्क हेतु नियत है। **(ख)** निरंक। **(ग)** विषयांतर्गत प्रकरण प्रचलित होने से शेष जानकारी निरंक है।

नामांतरण, बटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरण

[राजस्व]

72. (क्र. 907) श्री विष्णु खत्री : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तहसील बैरसिया में नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, नक्शा बटांकन, रास्ता विवाद एवं कब्जे से संबंधित कितने प्रकरण लंबित हैं? जानकारी उपलब्ध कराये। इन प्रकरणों के लंबित होने का क्या कारण है? **(ख)** इन लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विभाग की क्या कार्य योजना है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : **(क)** तहसील बैरसिया में लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार हैं:- (1.) नामांतरण - 1415 (2.) बटवारा - 296 (3.) सीमांकन - 1051 (4.) नक्शा बटांकन - 470 (5.) रास्ता विवाद - 53 6. धारा 250 (कब्जे) 298 उक्त सभी प्रकरण निराकरण की नियत समय सीमा अवधि में है जो पक्षकारों के उत्तर साक्ष्य सहमति सीमांकन प्रतिवेदन के कारण लंबित है। **(ख)** उक्त सभी प्रकरण समय-सीमा में होने से प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

[जल संसाधन]

73. (क्र. 910) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में विगत तीन वर्षों में किस-किस जाति के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र से नौकरी करने वाले कितने लोगों को चिन्हित किया गया है, किनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रचलित है, किन के विरुद्ध किन कारणों से कार्यवाही प्रचलित नहीं है? सूची सहित बतावें। (ख) राज्य शासन की जानकारी में किस-किस जाति के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र धारकों की कितनी संख्या है? किस प्रक्रिया में किस दिनांक को इनके जाति प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये हैं? फर्जी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों एवं बनवाने वालों के विरुद्ध किन-किन नियमों में कार्यवाही करने का प्रावधान है? क्या आवश्यक दस्तावेज की जांच किये बिना जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) परि. अता. प्रश्न संख्या 164 (प्र.क्र. 2907) दिनांक 24.03.2025 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर में शासन द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जल संसाधन संभाग अनूपपुर में कार्यरत श्री जीवनलाल नंदा ने कूटरचना कर अनु. जनजाति (मांडी) के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 3.4.1995 को जल संसाधन विभाग में उपयंत्री (नागरिक) के पद पर फर्जी नियुक्ति प्राप्त की थी? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में कार्यवाही हेतु मंत्री जल संसाधन विभाग एवं आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को पत्र लिखा था? तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला अनूपपुर में विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण-पत्र से नौकरी करने वाले एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया है, आयुक्त जनजाति कार्य (राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति भोपाल म.प्र. को कार्यालयीन पत्र दिनांक 04-07-2025 द्वारा कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं दिनांक 21-07-2025, 08-09-2025, 04-11-2025 एवं 19-06-2026 से प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।** (ख) आयुक्त, जनजाति कार्य (राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति छानबीन समिति भोपाल म.प्र. में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के कुल 17 प्रकरण है, जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। शेष प्रश्न जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है। (ग) जी हाँ। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग का पत्र अप्राप्त है। आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।

लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाना

[जल संसाधन]

74. (क्र. 911) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में कितने लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट विगत 5 वर्ष में स्वीकृत होकर कार्य शुरू हुये है? उनके नाम पूर्ण तथा प्रगतिरत रिमार्क सहित, लागत मूल्य तथा अभी तक व्यय एवं तहसीलवार प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त करने वाले ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) अनूपपुर जिले में

स्वीकृत लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिये प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) अनूपपुर जिले में 'बघियार माइक्रो उद्वहन (उद्वहन) सिंचाई योजना' एवं अपर नर्मदा परियोजना की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अनूपपुर जिले में वर्तमान में कोई भी स्वीकृत/निर्माणाधीन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अनूपपुर जिले में बघियार माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का प्रस्ताव, जल संसाधन विभाग अथवा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत विचाराधीन होना नहीं पाया गया है। अपर नर्मदा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु.1482.96 करोड़ की दिनांक 05/08/2021 को प्रदाय की जा चुकी है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

चेक पोस्ट पर पारदर्शी व्यवस्था लागू किया जाना

[परिवहन]

75. (क्र. 915) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चेक पोस्ट जिन्हें 1/7/24 से बंद किया, उनमें 30/6/22 से 30/6/24 तक रोककर चेकिंग किये वाहन, मोटरयान, कार तथा शमन शुल्क वसूले वाहन की संख्या, वसूला गया कुल मोटरयान कर और शमन शुल्क की माह अनुसार वर्ष अनुसार प्रत्येक चेक पोस्ट अनुसार जानकारी दें। (ख) 45 रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट पर 12/7/24 से 12/6/26 तक चेकिंग किये वाहन, मोटरयान कर तथा शमन शुल्क वसूली वाहन की संख्या, मोटरयान कर कुल राशि तथा शमन शुल्क की कुल राशि की माह अनुसार, वर्ष अनुसार, चेकिंग पॉइंट अनुसार, जानकारी दें। (ग) क्या चेक पोस्ट पर हो रही अव्यवस्था को समाप्त कर, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए बंद कर चेक पॉइंट बनाए गए? यदि हाँ, तो क्या अव्यवस्था कब से हो रही थी तथा पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए क्या किया गया? (घ) क्या चेक पोस्ट के संसाधन, व्यवस्था, वही है तथा सिर्फ नाम बदलकर चेक पॉइंट कर दिया गया है? अव्यवस्था कैसे दूर हुई और पारदर्शी व्यवस्था कैसे लागू हुई? विस्तार से जानकारी दें। (ङ.) समस्त बंद चेक पोस्ट पर 30/6/24 को कार्यरत समस्त कर्मचारी तथा संसाधन, भवन, भूमि, अन्य साधन एवं व्यवस्था की सूची तथा 12/7/24 को समस्त चेक पॉइंट पर कर्मचारी, भवन, भूमि व अन्य साधन एवं व्यवस्था की सूची दें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01.07.2024 से चैकपोस्टों का संचालन बंद किया गया है। तत्समय संचालित 45 चैक पोस्टों द्वारा दिनांक 30.06.2022 से 30.06.2024 तक चैकिंग किये गये वाहनों की संख्या, चालान संख्या, वसूला गया मोटरयान कर एवं शमन शुल्क की माहवार जानकारी के पत्रक चैकपोस्ट अनुसार, पृथक-पृथक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन जानकारी के पत्रक चैकपॉइंट अनुसार, पृथक-पृथक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) जी हाँ। परिवहन चैकपोस्ट बंद कर नवीन रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट शासन के आदेशानुसार संचालित किये जा रहे हैं। चैकिंग कार्यवाही को पारदर्शी बनाए जाने हेतु विभाग द्वारा चैकिंग अमले को वॉडीवार्न कैमरे, आनॅलाइन चालान हेतु पीओएस मशीन, स्पीड रडारगन इत्यादि अन्य रोड सेफ्टी उपकरण प्रदाय

किये जाकर कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किये गये हैं। (घ) पूर्व में चैकपोस्ट राज्य की सीमाओं पर स्थायी रूप से स्थापित थे जहां समस्त वाहनों को चैकिंग हेतु रोका जाकर चैकिंग तथा चालानी कार्यवाही की जाती थी, जबकि वर्तमान चैकपाइंट की अवधारणा में अन्य राज्य को जाने वाले राजमार्ग पर प्रवर्तन अमले द्वारा अलग-अलग स्थानों पर वाहनों को रैण्डमली रोका जाकर चैकिंग/चालानी कार्यवाही की जाती है इससे राजमार्ग का शेष ट्रैफिक संचालन बाधित नहीं होता है। चैकिंग कार्यवाही को पारदर्शी बनाए जाने हेतु विभाग द्वारा चैकिंग अमले को वॉडीवार्न कैमरे, आनलाइन चालान हेतु पीओएस मशीन, स्पीड रडारगन इत्यादि एवं अन्य रोड सेफ्टी उपकरण प्रदाय किये गये हैं जिनकी कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

बरगी डैम में संचालित क्रूज की जानकारी

[पर्यटन]

76. (क्र. 916) श्री प्रताप गेवाल : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी डैम में संचालित क्रूज किस वर्ष में खरीदे गए थे? खरीदी के क्या नियम शर्त थी व क्रूज में क्या-क्या तकनीकी स्पेसिफिकेशन, मांगा गया था? दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ख) क्रूज में सफर करने वाले पर्यटकों के लिए क्या-क्या सुरक्षा मानक तय किए गए थे? बरगी डैम संचालित सभी क्रूज में सफर करने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा उपकरण कब-कब खरीदे गए तथा कितनी कीमत के खरीदे गए से संबंधित टेंडर, कोटेशन एवं बिलों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) बरगी में क्रूज संचालन से संबंधित क्या-क्या दस्तावेज संधारित किये गए? किस उद्देश्य से संधारित किए गए? 2015 से क्रूज के संचालन रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, स्टॉफ और अन्य पर क्या-क्या व्यय किये गए? वर्षवार व मदवार कितना खर्च हुआ, से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करावें? (घ) क्रूज में कौन से ईंधन का उपयोग किया गया? क्रूज पर एक राउंड पर्यटक को घुमाने पर कितना ईंधन खर्च होता है व क्रूज का कितना एवरेज है? वर्ष 2025 से जून 2026 तक की लोग बुक उपलब्ध करावें। (ड.) क्रूज में मौसम से संबंधित जानकारी देने व खराब मौसम की चेतावनी देने के लिए कौन-कौन से उपकरण लगे हुए थे? क्रूज की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कराने का कार्य किन-किन अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा है? जानकारी दें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) बरगी में संचालित क्रूज वर्ष 2006 एवं 2007 में क्रय किये गये थे। खरीदी के संबंध में नियम शर्तें, तकनीकी स्पेसीफिकेशन दस्तावेज संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख) मौसम (ग्रीष्म/मानसून) ऋतु अनुसार जारी सुरक्षा मानक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। सुरक्षा उपकरण लाईफ जॉकेट एवं रेस्क्यू बोट क्रय संबंधी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार। (ग) बरगी में क्रूज संचालन से संबंधित सवारियों की संख्या, क्रूज के फेरों की संख्या, मरम्मत, माइलेज एवं व्यय की जानकारी हेतु लॉगबुक संधारित की जाती है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार। (घ) क्रूज में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है। औसतन एक राउंड में 7 से 8 लीटर डीजल का उपयोग होता है। वर्ष 2025 से अप्रैल 2026 तक की लॉगबुक की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार। दुर्घटना उपरान्त 01 मई, 2026 से आज दिनांक तक बरगी

डैम में क्रूज का संचालन बंद है। (ड.) क्रूज पर मौसम संबंधी जानकारी हेतु Public Address System उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त मौसम की संबंधित जानकारी गूगल सर्च इंजन (इन्टरनेट), न्यूज पेपर, रेडियो, FM, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान weather forecast app इत्यादि के माध्यम से होती है। क्रूज की रिपेरिंग एवं मेटेनेंस का कार्य पायलेट की देख रेख में होता है जिसका अनुमोदन क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय द्वारा दिया जाता है।

प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के transition rate एवं सामाजिक अंकेक्षण

[स्कूल शिक्षा]

77. (क्र. 918) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर transition rate क्या है? प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर कम संक्रमण दर वाले जिलों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह transition rate हमारे लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं तथा राष्ट्र स्तर पर transition rate में हम कौन से स्थान पर हैं? (ग) क्या सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? drop out बच्चों के लिए शासन की कौन-कौन सी योजना वर्तमान में काम कर रही है? (घ) PARAKH 2024 मूल्यांकन में मध्यप्रदेश के भाषा गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में प्राप्त औसत अंक क्या हैं? राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार है। (ख) नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"2" अनुसार है। (ग) जी हाँ। समग्र आई.डी. के माध्यम से ड्रॉपआउट बच्चों को चिन्हित कर चाइल्ड ट्रेकिंग के माध्यम से शाला में नामांकन हेतु कार्यवाही की जा रही है इसके अतिरिक्त ओपन स्कूल एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"3" अनुसार है। राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य द्वारा परख में प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षकों का प्रशिक्षण निरंतर मॉनिटरिंग शैक्षिक संवाद खेल आधारित टी.एल.एम. जिज्ञासु किट आदि प्रदान कर इसे प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया है।

नामांतरण के प्रकरणों की जानकारी

[राजस्व]

78. (क्र. 921) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत राजस्व विभाग के विभिन्न तहसीलों में ऐसे कितने नामांतरण प्रकरण लंबित हैं, जिनमें आवेदकों द्वारा भूमि क्रय कर नामांतरण आदेश प्राप्त कर लिया गया है, किन्तु उसकी प्रविष्टि भू-अभिलेख/कम्प्यूटर रिकार्ड में अद्यतन नहीं की गई है? तहसीलवार एवं ग्रामवार ऐसे लंबित प्रकरणों की संख्या कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे प्रकरण कितने समय से लंबित हैं तथा लंबित रहने के क्या कारण हैं? कम्प्यूटर रिकार्ड में प्रविष्टि न होने के कारण प्रभावित हितग्राहियों को होने वाली समस्याओं के संबंध में शासन के संज्ञान में कितनी शिकायतें

प्राप्त हुई हैं? (ग) लंबित प्रविष्टियों को पूर्ण करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा इन्हें कब तक अद्यतन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जिला जबलपुर अंतर्गत राजस्व विभाग के विभिन्न तहसीलों में ऐसे 724 नामांतरण प्रकरण लंबित हैं, जिनमें आवेदकों द्वारा भूमि क्रय कर नामांतरण आदेश प्राप्त कर लिया है, किन्तु उसकी प्रविष्टि भू-अभिलेख/कम्प्यूटर रिकार्ड में अद्यतन नहीं है। तहसीलवार एवं ग्रामवार ऐसे लंबित प्रकरणों की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कुल 724 प्रकरण 01 माह से 03 माह तक लंबित है। लंबित प्रकरणों का आदेश अनुपालन तकनीकी कारणों से लंबित है तथा साइबर तहसील में प्रकरण लंबित होने के कारण आदेश का अनुपालन संभव नहीं हो पा रहा है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 115 अंतर्गत कम्प्यूटर रिकार्ड में प्रविष्टि सुधारना एक न्यायालयीन प्रक्रिया है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में पंजीबद्ध होता है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।

पंजीकृत संस्थानों की जानकारी

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

79. (क्र. 922) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र में कितने मंदिर, मठ एवं धार्मिक संस्थान पंजीकृत हैं? उनकी ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मंदिरों एवं धार्मिक संस्थानों के विकास, मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण हेतु कितनी राशि विगत 5 वर्षों में स्वीकृत एवं व्यय की गई? (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अधीन कितने पुजारियों/सेवकों को मानदेय दिया जा रहा है? इनका मानदेय क्या है? (घ) क्या बरगी विधानसभा क्षेत्र के किसी धार्मिक स्थल के जीर्णोद्धार, पर्यटन विकास या सुविधाओं के विस्तार हेतु कोई योजना स्वीकृत है? यदि हाँ, तो उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीबद्ध मंदिर, मठ एवं धार्मिक संस्थान की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

80. (क्र. 924) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक संचालित समस्त शासकीय विद्यालयों की विकासखण्डवार एवं विद्यालयवार नाम एवं स्थान सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं। उनमें से कितने पद भरे हुए एवं कितने रिक्त हैं? विद्यालयवार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) जिले में ऐसे कितने शासकीय विद्यालय हैं जो शिक्षक विहीन हैं अथवा जिनमें केवल एक ही शिक्षक पदस्थ है? ऐसे विद्यालयों की सूची, विद्यार्थियों की संख्या एवं वर्तमान में की गई वैकल्पिक व्यवस्था की

जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) समस्त शासकीय विद्यालयों में भवन, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, खेल मैदान एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की विद्यालयवार स्थिति क्या है? (ङ.) रिक्त पदों की पूर्ति एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा यह कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ङ.) माध्यमिक शिक्षकों के विषयमान से एवं प्राथमिक शिक्षक खेल नृत्य, गायन वादन की चयन सूची से नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। शिक्षक विहीन विद्यालयों में समीपस्थ शाला में पदस्थ शिक्षकों को शिक्षक विहीन शालाओं में शैक्षणिक कार्य करने के निर्देश दिये जाकर एवं अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नहरों का निर्माण कार्य की प्रगति

[जल संसाधन]

81. (क्र. 926) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले की मुहाल माइनर परियोजना का निर्माण कार्य वर्तमान में कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य कौन-कौन से स्थानों पर लंबित है? (ख) मुहाल माइनर मुख्य नहर से निकाली जाने वाली वितरक नहरों/माइनरों का नामवार विवरण एवं उनकी वर्तमान निर्माण स्थिति क्या है? (ग) जिन माइनरों एवं संबंधित निर्माण कार्यों को अब तक पूर्ण नहीं किया गया है, उनके लंबित रहने के कारण क्या हैं? (घ) मुहाल माइनर एवं उससे संबंधित समस्त वितरक नहरों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? समय-सीमा बतावें। (ङ.) परियोजना के पूर्ण होने पर हरदा जिले के कितने ग्राम एवं कितने हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी तथा वर्तमान में कितने ग्राम एवं कितने क्षेत्र को इसका लाभ मिल रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) मुहाल माइनर का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा आर 1 माइनर में चै.क्र. 68 से 88 तक शेष है। एल-1 माइनर में चै.क्र. 29 से 45 तक शेष है तथा मुख्य शाखा में चै.क्र. 190 से 215 तक शेष होना प्रतिवेदित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मुहाल माइनर का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में स्वीकृत हुआ था। जिसके उपरांत कोविड-19 महामारी के कारण प्रथम निविदा निरस्त होने के पश्चात् निविदा का पुनः आमंत्रण दिनांक 17-03-2023 को निष्पादित किया गया। मुहाल माइनर में भू-अर्जन की कार्यवाही में अधिक समय लगने से निर्माण कार्य प्रभावित होना प्रतिवेदित है। (घ) मुहाल माइनर का शेष कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तिथि 31.03.2027 लक्षित है। (ङ.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनसठ"

लखनादौन से नरसिंहपुर की बसों के परिमित

[परिवहन]

82. (क्र. 931) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के अंतर्गत लखनादौन से नरसिंहपुर मार्ग पर संचालित परिमितधारी द्वारा बसों का संचालन लगभग 15-20 वर्ष पुराने निर्धारित समय के आधार पर बसों का संचालन वर्तमान में भी कर रहे हैं, जबकि इन मार्गों की पूर्व की दशा अत्यंत जर्जर और एकल मार्ग थे परन्तु वर्तमान में फोरलेन सड़क निर्माण हो जाने के बाद भी बसों का संचालन पुराने परिमित के आधार पर संचालित है? यदि हां, तो कारण बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) मार्ग पर संचालित पुराने परिमितधारियों को लगभग 60 कि.मी. की दूरी तय करने में लगभग ढाई से तीन घंटे का समय लग रहा है, जिससे यात्रियों का समय और पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं? जबकि छत्तीसगढ़, मंडला आदि से चलने वाली अनेक बसे उक्त दूरी को मात्र एक घंटे में तय कर रही है? (ग) क्या विभाग प्रश्नांश (ख) में वर्णित पुराने परिमितधारियों के बसों के संचालन हेतु नवीन परिमितों को जारी कर लखनादौन से नरसिंहपुर तक 60 कि.मी. की दूरी एक घंटे में तय करने वाली सुविधा यात्रियों को मुहैया करायेगें

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) सिवनी जिले के लखनादौन से नरसिंहपुर मार्ग पर कोई भी बस 15-20 वर्ष पुराने अनुज्ञा पत्र पर संचालित नहीं है, जिसके परिप्रेक्ष्य में 15-20 वर्ष पुराने निर्धारित समय के आधार पर बसों के संचालन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं है। (ख) किसी भी मार्ग पर यात्री बस संचालन हेतु आवश्यक समयचक्र पर परिमित का आवेदन संबंधित वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर परिवहन प्राधिकार द्वारा नियमानुसार जारी किया जाता है, जिसके अनुक्रम में प्रश्नांश (क) मार्ग पर संचालित परिमितधारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित समयचक्र पर नियमानुसार सुनवाई उपरांत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जबलपुर द्वारा परिमित स्वीकृत किये गये हैं। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित परिमितधारियों की बसों के संचालन हेतु उनके द्वारा नियमानुसार समयचक्र में परिवर्तन हेतु परिमित आवेदन प्रस्तुत करने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जबलपुर द्वारा आवश्यक सुनवाई के पश्चात समयचक्र में परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुविभागीय कार्यालय में शिक्षकों का संलग्नीकरण

[राजस्व]

83. (क्र. 932) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के अंतर्गत अनुविभागीय कार्यालय (राजस्व) सिवनी, लखनादौन, छपारा, केवलारी, घंसौर, बरघाट द्वारा कई शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने हेतु अनुविभागीय कार्यालयों में संलग्न किया गया है? कितने शिक्षक संलग्न हैं? सूची सहित जानकारी दें। क्या राजस्व विभाग में कार्य करने के शासन के नियम/आदेश है? यदि हां, तो नियम बतायें। (ख) क्या अनुविभाग में संलग्न शिक्षक अपने शैक्षणिक शाला में कार्य करते? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? शासन की संलग्नीकरण के आदेश बताये क्या एसडीएम सिवनी, लखनादौन, छपारा, केवलारी, घंसौर बरघाट द्वारा शिक्षा विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को ही संलग्न किया जाता है,

क्यों? क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक? (ग) क्या शिक्षकों को बी.एल.ओ. के दायित्व से मुक्त करने हेतु मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ -44-47/2011/20-2 भोपाल, दिनांक 25-03-2013, पत्र दिनांक 27-02-2015, पत्र क्र एफ-44-15/2017/20-2 भोपाल, दिनांक 24-7-2017 का पालन किया गया? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

लंबित आवेदनों की संख्या

[परिवहन]

84. (क्र. 934) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत ग्वालियर संभाग में परिवहन विभाग की अधिसूचित सेवाओं के संबंध में वर्तमान में कुल कितने आवेदन लंबित हैं तथा विगत 03 वर्षों में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित आवेदनों की वर्षवार संख्या क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में विगत तीन वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण रहे जिनमें अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया तथा समय-सीमा उल्लंघन के कारण कितने अधिकारियों/कर्मचारियों पर अर्थदण्ड लगाया गया अथवा विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? वर्षवार विवरण क्या है? (ग) परिवहन विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अनुपालन की निगरानी हेतु तैयार की जाने वाली समीक्षा रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट अथवा मासिक रिपोर्ट अनुसार विगत 03 वर्षों में विभाग का प्रदर्शन, मूल्यांकन एवं रैंकिंग क्या रही है? (घ) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित परिवहन विभाग की कुल कितनी सेवाएं वर्तमान में लोक सेवा केंद्र एवं e-District पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं तथा जो सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें उपलब्ध न कराए जाने के कारण क्या हैं? (ङ.) क्या परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को बिना कार्यालय में उपस्थित हुए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु फेसलेस (Faceless) व्यवस्था लागू की गई है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कौन-कौन सी सेवाएं फेसलेस माध्यम से उपलब्ध हैं तथा शेष सेवाओं को फेसलेस व्यवस्था में शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) परिवहन विभाग की 31 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2022 से परिवहन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के एनआईसी के "वाहन पोर्टल" के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ करने के पूर्व उक्त सेवायें तत्कालीन प्रचलित पोर्टल के साथ एकीकृत होने से उनके संबंध में प्राप्त आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत किये जाकर उनके संबंध में एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त हो जाती थी, परंतु "वाहन पोर्टल" पर कार्य प्रारंभ करने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा एनआईसी को उक्त सेवाओं को "वाहन पोर्टल" से एकीकृत किये जाने तथा इस संबंध में एमआईएस रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु पत्र क्रमांक एफ 8-4/11/आठ, भोपाल दिनांक 24.06.2022, दिनांक 08.06.2022, दिनांक 23.11.2022, दिनांक 20.12.2022 एवं दिनांक 16.02.2023 द्वारा निरंतर रूप से कई बार लेख किया गया है, परंतु आज दिनांक तक केन्द्र सरकार की एनआईसी संस्थान द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वांछित जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के

परिप्रेक्ष्य में वांछित जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ड.) जी हाँ, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार परिवहन विभाग की सेवायें नागरिकों को उनके ऑनलाईन आधार अधिप्रमाणन करने पर बिना कार्यालय में उपस्थित हुए फेसलेस (Faceless) व्यवस्था से दी जा रही हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 4353 (अ) दिनांक 16.09.2022 द्वारा अधिसूचित 58 सेवाओं में से मध्यप्रदेश में प्रयोज्य 51 सेवायें फेसलेस व्यवस्था से दी जा रही हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

भीमपुर में न्यूक्लीयर पावर प्लांट मेगावाट स्थापित किया जाना

[राजस्व]

85. (क्र. 935) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील नरवर के ग्राम सिकन्दरपुर पटवारी हल्क नं.-12 में वर्ष 1988-89 के बन्दोबस्त एवं नवीन अभिलेख में भिन्नता होने से राजस्व संबंधी सीमांकन, नक्शा में सुधार, बटांकन एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे, किसान परेशान हो रहे हैं। (ख) प्रश्नांश (क) में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा पत्र क्र. 1007/भू.अ./रा.नि/2020 शिवपुरी दिनांक 11/09/2020 द्वारा तहसीलदार नरवर एवं एस.डी.एम. करैरा से प्रस्ताव चाहा गया था। उक्त पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा बन्दोबस्त किये जाने हेतु शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो कब तक बन्दोबस्त की कार्यवाही की जावेगी? जिससे किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। (ग) तहसील नरवर के नगर पंचायत नरवर वार्ड क्र.-01 में सूढ़ा (आदिवासी बस्ती) में 350 परिवार निवासरत हैं। आदिवासी बस्ती में 02 कि.मी. सड़क न होने से परेशान है। CMO नरवर द्वारा भी इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है इस संबंध में कार्यवाही कब तक की जावेगी? सड़क जनमन योजना में कब तक स्वीकृत की जावेगी? (घ) क्या शासन द्वारा तहसील नरवर के ग्राम गोपलिया, नानकपुर, भीमपुर एवं टुकी की कृषि भूमि पर न्यूक्लीयर पावर प्लांट (विद्युत) 2800 मेगावाट स्थापित करने हेतु सर्वे कराया जा रहा है? ग्रामीणजन उक्त योजना का विरोध कर रहे हैं। उक्त योजना के लागू होने पर ग्रामीणों के विस्थापन आदि की क्या योजना है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) ग्राम सिकंदरपुर में 1988-89 के बंदोबस्त एवं नवीन अभिलेख में कोई भिन्नता नहीं है राजस्व संबंधी सीमांकन, बटांकन एवं अन्य कार्य नक्शा सुधार सभी कार्य हो रहे हैं। (ख) तहसील नरवर में ग्राम सिकन्दरपुर का बंदोबस्त किये जाने की कोई जानकारी वर्तमान में नहीं भेजी गई है। ग्राम सिकन्दरपुर का बन्दोबस्त किये जाने की कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) तहसील नरवर के ग्राम भीमपुर, नानकपुर और टुकी की कृषि भूमि पर न्यूक्लीयर पावर प्लांट (विद्युत) 2800 मेगावाट स्थापित करने हेतु तहसील नरवर में न्यूक्लीयर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पत्र क्रमांक B 5322408 दिनांक 10/06/2026 पत्र के क्रम में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण भी किया गया है एवं पूर्व में सर्वे कार्य किया गया है। ग्रामीणजनों के विरोध के संबंध में कोई अधिकारिक जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन सुविधाओं का उन्नयन

[पर्यटन]

86. (क्र. 942) श्रीमती रीती पाठक : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी विधानसभा अंतर्गत गोरियरा बांध में रिसोर्ट विकसित करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से और क्या अन्य कार्य/गतिविधि की जा रही है? (ख) सीधी जिले में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्या कार्य किये जा रहे हैं एवं आगामी कार्य योजना क्या है? (ग) सीधी जिला बीरबल की जन्मस्थली है एवं यहाँ पर बाणभट्ट जी ने प्रथम गद्य काव्य कादम्बरी की रचना की थी इस दृष्टि से सीधी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोरिया बांध में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रवेश द्वार, किचन, जन-सुविधा, व्यूइंग डेक, कैफेटेरिया एवं पाथ-वे का कार्य प्रगतिरत है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। शेष बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सीधी जिले में बीरबल एवं बाणभट्ट की महत्ता की दृष्टि से वर्तमान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्य-योजना नहीं है।

स्कूलों का उन्नयन किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

87. (क्र. 954) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के उन्नयन के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना कार्यालय से संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को प्रेषित किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव में पन्ना विधानसभा अन्तर्गत कितनी शासकीय शालाओं का चयन किया गया है? नामवार बतावें। कब तक शालाओं का उन्नयन किया जावेगा? समय-सीमा बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

फिजियोथैरेपी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले बायो-मेडिकल वेस्ट

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

88. (क्र. 955) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में संचालित फिजियोथैरेपी क्लीनिकों/फिजियोथैरेपी केंद्रों से बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न होने के आधार पर बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या फिजियोथैरेपी क्लीनिकों से उत्पन्न होने वाले बायो-मेडिकल वेस्ट के कौन-कौन से प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित किए गए हैं? उनकी विस्तृत सूची उपलब्ध कराई जाए। (ग) क्या स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कोई अध्ययन, सर्वेक्षण, तकनीकी

रिपोर्ट, विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा अथवा वैज्ञानिक आधार उपलब्ध है, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया कि सामान्य फिजियोथैरेपी क्लीनिकों से बायो-मेडिकल वेस्ट उत्पन्न होता है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। (घ) क्या स्वास्थ्य विभाग यह स्पष्ट करेगा कि फिजियोथैरेपी पाठ्यक्रम, क्लीनिकल प्रशिक्षण एवं उपचार प्रक्रियाओं के अध्ययन के उपरांत किन विशिष्ट गतिविधियों को बायो-मेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाली गतिविधि माना गया है? (ङ.) क्या स्वास्थ्य विभाग ने यह परीक्षण किया है कि सामान्य फिजियोथैरेपी क्लीनिकों में उत्पन्न अपशिष्ट नगर निगम/स्थानीय निकाय के सामान्य ठोस अपशिष्ट से भिन्न श्रेणी का है? यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है? क्या सरकार फिजियोथैरेपी क्लीनिकों की वास्तविक कार्यप्रणाली, उपचार पद्धतियों तथा उत्पन्न अपशिष्ट की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन कर बायो-मेडिकल वेस्ट प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता की समीक्षा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो कारण बताए जाएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। बायोमेडिकल वेस्ट के प्रकार का वर्गीकरण बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 अनुरूप स्थापित है जिसका विनियमन मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभिमत पत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) जी नहीं, यह अधिकार क्षेत्र मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। (ङ.) जी नहीं। चूंकि, विभिन्न संस्थाओं से उत्सर्जित बायोमेडिकल वेस्ट का विनियमन मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है अतः फिजियोथैरेपी क्लीनिकों के अपशिष्ट की प्रकृति का श्रेणीकरण/पुनर्मूल्यांकन कर बायोमेडिकल वेस्ट प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता की समीक्षा का कार्य उक्त विनियामक बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

परिशिष्ट - "साठ"

जीर्ण-शीर्ण शाला भवन मरम्मत एवं नवीन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

89. (क्र. 958) श्री बाबू जन्डेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल व हाई सेकेण्डरी शाला भवन विहीन अथवा जीर्ण-शीर्ण व जर्जर एवं बाउण्ड्रीवॉल विहीन संस्थावार, संकुलवार नवीन भवनों व बाउण्ड्रीवॉल एवं मरम्मत योग्य भवनों अद्यतन स्थिति अनुसार जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (ख) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के उन्नयन के संबंध में प्रेषित पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? विभाग द्वारा कौन-कौन से उन्नयन के प्रस्ताव भेजे गये तथा लंबित है? कब तक उन्नयन संबंधी कार्य पूर्ण किया जावेगा? (ग) जिला शिक्षा केन्द्र मुरैना में BRCC एवं BAC द्वारा मेटरिंग ऐप द्वारा ऑनलाइन भ्रमण किया जाता है, जिसकी प्रतिमाह कलेक्टर महोदय द्वारा समीक्षा करने के बाद भी भ्रमण देयकों का भुगतान सत्र 2025-26 का नहीं किया गया है? कब तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (घ) जिला शिक्षा केन्द्र मुरैना वर्ष 2025-26 के यात्रा/भ्रमण देयकों के भुगतान न करने के कारण दोषी वित्त APC एवं स्थापना बाबू के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर अंतर्गत कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं है। जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर शाला के विरुद्ध नवीन भवनों, मरम्मत योग्य भवनों, बॉउन्ड्रीवॉल विहीन शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार है। (ख) प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु प्रस्ताव नहीं है। शासकीय माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के उपरांत उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"2" अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"3" अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

हायर सेकेण्डरी स्कूल में पूर्णकालिक प्राचार्य की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

90. (क्र. 960) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी-मालवा के ब्लॉक सिवनी-मालवा, केसला और नर्मदापुरम ब्लॉक में कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं? (ख) कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल में पूर्णकालिक प्राचार्य हैं एवं कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं की गई है? (ग) रिक्त पदों पर प्राचार्य की नियुक्ति कब तक की जाएगी तथा सांदीपनी हायर सेकेण्डरी स्कूल सिवनी-मालवा एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक बघवाड़ा में प्राचार्य की नियुक्ति कब तक की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी-मालवा के विकासखण्ड सिवनी-मालवा में 14 केसला में 12 एवं नर्मदापुरम में 02 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। (ख) 03 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य कार्यरत है। शेष में व्याख्याता अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पास प्रभार है। (ग) पदपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सांदीपनी स्कूलों में प्राचार्य का पदांकन चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

91. (क्र. 961) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र सिवनी-मालवा में डोलरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कब स्वीकृत हुआ? उसकी स्वीकृत राशि क्या है? उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की अवधि क्या थी? (ख) क्या निर्माण अवधि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य पूर्ण हो चुका है और अगर नहीं तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा? इस सिविल अस्पताल में आवश्यक डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ की पोस्टिंग कब तक की जाएगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक पीएचएफडब्ल्यू-234/2022/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 12.04.2023 द्वारा कुल राशि 1444.26 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिसमें

भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1094.21 लाख, उपकरण हेतु राशि रुपये 342.92 लाख एवं फर्नीचर के लिए राशि रुपये 7.13 लाख सम्मिलित है। अनुबंध अनुसार 18 माह अर्थात दिनांक 08.04.2025 तक थी। **(ख)** जी नहीं, कार्य दिनांक 30.09.2026 तक पूर्ण होना लक्षित है। पद पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत

[स्कूल शिक्षा]

92. (क्र. 962) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिले भर में कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक, माध्यमिक शाला के 249 भवन जर्जर अवस्था में है? जिसमें से 77 स्कूलों के भवनों में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है? **(ख)** क्या जिला प्रशासन या विभाग द्वारा जिले भर में कक्षा एक से आठ तक के जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाकर साध्यता संबंधी कार्यवाही और साध्य पाए जाने पर निर्माण/मरम्मत की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक दिया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जर्जर स्कूल भवनों का मरम्मत/निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? समय-सीमा बताएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : **(क)** जी हाँ। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं, वर्तमान में जर्जर भवनों में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का पत्र क्रमांक/राशिके/निर्माण-1/2026/2367 भोपाल दिनांक 15/04/2026 एवं पत्र क्रमांक/राशिके/निर्माण-1/2026/3396 भोपाल दिनांक 09/06/2026 तथा बालाघाट जिले का पत्र क्रमांक/जिशिके/सिविल/2026-27/533 बालाघाट दिनांक 10.06.2026 निर्देश जारी किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। स्थानीय निकाय के सहयोग से सुरक्षित स्थानों में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। बालाघाट जिले में 42 नवीन भवन तथा 02 मरम्मत कार्य स्वीकृत किया जा चुके हैं। **(ख)** एवं **(ग)** शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्थानांतरण में नीतिगत विसंगतियों एवं नियमों का उल्लंघन

[राजस्व]

93. (क्र. 968) श्री महेश परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यालय कलेक्टर भू-संसाधन प्रबंधन, जिला भोपाल द्वारा जारी संशोधित स्थानांतरण आदेश क्रमांक 1447 दिनांक 16/06/2026 में एक ऐसे गलत/कूट रचित आदेश क्रमांक (जीएडी/0001/2006...) का उल्लेख है जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ही नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इस लापरवाही के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? **(ख)** क्या स्थानांतरण नीति 22 मई, 2026 की कंडिका 42 एवं 46 के तहत सभी आदेश डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करना और कर्मचारियों का 'एम्प्लॉईकोड' दर्ज करना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो दिनांक 15/06/2026 (आदेश क्र. 1434) और 16/06/2026 के आदेश 1447 में पेन की स्याही से हस्ताक्षर करने और एम्प्लॉईकोड न लिखने का क्या कारण है? **(ग)** दिनांक 15/06/2026 और 16/06/2026 को कुल 76 पटवारियों की जारी सूची में

नीति की कंडिका 12 की अनदेखी करते हुए नियम से ज़्यादा स्थानांतरण क्यो किए गए? नीति से कितने स्थानांतरण ज़्यादा हुए? (घ) दिनांक 15 मई के एक दिन के बाद 16 मई को जारी नए स्थानांतरण आदेश लिस्ट में उच्च वरीयता वाले 24 नाम हटाने, नए नाम जोड़ने और एक दिवस पूर्व जारी सूची में 50% से अधिक मनमाने बदलाव करने का वैधानिक आधार क्या था? सरकार उक्त स्थानांतरणों की मूल वरीयता सूची उपलब्ध कराएं। (ङ.) जून 2025 (आदेश क्र. 1384) में जिन पटवारियों (अंकुर साहू, अदिति शुक्ला, देवेंद्र पटेल) का स्थानांतरण कोलार/हुजूर से बैरसिया किया गया था, उन्हें नीति के विरुद्ध मात्र एक वर्ष के भीतर जून 2026 के आदेश द्वारा पुनः मूल तहसीलों में क्यों वापस लाया गया? इन तीनों पटवारियों की बैरसिया में उपस्थिति पत्र, आवंटित हलके की जानकारी और जारी आदेश की प्रतिलिपि दें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, लिपिकीय त्रुटि से 2026 के स्थान पर 2006 अंकित हो गया है। (ख) आदेश क्रमांक 1434 दिनांक 15/06/2026 के आदेश को पत्र क्रमांक 1442/स्था./भू-संसाधन प्रबंधन/2026 भोपाल दिनांक 16/06/2026 के द्वारा निरस्त करते हुए संशोधित आदेश पत्र क्रमांक 1447/स्था./भू-संसाधन प्रबंधन/2026 दिनांक 16/06/2026 द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से नियमानुसार जारी किया गया है। (ग) आदेश क्रमांक 1434 दिनांक 15/06/2026 के आदेश को पत्र क्रमांक 1442/स्था./भू-संसाधन प्रबंधन/2026 भोपाल दिनांक 16/06/2026 के द्वारा निरस्त करते हुए संशोधित आदेश पत्र क्रमांक 1447/स्था./भू-संसाधन प्रबंधन/2026 दिनांक 16/06/2026 द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से 30 पटवारियों की सूची नियमानुसार जारी की गई है। (घ) जिला भोपाल में दिनांक 15 मई एवं दिनांक 16 मई को कोई स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ङ.) संबंधित पटवारियों द्वारा तहसील बैरसिया में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण तहसील बैरसिया में हल्का आवंटन का आदेश जारी नहीं किया गया है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

94. (क्र. 970) श्री बाबू जन्डेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर में स्वीकृत फेकल्टी पदों के विरुद्ध वर्तमान में कितने पद रिक्त है तथा इनके रिक्त रहने के प्रमुख कारण क्या है? रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा? समय-सीमा बतावे। यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या शासन के संज्ञान में है कि दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्र में स्थित होने के कारण श्योपुर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों की उपलब्धता एवं स्थायित्व प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये गये? (ग) क्या चिकित्सा शिक्षकों को विशेष/कठिन क्षेत्र भत्ता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित लाभार्थी तथा क्रियान्वयन की संभावित समय-सीमा क्या है? (घ) मेडिकल कॉलेज श्योपुर में पैरामेडिकल एवं अन्य स्टॉफ सफाईकर्मी, गार्ड, प्लम्बर, टेक्नीशियन, कम्प्यूटर आपरेटर एवं अन्य समस्त सब स्टॉफ आदि के कितने पद स्वीकृत, भरे, रिक्त है? पदवार जानकारी दें। भर्ती आउटसोर्स अन्य किस माध्यम से की जावेगी? नियम, निर्देश या भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी

उपलब्ध करावें? (ड.) क्या 90 प्रतिशत कमी के साथ यह कालेज संचालित है? जिसका 1 प्रतिशत भी लाभ स्थानीय आमजन को नहीं मिल रहा है? यदि हाँ, तो कितने स्थानीय बेरोजगारों को मेडिकल कॉलेज में गार्ड एवं अन्य कितने पदों पर किसके द्वारा प्रश्न दिनांक तक नियुक्त किया गया है? गौश्वारा सहित जानकारी दें, शेष रिक्त पदों की कब तक पूर्ति की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। वर्तमान में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति दिनांक 01/06/2026 को जारी की गई है। भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ, समस्या के समाधान हेतु आवश्यकता एवं उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार समय-समय पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। (ग) जी हाँ। प्रस्ताव के अंतिम स्वरूप के अनुमोदन उपरान्त ही लाभार्थियों एवं अन्य शर्तों का निराकरण किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) पैरा मेडिकल एवं स्टॉफ के पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। महाविद्यालय में आउटसोर्स के पद पदनाम अनुसार वर्गीकृत नहीं संयुक्त रूप से 205 कुशल व अकुशल श्रेणी के पद स्वीकृत है, जिनकी भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जाती है। पद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (ड.) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब अनुसार। पैरा मेडिकल एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव कर्मचारी चयन मंडल (ESB) को पत्र क्र. 2318/जी.एम.सी.एस./2026 श्योपुर दिनांक 16.03.2026 को प्रेषित किया गया है।

संविदा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

[परिवहन]

95. (क्र. 975) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के आदेश क्रमांक 8443 एवं 8445 दिनांक 02/04/2026 के संदर्भ में एक जांच समिति का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त जांच प्रतिवेदन की अद्यतन (करंट) स्थिति क्या है? क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) अथवा संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास (UADD) के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) क्या संविदा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर "संविदा कर्मचारी नियम के परिपत्र की कंडिका-9" के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में BCLL के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अथवा जांच अधिकारी द्वारा इस जांच प्रक्रिया में उक्त 'कंडिका-9' (Section 9) के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जांच से संबंधित समस्त नोटशीट, CEO द्वारा जांच समिति एवं BCLL के संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों के मध्य हुए समस्त पत्राचार, संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा समिति को सौंपे गए दस्तावेजों, आवेदक के पत्राचार तथा आरोपितों के पत्राचार की सत्यापित प्रतियां प्रदाय की जाएं? (घ) क्या विभाग/जांच अधिकारी इस तथ्य से अवगत हैं कि गंभीर जांच के अधीन रहते

हुए भी आरोपित संविदा कर्मचारियों के पास विभाग के महत्वपूर्ण एवं गोपनीय दस्तावेजों का पूर्ण एक्सेस है? यदि हाँ, तो क्या इससे जांच प्रक्रिया के दूषित होने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की प्रबल संभावना नहीं है? उक्त जांच प्रतिवेदन वास्तव में किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह किस विभाग के जावक क्रमांक से जारी हुआ है तथा किस कार्यालय में, किस कंप्यूटर (IP Address) पर, किस तिथि को कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा तैयार किया गया है? ऑपरेटर एवं संबंधित अधिकारी का नाम व पद सहित पूर्ण विवरण दें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

दीर्घकालिक पदस्थापना एवं स्थानांतरण नियमों का उल्लंघन

[परिवहन]

96. (क्र. 976) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO), भोपाल में श्री प्रमोद नागवंशी किस पद पर कार्यरत हैं तथा वह इस कार्यालय/शहर में किस दिनांक से निरंतर पदस्थ हैं? उनके द्वारा इस कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि सहित उनके सेवाकाल का पूर्ण विवरण क्या है? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग एवं परिवहन विभाग की वर्तमान स्थानांतरण नीति व नियमों के अनुसार, किसी प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी या कर्मचारी को एक ही पद, एक ही कार्यालय या एक ही शहर (मुख्यालय) में अधिकतम कितने वर्ष तक रखे जाने का वैधानिक प्रावधान है? संबंधित नियम, नीति या आदेश की प्रति पटल पर रखते हुए स्थिति स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारी को भोपाल शहर/कार्यालय में पदस्थ रहते हुए आज दिनांक तक कुल कितने वर्ष और कितने माह बीत चुके हैं? क्या इनकी यह दीर्घकालिक पदस्थापना शासन की निर्धारित समय-सीमा और स्थानांतरण नीति के नियमों से अधिक अवधि की हो चुकी है? यदि हाँ, तो नियत समय से अधिक अवधि तक एक ही स्थान पर बनाए रखने के विधिक व प्रशासनिक कारण क्या हैं? (घ) क्या शासन या सामान्य प्रशासन विभाग के ऐसे कोई विशेष नियम, विधिक प्रावधान या "लॉ एंड ऑर्डर" (Law and Order) के अंतर्गत कोई मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, जिसके तहत किसी विशिष्ट अधिकारी को नीतिगत समय-सीमा के बाद भी लंबे समय तक एक ही संवेदनशील स्थान पर बनाए रखा जा सकता है? यदि हाँ, तो उन विशिष्ट विधिक नियमों का विवरण दें। यदि नहीं, तो शासन नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए इन्हें कब तक अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार रखता है? उक्त अधिकारी द्वारा अपनी वर्तमान पदस्थापना के दौरान भोपाल आर.टी.ओ. (RTO) कार्यालय में क्या-क्या मुख्य कार्य, वित्तीय अधिकार एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली जा रही हैं? उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों व उन्हें आवंटित पटलों (Desks) का बिंदुवार विवरण दें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) कार्यालयीन अभिलेखानुसार श्री प्रमोद नागवंशी सहायक वर्ग-03 के पद पर पदस्थ हैं तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में दिनांक 21.07.2010 से निरंतर पदस्थ हैं। श्री नागवंशी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5566/स्थापना/टीसी/97 दिनांक 22.10.1997 द्वारा सहायक ग्रेड-03 के पद पर नियुक्त किया जाकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर में पदस्थ किया गया था तत्पश्चात मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 01-2/09/आठ दिनांक 14.07.2010 के द्वारा श्री नागवंशी को क्षेत्रीय परिवहन

कार्यालय सागर से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल स्थानांतरित किया गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2026-2027 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) प्रश्न दिनांक तक लगभग 16 वर्ष बीत चुके हैं। शासकीय कर्मचारी का स्थानांतरण प्रशासकीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शासकीय कर्मचारी का स्थानांतरण प्रशासकीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है। श्री नागवंशी को वर्तमान में परमिट, कर, व्यवसाय, प्रमाण-पत्र आदि शाखा का कार्य आवंटित है।

रजिस्ट्री में शासन को क्षति

[राजस्व]

97. (क्र. 983) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) न्यायालय कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 36/अ-21/2017-18 दिनांक 12.02.2019 के आदेश जिसमें बिंदु क्रमांक 4 में उप पंजीयक उमरिया से प्राप्त गाइड लाइन रुपए 39,95,299 संगणित होना बताया गया तथा इस दर पर या उससे अधिक राशि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई थी जो कि उसके एक दिन बाद ही कबीर बिल्डकॉन पार्टनर विनोद कुमार पिता श्री रामचंद्र आहूजा निवासी वार्ड नंबर 4, उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया द्वारा दिनांक 14/02/2019 को ही पंजीकरण संख्या MP442712019A1109020 द्वारा केवल 8,50,000 रुपए मूल्य की रजिस्ट्री कराकर शासन को धोखा देने का कार्य किस नियम के तहत किया गया। (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित कृत्य करने पर विनोद आहूजा पर शासन कब तक FIR दर्ज करा कर उनकी गिरफ्तारी करवाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) आदिवासी समाज के व्यक्ति के साथ छल पूर्वक की गई इस प्रक्रिया एवं कलेक्टर उमरिया के आदेश की अवमानना करने पर इस रजिस्ट्री को निरस्त करने के लिए शासन कब तक कार्यवाही करेगा यदि नहीं तो क्यों? इन्हें संरक्षण देने का कारण स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कार्रवाई न करके विनोद कुमार आहूजा को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देते हुए बताएं कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) प्रश्नांश (क) में वर्णित विक्रय पत्र क्रमांक MP442712019A1109020 दिनांक 14.02.2019 को उप पंजीयक कार्यालय बांधवगढ़ जिला उमरिया में निष्पादित हुई, जिसमें विक्रेता के रूप में श्री ज्ञानचन्द सिंह गोंड तथा क्रेता मेसर्स कबीर बिल्डकॉन पार्टनर विनोद कुमार पिता श्री रामचंद्र आहूजा निवासी वार्ड नंबर 4, उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया है, जिसमें आराजी खसरा नं0 346/2 रकवा 0.174 हे. स्थित नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 09 ग्राम खलेसर ज0न0 147 पटवारी हल्का नं0 06 उमरिया रा0नि0म0 उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया (म.प्र.) संबंधी संपत्ति का वर्णन है यह सही नहीं है कि उक्त संपत्ति का प्रचलित बाजार मूल्य वर्ष 2018-19 में 39,95,299/- (उन्नतालिस लाख पंचानवे हजार दो सौ न्यानावे रुपये) है। उक्त बिक्रीत संपत्ति का बाजार मूल्य कलेक्टर गाईड लाईन वितीय वर्ष 2018-19 के अनुसार 30,72,820/-रुपये है, विलेख संव्यवहार मूल्य 8,50,000/-रुपये दर्शाया गया है। स्टाम्प

अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 25 के तत्समय प्रचलित प्रावधान अनुसार संव्यवहार मूल्य एवं कलेक्टर गाईड लाईन आधार पर संगणित बाजार मूल्य में से जो भी अधिक है. उस मूल्य (3072820/-रूपये) पर नियमानुसार मुद्रांक 291920/- व पंजीयन शुल्क 24583/-का भुगतान किया गया है। बाजार मूल्य व प्रतिफल राशि में भिन्नता के विषय पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन 17038 वर्ष 2023 में अभिनिर्णित किया जा चुका है कि जब विक्रेता प्राप्त प्रतिफल से संतुष्ट है तो क्रेता के विरुद्ध दायर उक्त रिट पिटीशन को आदेश दिनांक 09.01.2023 को खारिज किया जा चुका है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

किसान सम्मान निधि अंतर्गत पात्र किसानों को शत-प्रतिशत लाभ

[राजस्व]

98. (क्र. 990) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किसान सम्मान निधि कितने किसानों को प्रदाय की जाती है? कृपया ग्रामवार लाभान्वित किसानों की सूची उपलब्ध कराये तथा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने हेतु कौन सा किसान पात्र है? शासन द्वारा निर्धारित नियमावली उपलब्ध कराये। (ख) क्या सभी पात्र किसानों को शत-प्रतिशत लाभ प्रदाय किया जा रहा है? नहीं तो कितने किसान लाभ से वंचित है तथा वंचित रहने का क्या कारण है तथा कब तक शत-प्रतिशत किसानों को लाभ प्रदाय किया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह व र्मा) : (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 35517 हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। ग्रामवार लाभान्वित हितग्राहियों की सूची https://pmkisan.gov.in/Rpt_BeneficiaryStatus_pub.aspx पोर्टल पर उपलब्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। पी.एम. किसान पोर्टल पर पंजीयन उपरांत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने वाले हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

तालाब एवं मत्स्य पालन समिति की जानकारी

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

99. (क्र. 991) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग अन्तर्गत कितने तालाब पंजिकृत है? कृपया सूची उपलब्ध कराये तथा उक्त तालाबों में कौन सी समिति मत्स्य पालन हेतु अधिकृत है? कृपया तालाबवार समिति के सदस्य एवं उनके निवास स्थान की जानकारी सहित तालाबवार जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) तलाब में मत्स्य पालन करने हेतु किन समितियों को अनुमति प्रदाय करी जाती है? कृपया शासन द्वारा निर्धारित नियमावली उपलब्ध कराये। क्या डूब प्रभावित व्यक्तियों को मछली पालन करने हेतु प्राथमिकता है? हां तो क्या सभी डूब प्रभावितों को लाभ प्रदाय किया जा रहा है? नहीं तो क्या कारण है, इसके लिए कौन दोषी है तथा क्या कार्यवाही की जायेगी?

राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास (श्री नारायण सिंह पंवार) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में 22 तालाब हैं, जो पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मत्स्य पालन हेतु आवंटित हैं। तालाबवार/सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) शासन की मछुआ नीति 2008 अनुसार डूब प्रभावित मछुआरों को प्राथमिकता दी जाकर समिति गठित कर तालाब जलाशय का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन कर समितियों द्वारा मत्स्य पालन किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।

चिकित्सा शिक्षकों को सेवा लाभ एवं पात्रता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

100. (क्र. 994) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गां.चि.महा. भोपाल के प्रचलित आदर्श सेवा भर्ती नियम अनुसार स्वशासी संस्था में 2018 के पश्चात, पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती के उपरान्त नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को क्या पूर्व की सेवा के लाभ जैसे अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश वरिष्ठता एवं वेतन सुरक्षा मिलता है? यदि हाँ, तो संबंधित नियम, आदेश एवं लाभ प्राप्त अधिकारियों की संस्थावार सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) प्रचलित आदर्श सेवा भर्ती नियम के अनुसार स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्त/पदस्थ चिकित्सा शिक्षकों को पूर्व के निजी संस्थान में किए गए सेवा अवधि के शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक अनुभवों का किसी भी प्रकार का लाभ जैसे पदोन्नति, डेलिगेशन, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. गाइड हेतु, लाभ दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो नियमों की प्रतिलिपि एवं ऐसे लाभ प्राप्त अधिकारियों का विवरण उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो कारण बतावें। (ग) म.प्र. मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय (MPMSU) के PHD Ordinance के अनुसार PHD Guide, Co-Guide पंजीकरण हेतु अर्हता के नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) क्या Madhya Pradesh Medical Science University के पीएचडी ऑर्डिनेंस के अनुसार गाइड एवं को-गाइड पंजीयन हेतु निर्धारित अर्हताओं का सभी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कितने मामलों में नियमों से विचलन पाया गया तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के बिन्दु क्र. 07 के सीधी भर्ती की प्रक्रिया के उप बिन्दु क्र. 7.5 के अनुसार चयन उपरांत वेतन निर्धारण उनके द्वारा महाविद्यालय में दी गई पूर्व सेवा अवधि को गणना में लेकर किया जाता है। नियम की प्रति एवं लाभ प्राप्त अधिकारियों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 60-63/स्था/राज/संचिशि/2023 भोपाल दिनांक 12.01.2023 के निर्देश के परिपालन में अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश का लाभ नहीं दिया जाता, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ख) प्रचलित आदर्श सेवा भर्ती नियम के अनुसार स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्त/पदस्थ चिकित्सा शिक्षकों पूर्व के निजी संस्थान में की गई सेवा अवधि के शैक्षणिक एवं प्रशासकीय अनुभवों के आधार पर पदोन्नति एवं डेलिगेशन का लाभ की पात्रता नहीं है, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. गाइड हेतु NMC द्वारा निर्धारित

मापदण्ड अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर अध्यादेश-8/201-Procedure and rules governing award of Ph.D. degree in the subjects of health sciences जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (घ) उत्तरांश (ग) में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार अध्यादेश-08/2014 के अनुसार शिक्षक/गाईड नियुक्त किए गए हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय नजूल भूमि पर कब्जा

[राजस्व]

101. (क्र. 995) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर बैतूल ने जिला जेल बैतूल की 9200 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री की लेकिन कम्पनी को टी.एन.सी.पी. ने दि. 28/10/2024 को रकबा 22948 वर्ग मीटर भूमि एवं नगर पालिका परिषद बैतूल ने दि. 22/07/2025 को रकबा 22196 वर्ग मीटर भूमि पर कालोनी विकास की अनुमति प्रदान कर दी एवं 22948 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित 141 को काटे जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई? (ख) कम्पनी को रजिस्ट्री की गई 9200 वर्ग मीटर भूमि का सीमांकन किस दिनांक को किया जाकर, कब्जा किस-किस अधिकारी-कर्मचारी ने कितनी भूमि का किस दिनांक को सौंपा कम्पनी ने कितनी भूमि पर फैलेक्स लगाकर, टीन की सीट लगाकर कब्जा किया और इस संबंध में कलेक्टर बैतूल, नजूल विभाग बैतूल, अपर कलेक्टर बैतूल को किस-किस की शिकायत प्राप्त हुई? (ग) कलेक्टर बैतूल ने कितने वर्ग मीटर जिला जेल बैतूल की भूमि रीडेंसीफिकेशन नीति 2016 एवं 2022 के अनुसार प्रस्तावित की थी, प्रस्तावित भूमि पर जिला जेल बैतूल का कौन-कौन सा निर्माण भूमि प्रस्तावित किए जाने के समय था? (घ) नीति 2016 एवं नीति 2022 के नियम 3 (छ) में खुली भूमि बाबत क्या-क्या प्रावधान है? उस प्रावधान के बाद भी जिला जेल बैतूल की खुली भूमि प्रस्तावित करने और अनुबन्ध करने का क्या कारण रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वीकृत कालोनाइजर का पंजीयन

[राजस्व]

102. (क्र. 1003) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर तहसील अंतर्गत मौजा नीमखेड़ा, पटवारी हल्का क्रमांक 247, खसरा क्रमांक 76 (पुराना 50/72) स्थित भूमि पर मेसर्स एम.के. डेवलपर्स द्वारा विकसित कॉलोनियों/परियोजनाओं हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई समस्त स्वीकृतियों, एन.ओ.सी. एवं अन्य अनुमतियों का विवरण उपलब्ध है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। (ख) क्या उक्त परियोजना को म.प्र. पंचायत (कालोनाइजर का पंजीयन, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक 30/2012 दिनांक 11.10.2012 जारी किया गया था? यदि हाँ, तो पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों एवं परीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण क्या है? (ग) मौजा नीमखेड़ा स्थित वैभव रेजीडेंसी एवं जेनेसिस फेज-1 कॉलोनियों के संबंध में स्वीकृत कालोनाइजर पंजीयन, विक्रय अनुमति एवं अन्य अनुमतियों का कॉलोनीवार विवरण क्या है? (घ) वर्तमान तक उक्त कॉलोनियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों, जांच

प्रतिवेदनों, पाई गई अनियमितताओं, जारी नोटिसों एवं की गई वैधानिक कार्यवाहियों का विवरण क्या है? क्या किसी कॉलोनी में स्वीकृत ले-आउट के विपरीत विकास अथवा अवैध प्लॉटिंग पाई गई है? यदि हाँ, तो संबंधित कॉलोनाइजर्स एवं अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दें।

(ड.) क्या तहसील गोरखपुर अंतर्गत ग्राम रमनगरा तिलवारा स्थित खसरा क्रमांक 1/1 की वर्ष 1956 की खसरा एवं मिसल अभिलेख उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। क्या उक्त भूमि चरनोई थी तथा उसे अनियमित रूप से निजी नामांतरण कर विक्रय किया गया है? यदि हाँ, तो जांच एवं की गई कार्यवाही का विवरण दें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जबलपुर जिले की तहसील जबलपुर अंतर्गत मौजा नीमखेडा न.ब. 247 के खसरा क्र. 76 पर मेसर्स एम.के. डेवलपर्स को विकास अनुमति जारी नहीं की गयी है। बल्कि मेसर्स एम.के. डेवलपर्स को दिनांक 19.11.2024 के द्वारा ग्राम नीमखेडा न.ब. 247 प.ह.न.76 खसरा न. 45/1 रकबा 2.030 हे. (यानी 20300 वर्ग मीटर) में कालोनी विकास की अनुमति प्रदान की गयी है। विकास अनुमति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार।

(ख) जी हाँ, मेसर्स एम. के. डेवलपर्स को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक-30/12 दिनांक 11/10/2012 जारी किया गया है। पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों एवं परीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार।

(ग) 1. मौजा नीमखेडा स्थित वैभव रेजीडेंसी को लायसेंस क्रमांक 6/14 जारी दिनांक 04/04/2014 ग्राम पंचायत क्षेत्र सालीवाडा (गौर) अंतर्गत जारी किया गया था एवं दिनांक 26/09/2025 को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। 2. मौजा नीमखेडा स्थित जेनेसिस फेस 1 को कालोनी विकास हेतु कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। अनुमतियों का कॉलोनीवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार।

(घ) मौजा नीमखेडा स्थित जेनेसिस फेस 1 को कालोनी विकास हेतु कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 193/बी-121/2017-18 आदेश दिनांक 10.04.2018 के द्वारा ग्राम नीमखेडा के खसरा क्रमांक 44 रकबा 0.630 हे. एवं खसरा न. 48 रकबा 1.620 हे. पर नामांतरण, बंटवारा पर रोक लगाते हुए खसरा के कालम न. 12 में अहस्तान्तरणीय भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये गए हैं। संबंधितों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार।

(ड.) जिले की तहसील गोरखपुर अंतर्गत ग्राम तिलवारा न.ब. 230 स्थित खसरा नंबर 1 संलग्न वर्ष 1909-10 की मिसल बंदोबस्त उपलब्ध है। ग्राम तिलवारा स्थित खसरा नंबर 1/1 की वर्ष 1909-10 की मिसल बंदोबस्त एवं वर्ष 1956 के अधिकार अभिलेख की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है तथा वर्ष 1956 के अधिकार अभिलेख अनुसार उक्त भूमि चरनोई भूमि नहीं है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि का हस्तांतरण, डायवर्सन

[राजस्व]

103. (क्र. 1004) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में वर्ष 2021 से वर्तमान तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिस्वामियों की कृषि अथवा अन्य भूमि के गैर-अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण/विक्रय की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो वर्षवार कुल प्रकरणों की संख्या क्या

है? (ख) उक्त प्रकरणों का वर्षवार विवरण प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक, मूल भूमिस्वामी, क्रेता/हस्तांतरित व्यक्ति का नाम, ग्राम, तहसील, खसरा नंबर, रकबा, हस्तांतरण का आधार एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश सहित उपलब्ध कराया जाए। (ग) वर्ष 2021 से वर्तमान तक अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के कितने प्रकरणों में भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) की अनुमति प्रदान की गई? प्रत्येक प्रकरण का विवरण भूमि स्वामी, वर्तमान स्वामी, ग्राम, तहसील, खसरा नंबर, रकबा, डायवर्सन आदेश क्रमांक एवं तिथि तथा स्वीकृत उपयोग सहित उपलब्ध कराया जाए। (घ) उक्त डायवर्टेड भूमि का वर्तमान उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत, कॉलोनी विकास, वेयरहाउस, पेट्रोल पंप, होटल/रिसॉर्ट अथवा अन्य) क्या है? भूखंडवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ङ.) क्या किसी प्रकरण में हस्तांतरण अथवा डायवर्सन के बाद स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत उपयोग पाया गया है? यदि हाँ, तो प्रकरणवार विवरण एवं की गई कार्रवाई बताई जाए। (च) वर्ष 2021 से वर्तमान तक अनुसूचित जनजाति भूमि के हस्तांतरण एवं डायवर्सन मामलों की समीक्षा हेतु कराई गई जांचों की संख्या, निष्कर्ष एवं की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया जाए।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, जबलपुर जिले में वर्ष 2021 से वर्तमान तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमि स्वामियों की कृषि अथवा अन्य भूमि के गैर-अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण/विक्रय की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई है। न्यायालय कलेक्टर जबलपुर से अनुमति प्रदान किये गए प्रकरणों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	प्रकरण संख्या
1	2021	56
2	2022	26
3	2023	15
4	2024	5
5	2025	218
6	2026	7
कुल		327

(ख) प्रकरणों का वर्षवार विवरण, प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक, मूल भूमि स्वामी, क्रेता/हस्तांतरित व्यक्ति का नाम, ग्राम, तहसील, खसरा नंबर, रकबा, हस्तांतरण का आधार एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश सहित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) वर्ष 2021 से वर्तमान तक अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के हस्तांतरण/विक्रय अनुमति के कुल 327 प्रकरणों में से 77 में भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) की अनुमति प्रदान की गई है। प्रकरणों का विवरण भूमि स्वामी, वर्तमान स्वामी, ग्राम, तहसील, खसरा नंबर, रकबा, डायवर्सन आदेश क्रमांक एवं तिथि तथा स्वीकृत उपयोग सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) डायवर्टेड भूमि का वर्तमान उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत, कॉलोनी विकास, वेयरहाउस, पेट्रोल पंप, होटल/रिसॉर्ट अथवा अन्य) से संबंधित भूखंडवार विवरण उत्तरांश (ग) अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ङ.) एवं (च) जानकारी निरंक है।

अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

104. (क्र. 1008) श्री पंकज उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 997 दिनांक 19/02/2026 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित याचिका क्र. WP No. 37384/2024 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा जारी आदेश में यह निर्देश दिए गए हैं, कि दोषी पाए जाने के उपरांत भी श्री राजीव सिंह जादौन के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए? यदि नहीं, तो श्री जादौन के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? दस्तावेजों सहित तथ्यात्मक एवं स्पष्ट जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित याचिका के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेश श्री राजीव सिंह जादौन को पद से हटाए जाने के संबंध में था, न कि उनके विरुद्ध किसी दंडात्मक कार्यवाही को रोके जाने के संबंध में? यदि हाँ, तो क्या माननीय न्यायालय के आदेश की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर श्री राजीव सिंह जादौन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? स्पष्ट जानकारी दें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा श्री राजीव सिंह जादौन के विरुद्ध शिकायतों एवं जांचों के आधार पर कार्यवाही किए जाने हेतु सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक 30/26 दिनांक 17/01/2026 पत्र क्रमांक 84/26 दिनांक 25/02/2026 एवं पत्र क्रमांक 213/26 दिनांक 11/05/2026 के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार प्रतिवेदन दस्तावेज सहित उपलब्ध कराएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। अपितु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक- 37384/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 के द्वारा श्री राजीव सिंह जादौन खंड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र जौरा की प्रतिनियुक्ति से वापस संबंधी आदेश दिनांक 22.11.2024 को निरस्त किया गया। श्री राजीव सिंह जादौन की सेवायें शिकायत के आधार पर ही वापस की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उनके विरुद्ध लगाए गये आरोपों को भी संज्ञान में लिया गया है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) माननीय विधायक के पत्र दिनांक 25.02.2026 की विषयवस्तु श्री राजीव सिंह जादौन खण्ड स्रोत समन्वयक जौरा जिला मुरैना से संबंधित होने के कारण राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र दिनांक 06.05.2026 द्वारा कलेक्टर मुरैना को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पत्र दिनांक 17.01.2026 एवं 11.05.2026 राज्य शिक्षा केन्द्र में अप्राप्त है। कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश क्रमांक/एसएसए/स्था/नियु/विधि/2026/2174, दिनांक 03.07.2025 के माध्यम से श्री राजीव सिंह जादौन की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनके मूल विभाग (शिक्षा विभाग) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुरैना की ओर भारमुक्त कर दिया गया है।

परिशिष्ट - "इकसठ"

तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही

[राजस्व]

105. (क्र. 1014) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले के दतिया नगर वृत्त के तत्कालीन तहसीलदार द्वारा राजस्व आदेश अनुवर्ती

पत्र के प्रकार क्रमांक 0422/आ-6/2023-24 में दिनांक 05/10/2023 को आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त आदेश के लिए प्रचलित समस्त नस्ती एवं आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा एक पक्षकार को लाभ पहुंचाते हुए उसी दिवस एवं उसी दिनांक में पुनः वह आदेश जारी कर कुछ अंश आदेश में बदले गए? यदि हाँ, तो किस कारण? कारण सहित अवगत करते हुए संशोधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या आदेश जारी करने वाले अधिकारी तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं? कारण सहित उत्तर दें। (घ) क्या दिनांक 10/10/2023 को नकल शाखा तहसीलदार दतिया द्वारा प्रदत्त बिंदु क्रमांक (क) में उल्लिखित आदेश में आवेदक वकील सम्माट दांगी द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत उपरांत मान्य कर आदेश किया गया था? यदि हाँ, तो पुनः जारी आदेश में से लिखित तर्क हटाकर मात्रा तर्क प्रस्तुत क्यों लिखा गया?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। प्रकरण क्रमांक 422/3-6/2023-24 इस न्यायालय की आर.पी.बी. क्रमांक 123 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अपीलीय प्रकरण क्रमांक 0071/अपील/2025-26 में भेजा गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त होने से शेष जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। आर.पी.बी. की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) तहसीलदार दतिया के प्रकरण क्रमांक 0422/आ-6/2023-24 आदेश दिनांक 05/10/2023 से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में अपील क्रमांक 0075/अपील/2024-25 प्रस्तुत की गई, आदेश दिनांक 01/04/2025 के द्वारा अपीलांत की अपील निरस्त की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 0071/अपील/2025-26 पर पंजीबद्ध होकर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रचलित है। प्रकरण में आगामी पेशी तारीख 15.07.2026 आदेश 01 नियम 10 एवं आदेश 41 नियम 27 पर तर्क हेतु नियत है। (ग) वर्तमान में तत्कालीन तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है अपीलीय प्रकरण आयुक्त न्यायालय में प्रचलित है वरिष्ठ न्यायालय के निर्णय के पश्चात यथानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - "बासठ"

नवीन वोकेशनल शिक्षा योजना

[स्कूल शिक्षा]

106. (क्र. 1015) श्री दिनेश गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में केंद्र प्रायोजित आउटसोर्स योजना (नवीन वोकेशनल शिक्षा) के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? (ख) क्या आउटसोर्स (वोकेशनल शिक्षा) पर रखे गए कर्मचारियों के लिए नियमित पद स्वीकृत है? यदि नहीं तो कब तक यह पद स्वीकृत किए जाएंगे? (ग) आउटसोर्स (वोकेशनल शिक्षा) कर्मचारियों की सैलरी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी उसके बाद घटा दी रिवाइज कितने वर्षों में की जाती है और कितनी? (घ) आउटसोर्स (वोकेशनल शिक्षा) पर रखे गए कर्मचारियों को

स्थाई नौकरियों में कितना आरक्षण/लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) जो कर्मचारी लगातार 10-11 वर्ष से सेवा दे रहा है और आज की तारीख में वह 39-40 वर्ष का हो गया है, ऐसे कर्मचारी को बिना लिखित आदेश के माध्यम से उसे हटा दिये जाने पर, उसके भविष्य के लिए सरकार के पास क्या योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) केन्द्र प्रवर्तित योजना होने के कारण अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। योजना की अवधि का निर्धारण नहीं होने से अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रति वर्ष भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री योजना में स्वीकृत बजट अनुसार मानदेय की प्रतिपूर्ति आउटसोर्स एजेंसी को की जाती है। (घ) व्यावसायिक प्रशिक्षक वीटीपी (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर/पार्टनर) के कर्मचारी होते हैं। (ड.) आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारी होने से इनका विभाग से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के कारण उन्हें हटाने/नहीं हटाने का निर्णय आउटसोर्स एजेंसी पर निर्भर करता है

शिक्षक संवर्ग को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

107. (क्र. 1016) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक शिक्षकों को कितने वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने का नियम क्या है? नियम/आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावें। (ख) क्या प्रदेश में राज्य शासन के कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने के पृथक-पृथक मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, यदि हाँ, तो नियमों सहित जानकारी दी जावें? (ग) क्या सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों की तर्ज पर 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षकों को भी चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग को कोई प्रस्ताव भेजा गया है? अगर हाँ तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई हुई और आदेश कब तक जारी हो जाएंगे? समय सीमा बताएं। अगर प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो क्यों? कारण स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) सहायक शिक्षक को 12, 24, 30 एवं 35 की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) राज्य शासन के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान योजना एवं सहायक शिक्षक एवं शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान योजना का प्रावधान किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्वालियर-चंबल संभाग का सिंचाई परियोजनाओं (कार्ययोजना)

[जल संसाधन]

108. (क्र. 1017) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर-चंबल संभाग के अंतर्गत किन-किन जिलों में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं? जिलावार पृथक-पृथक नाम सहित जानकारी दी जावे।

(ख) प्रश्नांश (ख) के संबंध में स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? परियोजनावार स्वीकृत राशि की जानकारी एवं कार्यपूर्ण होने की अवधि सहित दी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित किन-किन सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों, नहरों के लाईनिंग, पक्कीकरण इत्यादि कार्य गुणवत्ताहीन होने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में प्राप्त शिकायतों में विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही में से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है एवं कितनी जांच प्रचलित है? जानकारी दी जावे। (ड.) प्रश्नांश (ग) के संबंध में प्राप्त शिकायतों में कौन-कौन अधिकारी एवं एजेंसी जिम्मेदार हैं? अधिकारी एवं ठेकेदार का नाम सहित एवं विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, जानकारी दी जावे।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) ग्वालियर चंबल संभाग अन्तर्गत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक स्वीकृत की गई परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों, नहरों की लाईनिंग, पक्कीकरण इत्यादि के कार्य गुणवत्ताहीन होने की शिकायत प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। अतः शेष प्रश्न लागू नहीं होता। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

मत्स्य पालन की योजनाओं के अंतर्गत लाभान्श/अनुदान

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

109. (क्र. 1018) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा मत्स्य पालन की कौन-कौन सी योजनाएँ वर्तमान में संचालित हैं? संचालित योजनाओं के क्या नियम/मापदण्ड हैं? शासन द्वारा जारी आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) जिला मुरैना एवं जिला ग्वालियर के अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन शासकीय तालाबों में मत्स्य पालन किन-किन हितग्राहियों को स्वीकृति प्रदान की गई है? वर्षवार स्थानों की जानकारी एवं मत्स्य पालन का रकबा, हितग्राही का नाम एवं हितग्राही को प्रदान लाभान्श/अनुदान की जानकारी प्रदान करें। (ग) हितग्राहियों को लाभान्श/अनुदान स्वीकृत करने के उपरांत कार्य प्रारम्भ करने के बाद स्थल निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करने के लिये किस संवर्ग के अधिकारी को अधिकृत किया गया है? पदनाम सहित जानकारी दी जावे। (घ) प्रश्नांश (ख) में स्वीकृत तालाबों में लाभान्श/अनुदान प्राप्त होने के बाद किन-किन तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य निरीक्षण अवधि के दिनांक तक प्रारम्भ नहीं पाया गया? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? हितग्राही का नाम/स्थान/अधिकारी के नाम सहित जानकारी दी जावे।

राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास (श्री नारायण सिंह पंवार) : (क) वर्तमान में केन्द्र सरकार की धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना एवं प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना तथा विभागीय मछुआ प्रशिक्षण योजना संचालित है। नियम, शर्तें, गाइड लाइन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जिला मुरैना एवं ग्वालियर के अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय तालाबों में मत्स्य पालन/हितग्राहियों को प्रदान

स्वीकृति , वर्षवार, स्थानवार एवं लाभान्श/अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) स्थल निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करने के लिए संबंधित विकासखण्ड के मत्स्य निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। (घ) प्रश्नांश (ख) में स्वीकृत तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है।

रोगी कल्याण समिति की बैठके एवं निर्णय का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

110. (क्र. 1022) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न स्तर के अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति गठन के क्या नियम/निर्देश है? उपलब्ध करायें। रोगी कल्याण समिति की बैठक कितने समय अन्तराल में आहूत की जानी चाहिए? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी अधिकृत है? (ख) क्या ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले विभिन्न स्तर के अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। रोगी कल्याण समिति की बैठक 1 जनवरी, 2024 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब हुई? दिनांकवार, बैठकवार जानकारी और उसका पालन प्रतिवेदन की जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न अस्पतालों में ओ.पी.डी. शुल्क, दान एवं अन्य माध्यमों से राशि प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में दी गई अवधि में कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? अस्पतालवार, वर्षवार जानकारी दें। क्या आय-व्यय का अनुमोदन संबंधित रोगी कल्याण समिति से लिया गया? यदि हाँ, तो कब-कब? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या सी.एम.एच.ओ. ग्वालियर द्वारा भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति की राशि अन्य योजना में व्यय की गई है? यदि हाँ, तो यह राशि कब संबंधित अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) से वसूल कर रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा कराई जायेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नहरों की मरम्मत एवं रख-रखाव

[जल संसाधन]

111. (क्र. 1023) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले के बांधो से निकलने वाली नहरों के रख-रखाव/सुदृढीकरण/गहरीकरण हेतु वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई थी? वर्षवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में उल्लेखित राशि में से कितनी राशि हरसी हाई लेवल के नाम एवं इससे निकलने वाली नहरों एवं दोआब नहर एवं इससे निकलने वाली नहरों के लिए प्राप्त हुआ है? वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित वर्षों में प्राप्त राशि से प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित नहरों के कार्य प्रश्न दिनांक तक नहीं कराये गए है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी नहरों का कहां-कहां, क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि का कराया गया

है? कार्यवार विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित नहरों के रख-रखाव, सुदृढीकरण, गहरीकरण हेतु कोई प्रस्ताव विभाग द्वारा शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्या यह सभी नहरे सुदृढ, पर्याप्त गहरी एवं सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी देने हेतु पूर्ण रूपेण तैयार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले के बांधो से निकलने वाली नहरों के रख-रखाव/सुदृढीकरण/गहरीकरण हेतु वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-1" (1 से 4) अनुसार है। (ख) वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक हरसी हाई लेवल नहर एवं उससे निकलने वाली नहरों एवं दोआब नहर एवं उससे निकलने वाली नहरों के लिए वर्षवार कार्यवार प्राप्त राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-2" (1 से 2) अनुसार है। (ग) वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक हरसी हाई लेवल नहर एवं उससे निकलने वाली नहरों एवं दोआब नहर एवं उससे निकलने वाली नहरों में कराये गये कार्य की कार्यवार व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-2" (1 से 2) अनुसार है। (घ) जी नहीं। हरसी हाई लेवल नहर एवं उससे निकलने वाली नहरों एवं दोआब नहर एवं उससे निकलने वाली नहरों के रख-रखाव सुदृढीकरण/गहरीकरण हेतु कोई प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा है। जी हाँ। वर्तमान में नहरो से सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाना प्रतिवेदित है।

रिसॉर्ट/मोटेल का निर्माण

[पर्यटन]

112. (क्र. 1025) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश को खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथौन विकासखण्ड अन्तर्गत ग्राम इटवा में खसरा नम्बर 391/1 में 6.95 एकड़ भूमि रिसॉर्ट/मोटेल/गेस्ट हाउस निर्माण हेतु आरक्षित है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है? कब तक उक्त सुविधा प्रदान कर दी जावेगी?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : जी हाँ। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

बीना नदी परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण

[जल संसाधन]

113. (क्र. 1026) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बीना नदी परियोजना अन्तर्गत निर्मित बांध के डूब क्षेत्र में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आसौलीघाट का पूर्व निर्मित मार्ग आ जाने के कारण विभाग द्वारा महुनाजाट से खजराहरचंद लगभग 6 कि.मी. मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग निर्माण हेतु कितनी राशि की निविदा कब जारी की गई? कार्य की निर्माण एजेंसी क्या है? निविदा शर्तों अनुसार कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : हनोता सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन हनोता बांध के डूब क्षेत्र में खुरई विधानसभा अंतर्गत खुरई-पठारी मार्ग से महुनाजाट होते हुए ग्राम असौली तक मार्ग डूब में आने के कारण ग्राम महुनाजाट की डूब से बाहर की शेष आबादी हेतु ग्राम

महुनाजाट एवं ग्राम खजराहरचंद के मध्य लगभग 2.25 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। मार्ग निर्माण की राशि रु. 645.99 लाख जीएसटी रहित की निविदा दिनांक 25 सितम्बर, 2025 को जारी की गई थी। मार्ग निर्माण कार्य की निर्माण एजेंसी मेसर्स जितेन्द्र कुमार जैन कॉन्ट्रैक्टर सागर है। मार्ग का निर्माण अनुबंध अनुसार दिनांक 21/04/2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जलाशय सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति

[जल संसाधन]

114. (क्र. 1033) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समस्त बालाघाट जिले में समस्त संभागों (वैनगंगा, बंजर आदि समस्त) 2020-22 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने कार्य यथा लाईनिंग काण्डा-नाली निर्माण, लघु सिंचाई परियोजना जलाशय आदि समस्त कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो प्रत्येक कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, राशि आवंटन, कार्य एजेंसी को भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें। समस्त जानकारी पृथक-पृथक तिथिवार, कार्यवार, विकासखण्डवार, विधानसभावार उपलब्ध करावें। (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुछ निर्माण कार्य, जलाशय सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सके हैं? यदि हाँ, तो कारण बतायें और क्यों? (ग) क्या प्रतिवर्ष नहरों की सफाई एवं छोटे-छोटे बंधान कार्य या अन्य कार्य श्रमिकों के माध्यम से कराये जाते हैं यदि हाँ, तो 2022 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र-110, परसवाड़ा में किस-किस श्रमिकों से कौन-कौन से कार्य करवाये गये तथा उन्हें कितना भुगतान किस माध्यम से कितना-कितना भुगतान किया गया? कार्यवार, श्रमिकों के नाम सहित क्रय की गई सामग्री के भुगतान समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बगलीपाठ माइक्रो एरीगेशन (हौज सिस्टम) योजना की द्वितीय निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। (ग) नहरों की सफाई का कार्य श्रमिकों को भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाता, वरन् निविदा आमंत्रण पश्चात संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी भुगतान करती है। 2022 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र-110, परसवाड़ा में करवाये गये कार्य तथा एजेंसी को किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

कमर्शियल वाहनों की जानकारी

[परिवहन]

115. (क्र. 1035) श्री मधु भगत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समस्त बालाघाट जिले में विभाग में कितने कमर्शियल वाहन (बस, ट्रक व अन्य) रजिस्टर्ड हैं जो कि लोकसेवा में प्रचलन में हैं। वाहन का रजिस्ट्रेशन नं., वाहन चालक, कंडक्टर, परमिट की प्रति उपलब्ध कराये साथ ही वाहन इंश्योरेंस एवं फिटनेस सहित बस परिवहन व्यय (ग्राम के नाम) बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वाहनों से विगत 4 वर्षों में कितना शुल्क शासन को प्राप्त हुआ? वाहन के नाम सहित फर्म/ट्रेवल्स आदि के नाम सहित आय-व्यय की जानकारी उपलब्ध

करावें। शासन को लाभांश की राशि का ब्यौरा देवें। (ग) बालाघाट से भोपाल एवं इन्दौर, जबलपुर, नागपुर आवागमन वाली बसों में यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक वाहन शुल्क लिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई, विगत 2 वर्षों में प्राप्त शिकायतों का विवरण उपलब्ध कराते हुए की गई कार्यवाही से पृथक-पृथक अवगत करावें? (घ) जिला बालाघाट में किस-किस कार्यालय में (बेरियर सहित) कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी/अन्य लोकसेवक कब से पदस्थ/कार्यरत हैं, सूची उपलब्ध करावें, साथ ही यह बतावें कि मूल पदस्थापना संस्था/कार्यालय से अन्यत्र कार्यरत/कर्तव्यस्थ हैं क्यों? साथ ही विगत 3 वर्षों में जिला कार्यालय बालाघाट में आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा देवें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) बालाघाट जिले में कमर्शियल वाहन जो लोकसेवा में प्रचलन में है, की कुल संख्या 5171 है। उक्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर, फिटनेस एवं परमिट की जानकारी की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। वाहन के इंश्योरेंस परिवहन विभाग द्वारा नहीं किये जाते हैं। वाहन चालकों को वाहन स्वामी द्वारा रखा जाता है जिसकी सूचना परिवहन विभाग में रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। बसों के परिवहन किराये से संबंधित अधिसूचना पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित वाहनों से विगत 4 वर्ष में शासन को प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। शेष प्रश्नांश से संबंधित जानकारी परिवहन विभाग द्वारा रखे जाने का प्रावधान नहीं होने से अपेक्षित नहीं। (ग) प्रतिवेदित अवधि में जिला परिवहन कार्यालय बालाघाट में बस के यात्रियों से अधिक किराया लिये जाने संबंधी कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है। उक्त क्रम में जिला परिवहन अधिकारी बालाघाट द्वारा औचक निरीक्षण कर अधिक किराया लेने वाली 3 बसों से राशि रुपये 25000/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। (घ) जिला परिवहन कार्यालय बालाघाट में एवं परिवहन चैकपाइंट बालाघाट में पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "इ" अनुसार है एवं विगत 3 वर्षों में जिला परिवहन कार्यालय बालाघाट में प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "फ" अनुसार है।

कुण्डेश्वरधाम में नवीन चिकित्सा भवन की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

116. (क्र. 1037) श्री संतोष वरकड़े : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुण्डेश्वरधाम के लिए नवीन चिकित्सा भवन स्वीकृत है? यदि हाँ, तो किन कारणों से निर्माण कार्य आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुआ?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डेश्वरधाम (कुण्डम) के लिए नवीन चिकित्सा भवन 15वें वित्त आयोग के वित्तीय पोषण से स्वीकृत हुआ था। उक्त निर्माण कार्य हेतु 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत स्वीकृत पर्याप्त राशि प्राप्त न होने और योजना अब समाप्त हो जाने के कारण निर्माण कार्य आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

फौती, नामांतरण एवं बटवारा की जानकारी

[राजस्व]

117. (क्र. 1038) श्री संतोष वरकड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील सिहोरा एवं कुण्डेश्वरधाम में विगत एक वर्ष में फौती, नामांतरण एवं बटवारा के कितने प्रकरण तय समय-सीमा में निराकृत किये गए एवं कितने प्रकरण निराकृत हेतु लंबित है? और किन कारणों से लंबित है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील सिहोरा एवं कुण्डेश्वर धाम में विगत एक वर्ष में फौती, नामांतरण एवं बटवारा प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

<u>तहसील का नाम</u>	<u>फौती नामांतरण</u>		<u>बटवारा</u>	
	<u>तय समय सीमा में निराकृत प्रकरण</u>	<u>लंबित प्रकरण</u>	<u>तय समय सीमा में निराकृत प्रकरण</u>	<u>लंबित प्रकरण</u>
सिहोरा	419	109	134	27
कुंडेश्वर धाम	86	14	53	32

उक्त निराकृत हेतु लंबित सभी प्रकरण समय-सीमा के भीतर है, लंबित प्रकरणों में इशतहार का प्रकाशन, पक्षकारों की उपस्थिति एवं हल्का पटवारियों से जांच प्रतिवेदन की कार्यवाही प्रचलित है।

शिक्षकों/सेवानिवृत्ति शिक्षकों का समयमान-वेतनमान

[स्कूल शिक्षा]

118. (क्र. 1040) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में ऐसे कितने शिक्षक/सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जिनका वेतन कनिष्ठ शिक्षकों से कम हो जाने पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल, अधिसूचना भोपाल दिनांक 28 फरवरी, 2009 क्र.एफ-8/2009/नियम/चार के प्रावधान की टिप्पणी क्रमांक 5 तथा 7 का लाभ प्रदान किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है? सभी की सूची संपूर्ण उपलब्ध कराएं। (ख) क्या विभाग द्वारा उनके अभ्यावेदन पर वेतन पुनर्निर्धारण कर संयुक्त संचालक कोष और लेखा से अनुमोदन प्राप्त कर लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या-क्या लाभ तथा नहीं तो क्यों? (ग) क्या ऐसे शिक्षकों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को वेतन पुनर्निर्धारण कर वेतन/पेंशन का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा बताये?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) नियमानुसार पात्रता नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विद्यालय के भवनों की मरम्मत

[स्कूल शिक्षा]

119. (क्र. 1041) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्रामों एवं नगर में कितनी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शालाएं संचालित की जा रही हैं एवं बालाघाट शहर में संचालित सांदीपनि स्कूल में नगर की कितनी स्कूलों को उसमें शामिल किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या संचालित सी.एम. राइज स्कूल में जिले के अन्य स्कूलों के बच्चों को सी.एम. राइज में पढ़ना है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या शासन के द्वारा सी.एम. राइज विद्यालय में सीट की बढ़ोतरी की जाएगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) वर्णित कितनी इमारतें जर्जर अवस्था में हैं? शासन से कब-कब इन भवनों की मरम्मत की मांग की गई अथवा अतिरिक्त कक्ष की मांग की गई एवं किस स्तर में वर्तमान में लंबित है या इनकी मरम्मत हेतु कोई योजना शासन द्वारा बनाई जा रही है? **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित कितने विद्यालयों को अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है, कितने विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल की आवश्यकता है? इन्हें कब तक बनवाया जाना प्रस्तावित है एवं कितने विद्यालय की छत से पानी टपक रहा है कितने विद्यालय क्षतिग्रस्त है? क्या इसकी कोई जानकारी या सूची शासन, विभाग के पास उपलब्ध है? यदि हाँ, तो उपलब्ध करायें। यदि नहीं है तो क्या विभाग टीम गठित कर जांच करेगा और प्रमाणिक सत्यापित एवं फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रति प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' पर है। **(ख)** जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यालय भवन के मॉडल अनुसार सीट में बढ़ोतरी की गई है। **(ग)** विधान सभा अन्तर्गत कुल 8 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन जर्जर अवस्था में हैं एवं 94 शाला मरम्मत योग्य है। ऐसे भवनों का चिन्हांकन किया गया है स्वीकृति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कोई भी शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर नहीं है। स्कूलों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य हेतु बजट उपलब्धता अनुसार राशि स्वीकृत की जाती है। **(घ)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है, साथ ही अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण स्कूल में उपलब्ध भूमि एवं छात्र संख्या के आधार पर बजट उपलब्धता एवं सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नहरों का सीमेंटीकरण

[जल संसाधन]

120. (क्र. 1046) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संजय सरोवर परियोजना की किन-किन नहरों के सीमेंटीकरण/लाइनिंग कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? **(ख)** उक्त कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति कब प्रदान की गई? **(ग)** संबंधित कार्यों के टेंडर कब जारी किए गए तथा कार्यादेश कब प्रदान किया गया? **(घ)** नहरों के सीमेंटीकरण कार्य का वास्तविक में प्रारंभ कब तक किया जाएगा तथा कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा क्या निर्धारित है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) संजय सरोवर परियोजना की मुख्य नहर, वितरक नहर, माइनर एवं सब माइनरो के सीमेन्टीकरण/लाईनिंग कार्य हेतु ई.आर.एम (विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण) मद अन्तर्गत प्रस्ताव भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय को प्रेषित किया गया था जिस भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। (ख) प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिसे भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्मिलित नहीं किया गया है। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता वैनगंगा कछार सिवनी द्वारा दिनांक 06.09.2024 को प्रदान की गई है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पर्यटन विकास कार्यों की जानकारी

[पर्यटन]

121. (क्र. 1047) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से पर्यटन स्थल चिन्हित हैं तथा उनमें से कितने स्थलों का पर्यटन विभाग द्वारा विकास किया गया है? (ख) वर्ष 2021 से आज दिनांक तक उक्त पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय की गई है? स्थलवार जानकारी प्रदान करें। (ग) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अमृतगढ़, संजय सरोवर एवं अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत अथवा प्रस्तावित हैं? (घ) यदि कोई कार्य स्वीकृत है तो उसका कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की समय-सीमा क्या है? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन एवं उनको सूचीबद्ध करने की कार्यवाही पर्यटन विभाग द्वारा नहीं की जाती। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत एवं प्रस्तावित नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्व प्रकरणों की जानकारी

[राजस्व]

122. (क्र. 1050) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2024 से प्रश्न दिनांक तक जिला विदिशा में फौती नामांतरण, विक्रय नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, धारा 178, धारा 70, कब्जा वापसी, धारा 20 (3), भूमि आवंटन तथा आधिपत्य कृषक का नाम हटाने संबंधी कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? तहसीलवार जानकारी देते हुए प्रत्येक श्रेणी में निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की संख्या पृथक-पृथक उपलब्ध कराई जाए। (ख) उपरोक्त प्रकरणों में दिनांक 01.04.2024 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा कितने लंबित हैं? लंबित प्रकरणों में 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष एवं 1 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी तथा लंबित रहने के कारण उपलब्ध कराए जाएं। (ग) उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा क्या है? कितने प्रकरण निर्धारित समय-सीमा के

भीतर तथा कितने समय-सीमा के पश्चात निराकृत किए गए हैं? इसकी तहसीलवार एवं प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (घ) दिनांक 01.04.2024 से प्रश्न दिनांक तक राजस्व प्रकरणों के विलंबित निराकरण के कारण किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित अथवा की गई है? कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ड.) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01.04.2024 से प्रश्न दिनांक तक अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व मंडल, आयुक्त एवं कलेक्टर को प्रेषित पत्रों पर प्राप्त पत्राचार, पत्र-पावती, की गई कार्यवाही, प्रश्नकर्ता को दी गई सूचना तथा संबंधित अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएं।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) दिनांक 01/04/2024 से प्रश्न दिनांक तक विदिशा जिले की तहसीलो में फौती नामांतरण, विक्रय नामांतरण, सीमांकन बटवारा, धारा 178, मद अ.70, कब्जा वापसी, मद अ.20 (3) भूमि आवंटन तथा आधिपत्य कृषक का नाम हटाने संबंधी दर्ज, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग)

उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित है:-		
मद	म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 यथासंशोधित 2018 के तहत निर्धारित समय सीमा	लोक सेवा अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय सीमा
फौती विक्रय नामांतरण	60 दिवस	30 कार्य दिवस
अविवदित/विवादित	180 दिवस	
सीमांकन		45 कार्य दिवस
बंटवारा		90 दिवस
कब्जा वापसी अ-70	समय सीमा निर्धारित नहीं है	समय सीमा निर्धारित नहीं है
भूमि आवंटन मद 20 (3)	समय सीमा निर्धारित नहीं है	समय सीमा निर्धारित नहीं है
आधिपत्य कृषक का नाम हटाने संबंधी	प्रावधान नहीं है।	प्रावधान नहीं है।

निर्धारित समय-सीमा के भीतर तथा समय-सीमा के पश्चात निराकृत प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय रखे में परिशिष्ट "ब" अनुसार। (घ) दिनांक 01.04.2024 से प्रश्न दिनांक तक म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पदाभिहित अधिकारी, तहसीलदार मण्डल-1 सिरोंज पर राशि 20,000/-रूपये, नायब तहसीलदार मण्डल-4 सिरोंज राशि 10,500/-रूपये, नायब तहसीलदार मण्डल-1 लटेरी राशि 3,500/-रूपये, नायब तहसीलदार मण्डल-1 कुरवाई राशि 4250/-रूपये, नायब तहसीलदार मण्डल-2 कुरवाई राशि 1000/-रूपये, तहसीलदार लटेरी राशि 1500/-रूपये, की शास्ति अधिरोपित की गई एवं तहसीलदार ग्यारसपुर को भविष्य में पुनरावृत्ति न किए जाने हेतु सचेत किया गया है। (ड.) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार।

निजी विद्यालयों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण

[स्कूल शिक्षा]

123. (क्र. 1051) श्री उमाकांत शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2018 से प्रश्न दिनांक तक जिला विदिशा में अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी विद्यालयों एवं शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना अनुमति, नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की विद्यालयवार, वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक प्रकरण में जांच अधिकारी का नाम, पदनाम, जांच प्रतिवेदन की तिथि तथा मान्यता/नवीनीकरण स्वीकृत संस्थाओं का आदेश दिनांक सहित विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ख) किन विद्यालयों/संस्थाओं के आवेदन निरस्त अथवा लंबित हैं? विद्यालयवार कारण, लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही एवं प्रस्तावित समय-सीमा उपलब्ध कराई जाए। (ग) दिनांक 01.04.2018 से प्रश्न दिनांक तक अशासकीय विद्यालयों एवं शिक्षा महाविद्यालयों का किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं एवं उन पर की गई कार्रवाई का विद्यालयवार एवं वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। (घ) प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में जिन अशासकीय विद्यालयों/संस्थाओं की मान्यता निलंबित अथवा समाप्त की गई है, उनके कारण, आदेश दिनांक एवं संबंधित आदेशों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएं। (ङ.) क्या किसी अशासकीय विद्यालय/संस्था को निर्धारित मानकों में शिथिलता देकर मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो विद्यालयवार विवरण, शिथिलता का आधार एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश उपलब्ध कराए जाएं। (च) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01.04.2024 से प्रश्न दिनांक तक प्रमुख सचिव, आयुक्त, संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को प्रेषित पत्रों पर प्राप्त पत्राचार, पत्र-पावती, की गई कार्यवाही तथा संबंधित अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा में अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही वर्ष 2023-24 से प्रारंभ की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) उत्तरांश "क" के प्रकाश में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) उत्तरांश "क" के प्रकाश में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (घ) उत्तरांश "क" के प्रकाश में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (ङ) नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार।

शासकीय हमीदिया हॉस्पिटल द्वारा उपकरण क्रय किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

124. (क्र. 1055) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय हमीदिया अस्पताल में दवाईयाँ, जांच उपकरण,

सर्जिकल उपकरण व अन्य सामग्रियां क्रय किये जाने के क्या नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में हमीदिया अस्पताल प्रबंधन द्वारा विगत 3 वर्षों कौन-कौन सी दवाईयां कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितनी-कितनी दर में किस-किस फार्मा कंपनी द्वारा क्रय की गई? क्रय की गई दवाईयों के लिये अस्पताल प्रबंधन द्वारा किस-किस फार्मा कंपनी को कब-कब तथा कितना-कितना भुगतान किया गया? फार्मा कंपनी का नाम, पता, भुगतान देयक पत्रक/वाउचर सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में दवाईयां सप्लाई हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गई है? आमंत्रित निविदा में किस-किस कंपनी/फर्म ने भाग लिया तथा किस कंपनी/फर्म द्वारा किस दर पर निविदा स्वीकृत हुई? निविदा आमंत्रित तिथि, भाग लेने वाले फर्म/कंपनी/संचालक का नाम, निविदा प्रपत्रों की प्रति सहित बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में हमीदिया अस्पताल प्रबंधन द्वारा कौन-कौन से जांच उपकरण किस-किस कंपनी/फर्म से किस-किस दर में कब-कब क्रय किये गये? क्रय किये गये जांच उपकरण प्रश्न दिनांक की अवधि में चालू है अथवा बन्द हो गये? विगत 3 वर्षों में क्रय किये गये जांच उपकरणों की पृथक-पृथक उपकरणों के नाम/उपयोग सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) शासकीय हमीदिया चिकित्सालय में दवाईयों, जाँच उपकरण, सर्जिकल उपकरण व अन्य सामग्रियों के क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) नियम लागू है। नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) हमीदिया चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा विगत 3 वर्षों में खरीदी गई दवाई की मात्रा एवं क्रय किये गये संबंधित दवा फर्मों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्रय किये गये दवाईओं हेतु किये गये भुगतान एवं फर्म कंपनी के नाम, पता, भुगतान देयक, पत्रक/वाउचरों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में दवा सप्लाई हेतु हमीदिया अस्पताल द्वारा आमंत्रित की गई निविदा में भाग ली गई फर्मों, निविदा आमंत्रण तिथि एवं निविदा की स्वीकृत दरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में हमीदिया अस्पताल प्रबंधन द्वारा विगत 3 वर्ष में क्रय किये गये जांच उपकरण, नाम, उपयोग एवं उनके क्रय दरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ध" अनुसार है। वर्तमान में हमीदिया अस्पताल प्रबंधन द्वारा विगत तीन वर्ष में क्रय किये गये सभी जांच उपकरण क्रियाशील है।

पुजारियों के मानदेय का भुगतान

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

125. (क्र. 1059) श्री हजारीलाल दांगी : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में कितने मंदिर शासन संधारित है इन मंदिरों की जानकारी, मंदिरों के पास स्थित भूमि, परिसंपत्ति की जानकारी पृथक-पृथक मंदिरवार उपलब्ध करावें। (ख) क्या मंदिरों की भूमि, परिसंपत्ति पर किसी का अतिक्रमण है, यदि हाँ, तो अतिक्रमणकर्ता की जानकारी दें। अतिक्रमण कब तक हटाया जायेगा और दोषियों के विरुद्ध क्या और कब तक कार्यवाही की जायेगी? समय सीमा दें। (ग) राजगढ़ जिले में स्थित किन-किन शासन संधारित मंदिरों

मे कार्यरत पुजारी मानदेय की पात्रता रखते हैं, पृथक-पृथक मंदिरवार जानकारी उपलब्ध करावें। ऐसे कितने मन्दिर हैं जिनके पुजारी मानदेय की पात्रता रखते हैं, किंतु उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जानकारी उपलब्ध करावे। इसमें कौन दोषी है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) पात्रता रखने वाले पुजारियों को मानदेय कब तक देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एयर एम्बुलेंस सेवा का व्यय विवरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

126. (क्र. 1062) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक योजना के प्रचार-प्रसार, विज्ञापन एवं जन-जागरूकता गतिविधियों पर वर्षवार एवं मदवार कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण दें। (ख) एयर एम्बुलेंस सेवा के संचालन हेतु वर्तमान में कितने हेलीकॉप्टर/विमान उपयोग में लिए जा रहे हैं? प्रत्येक हेलीकॉप्टर/विमान का स्वामित्व, संचालन एजेंसी, चयन प्रक्रिया, अनुबंध अवधि तथा शासन द्वारा किए जा रहे भुगतान/किराया राशि का विवरण क्या है? साथ ही क्या ये हेलीकॉप्टर/विमान अन्य राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों अथवा निजी संस्थाओं को भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? यदि हाँ, तो संबंधित संस्थाओं के नाम, सेवा अवधि एवं प्राप्त भुगतान का विवरण दें। (ग) योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने मरीजों/लाभार्थियों को एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ प्रदान किया गया है? जिला एवं वर्षवार लाभार्थियों की संख्या, उन्हें उपचार हेतु भेजे गए अस्पतालों के नाम तथा प्रत्येक प्रकरण पर शासन द्वारा किए गए व्यय का विवरण दें? (घ) योजना के संचालन, रख-रखाव, किराया, ईंधन, मानव संसाधन एवं अन्य प्रशासनिक मदों पर स्थापना से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना व्यय किया गया? मदवार एवं वर्षवार विवरण तथा शासन द्वारा योजना की लागत-प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन कराया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राज्य शासन द्वारा संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा योजना के प्रचार-प्रसार, विज्ञापन एवं जन-जागरूकता गतिविधियों पर विभाग द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एयर एम्बुलेंस सेवा के संचालन हेतु वर्तमान में एक हेलीकॉप्टर एवं एक फिक्स्ड विंग विमान उपयोग में लिए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर एवं फिक्स्ड विंग विमान का स्वामित्व जेट सर्व एविएशन प्रायवेट लिमिटेड के पास है जिसकी संचालन एजेन्सी जेट सर्व एविएशन प्रायवेट लिमिटेड (फ्लाईओला) है। संबंधित एजेन्सी को नियमानुसार निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित कर अनुबंध निष्पादित किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 02/07/2025 से 02/07/2028 है। वर्तमान में निष्पादित अनुबंध अनुसार एयर एम्बुलेंस के माध्यम से परिवहन किये जाने हेतु हेलीकॉप्टर के लिए राशि रु. 3,90,000/- प्रति घण्टा एवं फिक्स्ड विंग विमान के लिए राशि रु. 2,35,000/- प्रति घण्टा का किराया निर्धारित है। भुगतान संबंधी विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। जी नहीं, शेष प्रश्न

उपस्थित नहीं होता। (ग) योजना प्रारंभ होने से दिनांक 07-07-2026 तक कुल 159 मरीजों/लाभार्थियों को एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ प्रदान किया गया है। जिला एवं वर्षवार लाभार्थियों की संख्या, उन्हें उपचार हेतु भेजे गये अस्पतालों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। भुगतान की कार्यवाही अनुबंध शर्तानुसार माहवार की जाती है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (घ) योजना के संचालन/किराया पर कुल राशि रु. 36,10,05,359.70/- का व्यय हुआ है। रोगियों हेतु निर्धारित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यय का वहन निविदा/अनुबंध शर्तानुसार अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौंसठ"

स्वास्थ्य केंद्रों में स्टॉफ एवं अन्य सुविधाओं की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

127. (क्र. 1066) श्री राजन मण्डलोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अन्य स्टॉफ, भवन, बाउंड्रीवाल, पेयजल, बिजली, लैब, एंबुलेंस एवं जांच हेतु उपकरणों आदि की कमी है? स्वास्थ्य केन्द्रवार विवरण दें। (ख) क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कमी पूर्ति की दिशा में शासन द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? उक्त कमी की पूर्ति की जाकर उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को कब तक सर्वसुविधा युक्त बनाया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रावधानित स्वीकृत पद के कर्मचारी पदस्थ होकर कार्यरत हैं। विभाग अंतर्गत विशेषज्ञ संवर्ग के स्वीकृत पदों के विरुद्ध उपलब्धता की अत्यधिक कमी है चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति कमशः मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से निरंतर जारी है। बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में भवन एवं बाउण्ड्रीवाल निर्मित है, पेयजल, बिजली, लैब, एम्बुलेंस व जांच हेतु उपकरणों की पूर्ति होकर उपलब्ध है। स्वास्थ्य केन्द्रवार कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमित, संविदा एन.एच.एम., बंधपत्र एवं आउटसोर्स के माध्यम से आवश्यकतानुसार चिकित्सक/कर्मचारियों की पदपूर्ति की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है। स्वास्थ्य केन्द्रों में मापदण्ड अनुसार उपकरण एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्यों के अनुबंध एवं बैंक गारंटी

[जल संसाधन]

128. (क्र. 1067) श्री राजन मण्डलोई : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनुबंधित संविदाकारों द्वारा विभाग से किये अनुबंध तथा सुरक्षा जमा राशि/बैंक गारंटी के दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यों के

संविदाकारों द्वारा विभाग को दी गई सुरक्षा जमा राशि/बैंक गारंटी का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा, कब-कब किया गया एवं क्या दस्तावेजों में कोई अनियमितता पाई गई अगर हाँ तो की गई? कार्यवाही का विवरण दें। (ग) वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? निर्माण कार्यों के निरीक्षण प्रतिवेदन सहित अगर अनियमितता या गुणवत्ताहीन कार्य किया जाने पर की गई कार्यवाही का विवरण दें। (घ) वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभाग में किन-किन अधिकारियों के कार्यालयीन एवं फील्ड विजिट हेतु वाहन अनुबंधित किए गए? अनुबंधित वाहनों के अनुबंध पत्र, लॉग बुक की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ङ.) वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक जिले में पदस्थ उपयंत्री, सहायक यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्रियों के दौरा डायरी की सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) बड़वानी जिले के जल संसाधन संभाग बड़वानी अंतर्गत वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनुबंध तथा सुरक्षा जमा राशि/बैंक गारंटी की प्रति संभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार हैं। (ख) वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यों के संविदाकारों द्वारा विभाग अंतर्गत बड़वानी संभाग को दी गई सुरक्षा जमा राशि/बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया गया, संभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार हैं। दस्तावेजों में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं। (ग) वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार हैं। निर्माण कार्यों में अनियमितता या गुणवत्ताहीन कार्य नहीं होना पाया गया एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन में कोई अनियमितता प्रतिवेदित नहीं है। कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य संपादित किया गया अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं। (घ) संभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार हैं। (ङ.) वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक जिले में पदस्थ उपयंत्री, सहायक यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्रियों के दौरा डायरी की संभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार हैं।

आशा एवं आशा ऊषा कार्यकर्ताओं के मानदेय, प्रोत्साहन राशि का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

129. (क्र. 1068) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत आशा एवं आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि, गतिविधि आधारित भुगतान एवं अन्य देयकों की राशि विगत 3 माह से लंबित है? यदि हाँ, तो जिला एवं विकासखंडवार लंबित राशि तथा भुगतान की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई ₹1500 प्रोत्साहन राशि का एरियर, 29 जुलाई 2023 को घोषित ₹1000 वार्षिक वृद्धि, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित भुगतान, भुगतान स्लिप उपलब्ध कराने तथा आशा कल्याण कोष के अंतर्गत शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि के भुगतान

संबंधी कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो प्रमाणित विवरण दें। (ग) आशा एवं आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को दुर्घटना में घायल होने पर ₹1 लाख एवं मृत्यु की स्थिति में ₹10 लाख सहायता राशि, ड्रेस कोड, एंड्रॉयड मोबाइल एवं डाटा सुविधा, आशा रेस्ट रूम तथा आशा दिवस/आशा सम्मेलन आयोजित करने संबंधी वर्तमान प्रावधान क्या हैं? (घ) क्या शासन आशा एवं आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को ₹21,000 मानदेय देने, समस्त लंबित भुगतान शीघ्र कराने, शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव रोकने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बना रहा है? यदि हाँ, तो उसका विस्तृत प्रमाणित विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश की बिंदुवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ग) उत्तरांश की बिंदुवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

शिक्षकों का स्थानांतरण एवं शिक्षकविहीन विद्यालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

130. (क्र. 1070) श्री मोंटू सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षक, रिक्त पद, विषयवार शिक्षक की आवश्यकता तथा शिक्षकविहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों की विद्यालयवार एवं विकासखंडवार प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में स्थानांतरण नीति के अंतर्गत सेंधवा विधानसभा क्षेत्र से कितने शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं व्याख्याताओं का स्थानांतरण अन्यत्र किया गया है? विद्यालयवार, पदनामवार, विषयवार एवं स्थानांतरण स्थान सहित प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अवधि में सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में अन्य स्थानों से कितने शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं व्याख्याताओं को पदस्थ किया गया है? विद्यालयवार, विषयवार, पदनामवार एवं पदस्थापना दिनांक सहित प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें। स्थानांतरण के उपरांत वर्तमान में कितने विद्यालय शिक्षकविहीन अथवा विषय-विशेष शिक्षकविहीन हैं? (घ) क्या शासन के संज्ञान में है कि शिक्षकों की कमी एवं स्थानांतरण के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? यदि हाँ, तो शिक्षकविहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना हेतु क्या कार्यवाही की गई है? ऐसे विद्यालयों में कब तक शिक्षकों की नियुक्ति/पदस्थापना की जाएगी? विद्यालयवार प्रस्तावित कार्ययोजना एवं समय-सीमा की प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। (ख) एवं (ग) जानकारी निरंक है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के क्रम में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में संचालित परिवहन चेक पोस्ट के संबंध में

[परिवहन]

131. (क्र. 1073) डॉ. विक्रान्त भूरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में परिवहन चेक पोस्ट जिन्हें 1/7/24 से बंद किया, उनमें 30/6/22 से 30/6/24 तक रोककर चेकिंग किये वाहन, मोटरयान कर तथा शमन शुल्क वसूले वाहन की संख्या, वसूला गया कुल मोटरयान कर और शमन शुल्क की वर्ष अनुसार प्रत्येक चेक पोस्ट अनुसार जानकारी दें। (ख) प्रदेश के समस्त बंद चेक पोस्ट पर 30/6/24 को कार्यरत समस्त कर्मचारी तथा संसाधन, भवन, भूमि, अन्य साधन एवं व्यवस्था की सूची तथा 1/7/24 को समस्त चेक पॉइंट पर कर्मचारी, भवन, भूमि व अन्य साधन एवं व्यवस्था की सूची प्रदान करें। (ग) वर्तमान वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के April 2026 के आदेश जिसमें परिवहन चेक पोस्ट को फिर से चालू करने के आदेश, की वर्तमान में क्या स्थिति है?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

अमानक कफ सिरप अन्य दवाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

132. (क्र. 1075) डॉ. विक्रान्त भूरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा, पाण्डुरंगा और बैतूल में 2025 में विषाक्त कफ सीरप से 25 बच्चों की मौत के बाद व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जारी निर्देश की प्रतियां देवें। (ख) जन 2024 से प्रश्न दिनांक तक कफ सीरप तथा अन्य दवाओं के कितने सैंपल लिए गए? कितनों की जांच हुई? जांच में किस निर्माता के अमानक, असुरक्षित और मिस ब्रांडेड मिले, दोषी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? जिन सैंपलों की जांच नहीं हो पाई है, उसके कारण क्या है? जिलेवार वर्षवार जानकारी दें। (ग) क्या यह सही है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अक्टूबर 2025 से अभी तक में सीडीएससीओ के साथ मिलकर ओरल लिक्विड बनाने वाली प्रदेश की विभिन्न विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया है? यदि, हाँ तो किस इकाई में क्या कमियां मिलीं? फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? निरीक्षण और कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट और दस्तावेज दें। (घ) प्रश्न दिनांक तक खाद्य औषधि प्रशासन में विभिन्न श्रेणी के कितने स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पद हैं? संवर्ग अनुसार जानकारी दें। किस औषधि निरीक्षक की पदस्थापना किस जिले में है और कब से है? अगस्त 2025 से अभी तक में मंत्रीजी और राज्य मंत्रीजी ने कब खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय का दौरा किया?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार। (ग) जी हाँ, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ड" अनुसार। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी एवं मान राज्य मंत्रीजी द्वारा समय-समय पर विभागीय समीक्षा की जाती है। समीक्षा हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय भ्रमण की आवश्यकता नहीं होती है।

नागदा नगर में डेम का निर्माण

[जल संसाधन]

133. (क्र. 1078) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा नगर में बागेड़ी नदी एवं चंबल नदी के संगम के आगे और चामुंडा माता मंदिर के पीछे की ओर बड़ा डेम बनाने की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही है, प्रश्नकर्ता एवं नगर पालिका नागदा द्वारा भी इस संदर्भ में शासन से डेम स्वीकृत की मांग की है, क्या इस संदर्भ में शासन की कोई योजना बनाई गई है? जानकारी दें। (ख) नागदा नगर में डेम के बनने से शासन स्तर का यह एकमात्र पहला डेम होगा, पूर्व में जो भी डेम बने हैं वह बिरला ग्रुप के हैं इस डेम के बनने से नगर के नागरिकों को पेयजल एवं कृषकों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा और चंबल नदी के तट पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर डेम वाले हनुमान मंदिर, चामुंडा माता मंदिर जैसे प्रसिद्ध देव स्थलों के सौंदर्यीकरण का विस्तार होगा, यहां एक बड़ा पर्यटन केंद्र विकसित होगा क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही प्रचलित है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हां। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अटलावदा बैराज प्रस्तावित है जिसकी D.P.R. MAP IT के द्वारा उपलब्ध सर्वे अनुसार तैयार की जाना प्रतिवेदित हैं। परियोजना से 3600 हे. की सिंचाई की जाना प्रस्तावित है। (ख) जी नहीं।

पट्टे का वितरण

[राजस्व]

134. (क्र. 1079) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नागदा नगर के बादीपुरा, आजादपुरा, मेहतवासा, दुर्गापुरा, अंजनी नगर एवं अन्य क्षेत्रों में पट्टों का आवंटन कब तक किया जायेगा? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संबंध में विभाग में कोई योजना प्रचलित है?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) नागदा नगरीय क्षेत्र में शासन से समय-समय पर प्राप्त शासन के निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार जांच दल गठित कर पट्टों की जांच की जाती है। विगत 03 वर्षों में नगरीय सर्वेक्षण दल के जांच उपरान्त नागदा नगर के बादीपुरा, आजादपुरा, मेहतवास, दुर्गापुरा, अंजनीनगर एवं अन्य क्षेत्रों में कुल 2384 हितग्राहियों की जांच की गई जिसमें कुल 126 पट्टे पात्र पाए गए हैं जिनका वितरण कर दिया गया है। शेष हितग्राही अपात्र पाए गए हैं। (ख) नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि के धारकों को पट्टे जारी किए जाने के संबंध में वर्तमान में मध्यप्रदेश में धारणाधिकार योजना प्रचलित है।

मंदसौर में वाहनों का फिटनेस सेंटर शुरू किया जाना

[परिवहन]

135. (क्र. 1082) श्री विपीन जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवहन कार्यालय मंदसौर में पूर्व में वाहनों के फिटनेस योग्यता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते थे तथा कुछ समय पूर्व एटीएस (ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर) द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी

करने के आदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा दिए गए जबकि मंदसौर जिले में एटीएस कहीं भी नहीं है। (ख) मंदसौर जिले को उज्जैन एटीएस से संबद्ध किया गया है, जो कि यहां से 175 किलोमीटर दूर है इस वजह से ऑटो रिक्शा, टैक्सियों, टैप्पो, बस, छोटी गाड़ियों एवं अन्य वाहनों को फिटनेस करने में बहुत दिक्कत आ रही है। (ग) क्या शासन द्वारा इसका कोई समाधान किया जाएगा और एटीएस (ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर) का सिस्टम कब हटेगा या फिर एटीएस कब तक चालू होंगे? (घ) निजी क्षेत्र में बनाये जा रहे एटीएस सेंटर कब तक प्रारंभ होंगे? मंदसौर जिले में फिटनेस की व्यवस्था कब शुरू कर दी जाएगी?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक 766/1209/2022/आठ, दिनांक 13.03.2026 द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मंदसौर में वाहनों के मैन्युअल रूप से फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही निषेध की जाकर उज्जैन जिले में स्थापित एटीएस के माध्यम से वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किया जाना आदेशित किया गया है। आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वाहनों का फिटनेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से किये जाने हेतु राज्य में 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित कराने के लिए तैयार की गई एक विस्तृत माहवार परिचालन योजना के अंतर्गत जारी किए गए निर्देश दिनांक 02.03.2026 के पालन में मंदसौर जिले को उज्जैन एटीएस से संबद्ध किया गया है, जिसके पालन में मंदसौर जिले के वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र उज्जैन जिले में स्थापित एटीएस के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं। (ग) सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनफिट वाहनों के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाहनों के स्वचालित परीक्षण (ऑटोमेटिक टेस्टिंग) के उपरान्त ही फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किये जाना अनिवार्य किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 25 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) क्रियाशील हैं तथा 42 के निर्माण का कार्य जारी है। (घ) निजी क्षेत्र में बनाये जा रहे एटीएस सेंटर प्रारंभ होने की समय-सीमा का उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक 766/1209/2022/आठ, दिनांक 13.03.2026 में है। आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** मंदसौर जिले में एटीएस स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन के क्रम में परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा उक्त एटीएस की स्थापना हेतु प्रारंभिक पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 07.04.2026 जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 17.10.2026 तक है। उक्त एटीएस के निर्माण का कार्य जारी है।

परिशिष्ट - "छियासठ"

कलेक्टर द्वारा भेजे गए निलंबन प्रस्ताव पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

136. (क्र. 1084) श्री मोहन शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कलेक्टर, राजगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक/शिक्षा/शिकायत/1/531269/2025, दिनांक 02.10.2025 के माध्यम से शासकीय उ.मा.वि. कुरावर, जिला राजगढ़ की प्राचार्य श्रीमती अल्वीना

टोप्पो के विरुद्ध निलंबन हेतु प्रस्ताव आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया गया था? (ख) उक्त निलंबन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत शासन द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) यदि संबंधित प्राचार्य को आज दिनांक तक निलंबित नहीं किया गया है, तो इसके कारण क्या हैं तथा निलंबन प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण क्या है? (घ) क्या शासन द्वारा उक्त प्रकरण में विभागीय जांच अथवा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं वर्तमान स्थिति क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) श्रीमती अल्विना टोप्पो, प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि. कुरावर जिला राजगढ़ को संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था. 1/सर्त/सी-1/28/राजगढ़/2026/346 भोपाल 09-7-26 द्वारा निलंबित किया गया। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। श्रीमती अल्विना टोप्पो, निलंबित प्राचार्य शासकीय उमावि कुरावर जिला राजगढ़ के विरुद्ध संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/सर्त/सी-1/28/राजगढ़/2026/348 भोपाल, दिनांक 09-7-26 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है।

स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति एवं भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

137. (क्र. 1086) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर नवीन भवनों का निर्माण किया गया है? जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोस्टर अनुसार कितने-कितने चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ स्वीकृत किये गये हैं, वर्तमान में रोस्टर अनुसार कौन-कौन से पद भरे गये हैं एवं कौन-कौन से पद रिक्त हैं? जानकारी दें। (ग) उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त पदों की पूर्ति कब की जावेगी? जानकारी दें। (घ) क्या उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवनों के निर्माण कार्य में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत पत्र अथवा सामाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है? अगर प्राप्त हुई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) पदपूर्ति की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आदिवासी लोक कला संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन

[संस्कृति]

138. (क्र. 1090) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राज्य मंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी बाहुल्य सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक

आदिवासी संस्कृति, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, भगोरिया, गवरी, गैर, पारंपरिक वाद्ययंत्र एवं अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संस्कृति विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं? उनका विवरण उपलब्ध कराया जाए। उक्त अवधि में सैलाना विधानसभा क्षेत्र के लिए संस्कृति विभाग द्वारा कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय की गई है? योजनावार एवं वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। सैलाना विधानसभा क्षेत्र के कितने आदिवासी कलाकार, लोक कलाकार, सांस्कृतिक दल, भजन मंडलियाँ एवं सांस्कृतिक संस्थाएँ संस्कृति विभाग में पंजीकृत हैं? उनका ग्रामवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ख) वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक सैलाना विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी कलाकारों, लोक कलाकारों एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को दी गई आर्थिक सहायता, अनुदान, सम्मान राशि एवं प्रोत्साहन राशि का लाभार्थीवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। क्या सैलाना विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति संरक्षण हेतु किसी आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र, लोक कला प्रशिक्षण केंद्र, संग्रहालय, सभागार अथवा सांस्कृतिक भवन की स्थापना की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए तथा यदि नहीं, तो क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक सैलाना विधानसभा क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण, मरम्मत, सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का कार्यवार विवरण, स्वीकृत लागत, व्यय राशि एवं वर्तमान प्रगति क्या है?

राज्य मंत्री, संस्कृति (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) विभाग एवं अनुषंग कार्यालयों द्वारा आदिवासी बाहुल्य सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक आदिवासी संस्कृति लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत भगोरिया, गवरी, गैर पारंपरिक वाद्ययंत्र एवं अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई भी योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाते हैं, इस हेतु कोई राशि का आवंटन नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांकित अवधि में सैलाना विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी कलाकारों, लोक कलाकारों एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, अनुदान सम्मान राशि एवं प्रोत्साहन राशि विभाग एवं अनुषंग कार्यालयों द्वारा प्रदाय नहीं की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भू-अर्जन का मुआवजा

[राजस्व]

139. (क्र. 1093) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में भूमि अधिग्रहण एवं भू-अर्जन अधिनियम लागू है? इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में मुआवजे की गणना किस प्रकार की गई है? जानकारी दें। (ख) रतलाम जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक सड़क, पुल, बाँध परियोजना सहित अन्य कार्य के लिए किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित की गई? अधिग्रहण पश्चात कितने भू-स्वामी को कितना-कितना भू- अर्जन मुआवजा निर्धारित किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित भू-अर्जन मुआवजा राशि कितने स्थान पर प्रदाय की जा चुकी है? कितने स्थान पर अभी तक प्रदाय की जाना एवं कितने स्थान पर निर्धारण किया जाना शेष है? मुआवजा कब तक वितरित किया जायेगा? (घ) मुआवजा निर्धारण की नवीन गाईड-लाईन के निर्देश कब जारी किये गये? इन निर्देशों के तहत किस-किस

परियोजना/कार्यों के भू-स्वामियों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाएगा? जिले के कार्यवार, स्थानवार, मुआवजा राशिवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में मुआवजे की गणना मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार। (घ) म.प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल के परिपत्र क्र 98/5016058/2026/शा.-7 भोपाल 27-04-2026 को जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार जिसमें भू-अर्जन के विभिन्न अधिनियमों में प्रचलित समस्त प्रकरण जिनमें निर्णय प्रभावशील होने की दिनांक तक अंतिम अवार्ड पारित नहीं किया गया है, सभी पर यह निर्णय लागू होगा। दिनांक 27-04-2026 के पश्चात अवार्ड की कार्यवाही प्रचलन में होने से नवीन गार्डलाईन अनुसार मुआवजे का निर्धारण नहीं हुआ है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार।

धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

140. (क्र. 1094) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिले में कितने मंदिरों/धर्म स्थलों को पंजीबद्ध किया है? क्या इन सभी मंदिरों में पुजारी भी नियुक्त है? तहसीलवार, स्थानवार, नामवार जानकारी दें। (ख) उक्ताशय मंदिरों के पास कितनी-कितनी, कहां-कहां पर कृषि भूमि/अचल संपत्तियां स्थित है? उनसे कितनी आय होती है? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) वर्ष 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जिले में कितने स्थानों पर मंदिरों के जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों द्वारा पत्र प्रेषित/आवेदन किये गये? उनमें से कितने स्थानों के कार्य स्वीकृत हुए? कार्यवार, व्ययवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्यों के प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाकर कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे? सिंहस्थ कार्ययोजना में जिले के किन-किन स्थानों को सम्मिलित किया गया है? उन कार्यों की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का घटिया निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

141. (क्र. 1098) श्री सचिन बिरला : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ब्लॉक बड़वाह में स्वीकृत 16 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य बहुत धीमा चल रहा होकर, गुणवत्ता व निर्धारित मानकों के तहत समयावधि में पूर्ण करने हेतु क्या कोई मानिट्रिंग सिस्टम रखा गया है? यदि हाँ, तो किन दिनांकों में किस-किस अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग की गई? मॉनिटरिंग में कोई अनियमितताएं पायी गई हैं। (ख) उक्त 16 भवनों का

निर्माण कार्य निर्धारित दिनांक तक पूर्ण नहीं करने का क्या कारण है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) उक्त 16 भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों का पालन न कर घटिया निर्माण कार्य कराए जाने में प्लिंथ लेवल भरावे में मुरूम के स्थान पर काली मिट्टी का उपयोग करने संबंधी शिकायत की जांचकर दोषियों एवं ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेट की कार्यवाही हेतु कलेक्टर/सी.एम.एच.ओ. खरगोन को पत्र प्रेषित किया था, जिसमें क्या कार्यवाही की गई है इसकी जानकारी दी जावे? यदि जांच नहीं करायी गई है तो इसके लिए कौन दोषी है? (घ) सी.एम.एच.ओ. खरगोन से पत्र क्रमांक 32/30-01-2026 द्वारा विभाग अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की निर्धारित प्रपत्रों में चाही गई जानकारी उपलब्ध न कराने का क्या कारण है? जनप्रतिनिधियों हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर कब तक अवगत कराया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) ब्लॉक बड़वाह में स्वीकृत 16 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि अनुसार समानुपातिक होकर गुणवत्ता निर्धारित मानकों अनुसार प्रगतिरत है। प्रगतिरत निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग विभिन्न स्तरों पर संबंधित उपयंत्री व कार्यपालन यंत्री से लेकर विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा निरन्तर की जाती है, अधिकारियों द्वारा की गई मॉनिटरिंग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। जी नहीं। (ख) ब्लॉक बड़वाह अंतर्गत निर्माणाधीन 16 संस्थाओं में से 09 संस्थाएं पूर्ण एवं 07 संस्था का कार्य निर्धारित समयावधि अनुसार है, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। अतः कोई उत्तरदायी नहीं है। (ग) उक्त सभी 16 भवनों के निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। संबंधित पत्र के अनुक्रम में ग्राम राजना में निर्मित कराये जा रहे भवन की गुणवत्ता के जांच हेतु एक जांच समिति का गठन कर जांच कराई गई एवं कार्य गुणवत्ता पूर्ण पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सी.एम.एच.ओ. खरगोन द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र के तारतम्य में विधायक प्रतिनिधि को दिनांक 02.07.2026 को वांछित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सड़सठ"

विभागीय खरीदियों, फर्जी मरम्मत व गणवेश टेंडर में विसंगतियां

[स्कूल शिक्षा]

142. (क्र. 1101) श्री महेश परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में (1) माशिम कंप्यूटर, (2) व (3) दो वर्षीय जेम पैनल, (4) ₹149 करोड़ स्कूल मरम्मत, (5) ₹100 करोड़ फर्नीचर टेंडर तथा (6) ₹355 करोड़ गणवेश निविदा सहित सभी छह घोटालों के विधिक जांच प्रतिवेदन, नोटशीट व वित्तीय अनुमोदन के संपूर्ण अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां एवं जांच रिपोर्ट उपलब्ध करावें। (ख) क्या गणवेश आपूर्ति की शर्तों (जैसे ₹700 करोड़ टर्नओवर) का निर्माण करने वाली समिति के आधारभूत नियम व वैधानिक मापदंड क्या हैं? इस तकनीकी समिति में वस्त्र विशेषज्ञ को शामिल न करने तथा स्थानीय MSMEs को बाहर करने का दोषी कौन है? (ग) क्या निविदा प्रक्रिया से ठीक पूर्व प्रबंध संचालक (MD) को हटाने तथा नए एम.डी.को असीमित शक्तियां (सुपर पावर) सौंपने में उनकी आपराधिक भूमिका की जांच होगी? इस

प्रशासनिक फेरबदल की नोटशीट व वित्तीय स्वीकृति का आधार क्या है? (घ) क्या दिनांक 19 जून, 2026 की एवं सभी गबन प्रकरणों में प्री-बिड बैठक में संलिप्त अनाधिकृत बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा माशिम की ₹95 करोड़ व लोक शिक्षण की ₹86 करोड़ की लंबित जांचों के चलते तत्कालीन विभाग सचिव एवं आयुक्त पर कोई दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई की गई है? (ड.) क्या सरकार इन सभी छह गबन के कृत्यों, निविदा शर्तों और अधिकारियों की सांठगांठ की 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 13 एवं 'BNS, 2023' के तहत लोकायुक्त से समयबद्ध जांच कराकर वर्तमान दूषित गणवेश टेंडर तत्काल निरस्त करेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

यात्री बसों का संचालन

[परिवहन]

143. (क्र. 1103) श्री संजय उइके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में यात्री बसों के संचालन हेतु विभिन्न मार्गों में स्थायी एवं अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है? (ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन मार्गों में कब-कब, किस-किस बस संचालक को स्थायी एवं अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किया गया?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हां। (ख) स्थायी अनुज्ञा पत्र की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार तथा अस्थायी अनुज्ञा पत्र की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

स्वास्थ्य कर्मियों एवं अधिकारियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

144. (क्र. 1109) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग में संस्थावार कितने नियमित एवं संविदा तथा आउटसोर्स के कर्मचारी/अधिकारी के पद स्वीकृत हैं, समस्त पदों की पदवार शासन द्वारा जारी पद स्वीकृति के आदेश की प्रति एवं पदों की विभागीय साफ्टवेयर से क्रिएशन तथा मैपिंग की जानकारी संस्थावार, पदवार, सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी नियमित/संविदा/आउटसोर्स में कार्यरत हैं, संस्थावार, पदवार, किस दिनांक से कार्यरत हैं तथा उक्तानुसार कितने कर्मचारी/अधिकारियों को अन्य संस्थाओं में किस दिनांक से संलग्न/कार्य व्यवस्था की दृष्टि से कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या सुवासरा विधानसभा में मरिजों की कमी या अन्य कारण से स्वास्थ्य कर्मचारी/अधिकारियों को संलग्न/कार्य व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा से बाहर अन्य संस्थाओं में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है तो विधानसभा अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में हो रही अव्यवस्था का स्वास्थ्य विभाग का कौन सा स्तर जवाबदेह है? (घ) सुवासरा विधानसभा की स्वास्थ्य संस्थाओं में मेडिकल ऑफिसर/बीएमओ/जन प्रतिनिधियों द्वारा पदपूर्ति हेतु मांग की गई है तथा किस-किस आदेश से

दिनांक 01 जुलाई, 2023 से प्रश्न दिनांक तक कर्मचारी/अधिकारी को अन्य संस्थाओं में संलग्न/कार्य व्यवस्था की दृष्टि से कार्य करने हेतु आदेशित किया गया आदेश प्रति उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

145. (क्र. 1110) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में स्वास्थ्य विभाग में (मल्टी टॉस्किंग वर्कर) आउटसोर्स पर किस एजेन्सी के माध्यम से कौन-कौन से पदों पर कितने-कितने आउटसोर्स कर्मी भर्ती किए गए शासन से भर्ती के क्या निर्देश है, मंदसौर जिले में विभाग अंतर्गत कौन-सी आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है? सम्पूर्ण निर्देशों की प्रति एवं भर्ती हेतु नियुक्त आउटसोर्स एजेन्सी की टेण्डर प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आउटसोर्स पर भर्ती हेतु एजेन्सी को जारी आदेश एवं स्वीकृत पद, भर्ती किए गए पद की संस्थावार सूची आउटसोर्स कर्मी का नाम, पद, प्रतिमाह पारिश्रमिक दर, नियुक्ति दिनांक एवं सम्पर्क नम्बर तथा किस दिनांक तक का भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार मंदसौर जिला अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं की गई जांच में कौन दोषी पाया गया एवं क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला चिकित्सालय मंदसौर में स्वास्थ्य विभाग में मैसर्स कामथेन सिक्यूरिटी सर्विसेस इंदौर के माध्यम से कुल 164 आउटसोर्स मल्टीटास्किंग ग्रुप-डी वर्कर नियोजित किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) अनुबंधित एजेन्सी को जारी आदेश एवं स्वीकृत पद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ग) जिला-मंदसौर अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में मल्टीटास्किंग ग्रुप-डी वर्कर के आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्कूलों में मरम्मत कार्यों की RES जांच

[स्कूल शिक्षा]

146. (क्र. 1111) श्री दिनेश जैन बोस : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन संभाग में स्कूलों के मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्यों में भ्रष्टाचार की RES जांच रिपोर्ट क्रमांक 2192/तक./ग्रायांसे/2022, दिनांक 20/06/2023 (कलेक्टर आदेश क्र./शिकायत/2023/3077) के तहत वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हाँ, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए हैं? उनके नाम, पद एवं लापरवाही का पूर्ण विवरण क्या है? (ख) क्या उक्त कलेक्टर आदेश व जांच रिपोर्ट उपरांत दोषी पाए गए लोकसेवकों एवं आपूर्ति

कर्ताओं (Suppliers) पर 'म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966' के तहत अब तक क्या-क्या दंडात्मक वैधानिक कार्यवाहियां की गई हैं? (ग) क्या उक्त अधिकारियों ने मातहत प्राचार्यों को जिला मुख्यालय बुलाकर दबावपूर्वक उपयोगिता प्रमाणपत्रों (UCs) पर हस्ताक्षर कराए ताकि चहेती एजेंसियों को अवैध लाभ पहुंचाया जा सके? यदि हाँ, तो क्या इसकी 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 13 के तहत विधिक जांच होगी? (घ) क्या सरकार इस संस्थागत सांठगांठ की जांच 'भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023' की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) या लोकायुक्त से कराकर दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) लोक सेवकों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में जांच रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। (ग) जी नहीं। जांच प्रतिवेदन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) लोकायुक्त में जांच प्रचलित है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में अनियमितताएं

[स्कूल शिक्षा]

147. (क्र. 1116) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों की जिलावार एवं स्थानवार सूची, प्रत्येक छात्रावास में पंजीकृत छात्राओं की संख्या तथा शैक्षणिक वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में छात्राओं की उपस्थिति का विवरण उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त छात्रावासों में ऐसे कितने अधीक्षक पदस्थ हैं, जो निर्धारित प्रावधानों के विपरीत तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं? ऐसे अधीक्षकों के नाम, पदस्थापना स्थान, पदस्थापना अवधि तथा इस संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्न दिनांक तक उक्त छात्रावासों को विभिन्न मर्दों में आवंटित राशि का मदवार एवं छात्रावासवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, उक्त राशि के व्यय का विवरण एवं संबंधित कैशबुक की सत्यापित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराएं। (घ) उक्त अवधि में इन छात्रावासों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या, शिकायतों की प्रकृति, शिकायतकर्ता का विवरण, जांच अधिकारी/जांच समिति का नाम, जांच निष्कर्ष तथा की गई विभागीय कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतिलिपियाँ भी उपलब्ध कराएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" (पेन ड्राईव) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "2" (पेन ड्राईव) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "3" (पेन ड्राईव) अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "4" (पेन ड्राईव) अनुसार है।

किले/महल को पर्यटन स्थल घोषित करना

[पर्यटन]

148. (क्र. 1124) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला-पांडुर्णा व छिंदवाड़ा में वर्षों पुराने जनजातीय समुदाय/राजाओं के किले/महल स्थित हैं? यदि हाँ तो उनके नाम, स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दें। क्या उक्त स्थलों को शासन/विभाग द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन से हैं व शासन/विभाग द्वारा उनके संधारण/संचालन हेतु आज दिनांक तक कितनी राशि, कब-कब व किस कार्य हेतु स्वीकृत कर व्यय की गई। (ख) क्या प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा व छिंदवाड़ा में जनजातीय समुदाय का वर्षों पुराना देवगढ़ किला स्थित है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान अधोसंरचनात्मक स्थिति कैसी है। क्या उक्त किला जो जनजातीय समुदाय के पूर्वजों का ऐतिहासिक व धरोहर स्थल है उसे शासन/विभाग द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) विभाग में पुरातत्वीय स्थलों की जानकारी संकलित नहीं की जाती है। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार।

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्थानान्तरण

[स्कूल शिक्षा]

149. (क्र. 1130) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कस्तूरबा गांधी एवं बालिका छात्रावास संचालित किए जाते हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या नियम निर्देश हैं शासन की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) राजगढ़ जिले में कितने कस्तूरबा गांधी छात्रावास एवं बालिका छात्रावास कितने-कितने सीटर कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? (ग) उक्त छात्रावासों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं उनमें से कौन-कौन से पद पर कौन-कौन, कहां-कहां पर कब से कितने समय के लिए पदस्थ हैं? (घ) उक्त स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद कहां-कहां पर कब से रिक्त हैं? रिक्त होने का क्या कारण है। (ड.) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ड.) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दुधाखेड़ी माताजी मंदिर निर्माण

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

150. (क्र. 1131) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरौठ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत दुधाखेड़ी माताजी मंदिर निर्माण कब

से प्रारंभ हुआ है? कितने वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा है? मंदिर निर्माण की कोई समय-सीमा निर्धारित की है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सही है, कि मंदिर निर्माण प्रारंभ हुए 10 वर्ष हो गये हैं? यदि हाँ, तो प्रशासन ने इतना अधिक समय पूर्ण हो जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) मंदिर निर्माण कार्य अधूरा होने पर किस की जवाबदारी है? क्या विभाग जवाबदार व्यक्ति पर कोई कार्यवाही करेगा? (घ) मंदिर निर्माण कब तक पूर्ण होगा? इसकी कोई तिथि नियत की है? यदि हाँ, तो अवगत करावें।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) दुधाखेडी माताजी मंदिर का पुनर्निर्माण करने का कार्यादेश वर्ष 2016 में मंदिर समिति द्वारा जारी किया गया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। मंदिर समिति द्वारा कार्य पूर्ण करवाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। (ग) मंदिर का कार्य निरन्तर चल रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) मंदिर का कार्य निरन्तर चल रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अडसठ"

संविदा कर्मचारियों को प्रचलित महंगाई भत्ते अनुसार वेतन निर्धारण

[स्कूल शिक्षा]

151. (क्र. 1132) **श्री चन्दरसिंह सिसौदिया :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सामग्र शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को 22 जुलाई, 2023 से पूर्व न्यूनतम वेतन तथा प्रचलित महंगाई भत्ते के अनुसार वेतन निर्धारण कर दिया जाता था? यदि हाँ, तो संविदा कर्मचारियों को कब से कब तक न्यूनतम वेतन में जोड़कर महंगाई भत्ता प्रदान किया गया? (ख) क्या संविदा कर्मचारियों को 20 से अधिक वर्षों तक महंगाई भत्ते के अनुसार वेतन निर्धारित कर इंडेक्स के अनुसार दिया गया? समग्र शिक्षा अभियान संविदा कर्मचारियों को 2023 के पूर्व वेतन निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया रही। क्या विभाग संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण सातवें वेतन अनुसार न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के अनुसार वेतन निर्धारण करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 1 अप्रैल, 2018 के पूर्व नियुक्त संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पर महंगाई भत्ते की गणना कर एकजाई मासिक परिलब्धियों प्रदाय की जाती थी एवं 1 अप्रैल, 2018 के पश्चात् नियुक्त संविदा कर्मचारियों सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 05.06.2018 की कंडिका 1.14.2 अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से गणना कर एकजाई परिलब्धियों जुलाई 2023 तक प्रदाय की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के जुलाई 2023 के निर्देशानुसार अगस्त 2023 से समस्त संविदा सेवकों को समकक्षता निर्धारण उपरांत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया जा रहा है। (ख) उत्तरांश "क" में वर्णित अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जल संसाधन विभाग द्वारा कराये गये कार्य

[जल संसाधन]

152. (क्र. 1133) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जल संसाधन विभाग के माध्यम से गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन से कार्य संचालित हैं? किस योजना के माध्यम से संचालित है? कार्य की लागत सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें **(ख)** विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने ग्राम ऐसे हैं जो सिंचाई योजना से वंचित है? क्या विभाग इन वंचित ग्रामों को सिंचाई से जोड़ने हेतु कोई कार्य योजना बनाई हैं? यदि हाँ, तो इन ग्रामों से कब तक सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाएगी? **(ग)** पूर्व से निर्मित योजना की स्थिति क्या है? क्या वर्षाकाल के पूर्व इन योजना पर कोई कार्य किया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो विभाग क्या कार्य कर रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : **(क)** गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक वहद/02 मध्यम परियोजनाओं एवं 45 लघु योजनाएं निर्मित है, जिसमें से एक वहद। दो मध्यम परियोजना एवं 37 लघु योजनाएं रबी सिंचाई हेतु संचालित की जा रही है। वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** **(ख)** विधानसभा गरोठ-भानपुरा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई से कुल 12 ग्राम वंचित है। इन वंचित ग्रामों को सिंचाई से जोड़ने हेतु कातना सुक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 21.04.2026 को राशि रु. 88.41 करोड़ की प्राप्त है। योजना से ग्रामों को सिंचाई की सुविधा के संबंध में वर्तमान में समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(ग)** पूर्व से निर्मित 38 लघु सिंचाई योजनाएं संचालित है। वर्षाकाल प्रारंभ हो चुका है अतः पांच लघु योजनाओं का मरम्मत एवं सुधार कार्य रबी सिंचाई उपरांत संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट - "उनहतर"

अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

153. (क्र. 1137) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के साथ ही गुना जिले के CM राईज (सांदीपनि विद्यालय), उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अतिशेष होने पर शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में वरिष्ठता एवं काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के प्रावधान किये गये हैं? यदि हाँ, तो शैक्षणिक सत्र 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 में किन-किन संकुल केन्द्रों के किन विद्यालयों में किस-किस विषय के अतिशेष शिक्षक थे या पदस्थ हैं? संकुलवार, शालावार, विकासखण्डवार, विषयवार डाईसकोड एवं अतिशेष शिक्षकों के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों में कौन-कौन से विद्यालयों के किस-किस विषयों के अतिशेष शिक्षकों को किन-किन विद्यालयों में पदस्थ किये गये हैं एवं कितने-कितने शिक्षक जो अतिशेष शिक्षक होने के बावजूद भी विद्यालयों में प्रश्न दिनांक तक पदस्थ हैं? विद्यालयवार, शिक्षकों के नाम सहित जानकारी दें। जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा ऐसे शिक्षक जो अतिशेष शिक्षक होने के बावजूद

भी विद्यालयों में आज तक पदस्थ हैं इन अतिशेष शिक्षकों को पदस्थ करने के लिए कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना द्वारा अतिशेष शिक्षकों की दिनांक 28.08.2024 को 226 प्राथमिक शिक्षक, 124 माध्यमिक शिक्षक एवं दिनांक 27.09.2024 को एक उच्च श्रेणी शिक्षक और 51 माध्यमिक शिक्षकों की काउंसिलिंग की कार्यवाही पूर्ण की गई है।

परिशिष्ट - "सत्तर"

सरकुला सिंचाई परियोजना में बदलाव

[जल संसाधन]

154. (क्र. 1138) श्री देवेन्द्र कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकुला उद्वहन सिंचाई परियोजना पोहरी के मूल स्वरूप (सेंट्रल स्पिल वे) को टर्नकी पद्धति के आधार पर बदलकर साईड स्पिल वे के रूप में बदलाव सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया गया? यदि हाँ, तो स्वीकृति आदेश की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें? क्या वर्तमान में स्वीकृत प्रस्ताव मूल परियोजना में स्वीकृत प्रस्ताव से तकनीकी गुणवत्ता एवं दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अधिक सुदृढ़ है? इसके प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो मूल प्रस्ताव को क्यों बदला गया? सकारण उत्तर दें? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में मूल प्रस्ताव में स्वीकृत सेंट्रल स्पिल वे के स्थान पर साईड स्पिल वे स्वीकृत कराने का आर्थिक एवं तकनीकी गुणवत्ता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया अथवा नहीं? यदि हाँ, तो प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्या प्रस्ताव में परिवर्तन की स्वीकृति करने के पूर्व तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए था अथवा नहीं? यदि तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया तो इस हेतु कौन-कौन उत्तरदायी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के क्रम में सरकुला सिंचाई परियोजना का समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गए कन्सट्रक्शन प्रोग्राम (वर्क प्रोग्राम) के अनुसार समयावधि में कार्य पूर्ण न किये जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? स्पष्ट करें।

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ। स्वीकृति पत्र संलग्न "परिशिष्ट-1" अनुसार है। अनुबंध में निहित प्रावधानानुसार स्वीकृत परिवर्तित प्रस्ताव, आई.एस. कोड, विभागीय तकनीकी सर्कुलर, के अनुरूप होकर मुख्य अभियंता बोधी भोपाल से Vetted है एवं मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग ग्वालियर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति आदेश संलग्न "परिशिष्ट-2" अनुसार है। परियोजना का तकनीकी गुणवत्ता एवं दीर्घकालिक स्थिरता मूल प्रस्ताव के समान एवं अनुबंध के स्कोप ऑफ वर्क के समान ही है। प्रस्ताव अनुबंध में निहित प्रावधान के अनुरूप होने से शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं है। (ख) सरकुला उद्वहन सिंचाई परियोजना का अनुबंध टर्नकी पद्धति पर है, जिसमें अनुबंध की कंडिका 1.1.2 वॉल्यूम II के अनुसार निर्माण एजेंसी को अनुबंधित राशि के अन्तर्गत ही परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत अपरिवर्तनीय मापदण्डों (बांध की न्यूनतम भराव क्षमता, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र, विद्युत खपत) में

बिना परिवर्तन किये योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रस्ताव देना होता है। जो एजेन्सी द्वारा दिया गया था। यह प्रस्ताव विभागीय सर्कुलर, आई.एस. कोड एवं अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार होने एवं मुख्य अभियंता बोधी द्वारा Vetted (वेटिड) होने से, मुख्य अभियंता यमुना कछार ग्वालियर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जो नियमानुसार है। स्वीकृत प्रस्ताव अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुरूप होने से किसी भी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति न होने से शेष प्रश्न लागू नहीं होता है। (ग) सरकुला उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक थी। उक्त स्वीकृतियां विलंब से प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य विलंब से प्रारम्भ हुआ। कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनांक 31.12.2027 है। यदि इस दिनांक तक ठेकेदार कार्य पूर्ण नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अनुबंध की कंडिकाओं के अनुसार कार्यवाही का प्रावधान प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "इकहतर"

प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

155. (क्र. 1139) श्री देवेन्द्र कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में जिला शिवपुरी से किन-किन प्राथमिक, माध्यमिक व हाईस्कूल शालाओं के उन्नयन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजे गए? शासन को भेजे गए समस्त प्रस्तावों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) विगत 03 वर्षों में जिला शिवपुरी में कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल शालाओं का उन्नयन किया गया है? स्वीकृति आदेश सहित जानकारी स्कूलवार, विकासखण्डवार, विधानसभा क्षेत्रवार व वर्षवार उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"1" अनुसार है। (ख) विभागीय आदेश की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" अनुसार है।

उन्नयन किये गये स्कूलों के भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

156. (क्र. 1141) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की विधानसभा सेंवड़ा में वर्ष 2013 से 2018 में कौन से स्कूल अपग्रेड होकर उनके नवीन भवन स्वीकृत हुये थे, इन स्वीकृत भवनों में से कौन-कौन से भवन बन चुके हैं और कौन-कौन से किस कारण से नहीं बने हैं, कारण सहित अपग्रेड हुये स्कूलों की सूची सहित जानकारी दी जाये। (ख) क्या ग्राम भडौल एवं ग्राम ऊंचिया में हाई स्कूल के लिए नवीन बिल्डिंग स्वीकृत हुई थी, जिसका आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि शासन द्वारा इन भवनों के लिये जमीन भी आवंटित कर दी गई है, यदि हाँ, तो इन स्कूलों के भवन निर्माण शुरू कराये जाने हेतु सरकार कब तक आदेश प्रसारित करेगी। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित स्कूल एकीकृत विद्यालय के रूप में संचालित हो रहे हैं जहां छात्र संख्या अधिक एवं कमरे कम हैं फलस्वरूप 2-3 क्लासों के बच्चे एक ही कक्ष में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, यदि हाँ, तो कब तक यहाँ भवन बनेंगे? (घ) क्या विभाग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिये

इन स्कूलों में शीघ्र भवन स्वीकृत कर निर्माण कराने हेतु कार्यवाही करेगा, यदि हाँ, तो कब तक? जानकारी दी जाये।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) प्रश्नाधीन जिले की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। वर्ष 2014-15 में 02 विद्यालयों एकीकृत माध्यमिक विद्यालय लहराकला तथा एकीकृत माध्यमिक विद्यालय रायपुरा बुजुर्ग के नवीन शाला भवन स्वीकृत हुए उक्त स्कूलों के भवन बन चुके हैं। शेष भवनों का निर्माण स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। (ख) जी हाँ। जी हाँ। आवश्यक अधोसंरचना निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। संबंधित विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन के अनुरूप अध्यापन कार्य कराया जाता है। पढ़ाई में व्यवधान जैसी कोई स्थिति जिला स्तर पर नहीं है। आवश्यक अधोसंरचना निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के स्वीकृत भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। विद्यार्थी नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उपलब्ध बजट अनुसार आवश्यक अधोसंरचना निर्माण किया जाता है। आवश्यक अधोसंरचना निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बहतर"

कटनी जिला अन्तर्गत शिक्षा विभाग को आवंटित बजट

[स्कूल शिक्षा]

157. (क्र. 1142) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा विगत पाँच वर्षों में कितना-कितना बजट कब कहाँ-कहाँ, किन-किन स्कूलों में कौन-कौन से कामों हेतु स्वीकृत किया गया? वर्षवार, संस्था के नाम एवं स्वीकृत कार्य का नाम एवं स्वीकृत राशि के सहित सम्पूर्ण सूची दें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यों को किस-किस निर्माण एजेंसी से कब-कब कराये गये एवं यह भी जानकारी दें कि इन कामों हेतु, किस-किस निर्माण एजेंसी को किस-किस कार्य हेतु कब कितना-कितना भुगतान किया गया बतलावें वर्षवार, संस्थावार, निर्माण कार्य एवं निर्माण एजेंसी के नाम सहित सूची दें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्लेखित निर्माण कार्यों एवं अन्य क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन कब एवं गुणवत्ता की जांच कब किसके द्वारा की गई? वर्षवार जानकारी दें। (घ) इन स्वीकृत कार्यों में से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य अपूर्ण या अप्रारंभ हैं? सूची दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "01" पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "02" पर है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "03" पर है।

जलाशय निर्माण की जानकारी

[जल संसाधन]

158. (क्र. 1143) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में किन जलाशयों के निर्माण की स्वीकृति कब-कब की गई बतलावें। निविदाकार के नाम, अनुबंध दिनांक, कार्य हेतु अनुबंधित कार्य पूर्णता दिनांक व लागत सहित सूची दें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से निर्माण कार्य अनुबंध अनुसार समय-सीमा में पूर्ण हुये? यदि नहीं, पूर्ण हुये तो इसके क्या कारण हैं। इसका दोषी कौन है। दोषी निर्माण एजेंसियों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण दें? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कौन-कौन से स्वीकृत कार्य प्रश्न दिनांक को अपूर्ण या अप्रारंभ हैं कारणों सहित सूची दें। यदि निविदाकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। क्या शासन समय अवधि में निर्माण कार्यों को पूर्ण न करने वाले निविदाकार को निविदा विखंडित कर नई निविदा आमंत्रित करेगा? अगर हाँ तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं बतलावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : **(क)** जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यों में जो निर्माण कार्य अनुबंध अनुसार समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुये, उनके विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में स्वीकृत कार्य जो प्रश्न दिनांक को अपूर्ण हैं, ऐसे अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य की जानकारी कारणों सहित संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निविदा में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तिहतर"

नक्शा विहीन ग्राम पंचायत/ग्रामों की जानकारी

[राजस्व]

159. (क्र. 1144) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना एवं मैहर जिला अंतर्गत किन-किन तहसीलों में कितनी ग्राम पंचायत/ग्रामों का नक्शा उपलब्ध है? और कितनी ग्राम पंचायत/ग्राम, नक्शाविहीन है और क्यों? जो गांव नक्शा विहीन है उसका कारण क्या है? तहसीलवार/ग्रामवार, अलग-अलग जानकारी उपलब्ध कराए? **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित जिन ग्राम पंचायतों/ग्रामों का नक्शा जिला मुख्यालय व संबंधित तहसीलों में नहीं है तो उन तहसील न्यायालयों में जमीनी नाप/सीमांकन सहित अन्य प्रकरणों की सुनवाई किस आधार पर की जाती है? बिना नक्शे के नक्शाविहीन गांव के प्रकरणों का सीमांकन और नाप कैसे की जाती है? क्या बिना नक्शे के जमीन की नाप और सीमांकन संभव है? **(ग)** सतना एवं मैहर जिला अंतर्गत कौन-कौन से राजस्व न्यायालय में ऐसे कितने प्रकरण नक्शा ना होने के कारण लंबित है राजस्व न्यायालयवार/प्रकरणवार/ग्रामवार, पिछले 05 वर्षों की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध कराए?

(घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित नक्शाविहीन ग्रामों का नक्शा सतना जिले की समस्त तहसीलों को कब तक में उपलब्ध कराया जाएगा? समय अवधि बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जिला सतना अंतर्गत निम्नानुसार तहसीलों में नक्शा उपलब्ध है:-

तहसील	नक्शा उपलब्ध	नक्शाविहीन	विवरण
रघुराजनगर	198	11	-
कोठी	72	6	-
नागौद	235	30	-
उचेहरा	202	34	-
मझगवां	199	13	-
बिरसिंहपुर	165	15	-
रामपुर बाघेलान	217	1	-
कोटर	72	1	-
1360		111	-

संबंधित ग्रामों के नक्शे जीर्ण-शीर्ण एवं राबूद होने से ग्राम नक्शाविहीन है। जिला मैहर अंतर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील	नक्शा उपलब्ध	नक्शाविहीन	विवरण
अमरपाटन	131	01	MPSEDC से प्राप्त बरेंह बड़ा ग्राम के नक्शे की ड्राफ्ट प्रति का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है
मैहर	254	-	-
रामनगर	193	-	-
योग	578	01	-

(ख) जिला सतना में नक्शाविहीन ग्रामों में नक्शा न होने से सीमांकन की प्रक्रिया बाधित है। जिला मैहर में उत्तरांश (क) में वर्णित ऐसे ग्राम जिनके नक्शे जिला मुख्यालय व संबंधित तहसील में नहीं हैं, उस तहसील न्यायालय में जमीनी नाप/सीमांकन की प्रक्रिया बाधित होती है। (ग) जिला सतना रघुराजनगर तहसील अंतर्गत नक्शाविहीन ग्राम में 6 सीमांकन प्रकरण लंबित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** जिला मैहर में अंतर्गत तहसील अमरपाटन के ग्राम बरेंह बड़ा का 01 प्रकरण नक्शा न होने के कारण लंबित है। (घ) सतना जिले अंतर्गत नक्शाविहीन ग्रामों के नक्शे निर्माण किये जाने हेतु दल गठित किये गये हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्रंथपालों को समयमान वेतनमान की पात्रता

[स्कूल शिक्षा]

160. (क्र. 1146) **श्रीमती कंचन मुकेश तनवे** : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कार्यरत ग्रंथपालों

(उच्च एवं निम्न वेतनमान) सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु 10 एवं 20 वर्ष की सेवा के पश्चात समयमान वेतनमान की पात्रता है या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कार्यरत सभी ग्रंथपालों (उच्च एवं निम्न वेतनमान) को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो कृपया कारण स्पष्ट करने का कष्ट करें। (ग) हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कार्यरत ग्रंथपालों (निम्न वेतनमान) को समयमान वेतनमान का लाभ कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) को 10 एवं 20 वर्ष की सेवा पश्चात समयमान वेतनमान एवं ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान) को 12 एवं 24 वर्ष की सेवा पश्चात क्रमोन्नति की पात्रता है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार। (ग) उत्तरांश "क" एवं "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

161. (क्र. 1148) श्री भैरो सिंह बापू : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय आगर-मालवा सहित जिले में कितने सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र/संजीवनी क्लीनिक कहाँ-कहाँ संचालित है, स्थान सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर, स्टॉफ नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने स्टॉफ कहाँ-कहाँ कार्यरत है। स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी दें तथा कितने पद रिक्त है रिक्त पदों की जानकारी स्वास्थ्य केन्द्रवार उपलब्ध करावें? रिक्त पदों की पूर्ती हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल सुसनेर जिस पर क्षेत्र के सैंकड़ों गांव स्वास्थ्य सुविधा हेतु निर्भर है में आये दिन मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा मरीजों के साथ स्टॉफ द्वारा अभद्रता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। पदपूर्ति की कार्यवाही निरन्तर प्रक्रिया है, जिसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, जी नहीं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार।

आयुष्मान योजना अंतर्गत निजी चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

162. (क्र. 1153) श्री प्रदीप पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा एवं मऊगंज जिले में आयुष्मान योजना अन्तर्गत किन-किन निजी चिकित्सालयों में इलाज की अनुमति है? उक्त चिकित्सालयों के स्वामित्व एवं सेवारत डाक्टरों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में रीवा एवं मऊगंज जिले के निजी चिकित्सालयों को वर्ष 2020 से अब तक वर्षवार आयुष्मान योजना अन्तर्गत किये गये भुगतान का माहवार विवरण

उपलब्ध करावें एवं उक्त चिकित्सालयों तथा शासकीय सेवक के रूप में कार्य कर रहे डाक्टरों, नर्स एवं अन्य को भुगतान किये गये आयुष्मान योजना अन्तर्गत भले, पारिश्रमिक एवं अन्य की राशि का विवरण व्यक्तिवार सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना अन्तर्गत इलाज कराने वाले हितग्राहियों की चिकित्सालयवार सूची उपलब्ध करावें जिसमें रोगी के एडमिट होने से डिस्चार्ज होने का दिनांक एवं बीमारी तथा इलाज के दौरान दवाईयों सहित समस्त व्ययों का विवरण हो उपलब्ध करावें। (घ) आयुष्मान योजना अन्तर्गत हुए भुगतान का क्या कोई विशेष ऑडिट/जाँच का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्त जाँच/ऑडिट प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रावधान किये जाने पर शासन विचार करेगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। निजी चिकित्सालयों के सेवारत डाक्टरों की सूची पृथक से संकलित नहीं की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। निजी चिकित्सालयों में कार्य कर रहे डॉक्टरों, नर्स एवं अन्य किये गये भुगतान की जानकारी पृथक से संकलित नहीं की जाती है। शासकीय सेवक के रूप में कार्य कर डॉक्टरों, नर्स एवं अन्य को योजनांतर्गत किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। लाभार्थी मरीज का नाम, बीमारी संबंधित जानकारी, पता एवं मोबाईल नंबर की जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण दी जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। वर्तमान में उक्त प्रावधान के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा BRCC एवं DPC पदों हेतु चयन परीक्षा

[स्कूल शिक्षा]

163. (क्र. 1154) श्री प्रदीप पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा BRCC एवं DPC पदों हेतु चयन परीक्षा का आयोजन कराया जाता है? यदि हाँ, तो पिछले 05 वर्षों में कब-कब कराया गया है? (ख) क्या उक्त परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को ही BRCC एवं DPC के पदों पर राज्य शिक्षा केन्द्र एवं कलेक्टरों द्वारा अभी तक पदस्थापना की गई है? यदि हाँ, तो पिछले 05 वर्षों में पदस्थ किये गए समस्त BRCC के चयन सूची में नाम तथा पदस्थापना की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या त्योंथर विकासखण्ड में पदस्थ किये गए BRCC का चयन, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के चयन सूची से किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त सूची से मऊगंज जिले हेतु नियमित BRCC हेतु प्रस्ताव DPC रीवा द्वारा अब तक क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? क्या DPC रीवा द्वारा 02 सूचियों का उपयोग करते हुए मनमानी रूप से स्वयं के पसन्द से BRCC पद हेतु प्रस्ताव कलेक्टर रीवा एवं मऊगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है? त्योंथर एवं मऊगंज हेतु DPC रीवा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव नस्ती की सम्पूर्ण प्रति उपलब्ध कराते हुये प्रकरण की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी जिसके कारण आज तक नियमित BRCC मऊगंज में पदस्थ नहीं है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "1" अनुसार है। (ख) जी हाँ। चयनित बीआरसीसी के पदस्थापना आदेश जिला स्तर से तथा डीपीसी के आदेश शासन स्तर से जारी किये जाते हैं। विगत पांच वर्षों में बीआरसीसी के संबंध में चाही गई

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "2" अनुसार है। (ग) जी नहीं। जनपद शिक्षा केन्द्र मऊगंज एवं जनपद शिक्षा केन्द्र त्योंथर से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "3" एवं "4" अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रकरण क्रमांक 3816/2018 को प्रत्यावर्ती किया जाना

[राजस्व]

164. (क्र. 1155) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन नियमानुसार भू-स्वामित्व की भूमि बिना सक्षम अधिकारी आदेश पारित के भू-स्वामित्व की भूमि शासन दर्ज होने पर सक्षम अधिकारी के संज्ञान में आने के उपरांत अथवा आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत रिकॉर्ड दुरुस्ती के आदेश पारित किए जा सकते हैं? (ख) यदि हाँ, तो कब-कब कैसे किन-किन सक्षम अधिकारी के संज्ञान में आने के उपरांत/आवेदक द्वारा आवेदन के साथ किन-किन तथ्यों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के उपरांत, कब कौन सक्षम अधिकारी रिकॉर्ड दुरुस्ती के आदेश पारित कर सकता है? (ग) क्या राजस्व मंडल ग्वालियर में दर्ज प्रकरण क्रमांक 3816/2018 के अंतिम आदेश पारित पैरा चार में दिनांक 08/05/2018 के स्थान पर दिनांक 08/05/2015 स्थिर लेख कर वैधानिक भूल/गलती/त्रुटि हुई थी? यदि नहीं तो क्यों लेख किया गया था? (घ) क्या प्रकरण क्रमांक 3618/2018 की सीएम हेल्पलाइन नंबर 39057990 दर्ज शिकायत के उपरांत सक्षम अधिकारी के संज्ञान में आने के उपरांत गंभीरता से लेकर शिकायतकर्ता के कथन लेकर शिकायत का निराकरण किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों? (ङ.) प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या शासन नियमानुसार उक्त वैधानिक भूल/गलती/त्रुटि को संशोधन/सुधार कर वादी नम्बर 4 द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन/तर्क ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यावर्ती आदेश पारित किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 115-भू-अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, भू-अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू-अभिलेख में अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी परन्तु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना जांच 05 वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी, (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश- (क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किए और (ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए, बिना पारित नहीं किया जाएगा परन्तु यदि सरकार का हित निहित है तो उपखण्ड अधिकारी, मामला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। (3) उपधारा (2) के अधीन मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे। (ग) एवं (घ) **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ङ.)** आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाएगी।

पटवारियों के स्थानांतरण नीति के विरुद्ध होने पर कार्यवाही

[राजस्व]

165. (क्र. 1170) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल अंतर्गत पटवारी संविलियन नीति 2026 के पूर्व जिले में पटवारी संवर्ग के कितने पद रिक्त थे, अनारक्षित, आरक्षित, पटवारियों की वर्गवार उप वर्गवार एवं कितने पद किस वर्ग के खाली थे सूची उपलब्ध करावें साथ ही पटवारी संविलियन नीति 2026 के तहत विभिन्न जिलों से शहडोल संभाग के लिये कितने आनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिलेवार, आरक्षित, अनारक्षित, वर्गवार, उपवर्गवार सूची प्रदान करें। (ख) क्या यह सही है कि शहडोल मंडल में आन लाइन आवेदन के अतिरिक्त भी संविलियन नीति 2026 के तहत स्थानांतरण किये गये. यदि हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, वर्गवार, उप वर्गवार सूची प्रदान करें। क्या इन स्थानांतरण में आरक्षण एवं वरिष्ठता एवं निर्धारित मापदंडों का पालन किया गया है। यदि नहीं तो क्या इनका स्थानांतरण निरस्त कर पात्र पटवारी का स्थानांतरण किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो कारण बतावें। (ग) जिला शहडोल में रिक्त स्थान के लिये पटवारी संविलियन नीति 2026 के तहत अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद के लिये किन-किन पटवारियों का स्थानांतरण/संविलियन किया गया। सूची उपलब्ध कराते हुये बतायें कि इन पटवारियों की भर्ती किस वर्ग या उप वर्ग में हुई है? क्या इन स्थानांतरण में भी आरक्षण नियम एवं वरिष्ठता एवं निर्धारित मापदंड का पालन किया गया है। यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध किये गये स्थानांतरण को निरस्त करते हुये पात्र पटवारियों का स्थानांतरण आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे एवं पटवारियों के गलत स्थानांतरण जारी करने के लिये दोषियों के विरुद्ध क्या विभाग अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जिला शहडोल अंतर्गत पटवारी संविलियन नीति 2026 के पूर्व रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। इस नीति अंतर्गत शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के पटवारियों द्वारा प्रथम वरीयता के रूप में चाहा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ख) शहडोल जिला अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन के अतिरिक्त 01 अभ्यर्थी का संविलियन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' अनुसार है। संविलियन पटवारी संविलियन नीति 2026 की कण्डिका 6.5 में दिए गए निर्देश के क्रम में किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पटवारी संविलियन नीति 2026 के तहत 06 पटवारियों का स्थानांतरण किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। इस जिले हेतु स्थानांतरित पटवारियों की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती प्राप्त न होने के कारण पटवारियों की भर्ती किस वर्ग या उप वर्ग से हुई की जानकारी बताया जाना संभव नहीं है। यह संविलियन पटवारी संविलियन नीति 2026 की कण्डिका 6.5 में दिए गए निर्देश के क्रम में किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रोप वे निर्माण की जानकारी

[पर्यटन]

166. (क्र. 1175) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायसेन रोप-वे निर्माण के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई) भारत सरकार

द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान कर दी गई है? (ख) यदि सैद्धांतिक रूप से सहमति प्राप्त हो चुकी है तो रोप-वे निर्माण के संबंध में अभी तक स्वीकृति जारी क्यों नहीं की गई है? क्या इस संबंध में अन्य विभागों से स्वीकृति संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो विभागों के नाम स्पष्ट करें? विभागीय स्तर पर इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ग) रोप-वे निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) जी हाँ। (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से अंतिम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। स्वीकृति प्राप्त होना शेष है। दिनांक 23/06/2026 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कार्यालय नई दिल्ली में DG, ASI की अध्यक्षता में सक्षम कमेंटी के समक्ष प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है, योजना का कुछ भाग निषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में होने के कारण राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) से अनुमति हेतु आवेदन दिया गया था। उक्त संबंध में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) द्वारा सक्षम अधिकारी के स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जा चुकी है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

[संस्कृति]

167. (क्र. 1178) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राज्य मंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2024-25, 2025-26, 2026-27 में सांस्कृतिक एवं महापुरुषों के जीवनी पर आधारित कार्यक्रम कहां-कहां, कब-कब, कौन-कौन से कलाकारों द्वारा दिया गया, उस कार्यक्रम में कितनी राशि व्यय हुई, किस मद से व्यय हुआ, कलाकारों को कितना-कितना मानदेय राशि दिया गया, साज सज्जा एवं साउंड में कितना राशि व्यय हुआ कार्यक्रम वार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2024 से आज तक संस्कृति विभाग में कौन-कौन से निर्माण कार्य, किस-किस प्रयोजन के लिए कितनी-कितनी राशि में किस-किस मद से कौन-कौन निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है तथा कितना-कितना भुगतान हुआ है? कार्यवार जानकारी दें। (ग) ग्राम पाटन जिला डिण्डौरी में निर्माणाधीन संग्रहालय का प्राक्कलन, ड्राइंग, माप पुस्तिका, स्वीकृत राशि, व्यय राशि की जानकारी दें। (घ) निर्माण कार्य के नियम की जानकारी दें।

राज्य मंत्री, संस्कृति (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-एक" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-दो" अनुसार। (ग) संग्रहालय का प्राक्कलन, ड्राइंग पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-तीन" अनुसार है, निर्माणाधीन संग्रहालय के सभी कार्य कलात्मक प्रकृति के होने से कलाकारों से कराये जा रहे हैं। प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - चार अनुसार। कुल व्यय राशि रु. 8,87,20,380/- (घ) संग्रहालय आदि के कार्य कलात्मक प्रकृति के होने से कलाकारों से कराये जाते हैं, शेष वृहद स्वरूप तथा तकनीकी आवश्यकता वाले समस्त निर्माण कार्य मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार ही कराये जाते हैं।

चेकपोस्ट एवं अवैध परिवहन तथा शिकायतों की जानकारी

[परिवहन]

168. (क्र. 1179) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में परिवहन विभाग के चेक पोस्ट कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? वहां पर 2025 से आज तक कौन अधिकारी किस-किस श्रेणी के कब से कब तक कार्यरत हैं? (ख) वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में अवैध परिवहन से संबंधित कहां-कहां पर किस-किस प्रकार के कौन-कौन सी गाड़ियों व वाहनों के प्रकरण बने, उसमें कितना जुर्माना लगाया गया, कितना मिला? जानकारी दें। (ग) वर्ष 2025 एवं 2026 में प्रमुख सचिव, कमिश्नर परिवहन को किस-किस ने क्या-क्या शिकायत की, उसमें क्या-क्या कार्यवाही हुई?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश में चेक पोस्ट कहीं भी संचालित नहीं हैं। मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल के आदेश दि. 30.6.2024 द्वारा प्रदेश में अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन दिनांक 01 जुलाई, 2024 से बन्द किया जा चुका है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में दिनांक 30.06.2026 तक की अवधि में परिवहन चेकपॉइंट/संभागीय परिवहन सुरक्षा स्कवॉड से विभिन्न श्रेणी के वाहनों के विरुद्ध बनाये गये चालान एवं जुर्माना की गयी राशि तथा जुर्माना की वसूल की गयी राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ग) वर्ष 2025 एवं 2026 में परिवहन चेकपॉइंटों के विरुद्ध परिवहन आयुक्त कार्यालय में विभिन्न आवेदकों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों व उन पर की गई कार्यवाही का पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

पर्यटन केन्द्र उदयगिरी की राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण

[राजस्व]

169. (क्र. 1182) श्री मुकेश टंडन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व क्षेत्र में नगर वन बनाने हेतु कोई महत्वाकांक्षी योजना है? यदि हाँ, तो शहरी क्षेत्रों में इस योजना का क्या उद्देश्य है? (ख) क्या यह सत्य है कि वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल विदिशा द्वारा पत्र क्र. 2375 दिनांक 31/10/2025 के माध्यम से कलेक्टर विदिशा से इको पर्यटन केन्द्र उदयगिरी की राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने हेतु आग्रह किया है। (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो उक्त संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या उदयगिरी की राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक निश्चित अवधि बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। उदयगिरी, बेतवा एवं बेस नदी के मध्य स्थित एक पुरातात्विक पर्यटन स्थल है। जिसे विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है जहाँ पर दूर-दराज से पर्यटक आते हैं साथ ही उक्त क्षेत्र विदिशा नगर से लगा हुआ है जिससे पर्यटकों के साथ-साथ नगरवासियों को भी प्राकृतिक सौंदर्योत्प्रेरण के साथ-साथ हरित आवरण एवं स्वच्छ, हरा-भरा तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना एवं जैव-विविधता को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

(ख) जी हाँ। (ग) वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल विदिशा के आवेदन दिनांक 02.12.2025 एवं पत्र क्र. मा.चि./2639 दिनांक 03.12.2025 के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के तहत प्र.क्र. 0047/30-20 (3)/2025-26 पंजीबद्ध किया जाकर, संबंधित भूमि पर कुल कितने वृक्ष हैं, गणना करते हुए भूमि वन विभाग को आवंटित करने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (घ) मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अनुसार प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। समय-सीमा नहीं बताई जा सकती हैं।

प्राचीन माला देवी मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करना

[पर्यटन]

170. (क्र. 1183) श्री मुकेश टंडन : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला विदिशा अंतर्गत ग्यारसपुर में प्राचीन माला देवी का मंदिर स्थित है? यदि हाँ, तो क्या शासन इस प्राचीन मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या उक्त संबंध में कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा पत्र क्र. 12065, दिनांक 30/08/24 एवं 7023 दिनांक 23/09/24 को विभाग को पत्रों के माध्यम से पर्यटन स्थल घोषित करने के लिये आग्रह किया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई बतावें? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) पर्यटन विभाग की पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों की भूमि को राजस्व अभिलेखों में जानकारी दर्ज कराना

[स्कूल शिक्षा]

171. (क्र. 1186) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों की पंचायतवार सूची, विद्यालय का नाम डाईस कोड सहित जानकारी दें। (ख) उक्त विद्यालयों में से कितने विद्यालयों के नाम पर शासकीय भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज एवं आवंटित है? विद्यालयवार एवं पंचायतवार भूमि का रकबा (हेक्टेयर/एकड़) कितना है? (ग) कितने विद्यालयों ऐसे हैं जिनके नाम पर भूमि आवंटित नहीं अथवा जिनकी भूमि का नामांतरण/राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि लंबित है, विद्यालयवार जानकारी दें? (घ) विद्यालयों के नाम दर्ज भूमि में से कितनी भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है? अतिक्रमण का प्रकार शासकीय निजी एवं विद्यालयवार, पंचायतवार तथा जिलावार विवरण क्या है। (ङ.) अतिक्रमण हटाने, विद्यालय भूमि की सुरक्षा तथा राजस्व अभिलेखों में विद्यालयों के नाम भूमि दर्ज करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार की गयी कार्यवाही की वर्तमान स्थिति का विवरण सहित जानकारी उपलब्ध कराये।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (ङ.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।

लंबित प्रकरणों पर शीघ्र निराकरण

[स्कूल शिक्षा]

172. (क्र. 1187) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से शहडोल जिले में अनुकंपा नियुक्ति, हेतु कुल कितने आवेदन/प्रकरण प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है तथा कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं? विभागवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) उपर्युक्त अवधि में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हितग्राहियों को किस विभाग में किस पद पर किस दिनांक को नियुक्ति प्रदान की गई है? विभागवार, पदवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (ग) वर्तमान में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों की विभागवार संख्या कितनी है तथा उनके लंबित रहने के कारण क्या हैं? यह भी बताया जाए कि ऐसे कितने प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा से अधिक अवधि से लंबित हैं। उनको कब तक पूर्ण किया जायेगा। (घ) मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण एवं नियुक्ति प्रदान करने की समय-सीमा क्या है? यदि संबंधित संवर्ग अथवा पद में रिक्त पद उपलब्ध न हो तो पात्र आवेदक को अन्य समकक्ष अथवा उपलब्ध पद पर नियुक्ति प्रदान करने संबंधी क्या प्रावधान है? इसका नियमवार विवरण उपलब्ध करावें। (ङ.) जिन प्रकरणों में आवेदक की शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक योग्यता अपूर्ण है ऐसे आवेदकों को योग्यता अर्जित करने हेतु अधिकतम कितनी अवधि प्रदान की जाती है? साथ ही पद रिक्त होने पर पात्र आवेदकों को नियुक्ति देने, सूचना देने, दावा प्रस्तुत करने एवं नियुक्ति आदेश जारी करने की क्या प्रक्रिया है। वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक पद उपलब्ध होने के बावजूद नियुक्ति न दिये जाने के कितने प्रकरण संज्ञान में आये हैं उनके लिये कौन उत्तरदायी है तथा ऐसे लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं नियुक्ति प्रदान करने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 02 अनुसार है। (ग) शहडोल जिलान्तर्गत वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के 23 प्रकरणों में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित नहीं करने के कारण तथा प्रवर्गवार आवेदित पद रिक्त नहीं होने से लंबित है तथा वर्ष 2026 के प्रकरणों में आवेदकों से प्राप्त आवेदन की पूर्ति कराने की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। अनुकंपा नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) म.प्र. शासन द्वारा मृत्यु दिनांक से 07 वर्ष निर्धारित है। यदि संवर्ग में पद रिक्त न हो तो समकक्ष पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 03 अनुसार है। (ङ.) म.प्र. शासन द्वारा जारी नियमानुसार अधिकतम 07 वर्ष की अवधि निर्धारित है। आवेदन प्राप्त होने पर पद रिक्त के आधार पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार पात्र आवेदकों को नियुक्ति प्रदाय की जाती है।

बरगी क्रूज हादसे में दोषियों पर कार्यवाही

[पर्यटन]

173. (क्र. 1193) श्री उमंग सिंघार : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी जलाशय में घटित क्रूज हादसे की जांच में क्रूज चालक, टिकट वितरण एवं अन्य

संचालन कार्यों से जुड़े कर्मचारी किस कंपनी, एजेंसी के माध्यम से नियुक्त पाए गए थे? कृपया संबंधित कंपनी का नाम, अनुबंध अवधि एवं अनुबंध की प्रमुख शर्तों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। (ख) बरगी क्रूज हादसे की जांच में संबंधित निजी एजेंसी, कंपनी, उसके संचालकों, निर्देशकों अथवा जिम्मेदार अधिकारियों की क्या भूमिका पाई गई तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या विभागीय, संविदात्मक, दंडात्मक अथवा आपराधिक कार्रवाई की गई है? कृपया कार्रवाई की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाए। (ग) क्या बरगी क्रूज हादसे से संबंधित उक्त कंपनी, एजेंसी अथवा उससे संबद्ध फर्म वर्तमान में भी मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम में कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध अब तक कोई ब्लैक लिस्टिंग कार्रवाई क्यों नहीं की गई तथा उन्हें कार्य जारी रखने की अनुमति किस आधार पर प्रदान की गई है?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) क्रूज पायलेट, टिकिट वितरण एवं संचालन कार्यों से जुड़े कर्मचारी आउट सोर्स एजेंसी आर बी एसोसिएट ग्लोबल कॉन्सेप्ट प्रा.लि. भोपाल के माध्यम से कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त निगम सेवा के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक तथा तत्कालीन प्रबंधक कार्यरत थे। एजेंसी आर बी एसोसिएट ग्लोबल कॉन्सेप्ट प्रा.लि. भोपाल से अनुबंध दिनांक 01/10/2025 से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए है। अनुबंध की शर्तें **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ' अनुसार।** (ख) म.प्र. शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ GAD/50/0001/2026-GAD-10-01 (GAD) दिनांक 10/05/2026 से न्यायिक जांच हेतु एकल सदस्यी जांच आयोग गठित किया गया है, जिसकी जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'ब' अनुसार।** (ग) जी हाँ। बरगी क्रूज हादसे की न्यायिक जांच हेतु म.प्र. शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ GAD/50/0001/2026-GAD-10-01 (GAD) दिनांक 10/05/2026 से एकल सदस्यी जांच आयोग गठित किया गया है, जिसकी जांच प्रचलित है।

चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी लंबित नियुक्तियां

[स्कूल शिक्षा]

174. (क्र. 1194) श्री उमंग सिंघार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2025 में चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) एवं प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) के लिए कुल कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया था? (ख) उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थियों में से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं तथा कितने चयनित अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं? (ग) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी न किए जाने के कारण क्या हैं? (घ) क्या चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन एवं प्रदर्शन किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उनकी मांगों के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? (ङ.) शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक (विषय, खेल, गायन वादन) एवं प्राथमिक शिक्षक (खेल, गायन वादन एवं नृत्य) चयन परीक्षा के परिणाम अनुसार माध्यमिक शिक्षक के 4571 अभ्यर्थी एवं प्राथमिक शिक्षक के 1156 अभ्यर्थी

चयनित हुए। (ख) माध्यमिक शिक्षक के 4091 एवं प्राथमिक शिक्षक के 950 नियुक्ति आदेश जारी किए गए। 94 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुष्टि/सत्यापन विश्वविद्यालय से तथा दिव्यांगता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। प्रमाणीकरण उपरांत ही जारी करने का प्रावधान है। (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार। (घ) जी हाँ। पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। उत्तरांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ.) शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में दिव्यांगता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

जबलपुर महोत्सव प्रारंभ किया जाना

[पर्यटन]

175. (क्र. 1197) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिसंबर माह में दो दिवसीय जबलपुर महोत्सव का भव्य आयोजन करने के संबंध में विभाग को एक पत्र/प्रस्ताव प्रेषित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर विभाग द्वारा अब तक क्या सकारात्मक कार्यवाही की गई है तथा संस्कारधानी में इस गरिमामयी महोत्सव को प्रारंभ करने के विषय में शासन के क्या विचार या नीतिगत योजना है? (ग) महाकौशल क्षेत्र के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यटन को गति देने वाले इस दो दिवसीय जबलपुर महोत्सव के आयोजन हेतु शासन की आगामी क्या कार्ययोजना तैयार की गई है? संपूर्ण विवरण दें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश के संदर्भ अध्यतीत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है।

सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन जारी की जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

176. (क्र. 1198) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से अगस्त 2018 में सेवानिवृत्त हुए एक प्रशासकीय अधिकारी को जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो सका है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन राशि रोके जाने के मुख्य तकनीकी, प्रक्रियात्मक अथवा प्रशासनिक कारण क्या हैं, जिसके फलस्वरूप इतने समय से भुगतान लंबित है? (ग) क्या विभाग उक्त लंबित कारणों का त्वरित निराकरण करते हुए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को उनके जीवन-यापन हेतु देय लाभ सुगमता से प्रदान करने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठा रहा है? (घ) उक्त अधिकारी की जनवरी 2024 से अब तक की संपूर्ण बकाया (Arrears) राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा तथा आगे भी निरंतर व नियमित रूप से हर माह पेंशन मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग द्वारा क्या निश्चित समय-तय की गई है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) फरवरी, 2024 का 90 प्रतिशत पेंशन का देयक भुगतान हेतु कोषालय में प्रस्तुत किये जाने पर कोषालय

द्वारा पेंशन प्रकरण डीपीओ को प्रेषित करने संबंधी आपति के साथ देयक वापस किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** तत्पश्चात उक्त देयक पुनः कोषालय में प्रस्तुत किये जाने पर कोषालय द्वारा आपति यथावत रखी गई। तत्समय कोषालय द्वारा 90 प्रतिशत पेंशन देयक पारित नहीं किये जाने के कारण एवं माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण संबंधित को अनंतिम पेंशन का भुगतान नहीं हो सका। (ग) श्री डी.एस. मोघे सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी के स्वत्वों के संबंध में प्राप्त न्यायालयीन निर्णय वर्तमान में परीक्षण स्तर पर है। (घ) माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में परीक्षण उपरांत पेंशन एवं सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही संभव है।

परिशिष्ट - "चौहत्तर"

जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना

[राजस्व]

177. (क्र. 1201) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र कमांक/2452/2025/सात-2 दिनांक 02.09.2025 से संजय कुमार अपर सचिव राजस्व ने कमिशनर रीवा संभाग, रीवा को 15 दिवस में जाँच कर प्रतिवेदन सर्वोच्च प्राथमिकता पर तत्काल उपलब्ध कराने पत्र लिखा था? पत्र की एक प्रति दें? (ख) प्रश्नांश (क) में लिखे पत्र के बाद प्रश्नतिथि तक किस नाम/पदनाम के द्वारा कब व क्या जाँच कर क्या प्रतिवेदन शासन को भेजा? प्रतिवेदनों की व जांच रिपोर्ट की एक प्रति दें? अगर जाँच नहीं की गई तो राज्य शासन किस पदनाम/नाम को दोषी मानता है? उसके विरुद्ध कब व क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) अमरपाटन जिला मैहर के मुख्य मार्ग से लगी राज्य मार्ग पर स्थित पूर्व की 154/2 उमराही बिहारी राम की शासकीय भूमि पर कूट रचना कर निजी कर दी गई भूमि को पूर्व आयुक्त रीवा संभाग/कलेक्टर मैहर/पूर्व एस.डी.एम. अमरपाटन/पूर्व तहसीलदार अमरपाटन के लिखित आदेशों के बाद भी (सभी आदेशों की एक-एक प्रति दें) वर्तमान तहसीलदार व हल्का पटवारी ने अभी तक प्रश्नतिथि तक शासकीय अभिलेखों में शासकीय दर्ज क्यों नहीं की है? कारण व नियम दें? (घ) राज्य शासन तहसीलदार व पटवारी हल्का पर कब व क्या कार्यवाही कब तक शासन के आदेशों का उल्लंघन करने पर करेगा? समय-सीमा दें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ' अनुसार। (ख) कमिशनर रीवा, संभाग रीवा द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2025 से अंतरिम जांच प्रतिवेदन तथा दिनांक 20.02.2026 से अंतिम जांच प्रतिवेदन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग को भेजा गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। प्रतिवेदन की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। (ग) तहसील अमरपाटन अन्तर्गत ग्राम उमराही बिहारीराम की आराजी नम्बर 154/2 रकबा 0.0320 हे. के भूमिस्वामी ममता पत्नी विजय कुमार पुत्री राममनोहर जाति कुशवाहा के नाम वर्ष 2026-27 में दर्ज अभिलेख है। पूर्व अभिलेख रीवा रियासत 1924 (संवत् 1982-2002) में ग्राम उमराही बिहारीराम की आराजी नम्बर 154 रकबा 1.52 एकड़ भूमिस्वामी दीनाराम बल्द हनुमान कौम ब्रा. सा. अमरपाटन के नाम दर्ज अभिलेख है एवं वार्षिक खतौनी जमाबंदी सन 1958-59 में ग्राम उमराही बिहारीराम की आराजी नम्बर 154 रकबा 1.52 एकड़

परमेश्वरदीन बल्द बाबादीन ब्रा. सा. गडौली के नाम दर्ज अभिलेख है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

पानी लीकेज बंद कराया जाना

[जल संसाधन]

178. (क्र. 1202) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत भीतरी सैडल के गेट से गत 5 वर्षों से लगातार पानी का लीकेज हो रहा है? अगर नहीं तो सरियांचाल के किसानों के द्वारा लगातार दिये गये आवेदनों एवं प्रश्नकर्ता के द्वारा सदन में उठाये गये मुद्दों के बाद भी क्यों शासन गेट का लीकेज बंद नहीं करवा पा रहा है? प्रश्नतिथि तक भीतरी सैडल का लीकेज बंद है या अभी भी लीकेज हो रहा है स्थल निरीक्षण की सक्षम अधिकारियों की टीप दें? (ख) क्या बांसी माईनर/कैथहा माईनर/सेंटर कैनाल की स्थिति दिन प्रतिदिन जर्जर हो रही है? अगर नहीं तो 01.04.2022 से प्रश्नतिथि तक उक्त सभी कैनालों की मरम्मत व भीतरी सैडल के लीकेज को बंद करवाने में कब कब/कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार/माहवार/राशिवार/मदवार/प्रकरणवार/भुगतान प्राप्तकर्ता वार जानकारी दें? (ग) मर्यादपुर लिफ्ट इरीगेशन सिंचाई परियोजना में क्या ग्राम मनकीसर/बेलहाई/भमरहा/देवदहा/देवदही/जस्टहा/उचेहरा/झिन्ना/सोनवर्षा/मर्यादपुर में नहरें बनीं? पाईटों पर पानी आया? किन-किन पाईटों पर प्रश्नतिथि तक व किन-किन किसानों को पानी प्राप्त हो रहा है स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर सूची एवं रिपोर्ट की एक प्रति दें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित समस्याओं का शासन कब तक समाधान निकालेगा? यदि नहीं निकालेगा तो क्यों? कारण दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) जी हाँ। भीतरी सैडल के लीकेज की समस्या रोकने हेतु बाणसागर बांध से दायी एवं बायी तट नहर में स्थापित स्लूस गेट एवं मुख्य बांध के गेटों की मरम्मत हेतु रुपये 26.62 करोड़ की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर लगातार 04 वार निविदा आमंत्रित की गई, किन्तु निविदाकारों की अर्हता कम पाये जाने अथवा एकल निविदा होने के कारण निविदाएं निरस्त की गई। निविदा प्रकाशन हेतु अर्हता में संशोधन कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) बासी माइनर/कैथहा माइनर/सेन्ट्रल कैनाल व अन्य के मरम्मत हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जा रहा है नहरों की मरम्मत कार्य में व्यय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" एवं "ब" अनुसार है। (ग) मर्यादपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना नहर संचालित नहीं है। प्रश्न में उल्लेखित समस्त ग्रामों में सिंचाई, झिन्ना माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से की जा रही है। जी हाँ, पाइंटों पर पानी आता है। स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आउटलेटवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-स" अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित समस्याओं के समाधान हेतु नहरों का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है तथा भीतरी सैडल के गेट मरम्मत हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा उपरान्त सुधार कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

मंदिरों का विकास एवं सुरक्षा

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

179. (क्र. 1224) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के प्रमुख आस्था केन्द्र पाबई माता मंदिर, कोषढ माता मंदिर, पाबई जैन मंदिर, बोresh्वर मंदिर, रजपुरा मंदिर, ददरौआ धाम मंदिर, रावतपुरा मंदिर आदि के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं? मंदिरवार पूर्ण जानकारी दी जाए। (ख) क्या जिले के प्रमुख ददरौआ धाम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन की ओर से मंदिर स्थल पर सुरक्षा चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव अनुसार सुरक्षा चौकी स्वीकृति की क्या स्थिति है? (ग) कब तक ददरौआ धाम मंदिर पर सुरक्षा चौकी स्थापित कर दी जावेगी? समय-सीमा बतायी जाए।

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार ददरौआ धाम पुलिस चौकी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पिचहतर"

म.प्र. नर्सिंग काउन्सिल में किये गये अनियमित भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

180. (क्र. 1225) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2022 से प्रश्न दिनांक तक नर्सिंग काउन्सिल में कितने न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हुये, कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करायी जाये, कि उक्त प्रकरणों में किस-किस अधिवक्ता को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? जानकारी गोश्वारा में उपलब्ध करावें। (ख) नर्सिंग काउन्सिल में वर्तमान में कितने विधि सलाहकार कार्यरत हैं? आलोच्य अवधि में विधि सलाहकारों को वेतन के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है? नाम, पता सहित माहवार उपस्थिति के साथ जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (ग) आलोच्य अवधि में नर्सिंग काउन्सिल में कार्यरत विधि सलाहकार श्री हरीश बारी को किये गये वेतन भुगतान की जानकारी उपस्थिति पत्रक सहित उपलब्ध करायी जाये। इस जानकारी में श्री बारी को वेतन वृद्धि के उपरान्त प्रदाय किये गये एरियर राशि की जानकारी दी जाये। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में बतायें कि क्या कर्मचारी को बिना मासिक उपस्थिति के एरियर की पात्रता आती है? यदि नहीं तो श्री हरीश बारी को एरियर की राशि का भुगतान किस आधार पर किया गया? क्या इस अनियमित भुगतान की जांच कराकर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) उक्त अवधि में कुल 760 न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 599 प्रकरणों का निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। उक्त प्रकरणों में अधिवक्ताओं

को किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। (ख) वर्तमान में नर्सिंग कौंसिल में कुल 04 विधि सलाहकार कार्यरत हैं। आलोच्य अवधि में उक्त को परामर्श शुल्क के रूप में कुल रुपये 95,50,295/- राशि का भुगतान किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार। (ग) श्री हरीश बारी को किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार। श्री बारी को लेखा शाखा द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार सक्षम अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-05 अनुसार। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दोषियों पर कार्यवाही करना

[स्कूल शिक्षा]

181. (क्र. 1229) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर के विधानसभा प्रश्न क्र. 603 दिनांक 04.12.2025 के उत्तर में तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बकस्वाहा तथा सतर्कता प्रभारी ने शासन के प्रावधानों के तहत परीक्षण न करते हुये शा.उ.मा.वि.दरगवां की तत्कालीन प्राचार्य को निर्दोष साबित कर सदन को दी गई भ्रामक एवं असत्य जानकारी दिये जाने के कारण लोक सेवकों के विरुद्ध क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विभागीय कार्यवाही भी की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? विवरण दें। (ख) यदि नहीं, तो क्या दिनांक 22.11.2025 को जांच दल त्रिस्तरीय जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी बड़ा मलहरा एवं अन्य प्राचार्यों ने जांच की जिसमें लाखों की गम्भीर अनियमितताएँ प्रमाणित पाई गई। यदि हाँ, तो सतर्कता प्रभारी जूनियर ऑडिटर ने संशोधित वि.स. प्रश्न के उत्तर भेजने के अन्तिम दिन 26.11.2025 को क्यों नहीं भेजा? क्या यह सत्य है कि सत्य तथ्यों को छिपाया गया है? यदि हाँ, तो दोषियों पर कार्यवाही कब की जावेगी। (ग) इस संबंध में कई शिकायतें प्रश्न, ध्यानाकर्षण के माध्यम से किन-किन के द्वारा विगत 2 वर्षों में की हैं? विवरण प्रमाणित प्रतियों सहित दें। (घ) क्या प्र.क्र. 316, दिनांक 19.02.2026 के उत्तर में ऑडिट प्रतिवेदन में पी.एम.श्री योजना के आय व्यय का उल्लेख नहीं करते हुये शासन के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, क्या दोषी के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) एवं (ख) जांच रिपोर्ट में विरोधाभास होने से संबंधित अधिकारियों को सतही जाँच करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। विस्तृत जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.2026 को प्राप्त हुई है। इस आधार पर संबंधित लोक सेवकों को संयुक्त संचालक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) पी.एम. श्री योजना केन्द्र प्रवर्तित होने के कारण इसका ऑडिट भारत शासन के निर्देशानुसार CAG एम्पेनलड ऑडिटर्स के माध्यम से होता है।

शासकीय पट्टे की भूमि का विक्रय

[राजस्व]

182. (क्र. 1232) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय पट्टेदार द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति संबंधी नियमों की छायाप्रति देते हुए बताएं

कि बिना अनुमति भूमि विक्रय करने पर शासकीय पट्टेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है? (ख) ग्राम बिल्लौरा बुजुर्ग तहसील मांधाता जिला खंडवा के खसरा नंबर 2 को जालम पिता किसन, खसरा नंबर 6 को शोभाराम पिता गणपत, खसरा नंबर 7 को बाबू सिंह पिता शेर सिंह शासकीय पट्टेदार ने बिना किसी अनुमति के वर्ष 2005 के पश्चात भूमि विक्रय कर दी? इस मामले में उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी और कब तक ऐसी बिना अनुमति विक्रय वाली रजिस्ट्री निरस्त कर दी जाएगी? (ग) प्रश्न दिनांक की स्थिति में तहसील मांधाता में नर्मदा तट से लगी भूमि के शासकीय पट्टेदारों की सूची स्थान, नाम, रकबा, पट्टेदार का नाम की जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ख) में बिना अनुमति विक्रय के मामले में उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बताएं कि विभाग उन पर कब तक क्या कार्यवाही करेगा? तीनों प्रकरणों के संबंध में पृथक-पृथक बतायें।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) शासकीय पट्टेदार द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति संबंधी नियमों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) (1) ग्राम बिल्लौरा बुजुर्ग टप्पा तहसील मांधाता के खसरा नंबर 2 रकबा 0.28 हे. गोकुल पिता जालम अन्य-3 के द्वारा विक्रय पत्र क्रमांक 2841, दिनांक 26.10.2006 के माध्यम से क्रेता विशाल पिता प्रेमचंद जैन को विक्रय किया जाना पाया गया। (2) खसरा नंबर 6 रकबा 1.72 हे. भूरीबाई बेवा शोभाराम अन्य-3 के द्वारा विक्रय पत्र क्रमांक 3089, दिनांक 25.11.2005 के माध्यम से क्रेता मायादेवी पति सुरेशचंद जैन अन्य-1 को विक्रय किया जाना पाया गया। (3) खसरा नंबर 7 रकबा 2.19 हे. गुलाबचंद पिता मांगीलाल जाति भील के द्वारा विक्रय पत्र अनुसार विक्रेता गुलाबचंद जो कि भील आदिवासी है, के द्वारा अपनी भूमि विक्रय करने हेतु कलेक्टर खण्डवा से राज.प्र.क्र. 16 अ/21/08-09 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2009 के द्वारा धारा 165 (6) (2) म.प्र.भू-राजस्व संहिता के तहत विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। बिना अनुमति के विक्रय करने वाले खाताधारकों के विरुद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 तथा अन्य अधिनियमों के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत 06 माह में कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। (ग) तहसील मांधाता में नर्मदा तट से लगी भूमि के शासकीय पट्टेदारों की सूची। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ) (1) सर्वे नम्बर 2 एवं 6 के संबंध में तत्कालीन समय वर्ष 2004-05 से 2005-06 तक में टप्पा कार्यालय मांधाता में नायब तहसीलदार श्री सुमैरसिंह मुजाल्दे कार्यरत थे। (2) सर्वे नम्बर 7 के संबंध में तत्कालीन समय वर्ष 2008-09 तक में टप्पा कार्यालय मांधाता में नायब तहसीलदार श्री धर्मराज प्रधान कार्यरत थे। शेष उत्तरांश 'ख' अनुसार।

गैर अनुभवी अधिकारियों को प्रभार

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

183. (क्र. 1233) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में पदस्थ सभी उप संचालक/प्रभारी उप संचालक/प्रभारी वरिष्ठ संयुक्त संचालक का मूल पद, अंतिम पदोन्नति, प्रथम नियुक्ति दिनांक, कुल सेवा अवधि तथा संचालनालय में सेवा अवधि का विवरण दें। (ख) वर्तमान में संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में ऐसे

कितने उपसंचालक/प्रभारी उपसंचालक/प्रभारी वरिष्ठ संयुक्त संचालक कार्यरत है जिनकी पूर्ण नियमित सेवा अवधि 05 वर्ष से कम है? क्या 05 वर्ष की अल्पअवधि के दौरान इन चिकित्सकों को शासकीय कार्य किए जाने का तकनीकी/प्रशासनिक/प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो चिकित्सकवार एवं प्रशिक्षणवार जानकारी दें। (ग) ऐसे कितने चिकित्सक हैं जिन्हें अल्प अवधि का सेवाकाल होने पर भी मानव संसाधन प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, जांच, शिकायत, विधानसभा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है और क्यों? क्या विभाग ऐसे नवनियुक्त चिकित्सकों को महत्वपूर्ण पदों से पृथक कर उन्हें कार्य संबंधी प्रशिक्षण देकर ही जिम्मेदार पदों का प्रभार देगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में 05 उप संचालक/प्रभारी उप संचालक/प्रभारी वरिष्ठ संयुक्त संचालक कार्यरत है जिनकी पूर्ण नियमित सेवा अवधि 05 वर्ष से कम है। कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। 03 चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जिम्मेदारी दी गई है। जी नहीं। प्रशासनिक कार्य में प्रशिक्षण हेतु iGOT के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण सत्र उपलब्ध हैं जिन्हें संबंधित ऑनलाईन कर सकते हैं।

राजस्व के लंबित प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

184. (क्र. 1236) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की किस-किस तहसील के अन्तर्गत नामांतरण, फौती नामांतरण, सीमांकन आदि के कितने-कितने प्रकरण कब-कब से किन-किन कारणों से लंबित है? (ख) उक्त राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने की शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? (ग) उपरोक्त लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने के संबंध में जिला कलेक्टर को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन प्राप्त शिकायतों में समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण नहीं करने वाले संबंधितों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उक्त लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) भिण्ड जिला अंतर्गत 30/45 दिवस से अधिक लंबित नामांतरण, फौती नामांतरण, सीमांकन आदि की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	तहसील	नामांतरण	फौती नामांतरण	सीमांकन
1	भिण्ड	625	272	78
2	भिण्ड नगर	899	112	7
3	अटेर	217	113	13
4	मेंहगांव	409	96	74
5	अमायन	153	81	51
6	गोरमी	231	26	39

7	गोहद	05	00	14
8	मौ	147	50	16
9	लहार	810	313	255
10	मिहोना	255	120	115
11	रौन	280	105	152

उपरोक्त नामांतरण एवं फौती नामांतरण प्रकरणों का निराकरण न होने का मुख्य कारण प्रकरण विवादित होना एवं साक्ष्य अभाव के प्रकरण लंबित है। उपरोक्त लंबित सीमांकन प्रकरणों में प्रकरण विवादित होने, मौका और नक्शा का मिलन न होने, मौके पर जरीब से सीमांकन संभव न होने के कारण सीमांकन की कार्यवाही प्रगति पर है। (ख) म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अविवादित नामांतरण 30 दिवस में एवं सीमांकन प्रकरणों में 45 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। (ग) लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने के संबंध में कलेक्टर कार्यालय की शिकायत शाखा में सीमांकन प्रकरणों की 05 शिकायतें प्राप्त हुई जिन्हें संबंधित कार्यालयों को प्रेषित कर दिया गया है। शिकायत क्रमांक 1-ग्राम मानहड़ तहसील गोरमी के सर्वे क्रमांक 2445, 2608 तथा 2548 का सीमांकन प्रकरण क्रमांक 347/अ-12/2024-25 द्वारा किया जा चुका है एवं शिकायतकर्ता की दर्ज सीएम हेल्पलाईन क्रमांक 29622199 को संतुष्टि पूर्वक बंद करवा दिया है। शिकायत क्रमांक 2- मौजा कनावर तहसील भिण्ड के आराजी क्रमांक 1585 का सीमांकन प्रकरण क्रमांक 0002/अ-12/2024-25 द्वारा किया जा चुका है। शिकायत क्रमांक 3- मौजा देहगांव तहसील मौ के आराजी क्रमांक 1751 का सीमांकन करने हेतु दल दिनांक 10.06.2026 को मौके पर उपस्थित हुआ किन्तु आवेदक व परिजनों में विवाद एवं मेंडिया कृषकों के अनुपस्थित रहने से सीमांकन नहीं हुआ एवं पुनः सीमांकन हेतु दिनांक 11.06.2026 मौके पर उपस्थितजनों की सहमति से नियत की गई। नियत दिनांक 11.06.2026 को गठित दल मौके पर उपस्थित हुआ किन्तु नक्शा मौके का मिलान न होने से आवेदक एवं मेंडिया कृषकों द्वारा मशीन से सीमांकन हेतु कहा गया। अतः मौके पर पंचनामा तैयार किया गया एवं सीमांकन हेतु आगामी दिनांक 13.07.2026 नियत की गई है। शिकायत क्रमांक 4- शिकायतकर्ता जगन्नाथ पुत्र सुमैर निवासी कुवंरपुरा तहसील लहार द्वारा सीमांकन न होने के संबंध में शिकायती आवेदन दिया है। उक्त संबंध में नायब तहसीलदार उप तहसीलदार दबोह द्वारा वस्तुस्थिति का जांच कर प्रतिवेदन दिया है कि शिकायतकर्ता द्वारा आज दिनांक तक सीमांकन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है जिस कारण विधिवत सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायत क्रमांक 5- ग्राम मटियावली बुजुर्ग तहसील मिहोना के आराजी क्रमांक 699 का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था जिस पर सीमांकन हेतु दिनांक 08.07.2026 नियत की गई थी किन्तु 07.07.2026 एवं 08.07.2026 को अत्यधिक वर्षा होने से सीमांकन नहीं हो सका। पुनः सीमांकन हेतु दिनांक 14.07.2026 नियत की गई है जिसकी सूचना मेंडिया कृषकों को दी जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किये जाने हेतु संबंधितों को समय-समय पर निर्देशित किया जाता है।

माध्यमिक शाला की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

185. (क्र. 1237) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील भिण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत नुन्हाटा के ग्राम हवलदार सिंह पूरा में वर्तमान में शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित है, परंतु माध्यमिक शाला स्तर की सुविधा उपलब्ध नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो क्या कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा हेतु अन्य ग्रामों में जाना पड़ता है? (ग) उक्त ग्राम से निकटतम माध्यमिक शाला कितनी दूरी पर स्थित है तथा वहां अध्ययनरत हवलदार सिंह पूरा के बच्चों की संख्या कितनी है? (घ) शासन द्वारा हवलदार सिंह पूरा में नवीन माध्यमिक शाला खोले जाने हेतु क्या कोई सर्वे/प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? (ङ.) शासन कब तक ग्राम हवलदार सिंह पूरा में जनहित एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शाला स्वीकृत कर प्रारंभ करेगा? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) 2.5 कि.मी.। ग्राम नुन्हाटा में हवलदार सिंह पूरा के 25 बच्चे माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत हैं। (घ) जी नहीं हवलदार सिंह पूरा से 2.5 कि.मी की दूरी पर ग्राम नुन्हाटा में शासकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। (ङ.) निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार बसाहट से निकटतम 3 कि.मी. की दूरी पर माध्यमिक शाला उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

हितग्राहियों को चार गुना मुआवजा देने की कार्यवाही

[जल संसाधन]

186. (क्र. 1240) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पार्वती नदी सुठालिया सिंचाई परियोजना कब से क्रियान्वित है। अद्यतन स्थिति क्या है? परियोजना में सर्वे की रिपोर्ट, सर्वे में किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत कब और किन ग्रामों में सर्वे किया गया है? संपूर्ण जानकारी का गोशवारा ग्राम पंचायतवार नाम, पता, सम्पत्ति का विवरण, सर्वे उपरांत किस दर पर कितना मुआवजा किस आधार पर दिया जा रहा है। मुआवजा हेतु प्राप्त राशि राज्य से कितनी, केन्द्र सरकार से कितनी प्राप्त और कब प्राप्त हुई सम्पूर्ण जानकारी दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराये। (ख) उपरोक्त के संबंध में मुआवजा-सर्वे कार्य में लापरवाही अनियमितताओं के संबंध में जनप्रतिनिधियों से कब कितनी शिकायत प्राप्त हुई है? पत्र की प्रति एवं कृत कार्यवाही की जानकारी दें। ब्यावरा में विशेष पैकेज दिये जाने के संबंध में पूर्व सीएम ने घोषणा की थी प्रति दे? (ग) राजस्व विभाग के आदेश क्र. 98/5016058/2026/शा.-7 भोपाल दिनांक 27/04/2026 में प्रश्नांश (क) परियोजना के समस्त हितग्राहियों को सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो दो गुना मुआवजा प्राप्त कर चुके एवं शेष हितग्राहियों को चार गुना मुआवजा कब तक दिया जायेगा? कितने हितग्राहियों को चार गुना मुआवजा दिया जा चुका है? उनके नाम, पते, मुआवजा राशि एवं सर्वे अनुसार किन शीर्षों में कितना-कितना मुआवजा दिया गया गोशवारा दें। यदि नहीं तो कारण सहित बताये क्यों? (घ) अद्योहस्ताक्षरकर्ता का पत्र 1027/26, दिनांक 06/06/2026 जो एसीएस जल संसाधन को प्रेषित है, पत्र प्राप्ति से प्रश्न दिनांक तक कब और क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) सुठालिया परियोजना वर्ष 2019 से क्रियान्वित है। परियोजना अंतर्गत वर्तमान दिनांक तक बांध कार्य 85 % एवं नहर कार्य 70% पूर्ण है। परियोजना सर्वे कार्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। मुआवजा दिये जाने हेतु परियोजना अंतर्गत राशि रुपये 464.53 करोड़ राज्य शासन से प्राप्त हुयी केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। प्राप्त राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-स" अनुसार है। (ख) परियोजना के मुआवजा निर्धारण में सर्वे कार्य अंतर्गत जनप्रतिनिधियों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त होना प्रतिवेदित है। मान. पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा की प्रति पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-1" अनुसार है। (ग) जी नहीं। अपितु शासन द्वारा जारी नवीन परिपत्र अनुसार ऐसे समस्त प्रकरणों जिसमें निर्णय प्रभावशील होने की दिनांक 24.04.2026 (अर्थात राजपत्र का प्रकाशन दिनांक) तक अंतिम अवार्ड पारित नहीं किया गया है, उन सभी पर निर्णय लागू किया जाना प्रतिवेदित है। दिनांक 24.04.2026 के पूर्व पारित अवार्डों में हितग्राहियों को दो गुना मुआवजा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के पूर्व प्रावधान अनुसार ही किया गया है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (घ) प्रश्नांश अनुसार मान. सदस्य का पत्र दिनांक 06.06.2026 दिनांक 03.07.2026 को विभाग को प्रेषित किया गया है।

सीव्हीसी के नियमों का उल्लंघन करने वाले कंपनी को पुनः टेंडर दिया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

187. (क्र. 1241) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) NHM मप्र की ई-निविदा 2025- DHS-465316-1 में कितने निविदाकार शामिल हुए इसमें से एल-1 से एल-2 एवं अन्य कौन-सी एजेंसी शामिल थी विज्ञापन/निविदा के साथ प्राप्त एवं बिलडिंग के संबंध और टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी के साथ किए गए अनुबंध और दस्तावेजों की एकल नस्ती प्रदान करें। (ख) ता.प्र. क्रमांक 1305 दिनांक 19.02.2026 के बिन्दु (ग) में जो एल-1 कंपनी से मांगा गया स्पष्टीकरण पत्र और जवाब एवं उसके पश्चात उस पर की गई कार्यवाही की एकल नस्ती सहित जानकारी दें। (ग) अगर एक बार किसी कंपनी द्वारा CVC ने नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसको पुनः टेंडर प्रक्रिया में क्यों शामिल किया गया कारण सहित बताएं। (घ) प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 990, दिनांक 09.04.2026 एवं रवि परमार के पत्र क्र. 002, दिनांक 02.03.26, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010 दिनांक 10.03.26 एवं एनएसयूआई/26/06/010 दिनांक 09.06.26 अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित है, पत्र की प्रति एवं कृत कार्यवाही की जानकारी दें। (ङ.) संचालनालय लो.स्वा.एवं चि.शि. का पत्र क्र. 158 एवं 174/स्था./नर्सिंग/2026 दिनांक 19.02.2026 एवं 20.02.26 जो रजिस्ट्रार, म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल को जारी किया गया था, उस पर कब और क्या कार्यवाही के उपरांत जानकारी प्राप्त हुई?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) NHM मप्र की ई-निविदा 2025-DHS-465316-1 में कुल 08 निविदाकार शामिल हुए, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। निविदा के साथ प्राप्त दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी के साथ किए गए अनुबंध और दस्तावेजों की एकल नस्ती की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार।

(ख) एल-1 कंपनी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक/रा.स्वा.मि/हब एंड स्पोक/2025/4813 भोपाल दिनांक 08.12.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। कंपनी द्वारा Ref No/SHMPL/H&S/2025-26/0105 दिनांक 15.12.2025 एवं Ref No/SHMPL/H&S/2025-26/0107 दिनांक 17.12.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "इ" अनुसार। कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर Sr.No/NHM/Legal/2026/I-829548 भोपाल दिनांक 19.02.2026 के माध्यम से माननीय महाधिवक्ता मध्यप्रदेश से विधिक मत मांगा गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "फ" अनुसार। DO No. 1821 Date 23.02.26 के माध्यम से विधिक मत दिया गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ज" अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश "ख" की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ज" अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, उक्त पत्र विभाग को प्रेषित किये गये है एवं विभाग द्वारा उक्त पत्रों को संज्ञान में लिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ह" अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "त" अनुसार।

सीमांकन कराया जाना

[राजस्व]

188. (क्र. 1243) श्री फूलसिंह बैरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम कलवलिया तह. बिरसिंहपुर जिला सतना स्थित मोहनलाल शिवकुमार तिवारी के खेत सीमांकन प्रकरण 180/अ-12/22-23 में क्या प्रश्न दिनांक तक खेत का सीमांकन करने हेतु दल गठित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक सीमांकन क्यों नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य सीमांकन के विलंब के क्या कारण दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर इस विलंब हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य के सीमांकन कब तक कर लिया जायेगा।

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ। (ख) हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 08/07/2024 को प्रतिवेदित किया गया था कि आवेदित आराजी का सीमांकन दिनांक 19.07.2022 को किया जा चुका है। दिनांक 12/07/2024 को उक्त प्रकरण आर.सी.एम.एस. पोर्टल से बिना किसी आदेश के निराकृत हो गया जिसके कारण सीमांकन आदेश नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2022 पर आपत्ति दिनांक 13.12.2022 को प्रस्तुत किए जाने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.06.2023 को सीमांकन हेतु दल का गठन किया गया। सीमांकन दल द्वारा समय पर सीमांकन नहीं किया गया। (ग) सीमांकन में विलंब होने के कारण सीमांकन दल के सदस्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। (घ) यथाशीघ्र।

भूमि का अवैध नामांतरण

[राजस्व]

189. (क्र. 1244) श्री फूलसिंह बैरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम गेहूँखेड़ा, तहसील कोलार, जिला-भोपाल (म.प्र.) की भूमि खसरा क्र. 33/2 रकबा 4.75 एकड़ कृष मुल्ल पिता गुलाब जाति भील आदिवासी (मुल्ला की मृत्यु के बाद) उक्त भूमि खसरा क्र.

33/2/1 रकबा 2.38 एकड़ नत्थू (नाथूलाल) खसरा क्र. 33/2/2 रकबा 2.37 एकड़ बब्बू (बाबूलाल) दोनों जाति (भील) आदिवासी के नाम फौती नामान्तरण होने के बाद नत्थू की मृत्यु होने पर उनके वारिस रमेश, महेश, सुरेश पिता नत्थू व हल्की बाई विधवा नत्थू को फौती नामान्तरण हुआ। (ख) उपरोक्त भूमि के मालिक कृषकगणों जो कि भील आदिवासी जाति के हैं, उनकी जाति छिपाकर मीणा राजपूत लिखकर पुष्पराज गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल अध्यक्ष दिनेश पिता तेजबल एवं साईबाबा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल के सचिव रविकुमार तिवारी ने उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की फर्जी (कूटरचित दस्तावेजों) के माध्यम से आदिवासियों कृषकों के फर्जी हस्ताक्षर अंगूठे से पावर बनाकर आदिवासी भील जाति छिपाकर मीणा राजपूत लिखकर रजिस्ट्री करवाकर अन्य लोगों को टुकड़ों-टुकड़ों में विक्रय कर भूमि खुरद-बुर्द कर दी गई है, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग आदि की है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) क्या सरकार कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से कलेक्टर की अनुमति के बगैर आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों द्वारा फर्जी रजिस्ट्रियां कराने वालों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट एवं धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि को अन्य लोगों को विक्रय कर खुरद-बुर्द करने पर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर भूमि के अवैध नामान्तरण को निरस्त कर किसानों के वारिसों के नाम नामान्तरण करेंगे? तो कब तक करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : (क) जी हाँ, कृष मुल्ल एवं बब्बू के फौत होने के बाद उनके वारिस रमेश, महेश, सुरेश पिता नत्थू व हल्की बाई विधवा के नाम वर्ष 1984-85 में फौती नामान्तरण होकर अभिलेख में दर्ज किया गया। (ख) विक्रय पत्र क्रमांक 7417, दिनांक 23/01/1989 से रमेश आ. स्व. नत्थू द्वारा केता साईबाबा गृह निर्मा. को ख.नं. 33/2/2 रकबा 2.38 एकड़ में से 0.85 एकड़ एवं विक्रय पत्र क्रमांक 4718, दिनांक 23/01/1989 से विक्रेता महेश ना.बा. संरक्षक स्वयं माँ श्रीमती हल्की बाई बेवा नत्थू जाति मीना राजपूत (गैर आदिवासी) ने ख.नं. 33/2/1 रकबा 2.38 एकड़ में से 0.85 एकड़ केता साई बाबा गृह निर्माण को एवं विक्रय पत्र क्रमांक 6481 दिनांक 15/12/1988 से विक्रेता बब्बू आ. मुल्ला जाति मीना राजपूत (गैर आदिवासी) द्वारा एवं विक्रय पत्र क्रमांक 4491, दिनांक 25/01/1989 से रमेश, महेश (ना. बा.) आ. नत्थू द्वारा साईबाबा गृह निर्माण को भूमि विक्रय की गई। विक्रय पत्र जांच की अधिकारिता राजस्व विभाग को नहीं हैं, जिसमें राजस्व विभाग को हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं है और प्रश्न अनुसार जाति छिपाकर जो विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है, उसकी जांच की अधिकारिता राजस्व विभाग को नहीं है। उक्त शिकायत की जांच के संबंध में राजस्व विभाग को अधिकारिता नहीं होने से इसकी जांच के संबंध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। प्राप्त शिकायत कूटरचित विक्रय पत्र के संबंध में माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली का पत्र फा.सं./एनसीएसटी/डीईडी/7692/980/2026-आरओ-बीएच दिनांक 05/06/2026 के तारतम्य में संपूर्ण जानकारी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर (शिकायत आयोग शाखा) जिला भोपाल को पत्र क्र. 3249/अ.वि.अ./रीडर/2026 दिनांक 15/06/2026 से प्रेषित की गई है। उक्त जांच में भी विक्रय पत्र निष्पादन होना पाये जाने से राजस्व विभाग को विक्रय पत्र की जांच अधिकारिता न होने से एवं आवेदक सक्षम सिविल न्यायालय में रजिस्ट्री शून्य कराने हेतु वाद प्रस्तुत करने हेतु जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। कार्यालय जिला पजीयक भोपाल के अभिलेखागार से दस्तावेज 7491/5862, ग्रंथ दिनांक 25/1/1989, 7417/5869 ग्रंथ दिनांक

23/01/1989, 6481/5797 ग्रंथ दिनांक 15/12/1988 एवं 4718/5869 ग्रंथ दिनांक 23/01/1989 की सत्यापित प्रति प्राप्त की गई। उक्त चारों दस्तावेजों को तत्समय मुख्तारआम द्वारा निष्पादित कर दस्तावेज पंजीकृत करवाया गया। चारो दस्तावेजों में गैर आदिवासी लिख कर दस्तावेजों का निष्पादन कर पंजीयन करवाया गया। (ग) विक्रय पत्र शून्य करने की अधिकारिता राजस्व विभाग को नहीं है, केवल माननीय सिविल न्यायालय को है। आवेदक द्वारा उक्त विक्रय पत्र को शून्य कराने हेतु मान. सिविल न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मान. सिविल न्यायालय से विक्रय पत्र शून्य कराये जाने के पश्चात नामांतरण की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

आउटसोर्स एजेंसियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

190. (क्र. 1248) श्री केशव देसाई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर एवं जिले के अन्य शासकीय सिविल अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत हैं? (ख) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में उक्त अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/ठेकेदार का नाम, पता, अनुबंध क्रमांक, अनुबंध अवधि एवं स्वीकृत राशि की जानकारी एजेंसीवार उपलब्ध कराई जाए। (ग) प्रत्येक आउटसोर्स एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की:- कर्मचारी का नाम, पदनाम (सफाईकर्मी, सुरक्षा गार्ड, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि), नियुक्ति दिनांक, कार्यस्थल, एजेंसी का नाम, मासिक निर्धारित वेतन, बैंक खाते में भुगतान की गई राशि की एजेंसीवार सूची उपलब्ध कराई जाये। (घ) शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन/मानदेय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए तथा प्रत्येक पद के लिए देय वेतन का विवरण दिया जाए। (ङ.) संबंधित आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन की वेतन पत्रक (Salary Sheet), उपस्थिति पत्रक, बैंक भुगतान विवरण, ईपीएफ व ईएसआई, जमा विवरण की सत्यापित/प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हां। जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर एवं जिले के अन्य शासकीय सिविल अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत हैं। (ख) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में उक्त अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/ठेकेदार का नाम, पता, अनुबंध क्रमांक, अनुबंध अवधि एवं स्वीकृत राशि की जानकारी एजेंसीवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ग) प्रत्येक आउटसोर्स एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी का नाम, पदनाम (सफाईकर्मी, सुरक्षा गार्ड, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि) नियुक्ति दिनांक, कार्यस्थल, एजेंसी का नाम, मासिक निर्धारित वेतन, बैंक खाते में भुगतान की गई राशि की एजेंसीवार सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (घ) शासन द्वारा निर्धारित पदवार न्यूनतम वेतन मानदेय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (ङ.) संबंधित आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन की वेतन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, बैंक भुगतान विवरण, ई.पी.एफ व ई.एस.आई. जमा विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है।

मुख्य वार्षिक परीक्षा

[स्कूल शिक्षा]

191. (क्र. 1250) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य वार्षिक परीक्षा हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) माह मार्च-अप्रैल वर्ष 1988 में रोल नंबर 315380 का उपयोग कर परीक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम, परीक्षार्थी श्रेणी नियमित/स्वाध्यायी और परीक्षा केन्द्र का नंबर, परीक्षा केन्द्र का नाम और परीक्षा केन्द्र के शहर/ग्राम का विवरण देते हुए इस रोल नंबर के परीक्षा परिणाम की मार्कशीट की काउन्टर फाइल-टेबुलेशन रजिस्टर/सुसंगत अभिलेख के पृष्ठ की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) सप्लीमेंट्री परीक्षा हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) में माह अगस्त वर्ष 1988 में रोल नंबर 315380 का उपयोग कर परीक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम, परीक्षार्थी श्रेणी नियमित/स्वाध्यायी और परीक्षा केन्द्र का नंबर, परीक्षा केन्द्र का नाम और परीक्षा केन्द्र के शहर/ग्राम का विवरण देते हुए इस रोल नंबर के परीक्षा परिणाम की मार्कशीट की काउन्टर फाइल-टेबुलेशन रजिस्टर/सुसंगत अभिलेख के पृष्ठ की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अगर उक्त व्यक्ति मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी था, तो उसके स्कूल रिकॉर्ड में इस विद्यार्थी की दाखिल खारिज पंजी के संबंधित पृष्ठ की प्रति उपलब्ध करावें। इस परीक्षार्थी द्वारा 10वीं बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम से संबंधित अभिलेख उपलब्ध करावें। इस विद्यार्थी के एनरोलमेंट नंबर की जानकारी उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 माह मार्च-अप्रैल वर्ष 1988 में रोल नम्बर 315380 का उपयोग कर परीक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम- श्री राजीव सक्सेना आत्मज-श्री कमल कुमार सक्सेना, परीक्षार्थी श्रेणी-नियमित, परीक्षा केन्द्र का नम्बर-3501/022 केन्द्र-शासकीय बालक उमावि क्रमांक-01 बड़वानी पश्चिम निमाड़, संबंधित के टी.आर. की प्रमाणित छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट-अ-अनुसार।** (ख) पूरक परीक्षा हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 में माह अगस्त वर्ष 1988 में रोल नम्बर- 315380 का उपयोग कर परीक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम- श्री राजीव सक्सेना आत्मज-श्री कमल कुमार सक्सेना, परीक्षार्थी श्रेणी-स्वाध्यायी, परीक्षा केन्द्र का नम्बर-3501, केन्द्र-शासकीय मल्ती उमावि क्रमांक 01 बड़वानी संबंधित के टी.आर. की प्रमाणित छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट-ब-अनुसार।** (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-स-अनुसार।** परीक्षार्थी के कक्षा 10वीं बोर्ड हाईस्कूल के अनुक्रमांक/केन्द्र क्रमांक/वर्ष/नामांकन क्रमांक की जानकारी के अभाव में दी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छिहत्तर"

डेम निर्माण में अनियमितता

[जल संसाधन]

192. (क्र. 1257) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में कापसी, धुलसर और उमराली में बाघनी नदी और आस-पास का जल स्तर को बनाए रखने और डेम के निर्माण कार्य में अनियमितता एवं घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है? (ख) उक्त

डेम निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत, कार्यादेश की तिथि, निर्माण एजेंसी/ठेकेदार का नाम तथा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि क्या थी? (ग) क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच किसी सक्षम तकनीकी दल अथवा स्वतंत्र एजेंसी से कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन में क्या तथ्य सामने आए? निर्माण कार्य में अनियमितता, घटिया निर्माण अथवा तकनीकी मानकों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार, उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा प्रस्तावित है? (घ) क्या सरकार उक्त डेम की पुनः तकनीकी जांच कराकर दोषपूर्ण निर्माण कार्य को सुधारने तथा शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली दोषी ठेकेदार एवं अधिकारियों से करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य का समुचित निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण घटिया निर्माण को बढ़ावा मिला? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का विवरण क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में कापसी बैराज बाधनी नदी, धुलसर बैराज उरी नदी तथा इडरिया डाबरा (उमराली) बैराज हथिनी नदी पर निर्मित है। उक्त तीनों बैराजों का निर्माण कार्य दिनांक 06/2024 को पूर्ण किया जा चुका है। विगत वर्ष से उक्त बैराजों में पूर्ण जल भराव किया जाकर कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया। (ख) कापसी बैराज की प्रशासकीय स्वीकृति लागत राशि रु. 443.15 लाख, धुलसर बैराज स्वीकृति लागत राशि रु. 743.44 लाख एवं इडरिया डाबरा बैराज (उमराली) स्वीकृति लागत राशि रु. 430.45 लाख है। उक्त तीनों बैराजों की अनुबंध की राशि रु. 1200.66 लाख एवं कार्यादेश दिनांक 24.04.2023 निर्माण एजेन्सी मेंसर्स संजय शर्मा, ग्वालियर तथा कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित अवधि 18 माह थी। (ग) जी हाँ, निर्माण कार्य के दौरान उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नियमित निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त गुणावत्ता नियंत्रण (Quality Control) इकाई द्वारा भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई, जिसके परिणाम निर्धारित मार्शदण्ड अनुसार पाये गये। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। कार्य गुणवत्तापूर्वक किया गया है तथा तीनों बैराज निर्मित होकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। निर्माण कार्य के दौरान उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बरखेड़ा बेल बाबा डेम सिंचाई परियोजना में अनियमितता

[जल संसाधन]

193. (क्र. 1258) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा के बरखेड़ा बेल बाबा डेम सिंचाई परियोजना से अंतिम छोर के किसानों के खेतों तक निर्धारित मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाने के कारण क्या हैं? (ख) क्या जल वितरण हेतु स्थापित पाइप लाइन, संरचनाओं एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निर्धारित मानकों के अनुसार जांच एवं टेस्टिंग की गई थी? यदि हाँ, तो परीक्षण रिपोर्ट क्या है तथा पाइप लाइनों के बार-बार फूटने एवं जल आपूर्ति बाधित होने के लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या उक्त परियोजना का निर्माण कार्य स्वीकृत डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) एवं तकनीकी स्वीकृति

के अनुसार किया गया है? यदि नहीं तो किन-किन बिन्दुओं पर अनियमितताएं पाई गई हैं तथा दोषी ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माह जून 2026 में माननीय मंत्री महोदय को उक्त घटना के संबंध में पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या घटिया निर्माण, जल वितरण व्यवस्था में लापरवाही तथा परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति न होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो इनकी जांच किस स्तर पर कराई गई है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) बरखेड़ा बेल बाबा बांध से नहर के अपस्ट्रीम क्षेत्रों के कुछ कृषकों द्वारा वाल्व/नियंत्रण प्रणाली के साथ अनाधिकृत छेड़छाड़ एवं अतिरिक्त जल निकासी करने के कारण नहर के दाब (Pressure) कम हो जाने से अंतिम छोर तक कृषकों को पर्याप्त पानी की समस्या उत्पन्न होना प्रतिवेदित है। (ख) जी हाँ। परीक्षण रिपोर्ट मानक स्तर की है। नहर के अपस्ट्रीम क्षेत्रों के कुछ कृषकों द्वारा वाल्व/नियंत्रण प्रणाली के साथ अनाधिकृत छेड़छाड़ एवं अतिरिक्त जल निकासी करने के कारण नहर के दाब (Pressure) कम हुआ जिससे जल आपूर्ति बाधित हुई। अतः किसी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। (ग) जी हाँ। परियोजना का निर्माण कार्य स्वीकृत डी.पी.आर., तकनीकी स्वीकृति तथा गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संपादित कराया जाना प्रतिवेदित है। अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है। अतः ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय द्वारा उल्लेखित शिकायत पर विभाग द्वारा संज्ञान लेते हुए जल प्रदाय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर समयबद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाना प्रतिवेदित है। निर्माण कार्य के दौरान मैदानी अधिकारियों द्वारा विभागीय मापदण्डों अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य किया गया एवं जल वितरण व्यवस्था में भी लापरवाही नहीं बरती गई है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध जांच सृजित करने की स्थिति नहीं होने से शेष प्रश्न लागू नहीं होता है।

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) के कर्मचारियों की सेवाएं

[परिवहन]

194. (क्र. 1259) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) BCLL के कर्मचारी श्री संजय सोनी को किस दिनांक को सेवा से पृथक किया गया है? सेवा पृथकीकरण आदेश/BOD की प्रति उपलब्ध कराएं। नगर निगम द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, तो उसकी प्रति प्रदाय करें। यदि नगर निगम भोपाल का कोई वैध नियुक्ति पत्र नहीं है, तो उन्हें नगर निगम के शासकीय दस्तावेजों, फाइलों एवं कार्यालयीन परिसरों तक पहुंच किस आधार पर और किसकी अनुमति से दी गई है? (ख) क्या श्री संजय सोनी को विगत एक वर्ष से किसी प्रकार का मानदेय, वेतन या वित्तीय लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो सेवा पृथकीकरण की दिनांक से आज दिनांक तक भुगतान किए गए वेतन/मानदेय का संपूर्ण विवरण प्रदान करें? यदि कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो बिना वेतन के श्री संजय सोनी नगर निगम में क्यों और किस प्रलोभन हित में कार्य कर रहे हैं? इस गंभीर प्रशासनिक एवं सुरक्षात्मक अनियमितता के लिए कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या शासन दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या नगर निगम भोपाल के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी

आदेश क्रमांक 317/सा.प्र.वि./2025, दिनांक 17/11/2025 के माध्यम से श्री अभिनय सचान (मूल पद कम्प्यूटर ऑपरेटर) को "निज सहायक" का पदनाम/पदोन्नति दी गई है? यदि हाँ, तो उक्त पदोन्नति/पदनाम की नियम सुसंगत प्रक्रिया क्या है? यदि नहीं तो एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को नियम विरुद्ध निज सहायक का पदनाम देकर आदेश जारी करने वाले दोषी अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी, क्या उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश निरस्त कर इन्हें सेवा से पृथक किया जाएगा, यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उक्त आदेश दिनांक 17/11/2025 को श्री सचान की संविदा अवधि वैध थी या बढ़ाई गई थी, नियम एवं निर्देशों सहित स्पष्ट विवरण दें तथा प्रश्नांश (ख) में वर्णित आदेश की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराएं?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) संचालक मंडल की बैठक दिनांक 07.03.2024 में लिए गए निर्णय के परिपालन में हटाया गया, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। नगर पलिक निगम द्वारा श्री संजय सोनी को प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से सी.एम. हेल्पलाइन तथा नगर निगम कॉल सेंटर का अतिरिक्त दायित्व आदेश क्रमांक 135/सा.प्र.वि./2020 दिनांक 04/12/2020 के माध्यम से सौंपा गया था। बीसीएलएल बोर्ड के सेवा समाप्ति संबंधी उक्त लिए गए निर्णय के विरुद्ध श्री संजय सोनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका अंतर्गत दर्ज प्रकरण क्र. WP40898/2024 में पारित आदेश दिनांक 29-07-2025 में बोर्ड के सेवा समाप्ति संबंधी निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध बीसीएलएल द्वारा दायर अपील प्रकरण क्रं WA3328/2024 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07-01-2026 में उच्च न्यायालय द्वारा आगामी सुनवाई दिनांक तक प्रकरण में यथा स्थिति बने रहने हेतु आदेशित किया गया है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। आदेश दिनांक 17-11-2025 कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन में श्री अभिनय सचान, निज सहायक लिखा गया है। यही सही है कि श्री अभिनय सचान का मूल पद कम्प्यूटर ऑपरेटर है, परन्तु वे अपर आयुक्त के निज सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे इसलिये कार्य विभाजन आदेश में निज सहायक लिखा गया है। यह आदेश केवल कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन का है न कि पदोन्नति का। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक क्रमांक 43 दिनांक 25.02.2026 को श्री अभिनय सचान की संविदा अवधि दिनांक 01 अगस्त, 2025 से 31.03.2026 तक बढ़ाई गई है। प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) nagar nigam के बस डिपो का आवंटन

[परिवहन]

195. (क्र. 1261) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर में BCLL के कुल कितने बस डिपो हैं? वे किन स्थानों पर तथा कितनी-कितनी भूमि (रकबा) पर स्थित हैं? क्या उक्त भूमियों का आवंटन लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया है अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा? डिपोवार जानकारी दें। (ख) इन डिपो का वर्तमान वित्तीय मूल्य क्या है और इन भूमियों का वास्तविक स्वामित्व किस विभाग/निकाय के पास सुरक्षित

है? (ग) भोपाल में स्थित BCLL के विभिन्न बस डिपो का निर्माण कब और किस एजेंसी द्वारा कराया गया? प्रत्येक डिपो के निर्माण हेतु प्रारंभिक स्वीकृत व्यय राशि क्या थी और वास्तविक रूप से अंतिम भुगतान कितना हुआ? डिपोवार मूल राशि, अंतिम भुगतान राशि तथा दोनों के अंतर का गोशवारा बनाकर उपलब्ध कराएं। (घ) क्या डिपो निर्माण के दौरान तय राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो इस अतिरिक्त राशि के भुगतान का वैधानिक आधार और अत्याधिक वृद्धि के कारण क्या थे? क्या उक्त निर्माण कार्य अपनी निर्धारित समयावधि में पूर्ण हुए? यदि नहीं, तो देरी के लिए कौन दोषी है और उन एजेंसियों के विरुद्ध अब तक क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई? उक्त डिपो में निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी किन-किन नगर निगम/BCLL के अधिकारी/कर्मचारी की थी? नाम एवं पद बताएं।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

बसों में महिलाओं को टिकट/पास में छूट

[परिवहन]

196. (क्र. 1262) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल शहर की शासकीय/नगरीय परिवहन कंपनी (BCLL) की बसों में महिलाओं को बस टिकट एवं बस पास में छूट दिए जाने का कोई प्रावधान रहा है? यदि हाँ, तो दिनांक 1 जनवरी, 2020 से मार्च 2026 तक की अवधि में विभाग द्वारा इस मद में दी गई छूट का माहवार एवं वर्षवार संख्यात्मक गोशवारा उपलब्ध कराएं? (ख) उक्त अवधि (जनवरी 2020 से मार्च 2026) के दौरान कुल कितनी महिला यात्रियों ने इस छूट का लाभ उठाया तथा इसके लिए परिवहन कंपनी को महिला एवं बाल विकास विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कुल कितनी अनुदान/प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) क्या वर्तमान में महिलाओं को बस टिकट/पास में मिलने वाली यह छूट बंद कर दी गई है या सुचारू रूप से प्रदान नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो इन जनहितैषी छूट को बंद करने या रोकने के क्या कारण हैं? कौन सा विभाग या अधिकारी दोषी है? (घ) BCLL की NIT संख्या 41, 43, 60, 63, 121, 122, 123, 153 में सफल Operator/Ticketing Agency द्वारा उल्लेखित समयावधि में कब-कब और कितना छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया? इसका पृथक-पृथक गोशवारा प्रदाय करने की कृपा करें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ। 1 जनवरी, 2020 से मार्च 2020 तक की अवधि में विभाग द्वारा दी गई छूट की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। 22-मार्च 2020 में COVID-19 के पश्चात बसों का संचालन स्थगित अवस्था में रहा, तदुपरांत पुनः बस संचालन प्रारंभ किये जाने के उपरांत वितीय कारणों से नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा पुनः मासिक बस पास की राशि में छूट प्रदान नहीं की गई। अतः अप्रैल 2020 से मार्च 2026 तक की अवधि में छूट प्रदान नहीं की गई। (ख) कुल 9003 महिला यात्रियों के द्वारा जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक छूट का लाभ उठाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा महिला यात्रियों को किराये की राशी में छूट दिए जाने सम्बन्धी प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त विभाग द्वारा अनुदान/प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। पूर्व में नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा अधीनस्थ संचालित बसों में महिलाओं को मासिक बस पास की राशि में छूट प्रदान

किये जाने का प्रावधान था। 22-मार्च 2020 में COVID-19 के पश्चात बसों का संचालन स्थगित अवस्था में रहा, तदुपरांत पुनः बस संचालन प्रारंभ किये जाने के उपरांत वित्तीय कारणों से नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा पुनः मासिक बस पास की राशि में छूट प्रदान नहीं की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) BCLL कि NIT संख्या 41, 43, 123 एवं 153 में सफल Operator/Ticketing Agency द्वारा स्वयं के स्तर पर यात्रियों हेतु पास प्रावधानित किये गये थे जिनका वित्तीय भार स्वयं सम्बन्धी Operator/Ticketing Agency द्वारा वहन किया गया। उक्त पास में छूट निर्धारण की अधिकारिता Operator की थी इस हेतु कोई निश्चित राशि तय नहीं थी अतः पृथक से गोशवारा बनाया जाना संभव नहीं है। अन्य NIT संख्या 60, 63, 121 एवं 122 में छूट का प्रावधान नहीं था।

परिशिष्ट - "सतहतर"

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) में वित्तीय अनियमितताएं

[परिवहन]

197. (क्र. 1269) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) BCLL में विगत तीन वर्षों में कुल कितनी वित्तीय अनियमितताओं, ऑडिट आपत्तियों (NIT 78,121/122, Transport Mobility) एवं गबन की शिकायतें शासन एवं विभाग स्तर पर प्राप्त हुई हैं? उनकी वर्तमान जांच स्थिति क्या है? CAG/AG Audit हेतु नियुक्त Auditor के नाम, UADD/BCLL के अधिकारी के नाम एवं पद बताएं। जांच एवं इससे संबंधित पूर्ण विवरण प्रदाय करें। CAG/AG ऑडिट की जांच रिपोर्ट, नोटशीट भी संलग्न करें। (ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग के अधीन MPYPIL द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत नई निविदाएं MPYPIL/RFP/2026/8 आमंत्रित की गई हैं? क्या इस टेंडर में चलो मोबिलिटी द्वारा उन पर कानूनी देनदारियों और डिफॉल्ट का उल्लेख किया गया है? (जैसे कि BCLL टेंडर्स में रिफर्बिशमेंट बैंक गारंटी ज़ब्त करना, असाइनमेंट रद्द करना, ब्लैकलिस्टिंग, कोर्ट केस बायोफ्यूल आदि)। चलो मोबिलिटी के टेंडर दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करें। (ग) परिवहन विभाग आदेश क्रमांक: 1238/TRP/15/0003/2025-sec-1-08-TRP दिनांक 12.05.2026, परिवहन विभाग विभागीय आदेश क्रमांक: 1240/TRP 15/0003/2025-sec-1-08-TRP दिनांक 12.05.2026, BCLL पत्र क्रमांक: बी.सी.एल.एल/2026/8516 दिनांक 24.04.2026. आदेशों एवं पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें। BCLL की वर्तमान परिसंपत्तियों और पूर्व की वित्तीय देनदारियों का वहन किस विभाग अथवा निकाय द्वारा किया जाएगा? क्या भोपाल नगर निगम (UADD) की प्रमुख हिस्सेदारी वाली कंपनी BCLL को भविष्य में वित्तीय संकट से उबारने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्रालय द्वारा कोई विशेष अनुदान या सब्सिडी स्वीकृत की जा रही है, या यह उत्तरदायित्व नवगठित परिवहन कंपनी (MPYPIL) का होगा? (घ) क्या BCLL में हुए पूर्व के घोटालों और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार तत्कालीन बोर्ड सदस्यों एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर ही कानूनी जवाबदेही तय होगी? हाँ अथवा नहीं? क्या नए प्रशासनिक बोर्ड के पुनर्गठन की आड़ में पूर्व के वित्तीय अपराधों को विलोपित किया जाए? हाँ। अथवा नहीं?

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों एवं चिकित्सा स्टाफ की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

198. (क्र. 1270) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र मंडला में स्वीकृत डॉक्टरों (विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी), नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हैं और कितने रिक्त हैं? अस्पतालवार जानकारी दें। **(ख)** डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की इस कमी के कारण आम जनता को मिल रहे इलाज में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? **(ग)** क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान या संविदा नियुक्ति की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा? समय-सीमा बताएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** उपलब्ध विशेषज्ञों, चिकित्सकों, संविदा एन.एच.एम. चिकित्सकों, बंधपत्र चिकित्सकों एवं सहायक स्टाफ द्वारा आम जन का स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। पदपूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से नियमित अधिकारी/कर्मचारियों की पूर्ति तथा संविदा, बंधपत्र तथा आउटसोर्स के माध्यम से पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के न्यायालयीन प्रकरण

[परिवहन]

199. (क्र. 1271) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या एन.आई.टी. टेंडर क्रमांक 121/122 के अंतर्गत अनुबंधित कुल 149 बसें वर्तमान में डिपो में भौतिक रूप से उपलब्ध हैं? वास्तविक स्थिति में वर्तमान में कुल कितनी बसें डिपो में मौजूद हैं? Nit 153,41,43 में कुल कितनी बसें डिपो में मौजूद हैं? मौजूद बसों की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) द्वारा सत्यापित तस्वीरें एवं विस्तृत विवरण टेंडर क्रमांक जिसमें प्रत्येक बस का नंबर, वर्तमान स्थिति (चालू कंडम/लापता) और वर्तमान स्थान दर्ज (यदि डिपो में नहीं है) तो कारण (बैंक सीज/विक्रय/अन्य) हो के आधार पर गोशवरा बनाकर प्रदाय करें। **(ख)** 'चलो मोबिलिटी' विरुद्ध 'भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड' (BCLL) के आर्बिट्रेशन प्रकरण की सुनवाई भोपाल संभाग आयुक्त के समक्ष प्रचलित थी? पारित अंतिम आदेश एवं संबंधित संपूर्ण नोटशीट ऑर्डरशीट की प्रमाणित छायाप्रति प्रदाय करें। क्या इस प्रकरण के दौरान 'चलो मोबिलिटी' द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका/केस को वापस ले लिया गया था? यदि हाँ, तो केस वापस लेने के उपरांत क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिया गया स्थगन आदेश (Stay Order) स्वतः ही शून्य एवं निष्प्रभावी नहीं हो गया है? विधिक स्थिति स्पष्ट करें। **(ग)** क्या 'चलो मोबिलिटी' द्वारा भोपाल संभाग आयुक्त (आर्बिट्रेटर) के न्यायालय के समक्ष से भी अपने इस प्रकरण/केस को वापस लिया गया था? यदि हाँ, तो प्रकरण वापस लेने की तिथि क्या है? यदि यह प्रकरण दोनों ही मंचों से वापस ले लिया गया था, तो ऐसी स्थिति में BCLL की दिनांक 04/04/2025 को आयोजित 41वीं बोर्ड बैठक

(BOD Meeting) में लिया गया निर्णय किस नियम अथवा आधार पर वैध और प्रभावी रहता है? (घ) NIT 123 में बोर्ड का निर्णय क्या किसी स्टे या लंबित प्रकरण के आधार पर लिया गया था? मूल अनुबंध के तहत बोर्ड को स्वतंत्र रूप से कोई प्रशासनिक या व्यावसायिक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था? क्या बोर्ड का निर्णय तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण था? सभी तथ्यों का पूर्ण विवरण दें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) द्वारा अमृत योजनांतर्गत बसों का संचालन

[परिवहन]

200. (क्र. 1272) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमृत योजना (AMRUT) के अंतर्गत संचालित बसों के क्रियान्वयन की वर्तमान प्रशासनिक जिम्मेदारी किसकी है? क्या BCLL द्वारा जारी की गई निविदा 43 के क्रियान्वयन में निजी ऑपरेटर्स को अनुचित लाभ पहुँचाने हेतु शासकीय नियमों एवं "अमृत योजना" के 40% VGF मार्गदर्शी सिद्धांतों की जानबूझकर उपेक्षा की गई है? क्या अमृत योजना पर AG ऑडिट की कोई आपत्ति है? (ख) NIT 43 प्रति बस लागत लगभग ₹16,60,000/- होने के बावजूद, विभाग के अधिकारियों (प्रबंधक प्रशासन, रोहित यादव) द्वारा बिना किसी लीगल अभिमत, CA Report, विधिक आधार के इसे ₹25,00,000/- मानकर भुगतान किया गया? इस प्रकार प्रति बस लगभग ₹8.40 लाख की ओवर-इनवॉयसिंग कर कुल ₹1 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त एवं अवैध भुगतान निजी ऑपरेटर्स को क्यों किया गया? स्पष्ट कारण बताएं। एन.आई.टी. 43 से संबंधित कितने प्रकारण कोर्ट में लंबित हैं? Bell नोटशीट दिनांक 16/04/2026, विषय: "सूचना अधिकार अंतर्गत प्रकरणों से जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में", हस्ताक्षरित: श्री प्रमोद मालवीय की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें। (ग) NIT 121/122 40% VGF + अतिरिक्त अंशदान देने के बावजूद भी क्या 100 से अधिक बसें एवं एन.आई.टी. (NIT) 41 डिपो से 12 बसें डिपो से गायब होने की जानकारी CEO को थी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो सरकारी सम्पत्ति लापता होने के बावजूद भी BCLL के संबंधित कर्मचारियों या ऑपरेटर पर FIR दर्ज कराई गई है या नहीं? यदि हाँ, तो FIR की छायाप्रति प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों और ऑपरेटर को CEO द्वारा बचाया जा रहा है? स्पष्ट कारण बताएं। (घ) BCLL द्वारा संचालित ITMS प्रोजेक्ट (NIT-183) में क्या यह सही है, कि केंद्र सरकार (MoRTH) द्वारा जारी ₹2.38 करोड़ की राशि का उपयोग निर्धारित समय-सीमा (28) सप्ताह) में नहीं किए जाने के कारण केंद्र सरकार इस राशि को वापिस ले चुकी है? यदि हाँ, तो यह प्रोजेक्ट किस आधार पर संचित है? कारण बताएं।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

दिव्यांगजनों को किराए में छूट की पात्रता

[परिवहन]

201. (क्र. 1273) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल शहर में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) द्वारा संचालित बसों में वर्ष January 2021 से December 2025 तक Ticketing Agency/Operator द्वारा दिव्यांगजनों को नियमानुसार बस

किराए में छूट दी जाती थी? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही थी और उसके लिए क्या पात्रता/प्रक्रिया निर्धारित है? **(ख)** यदि वर्तमान में इन बसों में दिव्यांगजनों को किराए में कोई छूट नहीं दी जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं? क्या परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों एवं यूडीआईडी (UDID) कार्ड धारकों को मिलने वाली 50% किराया छूट का नियम नगरीय निकायों (BCLL) द्वारा संचालित बसों पर लागू नहीं होता? यदि नहीं होता, तो इसके क्या वैधानिक कारण हैं? **(ग)** क्या BCLL की NIT 41, 43, 60, 63, 121, 122, 123, 159 में Operator/Ticketing Agency द्वारा दिव्यांगजनों को उपरोक्त समय अवधि में कब-कब कितनी छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया? पृथक-पृथक गोशवारा प्रदाय करें।

परिवहन मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) : **(क)** जी हाँ। दिव्यांगजनों को नियमानुसार यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन (UDID) कार्ड दिखाए जाने पर बस किराए में 50% की छूट दी जा रही है। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** BCLL की NIT 41, 43, 60, 63 एवं 123 अनुसार दिव्यांगजनों को नियमानुसार यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन (UDID) कार्ड दिखाए जाने पर बस किराए में 50% छूट दिए जाने का प्रावधान है। पृथक से गोशवारा बनाया जाना संभव नहीं है। BCLL की NIT 121, 122 एवं 159 टिकटिंग से संबंधित न होकर अन्य प्रयोजन के लिए था।

स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

202. (क्र. 1518) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र, पी.एच.सी., सी.एच.सी. सिविल हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में कहां-कहां, किस-किस चिकित्सक एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कब से पद सृजित है? प्रश्न दिनांक तक किस-किस ने भरे एवं किस-किस के पद रिक्त है? संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि वर्ष 2026 में किस-किस की नवीन, कहां-कहां पदस्थापना हुई है? प्रश्न दिनांक तक की संपूर्ण अद्यतन जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि सिविल हॉस्पिटल जतारा में क्या रेडियोग्राफर का पद सृजित है? क्या एक्स-रे मशीन उपलब्ध है तो कब से? वह मशीन न चलने के क्या-क्या कारण हैं? वह मशीन न चलने से जनता को क्या एक्स-रे कराने 45 कि.मी. टीकमगढ़ जाना पड़ता है? बंद नई एक्स-रे मशीन कब से चालू कर दी जावेगी और जनता का सुविधा मिलने लगेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि जिले में जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक के मध्य तक कौन-कौन से कार्य कराने, कितनी-कितनी भवन राशि विभाग ने स्वीकृत की है? सम्पूर्ण भवनों के कार्यों की अद्यतन जानकारी से अवगत कराते हुए यह भी बताएं कि कार्य कब तक पूर्ण हो जावेंगे एवं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक शासन द्वारा कर दी जावेगी?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** वर्ष 2026 में नवीन पदस्थापना संबंधी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना
1	श्री रघुवीर सिंह	सीएचसी खरगापुर
2	श्री नरेन्द्र कुशवाहा	पीएचसी बम्होरीकलां सीएचसी पलेरा
3	श्री अभिनव पाठक	सीएचसी जतारा
4	श्री रोहित अहिरवार	सीएचसी बल्देवगढ
5	श्री रीतेश कुमार जाटव	सीएचसी पृथ्वीपुर

(ग) सामु. स्वा. केन्द्र में 01 पद रेडियोग्राफर का सृजित है एवं एक्स-रे मशीन भी उपलब्ध है। जतारा में पदस्थ रेडियोग्राफर जनवरी 2025 को श्री भजन लाल चौरसिया सेवानिवृत्त हो गए हैं। वर्तमान में मशीन के संचालन हेतु पलेरा में पदस्थ रेडियोग्राफर को सप्ताह में 02 दिन कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सतधारा बांध का बंद कार्य पूर्ण कराया जाना

[जल संसाधन]

203. (क्र. 1519) श्री हरिशंकर खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र के सतधारा बांध की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? ऐसे कार्य की योजना सहित वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के आदेश की छायाप्रतियां सहित प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि यह कार्य कब प्रारंभ किया गया था? कितनी राशि इस पर व्यय हो चुकी है? विभाग वन विभाग को कितनी-कितनी राशि दे चुका है? उपरोक्त कार्य कब से बंद है? कारण सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि क्या यह बंद कार्य पुनः प्रारंभ होगा तो कब तक और नहीं तो क्यों? इसमें किस विभाग के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, जिनकी लापरवाही से वर्षों से कार्य बंद है क्यों? प्रश्न दिनांक तक इन दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है? स्पष्ट नाम, पद सहित एवं कार्यवाही सहित बताएं। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब से बंद कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) परियोजना की दिनांक 24.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-1" एवं "2" अनुसार है। (ख) परियोजना कार्य का निर्माण कार्य दिनांक 24.01.2018 को प्रारंभ हुआ था। योजना पर कुल

व्यय राशि रु.933.73 लाख एवं वन विभाग को भुगतान की गई राशि रु.6,31,34,612/- प्रतिवेदित है। वन भूमि की स्वीकृति के अभाव में अगस्त 2021 से योजना का कार्य बंद होना प्रतिवेदित है। (ग) परियोजना बंद कार्य को पुनः प्रारंभ करने की निविदा स्वीकृत की जाना प्रतिवेदित है। योजना अंतर्गत वनभूमि हस्तांतरण प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है। भूमि हस्तांतरण पश्चात कार्य प्रारंभ हो पाना संभव हो सकेगा। वन प्रकरण का निराकरण नहीं होने से परियोजना का कार्य बंद था। अतः किसी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। (घ) वन भूमि कीद्वितीय चरण की स्वीकृति का प्रकरण प्रक्रियाधीन है, वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ होना संभव हो सकेगा। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
